ISSN-0974-0118

मेकल मीमांसा

यूजीसी केयर द्वारा अनुमोदित अंतर-अनुशासनात्मक डबल ब्लाइंड पीअर रिव्यूड अर्धवार्षिक शोध पत्रिका
वर्ष-12, अंक-02 जुलाई-दिसम्बर-2020

इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय
अमरकण्टक (म.प्र.)

कुलगीत

तपोभूमि यह ऋषि मुनियों की अति पावन अभिराम।
विद्या के आलोक पुंज को शत शत बार प्रणाम।।

यहाँ नर्मदा की लहरों में संस्कृति का अनुप्रास।
यह भारत की अमर संपदा का पूरा इतिहास।।
यह स्कंदपुराण निरूपित अद्भुत रेवाखण्ड।
युग युग से महिमामंडित यह वंदित और अखंड।।
जनजातीय समाज यहाँ पर कर्मशील निष्काम।
विद्या के आलोक पुंज को शत शत बार प्रणाम....।।

यहाँ नर्मदा, सोन, जोहिला और अरण्डि प्रवाहित।
विद्या की देवी की पावन वीणा यहाँ स्वरासित।।
आदि शंकराचार्य, कपिल ने यहीं किया था ध्यान।
साधक, संत, कबीर पा रहे प्रज्ञा का वरदान।।
यहीं विश्व की मानवता को मिल पाता विश्राम।
विद्या के आलोक पुंज को शत शत बार प्रणाम....।।

यहाँ सुलभ है जनजीवन की परिपाटी का ज्ञान।
भारत की भाषा परिभाषा का अद्भुत अनुमान।।
यहाँ सूक्ष्म स्थूल दीखता, कण-कण ऊर्जावान।
मेघदूत सर्वदा निहारे साल, चीड़, वट, आम।।
सदा अमरकण्टक में गुंजित दिव्य सदाशिव नाम।
विद्या के आलोक पुंज को शत शत बार प्रणाम....।।

इस अंचल से जुड़ी हुई हैं जन-जीवन की आशा।
पूर्ण करेगा विद्यासागर जन-जन की अभिलाषा।।
वन औषधि की प्रचुर संपदा का यह सुंदर कोष।
संस्कृति और जीवन मूल्यों का यह करता उद्घोष।।
यहाँ सिद्धि की सतत् चेतना बहती है अविराम।
विद्या के आलोक पुंज को शत शत बार प्रणाम....।।

यह धर्म भूमि, यह कर्म भूमि, जीवन दर्शन की मर्म भूमि।
यह ज्ञान भूमि, यह ध्यान भूमि, यह सतत् लक्ष्य संधान भूमि।।
यह बोध भूमि, यह शोध भूमि, यह ''चरैवेति'' अनुरोध भूमि।
यह तत्व भूमि, यह सत्व भूमि, यह मेधा की अमरत्व भूमि।।
गुप्त नर्मदा से अभिसिंचित विश्व विदित गुरुधाम.....
तपोभूमि यह ऋषि मुनियों की अति पावन अभिराम।
विद्या के आलोक पुंज को शत शत बार प्रणाम....।।

वैशाख शुक्ल पक्ष पूर्णिमा (बुद्ध पूर्णिमा)

प्रोफेसर श्रीप्रकाश मणि त्रिपाठी
कुलपति
इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय
अमरकण्टक (म.प्र.)

ISSN-0974-0118

मेकल मीमांसा

अंतर-अनुशासनामक डबल ब्लाइंड पीअर रिव्यूड अर्धवार्षिक शोध पत्रिका
वर्ष-12, अंक-02 जुलाई-दिसंबर-2020

संरक्षक
प्रोफेसर श्रीप्रकाश मणि त्रिपाठी
कुलपति

प्रधान संपादक
प्रोफेसर राकेश सिंह

कार्यकारी संपादक
डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार राउत
डॉ. राघवेन्द्र मिश्रा

संपादक मण्डल
डॉ. गौरी शंकर महापात्र
डॉ. प्रशान्त कुमार सिंह
डॉ. उदय सिंह राजपूत
डॉ. ललित कुमार मिश्र
डॉ. देवेन्द्र कुमार सिंह
डॉ. जयन्त कुमार बेहेरा
डॉ. एन. सुरजीत सिंह
डॉ. ऋचा चतुर्वेदी
शिवाजी चौधरी

इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय
अमरकण्टक, मध्य प्रदेश

© इन्दिरा गाँधी जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकण्टक मध्य प्रदेश – 484887

सहयोग राशि: 300.00

प्रकाशक:

इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय,
अमरकण्टक, मध्य प्रदेश - 484887
http://www.igntu.ac.in/mekalmimansa.aspx

ध्यानार्थ:

मेकल मीमांसा राष्ट्रभाषा हिंदी में गुणवत्तापरक एवं मौलिक शोध पत्रों के प्रकाशन के माध्यम से ज्ञान के प्रदीपन और विस्तार हेतु संकल्पित है। मेकल मीमांसा डबल ब्लाइंड पीअर रिव्यू पद्धति का अनुसरण करती है। पत्रिका लेखकीय गरिमा का सम्मान करती है। पत्रिका में प्रकाशित विचार एवं विश्लेषण लेखकों द्वारा प्रस्तुत है जो विषयवस्तु की मौलिकता एवं प्रमाणिकता हेतु उत्तरदायी है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय
Indira Gandhi National Tribal University
Inspiring Students, Empowering Society
संसद के अधिनियम संख्या 52/2007 द्वारा स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय
A Central University established by an Act of Parliament No. 52 of 2007

प्रो. श्रीप्रकाश मणि त्रिपाठी
Prof. Shri Prakash Mani Tripathi
Vice-Chancellor

आशीर्वचन

इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की हिन्दी शोध पत्रिका मेकल मीमांसा का दूसरा अंक प्रबुद्ध पाठकों के हाथों में सौंपते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में मुझे अतिशय प्रसन्नता हो रही है। पत्रिका अपने स्तरीय शोधपत्रों के कारण विचारणीय तथा बौद्धिक उत्तेजना पैदा करने वाली बन पड़ी है।

इस अंक में भारत की जनजातियों पर सर्वाधिक आलेख सम्मिलित किए गए हैं। ये सभी आलेख भिन्न जनजातियों और उनकी भिन्न-भिन्न सामाजिक, राजनैतिक एवं संवैधानिक स्थितियों से सम्बद्ध हैं तथा अत्यंत विश्लेषणीय ढंग से प्रस्तुत किए गए हैं। इनमें से एक आलेख भील जनजाति और दूसरा बैगा जनजाति से संबंधित है। उल्लेखनीय है कि ये दोनों जनजातियाँ इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के निकटस्थ वनांचल और पहाड़ियों में निवास करती हैं। आदिवासी संबंधी दो अन्य आलेखों में से एक उन गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका पर प्रकाश डालता है जो जनजातीय विकास में अपनी महती भूमिका निभा रहे हैं। दूसरे आलेख सारगर्भित होने के साथ ही आदिवासी समुदायों की परिस्थिति एवं परिवेश को भी उद्घाटित करते है।

विषय की विविधता मेकल मीमांसा के इस अंक की विशेषता है। एक आलेख इसमें उत्तरी हिन्द महासागर में अत्यधिक चक्रवातों के आने के कारणों की व्याख्या करता है। दूसरा महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों की वैधानिकता की दृष्टि से व्याख्या करता है। एक आलेख समसामयिक भारत में नकदी विहीन लेनदेन को समीचीन ढंग से देखने वाला है। इन सभी आलेखों में सूचनापरकता और वर्गीकरण का सुन्दर समन्वय दिखाई देता है जो कि किसी भी शोध लेख की प्राणरेखा होते है। इन आलेखों के लेखकों को मेरा साधुवाद।

मुझे यह देखकर भी अत्यन्त प्रसन्नता हुई है कि इस अंक में सिनेमा और डिजिटल

अमरकंटक, जिला अनूपपुर म.प्र. 484887
दूरभाष : 07629 269700, फैक्स : 07629 269712
इमेल : vc@igntu.ac.in वेबसाईट : www.igntu.ac.in
Amarkantak, Dist. Anuppur MP 484887
Phone : 07269 269710, Fax : 07269 269712
eMail : vc@igntu.ac.in Website www.igntu.ac.in

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय
Indira Gandhi National Tribal University
Inspiring Students, Empowering Society
संसद के अधिनियम संख्या 52/2007 द्वारा स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय
A Central University established by an Act of Parliament No. 52 of 2007

प्रो. श्रीप्रकाश मणि त्रिपाठी
Prof. Shri Prakash Mani Tripathi
Vice-Chancellor

मीडिया को भी समाहित कर लिया गया है। सिनेमा वाले आलेख में लोगों में सिनेमा देखने की आदतों या धारणाओं में जो परिवर्तन आया है, उसकी चर्चा है तथा दूसरा आलेख यह देखता है कि डिजिटल मीडिया में हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं की क्या भूमिका है। इसमें सन्देह नहीं कि सिनेमा एक लंबे अरसे से सामाजिक परिवर्तनों का प्रतिबिंबन करता है। डिजिटल मीडिया और संस्कृत पर प्रस्तुत आलेख विचारणीय है। इन आलेखों ने शोधात्मक दृष्टि से सिनेमा और मीडिया के प्रति हमें गंभीर किया है।

अमरकण्टक के सामाजिक-सांस्कृतिक आयामों को प्रस्तुत करने वाले आलेख अत्यंत सारगर्भित हैं। ऐसे अन्य आलेख भी बैगाचक, डिण्डौरी तथा विश्वविद्यालय के आस-पास के गाँवों पर आधारित करके प्रस्तुत किए जाने चाहिए। एक आलेख दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 पर केन्द्रित है। अपने आकड़ों और विश्लेषण के कारण यह महत्वपूर्ण है तथा राजनीति शास्त्र के अध्येताओं के लिए यह निश्चित ही एक उपादेय प्रस्तुति है।

मेकल मीमांसा गंभीर और वैविध्यपूर्ण शोधपत्रों को प्रकाशित करने की ओर अग्रसर है। मैं इसके संपादक मंडल को इस अवसर पर बधाई देता हूँ और यह आशा करता हूँ कि वे इस पत्रिका की उपादेयता और महत्ता को वैश्विक फलक पर स्थापित करने में सफल होंगे।

प्रो. श्रीप्रकाश मणि त्रिपाठी

अमरकंटक, जिला अनूपपुर म.प्र. 484887
दूरभाष : 07629 269700, फेक्स : 07629 269712
इमेल : vc@igntu.ac.in वेबसाईट : www.igntu.ac.in
Amarkantak, Dist. Anuppur MP 484887
Phone : 07269 269710, Fax : 07269 269712
eMail : vc@igntu.ac.in Website www.igntu.ac.in

इस अंक में

क्रम संख्या	लेख का शीर्षक	योगदानकर्ता	पृष्ठ संख्या
1.	भील जनजाति : एक आकलन	प्रो. चन्द्रशेखर गुप्त	1-12
2.	बैगा जनजाति की परम्परागत राजनीतिक व्यवस्था एवं पेसा अधिनियम : पूर्वी मध्य प्रदेश से कुछ अनुभवजन्य साक्ष्य	डॉ. उदय सिंह राजपूत	13-28
3.	जनजातीय विकास में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका का अध्ययन (बस्तर क्षेत्र के संदर्भ में)	डॉ आंनद मूर्ति मिश्रा शारदा देवांगन	29-51
4.	उत्तरी हिन्द महासागर में अत्यधिक चक्रवातों के आने के कारणों का विश्लेषणात्मक अध्ययन	डॉ विक्रम प्रताप सिंह	52-59
5.	कानून व महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध : एक अध्ययन	डॉ उमेश कुमार	60-65

6.	वर्तमान परिदृश्य में नकदी विहीन लेन-देन का शिक्षा में महत्व	रविन्द्र कुमार ठाकुर डा. एम.टी.वी. नागाराजु लाल कुमार सिंह	66-72
7.	बदलते परिप्रेक्ष्य में सिनेमा देखने के सम्बन्ध में लोगों की बदलती आदतें	डॉ दीपक शर्मा	73-89
8.	आदिवासी समाज एवं संवैधानिक अधिकार	डॉ चन्द्रमौलि जितेंद्र सिंह धुर्वे	90-115
9.	डिजिटल मीडिया में हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं की भूमिका: एक विश्लेषण	डॉ पवन कौंडल	116-125
10.	अमरकंटक भूदृश्य के सामाजिक-सांस्कृतिक आयाम	डॉ जानकी प्रसाद	126-143
11.	डिजिटल मीडिया और संस्कृत	डॉ हरीश कुमार	144-156
12.	दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 के परिणामों का विश्लेषण	डॉ राम भूषण तिवारी	157-172

इस अंक के योगदानकर्ता

प्रोफेसर चन्द्रशेखर गुप्त

प्रोफेसर चन्द्र शेखर गुप्त प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विषय के मर्मज्ञ विद्वान हैं। आप 30 वर्षों तक अध्यापन कार्य करने के पश्चात् सन 2004 में महाराष्ट्र के नागपुर विश्वविद्यालय के प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग से सेवानिवृत्त हुए। आपने 150 से ज्यादा शोध पत्रों का लेखन कार्य किया है जो अनेक राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित है, साथ ही आप 11 पुस्तकों के लेखक भी हैं। आपके कुशल निर्देशन में 10 शोध विद्यार्थियों को पीएच.डी. की उपाधि प्राप्त हुई है। आप हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी, मराठी तथा गुजराती में भी लेखन कार्य के लिए प्रसिद्ध हैं। आपको उत्कृष्ट शैक्षणिक योगदान के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा कई पुरस्कार एवं सम्मान प्राप्त हुए हैं।

डॉ. उदयसिंह राजपूत

डॉ. उदयसिंह राजपूत वर्तमान में इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान एवं मानवाधिकार विभाग में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। इन्होंने जनजातीय समुदाय से सम्बन्धित शोध परियोजनाओं पर कार्य किया है तथा जनजातीय विकास एवं पंचायती राज संस्थान इनकी अभिरुचि के विषय हैं।

डॉ. आनंद मूर्ति मिश्रा

डॉ. आनंद मूर्ति मिश्रा, सहायक प्राध्यापक, मानव विज्ञान एवं जनजाति अध्ययन शाला, शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय, जगदलपुर, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़ में विगत 2006 से पदस्थ हैं तथा जनजाति समुदाय के विभिन्न आयामों पर इन्होंने शोध कार्य किया है।

श्रीमती शारदा देवांगन

श्रीमती शारदा देवांगन मानव विज्ञान एक जनजातीय अध्ययन शाला, शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में शोधरत हैं तथा जनजातीय समाज में कुपोषण विषय पर यह लम्बे समय से कार्य कर रही हैं।

डॉ. विक्रम प्रताप सिंह

डॉ. विक्रम प्रताप सिंह ने सूक्ष्म जीवाश्मिकी एवं पुरातन समुद्रिकी में पीएच.डी. की उपाधि दिल्ली विश्वविद्यालय से प्राप्त की तथा वर्तमान में इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के भूगर्भ विज्ञान में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। इनकी शोध

रुचि, पुरातन जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, जीवाश्मिकी एवं पृथ्वी पर जीवन के विकास का अध्ययन है।

डॉ. उमेश कुमार

डॉ. उमेश कुमार, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला के विधि विभाग में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है। प्रो. कुमार के कई शोध पत्र मानक शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं तथा कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठियों और सम्मेलनों में इनकी सक्रिय भागीदारी रही है।

प्रोफेसर एम.टी.वी. नागाराजू

प्रोफेसर एम.टी.वी. नागाराजू वर्तमान में इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक के शिक्षा संकाय के अधिष्ठाता पद पर कार्यरत हैं। इन्होंने एम.ए. (दर्शन) एम.एससी. (भौतिकी), एम.एड., पीएच.डी. के अतिरिक्त शिक्षा तथा योग में डिप्लोमा किया है। इनकी विशेषज्ञता के क्षेत्र शिक्षा विज्ञान तथा शिक्षा में आई.सी.टी. के उपयोग और विद्यालयी शिक्षा तथा उच्च शिक्षा नीतियाँ हैं।

रविन्द्र कुमार ठाकुर

रविन्द्र कुमार ठाकुर वर्तमान में इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक के शिक्षा विभाग में पीएच.डी. शोधार्थी हैं। वर्तमान में ये 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए डिजिटल साक्षरता कौशल पर माड्यूल निमार्ण का कार्य कर रहे हैं।

लाल कुमार सिंह

लाल कुमार सिंह वर्तमान में इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक के शिक्षा विभाग में पीएच.डी. शोधार्थी हैं तथा वर्तमान में ये शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में शोध कर रहे हैं।

डॉ. दीपक शर्मा

डॉ. दीपक शर्मा वर्ष 1997 से मीडिया क्षेत्र में लेखन, पत्रकारिता, टीवी कार्यक्रम निर्माण और वेब में पेशेवर, शिक्षक, प्रशिक्षक और परामर्शदाता के रूप में काम कर रहे हैं जिसे विभिन्न स्तरों पर सराहना मिली है। इन्होंने भारत और विदेश में विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टीवी प्रोडक्शन हाउस/ चैनलों के लिए काम किया है। इन्होंने बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन, हिंदी और मास कम्युनिकेशन में स्नातकोत्तर के साथ केंद्रीय विश्वविद्यालय, असम से मास कम्युनिकेशन में पीएच.डी. तक शिक्षा प्राप्त की है। वर्तमान

में मास कम्युनिकेशन विद्यालय, गुरु गोबिंद सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, दिल्ली में कार्यरत हैं।

डॉ. चन्द्रमौलि

डॉ. चन्द्रमौलि भूगोल विभाग, इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हैं। इनकी विशेषज्ञता एवं शोध रुचि संसाधन मूल्यांकन, संरक्षण एवं प्रबंधन के साथ-साथ ग्रामीण विकास तथा पर्यावरण है।

जितेंद्र सिंह धुर्वे

जितेंद्र सिंह धुर्वे, शासकीय महाविद्यालय, जैतहरी, अनूपपुर, मध्य प्रदेश में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। इनकी विशेषज्ञता के क्षेत्र जनसंख्या भूगोल तथा संसाधन प्रबंधन हैं। वर्तमान में ये इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग में शोधरत हैं।

डॉ. पवन कौंडल

डॉ. पवन कौंडल को मीडिया शिक्षण, शोध पत्रिकाओं और पुस्तक प्रकाशन का 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह 2011 से भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी) में प्रकाशन विभाग में सहायक संपादक के रूप में काम कर रहे हैं। वह भारतीय जन संचार की दो प्रतिष्ठित शोध पत्रिकाओं कम्युनिकेटर और संचार माध्यम के संपादन/प्रकाशन का कार्य देखते हैं। वह जनसंचार और पत्रकारिता में पीएच.डी. और यू.जी.सी. नेट हैं। डॉ. कौंडल ने दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित इंद्रप्रस्थ महिला कॉलेज और गुरू गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, दिल्ली के सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज में भी अध्यापन किया है।

डॉ. जानकी प्रसाद

डॉ. जानकी प्रसाद वर्तमान में इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। इनकी अध्ययन रुचि का क्षेत्र शहरी भूगोल के साथ-साथ ग्रामीण बस्तियाँ और जनसंख्या है।

डॉ. हरीश कुमार

डॉ. हरीश कुमार, स्कूल ऑफ़ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज, गलगोटिया विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोग्राम चेयर के पद पर कार्यरत हैं। आपने देश के विभिन्न पत्रिकाओं में 14 शोध पत्रों का प्रकाशन किया है। इसके अलावा आपने इ-पीजी पाठशाला और स्वयम जैसे ऑनलाइन प्लेटफार्म के लिए भी शैक्षिक सामग्री का

विकास किया है। आकाशवाणी और दूरदर्शन में कार्य करने के बाद आपने अकादमिक जगत में कार्य करना शुरू किया। इस क्रम में आपने इंद्रप्रस्थ विश्विद्यालय के कॉलेज विप्स सहित, दून विश्विद्यालय में भी अपनी सेवायें प्रदान कीं।

डॉ. राम भूषण तिवारी

डॉ. राम भूषण तिवारी भूगोल विभाग, इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक हैं। वह जनसंख्या तथा नगरीय अध्ययन के विषय विशेषज्ञ हैं। उनके 2 पुस्तकें, 20 शोध पत्र तथा 4 पुस्तक समीक्षा प्रकाशित हैं। पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने चुनाव संबंधी अध्ययन तथा अपराधों के भौगोलिक वितरण के अध्ययन में रुचि प्रदर्शित की है।

भील जनजाति : एक आकलन

प्रो. चन्द्रशेखर गुप्त

भारत की जनजातियों में भील एक प्रमुख जनजाति है। 1981 की जन-गणनानुसार इस जनजाति की जनसंख्या 73,67,973 है। भील मुख्यतः राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में बसे हैं। आन्ध्र प्रदेश, पश्चिमोत्तर और पूर्वोत्तर भारत में भी कुछ भील निवास करते है, जो कालांतर में रोजी-रोटी की तलाश में वहां जाकर बसे प्रतीत होते हैं। भीलो का आदिम स्थान राजस्थान-मालवा प्रदेश है, जहां से वे विभिन्न कालों में विभिन्न स्थानों में अभिनिष्क्रमित हुए। पूर्वोत्तर भारत के त्रिपुरा में भीलों की उपस्थिति का तो स्पष्ट उल्लेख प्राप्त होता है। ये भील चाय बागान के मजदूरों के रूप में त्रिपुरा के महाराज श्री वीरेन्द्र कसोर के काल (ई.1909-23) में राजस्थान से लाये गये थे। कुछ भील सिंध में भी जा बसे थे।

नृतत्ववेत्ताओं ने भील की व्युत्पत्ति दो प्रकार से बतायी है जो भाषाशास्त्र पर आधारित है। प्रथम, संस्कृत धातु भिल से जिसका अर्थ होता है – कटा हुआ, निकला हुआ, अलग हुआ आदि। इस दृष्टि से भील वह समूह है जो मुख्य समाज-जन से कट गया या अलग हो गया। व्रात्य नाम से प्राचीन काल में कई वर्ण तथा जातियाँ उल्लिखित हैं, जिनको उनके मूल कर्तव्य या कार्य-कलापों से च्युत होने पर गौण स्थान दे दिया गया था। संभवत: भील भी ऐसा ही कोई जन-समूह रहा होगा। यह भी संभव है कि यह अरण्यवासी जनजाति पहले आर्य या नागर समाज द्वारा स्वीकृत और बाद में बहिष्कृत की गयी हो। पौराणिक उल्लेखों (उदाहरणत: राजा वेण के शव का मंथन, कल्माषपाद आख्यान आदि) से इस संकेत की पुष्टि होती है।

निषाद और भीलों की अभिन्नता मानी जाती है। इससे संबंधित आख्यान एकलव्य का है। एकलव्य, महाभारत के अनुसार निषादराज हिरण्यधनु का पुत्र था और आचार्य द्रोण से धनुर्विद्या सीखना चाहता था। द्रोणाचार्य द्वारा मना करने पर उसने अपनी गुरु भक्ति दृढ़ रखते हुए स्वयं अभ्यास किया और धनुर्विद्या में निष्णात पाये जाने पर विकलांग कर देने की कामना, इस कृत्य के पीछे थी कहना कठिन है; सम्भवत: दोनों बातें थी। दूसरी व्युत्पत्ति भीलो की इसी धनुर्विद्या में निपुणता की परिचायक है। द्रविड़ बिल/बील जिसका अर्थ धनुष और पर्याय से धनुर्धारी होता है। इस आधार पर भील को द्रविड़ मूल का माना जाता है। वाल्मीकि जो निषाद द्वारा क्रौंच-वध से द्रवित हो कवि बने, लोक परम्परा में भील ही माने गये है। भील और धनुष-बाण की अभिन्नता अनेक प्रसंगो

से पुष्टि होती हुई वर्तमान काल तक अप्रतिहत रूप से प्रवाहित है। आज भी तीरंदाजी खेलों में भील खिलाड़ियों को ही प्रमुखता दी जा रही है। स्वयं भीलों में भी उनकी दैवी व्युत्पत्ति की अनेक कथाएं प्रचलित है।

एकलव्य कथा के सन्दर्भ में एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि गुरु द्रोण ने धनुर्विद्या में एकलव्य को निष्फल सिद्ध करने के उद्देश्य से उसके दाहिने हाथ का अंगूठा कटवाया था। एकलव्य का अंगूठा आज भारतीय साहित्य में प्रतीक बन गया है- उच्चवर्णियों द्वारा दलित जातियों के शोषण का। वस्तुत: यह कवि-कल्पना प्रतीत होती है। एक नौसिखिए के लिए भले ही धनुष पर बाण-संधान अँगूठे और तर्जनी के योग से किया जाना आसान हो, सही संधान के लिए मध्यमा और तर्जनी के योग से ही प्रत्यंचा खींच कर शरासन से शर मुक्त करना आवश्यक होता है। यही तथ्य भील सहित समस्त आरण्यक जनजातियां ही नहीं आधुनिक धनुर्विद्या प्रतियोगी भी जानते, मानते और अपनाते रहे हैं। उंगलियों से भील या निषाद धनुर्धारी को बाण चलाते देखकर एकलव्य के प्रसंग में गुरु दक्षिणा के रूप में अंगूठा कटवा लेने की चमत्कारी योजना की कल्पना कर उस अपरिचित कवि ने निश्चय ही एक अद्भुत कथा-मोड़ दे कर अपनी मेधा का परिचय दिया है। (एकलव्य आख्यान के लिए द्रष्टव्य – महाभारत, आदिपर्व 131/31-58) किंतु इस कवि-समय की परिणति कालांतर में एक मिसाल के रूप में रूढ़ हो जाएगी, इसकी कल्पना भी उसने कहाँ की होगी?

भीलों की पश्चिम भारत (राजस्थान, मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग तथा संलग्न गुजरात का भाग) में स्थिति, परंपरा, भाषा, संस्कृति आदि का सम्यक विचार करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि भीलों का मूल स्थान यही था, उनकी धनुर्विद्या में निपुणता द्रविड़ भाषा में बिल/बील शब्द योजना का मिसाल बनी, अत: द्रविड़ मूल की संकल्पना व्यर्थ सिद्ध होती है।

इसी तरह एक और व्युत्पत्ति प्रतिपादित की जाती है जो उपरोक्त कथन की पुष्टि करती है। भील का एक अर्थ विधना भी होता है। साधारणत: विधना वेध का तद्भव रूप मान कर छेदना, भोंकना, घोंपना आदि अर्थ में प्रयुक्त होता है। भीलों के सन्दर्भ में भी उनकी धनुर्विद्या में कुशलता देखते हुए इसी अर्थ में लिया गया था।

विधना शब्द, एक और संकेत देता है, जिसकी ओर विद्वानों का ध्यान नहीं गया है। विधना को विंध, विन्ध्य का रूप माना जाए तो सहज ही भीलों और विन्ध्य का सम्बन्ध स्पष्ट हो जाता है। पुराणों तथा प्राचीन साहित्य में विन्ध्यपृष्ठ निवासी अनेक जनजातियों

के प्रचुर उल्लेख पाए जाते हैं। इनमें विशेष रूप से निषाद और पुलिन्द आदिवासियों की पहचान भीलों से की जाती है। सम्प्रति निषाद, परम्परा से केवट या मल्लाह जाति का पर्यायवाची माना जाता है। अधिक संभव है कि निषाद नाम स्थानवाची शब्द से सम्बद्ध हो। महाभारत (सभापर्व 31/5) का सहदेव-दिग्विजय यात्रा प्रसंग, इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है जिसमें मत्स्य देश (अलवर-जयपुर का परिवर्ती प्रदेश) के पश्चात निषादभूमि के गोश्रृंग को जीतने का वर्णन है। आगे एक प्रसंग में कहा गया है निषाद, निषाद राष्ट्र का द्वार है, जहाँ सरस्वती नदी, निषादों के संसर्ग-दोष से बचने के लिए पृथ्वी में प्रविष्ट हो गयी (माथुर, 1969)। अत: निषाद राष्ट्र राजस्थान का उत्तरी भाग था, यही स्पष्ट होता है। इसी से संलग्न प्रदेश पुलिन्द था जिसे सहदेव ने (महाभारत सभावर्प 31/4) जीता था तथा जो म्लेच्छ जाति का कहा गया है। पुराणों में भी विन्ध्य मूल में निवास करने वाली जातियों में पुलिन्दों का उल्लेख प्राप्त होता है।

पुलिन्द का समीकरण कुछ विद्वान यूनानी भूगोलवेत्ता टॉलमी द्वारा उल्लिखित फिल्लिताइ (Phyllitai) से करते हैं, जिसकी स्थिति ताप्ती नदी के उत्तरी तट पर निश्चित की जाती है, किंतु एक अन्य उल्लेख में टॉलमी ने पुलिन्दाइ (Pulindai) जनजाति की चर्चा की है, जो उज्जैन (ओजेन Ozene) के उत्तर में निवास करती थी। इसे पुलिन्द का प्रतिनिधि मानना सर्वथा उपयुक्त होगा (ऑगस्टीन, 1986)। अतः स्पष्ट है कि निषाद और पुलिन्द दोनों स्थानवाचक रूपों में ही अभिप्रीत थे तथा इन प्रदेशों के मध्य निवास करने वाली जनजाति ही कालांतर में भील नाम से जानी गई।

परवर्ती काल में भीलों का स्पष्ट नामोल्लेख प्राप्त होता है। द्वारका से गोपियों को लाते हुए भीलो द्वारा अर्जुन को हराकर गोपियों को लूटने का प्रसंग काल की महिमा के रूप में लोकचर्चित है-

मनुज बली नहीं होत है, समय होत बलवान।
भीलन लूटी गोपिका, वही अरजुन वही बान।।

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है भील मुख्यतः पश्चिम भारत के एक बड़े क्षेत्र में (राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात) निवास करते थे और यहीं से कुछ अन्य क्षेत्रों में जैसे राजस्थान के डूंगरपुर, सिरोही, राजपिपला, ईडर इत्यादि और मध्य प्रदेश के मालवा तथा निमाड़ क्षेत्र में भील बडी संख्या में बसे हैं। इनमें से कुछ क्षेत्रों में तो भीलों के राज्य भी थे किंतु मूलत: उनका पिण्ड शासक का न होकर शासित का होने से अन्यों – विशेषत: राजपूतों ने – उन्हें हटाकर अपना राज्य स्थापित कर लिया। मध्य प्रदेश का झाबुआ और

राजस्थान के मेवाड़, बांसवाड़ा राज्य इसके अच्छे उदाहरण हैं। भील सरदार के हाथों राजतिलक करवाना, विशेष समारोह – उत्सवों में मान-सम्मान देना आदि प्रथा शासकों द्वारा चालू रखी गयी और भील भी स्वामिभक्ति तथा मित्रता निभाने में अपनी मिसाल खुद रखते गए। महाराणा प्रताप का अंत तक साथ देकर भीलों ने इतिहास में अपना अक्षुण्ण स्थान बना लिया है। इसके विपरीत राजपूतों द्वारा भीलों के साथ छल करने की कई घटना मिलती हैं, जिनका संकलन रा.ब. हीरालाल तथा आर.वी. रसेल द्वारा किया गया है (हीरालाल तथा रसेल, 1961)।

भील और राजपूतों की घनिष्टता संकर जाति भिलाला के रूप में परिणत हुई। वैसे और भी कई पर्यायी नाम तथा उपजातियाँ भीलों में दृष्टिगत होती है; उदाहरणत: राजस्थान में मीणा, गमेटिया, कटरा, डोडियार, माचार, भूरिया, कोडिया, डांगे; गुजरात में डांगची, गरसिया; मालवा में बरेला; त्रिपुरा में भीम और पश्चिमी महाराष्ट्र में मावची, गरसिया, ढोली, डूंगरी, डूंग, मेवासी, रावल, तडवी, भागलिया, पावरा, वासवे इत्यादि।

यह लोग वाघदेव, काकदेव, दमनदेवी के साथ-साथ हनुमान आदि को पूजते है और होली (पाँच दिनों तक) आदि त्यौहार भी मनाते हैं। (सिंह, 2002, पृ. 134) इस जिले तथा संलग्न जलगांव, नासिक, अहमदनगर और औरंगाबाद जिलों में गरासिया, ढोली, डूंगरी, डूंग, रावल, मेवासी, तडवी, भागलिया, भिलाला, पावरा, वासवा, वासवे आदि नामों से ज्ञात भील पाये जाते हैं। ये महादेव, शीतला देवी, भैरू, हिवरे आदि देवी- देवताओं की पूजा करते है। ये हिन्दू के अलावा ईसाई और इस्लाम धर्मों में भी धर्मांतरित हुए हैं (सिंह, 2002, पृ. 130)।

अंग्रेजों ने 1824 ई. में खानदेश में भील एजेंसी की स्थापना की, जो तीन एजेंसियों में से एक थी। जेम्स औट्रम को इसका प्रभारी अधिकारी बनाया गया था, जिसने खानदेश भिल्ल कार्प्स, नामक एक सेना खड़ी की। वह प्रयोग बहुत सफल रहा और इसके अनुकरण पर अन्य भील बहुल क्षेत्रों में सेना तैयार की गयी। (ऑगस्टीन, 1986)।

खानदेश के भीलों के तीन भागों में वर्गीकृत किये जाते है: 1. मैदानी प्रदेश के निवासी, 2. पर्वत और जंगलों में रहने वाले तथा 3. मिश्र। पहली श्रेणी में रहने वाले मात्र भील नाम से जाने जाते हैं, जबकि दूसरी श्रेणी के सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के निवासी टडवी, निर्घी, खोटील, नहाल, पावरा, मठवाडी, गवीट भिल्ल आदि कहलाते है। इनके अतिरिक्त बर्डा, घोरेपी, माचवी जाति के भील भी सतपुड़ा में तथा डांगची सह्याद्रि में पाये जाते है। मिश्र जाति में भिलाला, मुस्लिम भील, टडवा और सातमाला के निर्घी गिने जाते हैं। इन सब के कुलों की संख्या बहुत है।

कुछ खानदेश में बसे कुलों के देवक (गण चिन्ह Totem) भी मिलते हैं जो इस प्रकार हैं- 1. पांचपावली (पांच पत्तों की डाल) 2. बाघ (बाघ), 3. बोर (बेर), 4. बलदे नामक पक्षी, 5. मोर, 6. पिपल (पीपल), 7. चिमणी (चिडियां), 8. आहिर (सांप जैसी दिखने वाली मछली)।

एक कुल अथवा देवक वालों में विवाह संबंध नहीं होता। विवाह प्राय: वयस्क होने पर और हरण प्रकार के अधिक होते हैं। दोनों के लौटने पर वधु शुल्क निश्चित करते हैं। फुफेरी और ममेरी बहनों से विवाह करते हैं पर मौसेरी से नहीं। वधु-शुल्क के अभाव में सेवा भी की जाती है (लमसेना प्रथा के समान) जिसे खंडालियों कहा जाता है। विवाह-पूर्व संबंध विशेष आक्षेपार्ह नहीं होते। विवाह बंधन शिथिल और तलाक या पुनर्विवाह सहज है। विधवा विवाह भी रूढ़ है। देवर से विवाह विधवा भाभी कर सकती है। विवाहिता भी पति छोड़ अपने प्रेमी के साथ घर बसा सकती है। इस स्थिति में पति विवाह का पूरा खर्च पाने का अधिकारी होता है।

खानदेशी भील डुंगर्यादेव, शिवार्यादेव, वाघदेव, नागदेव और म्हसोबा, खंडोवा, बहिरोबा, मरी, अस्त्रा आदि भी पूजते हैं। कुछ गोमांस खाते हैं, कुछ नहीं। कुछ कार्यों में ब्राह्मण और कुछ में जाति के जाणते बुलाये जाते हैं। मुस्लिम भील निकाह और सुन्नत काजी द्वारा करवाते हैं। मृतक संस्कार दहन और दफन दोनों तरह से किया जाता है। जाति-मुख्य की कब्र दो माह बाद पुनः खोद कर उसके मुँह पर सिंदूर पोत कर पुन: दफन कर देते हैं। उसकी घोड़े पर सवार प्रतिमा देवकुल बनाकर स्थापति की जाती है। मृत का वाहन घोड़ा माना जाता है। अत: कैता (मृत्युभोज) के समय सबसे निकट संबंधी एक थाली में पीतल का घोडा रख रावल गीत गाता है और घोड़े की बलि दी जाती थी (कालेलकर, 1928)।

भीली बोली स्वाभाविक तौर पर राजस्थानी, गुजराती, मालवी, मराठी, निमाडी भाषाओं से प्रभावित हुई है। भील जहाँ-जहाँ जा बसे वहाँ की भाषा बोलने लगे। परिणामत: उनकी अपनी बोली भी अछूती नहीं रही। आज सिनेमा- रेडियो, दूर-दर्शन और पाश्चात्य-संस्कृति संक्रमण के कारण सबसे अधिक क्षति हमारी लोक-संस्कृति की हो रही है। भीली संस्कृति भी इसका अपवाद नहीं है। हमारे लोकगीत, लोककथा, कला, संगीत, नाच, नाट्य सभी क्रमशः: विस्मृति के गर्त में समाते जा रहे हैं। आज भी यदि इनका संकलन, संरक्षण नहीं किया गया तो ये हमेशा के लिए नष्ट हो जाएंगे और भावी पीढ़ी इनसे हमेशा के लिए वंचित हो जाएगी।

भील जनजाति के विविध पहलुओं का अध्ययन देश-विदेश के कई नृतत्ववेत्ताओं ने किया है। भारतीय नृतत्व सर्वेक्षण, नृतत्व एवं समाजशास्त्र अध्ययन में संलग्न विभिन्न संस्थाओं, महाविद्यालयों एवं वैयक्तिक स्तर पर कार्यरत कई विद्वानों ने अपने स्तर पर योगदान दिया है। इस दिशा में डॉ. अशोक पाटिल का ग्रंथ 'भील जनजीवन और संस्कृति' एक महत्वपूर्ण प्रकाशन है। यह मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल से 1998 में छपा है।

प्रस्तुत भील जनजीवन और संस्कृति में डॉ. पाटिल ने मध्य प्रदेश के मालवा तथा (पश्चिमी) निमाड़ के भीलों के जीवन एवं संस्कृति के विभिन्न पक्षों को उजागर किया है। प्रथम अध्याय में भीलों का परिचय, जनसंख्या क्षेत्र, उत्पत्ति, शारीरिक विशेषताएं एवं बोलों की विवेचना की गई है। डॉ. पाटिल ने 1971 की जनगणना अनुसार मध्य प्रदेश के भील बहुल जिलों के आंकड़े दिए हैं। अच्छा होता अगर मध्य प्रदेश के भील-बहुल जिलों के आंकड़े भी आद्यतन (1981 की जनगणना के) और पिछले कुछ वर्षों के दिए जाते ताकि भीलों की जनसंख्या का उतार - चढ़ाव स्पष्ट हो जाता।

1981 की जनगणनानुसार राजस्थान की भील-बहुल जिलों की जनसंख्या यहाँ प्रस्तुत है –

अ.क्र.	जिले का नाम भील प्रतिशत	कुल जनसंख्या	भील जनसंख्या	
1.	बॉसवाड़ा	886608	643966	72.63
2.	डूँगरपुर	682845	440026	64.44
3.	चित्तौड़गढ़	1232494	223864	18.16
4.	सिरोही	542049	124245	23.11
5.	उदयपुर	2346949	809156	34.33
6.	भीलवाड़ा	1310369	121664	9.18
7.	कोटा	1549749	231316	14.83

भीलों के निवास-स्थान का चयन और आवास के आकार-प्रकार की चर्चा के साथ-साथ कोरकू आवास व्यवस्था की तुलनात्मक विवेचना भी प्रस्तुत की जाती है। भीलों द्वारा एक ही स्थान पर मकान न बना कर अलग-अलग बनाने के कारण की मीमांसा भी डॉ. पाटिल ने की है। उन्होंने पहला कारण यह बताया है कि भीलों में अपने आवास के प्रति भावनात्मक लगाव का अभाव होता है। दूसरे, भील विवाहोपरान्त पुत्र को संपत्ति विभाजन कर देते हैं और उनके पारिवारिक और सामाजिक हित तथा आर्थिक हित जुड़े

न रहने के कारण पुत्र साथ रहें न रहें कुछ फर्क नहीं पड़ता। दूर-दूर रहने का फायदा डॉ. पाटिल ने यह बताया है कि अग्निकांड होने पर पूरे गाँव के जल जाने की संभावना नहीं रहती है, और हानि यह है कि, दूरी के कारण संगठन, सामुदायिक भावना तथा सहयोग का विकास नहीं होता।

इस विषय पर और अधिक विचार करना आवश्यक है। पहले तो इस क्षेत्र की भौगोलिक संरचना ही मकानों के दूर-दूर होने की उत्तरदायी है। भील क्षेत्र डूंगर अथवा टेकड़ियों से अटा हुआ है। डूँगर पर घर बनाना भीलों की मजबूरी है, पर कई एक मोहल्ले पास-पास या टोल, जिसे राजस्थान में 'फाल' कहते हैं एक गांव (पाल) से भली भांति जुड़े रहते हैं। भले ही एक 'पाल' का विस्तार 25 या अधिक किलोमीटर तक विस्तृत हो, ढोल या नगाड़े की चोट पर अथवा एक द्वारा चिल्लाकर दूसरे तक खबर पहुंचाने की परम्परा अब तक देखी जा सकती है। अत: भावनात्मक लगाव का अभाव सही प्रतीत नहीं होता।

एक डूँगर पर प्राय: एक ही भील की झोपडी हो सकती है अथवा उस कुटुम्ब (कुटुम) के अन्य सदस्य (भाई, पुत्र आदि) अपने झोपड़े वहाँ बना सकते हैं। जन्म, विवाह, मृत्यु आदि अवसर पर सब सम्मिलत होते हैं। पाल के सदस्य 'पालिया' और बाहर के 'कालिया' कहलाते हैं। ये ही क्रमश: 'उजले' और 'मैले' कहलाते हैं। दोनो अपने-अपने को श्रेष्ठ मानते हैं। भील अपने 'डूँगर' पर राज्य का और 'झोपडे' में महल का सुख अनुभव करता है।

दूर-दूर निवास बनाने से पर्यावरण की दृष्टि से एक स्वस्थ्य वातावरण का लाभ होता है। भारतीय गांवों की घनी गंदगी से लिप्त और दमघोंटू वातावरण ग्रस्त बस्तियों की तुलना में भीलों के दूर-दूर बसे पाल और फाल कहीं अधिक दर्शनीय होते है (ऑगस्टीन, 1986, पृ. 19-20)।

इसी संदर्भ में वन सम्पदा पर एक दृष्टिपात आवश्यक है। जंगलों का संरक्षण करते हुए भील तथा अन्य आरण्यक जनजातियाँ अपना जीवन यापन करती थी। आज भ्रष्ट सरकारी नीति और लालफीताशाही के चलते जंगलों की बड़े पैमान पर हुई कटाई और उससे पर्यावरण असंतुलन के दुष्परिणाम, सभी के साथ भीलों को भी भुगतना पड़ रहा है। सही वन नीति और वनोपज में आरण्यिक जनजातियों की भागीदारी से ही सही निदान ढूंढा जा सकता है।

भीलों की खाद्य प्रकृति तथा खाद्य सामग्री की परंपरा तथा परिवर्तन की जानकारी चौथे अध्याय का प्रतिपाद्य है। भील खान-पान की दृष्टि से बहुत सामान्य है। मांस के अतिरिक्त मक्का, ज्वार, बाजरा, उड़द, अरहर, कोदो, कुटकी इत्यादि अनाज और दलहन, भीलों का मुख्य आहार और महुए की शराब, ताड़ी आदि प्रमुख पेय है। कुछ व्यंजन, खान-पान के अवसर तथा शराब की आदत आदि की चर्चा इस पुस्तक में की गयी है।

वस्त्र-विन्यास तथा साज-श्रृंगार किसी भी समाज की प्रिय विषय वस्तु है। वस्त्र पहनने का ढंग, आभूषण तथा गुदना इत्यादि पर सांगोपांग चर्चा होती है। इस संदर्भ में की गयी एक गुदनाकृति 'कटटावरी' के विषय में लेखक का कथन है कि यह कोणीय आकृति है, जो जीवन में उन्नति या शिखर पर पहुँचने की प्रेरणा देती है।

'कटटावरी' भारतीय कटार का सरल रेखांकन है जो झाबुआ राज्य के तांबे के सिक्कों पर प्रमुखता से पाया जाता है (भटट, 1979)। डॉ. भटट ने इसे बाणासुर की माता 'कोटरा' से जोड़ते हुए भीलों द्वारा पूजित होने के संदर्भ में मातृदेवी का रूपांकन माना है। 'कोटटवी' या 'कोटरा' का गुदनाकंन एक अन्य आकृति से समीकृत किया जा सकता है, जो प्रागैतिहासिक ताम्राश्मयुगीन मानवाकृति से काफी तादात्म्य रखती है। ये मानवाकृतियाँ उत्तर प्रदेश के फतेहगढ़ व बिसौली और लोथल (गुजरात) से प्राप्त हुई हैं।

आर्थिक पृष्ठभूमि, जातीय संरचना, परिवार एवं विवाह, धार्मिक आस्था, संस्कार एवं विधि-विधान, पर्व और मेलों, विशिष्ट जन, लोक साहित्य, संगीत और कला भीलो की समस्याओं एवं उनके समाधान की परिचर्चा भी गंभीरता से आवश्यक है। इन समस्त बातों का गहन अध्ययन-निरीक्षण और विस्तृत ज्ञान आधिकारिक विद्वान द्वारा ही संभव होता है। कुछ मुद्दों पर चर्चा यहाँ अनुपयुक्त न होगी। कृषि के संदर्भ में, सिंचाई एक प्रमुख समस्या होती है, जिसके समाधान प्राचीन काल से ढूंढे जाते रहे और कई पद्धतियों और यांत्रिक विधियों का आविष्कार किया गया। भील, पानी निचले स्तर से ऊपरी सतह पर पहुँचाने के लिए, पहाड़ी की तलहटी में बहने वाले नाले पर छोटे-छोटे बन्धान में और वहाँ से फिर इसी पद्धति द्वारा और ऊँचे बन्धान पर ले जाकर सिंचाई व्यवस्था करते हैं। इस तकनीक का विस्तृत अध्ययन हमारी कृषि व्यवस्था की दृष्टि से बहुत उपयोगी सिद्ध होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। भीलों में व्याप्त अशिक्षा, बेरोजगारी, आरक्षण, नौकरी इत्यादि समस्याओं पर चर्चा भी आवश्यक है। सरकार द्वारा स्पष्ट नीति-निर्धारण की व्यवस्था के अभाव में जनजातियों की स्थिति बद से बदतर हो रही है।

भीलों की जातीय संरचना की विवेचना करते हुए विद्वानों द्वारा चातुर्वर्ण्य पद्धति में निषाद आदि जनजातियों को सम्मिलित न कर (पाँचवें वर्ण में) करने का कारण, उनकी

स्वतंत्र सत्ता तथा आत्मनिर्भरता माना गया है। इसी प्रसंग में आगे उन्होंने विदेशी इतिहासकारों के कुतर्क, कि 'हिन्दू (आर्य) बाहर से आकर आदिवासियों को वन प्रांतों में खदेड़ स्थानापन्न हो गये,' का खंडन किया है। यह निश्चित रूप से ऋग्वेद के अंत: तथा आधुनिक शास्त्रों (भूगर्भ एवं अंतरिक्ष विज्ञान) की पुष्टि से प्रमाणित तथ्य है कि सरस्वती नदी वैदिक काल में समुद्रगा नदी थी, जो भौगोलिक कारणों से आज से कम से कम सात-आठ हजार वर्ष पूर्व लुप्त हो गयी थी। अत: आर्यों के भारत आगमन आदि की परिकल्पना की व्यर्थता स्वयंसिद्ध है।

भीलों के जातीय विभाजन में भील, भिलाला, तड़वी आदि आठ नामों की चर्चा की गई है इनमें भिलाला के विषय में कहा जा चुका है कि ये भील तथा राजपूत संबंधों से निष्पन्न हुई एक उप-जाति थी। ये मध्यप्रदेश के झाबुआ, धार, पश्चिमी निमाड़ और महाराष्ट्र में पाये जाते हैं, पर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के भिलाला भिन्न-भिन्न माने गए हैं (सिंह, (संपा), 2002)। इसी सूची में 'तड़वी' औरंगजेब के काल में मुस्लिम बनाये गये भील थे, जो पुन: शुद्ध कर लिये गये, पर अलग इकाई के रूप में गिने गए। इनका विवाह संबंध अपनी ही उपजाति में होता है। भील हिन्दू पौराणिक धर्म से सर्वाधिक प्रभावित हुए। कुछ ने इस्लाम और ईसाई धर्म भी अंगीकार किया दृष्टिगत होता है, यद्यपि उनकी संख्या अत्यल्प है।

भगोरिया हाट (गोंडो के मड़ई के समान) उल्लास भरा मेला होता है। यह होली के पहले लगने वाले हाट बाजार होते है। भील स्वभाव से रूखे और उग्र प्रकृति के होते हैं। संघर्षमय जीवन और अन्य लोगों द्वारा शोषण के कारण कई भील लड़ाई-झगड़ों और चोरी आदि जरायम पेशों में लिप्त हो जाते हैं। अपनी स्वतंत्रता में बाधक किसी शासन को भीलों ने कभी स्वीकार नहीं किया। भीलों ने राजपूतों का साथ अवश्य दिया पर कुछ सीमा तक सशंकित रहते थे। मुगलों के पश्चात भील, जो कुछ दब गये थे, पुनः उभर उठे और कुछ राज्यों ने (यथा-मालवा में बांसवाड़ा के भील लूटमार न करें इसलिए) उन्हें सालाना कर भी देना शुरू किया, जो अंग्रेजी राज में बंद हुआ।

मराठों ने भीलों को दबाने में अमानुषिकता दिखाई और यातना देने और मौत के घाट उतारने में स्त्रियों तथा बच्चों को भी नहीं बख्शा (ऑगस्टीन, 1986)। अंग्रेजो ने भीलों से अच्छे संबंध बनाकर भील सेना बनाई जो उपद्रवी भीलों के दमन में बहुत उपयोगी सिद्ध हुई। 1847 में राजपूतों की भाँति भील भी अंग्रेजों की ओर थे। किंतु कुछ छुट-पुट विद्रोह हुए। 1872-73 में दौला भील रावत ने सोडलपुर गांव में बांसवाड़ा रियासत को 2000/- कर देने से मना कर दिया और सशस्त्र भीलों को जमा कर शासन को चुनौती दी। अंग्रेज

एजेंट द्वारा मध्यस्थता करने पर मामला सुलझा। इसी तरह इस दो शताब्दी के प्रथम पाद पूर्व में गोविंद गिरी और मोतीलाल तेजावत ने विद्रोह किया, पर असफल रहे।

मध्य प्रदेश में टांट्या भील का विद्रोह उल्लेखनीय है, जिसे धोखे से पकड़ा गया और फांसी दी गई थी। जनमानस में आज भी टांट्या भील का जौहर जिंदा है। गणेश विसर्जन के अवसर पर नागपुर में टांट्या की सजीव झांकी निकाली जाती है जिसमें टांट्या के गले और हाथ-पैरों में बंधी जंजीरों को चार-पांच लोग चारों ओर से खींचते तथा एक लाठी के पैंतरों से उस पर वार करता चलता है। टांट्या के दोनों हाथों में तलवार या लाठी रहती है जिससे वह कभी आक्रामक पर और कभी जंजीर पकड़े व्यक्तियों पर हमला करता है। टांट्या को यहाँ टण्टया कहा जाता है।

प्रस्तुत ग्रंथ में भीलों के ऐसे विद्रोह के वर्णन का अभाव खटकता है। आशा है डॉ. पाटिल इस पर स्वतंत्र लेखन करेंगे। इसी भाँति मध्य प्रदेश के बाहर के भीलों का उल्लेख भी खटकता है। ऊपर राजस्थान के भीलों की कुछ चर्चा की गई है; यहाँ महाराष्ट्र के भीलों की संक्षिप्त चर्चा प्रस्तुत है।

महाराष्ट्र के विदर्भ विभाग में बुलढाणा जिले के मुख्य स्थान बुलढाणा का मूलनाम 'भीलठाणा' प्रतिपादित किया जाता है (कोलते, 1996)। इस जिले में भीलों की अनुपस्थिति प्रस्तुत प्रस्ताव पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। इससे संलग्न खानदेश में मात्र भीलों की बड़ी संख्या में बस्तियाँ दृष्टिगत होती हैं। धुले (धुलिया) जिले में 'मावची' नाम से भील जाने जाते हैं। इनके नेता को 'गावित' कहते हैं। ये अहिराणी बोली बोलते हैं और राणा प्रताप के राजस्थान से स्थलांतरित सैनिक कहे जाते हैं।

नागपुर जिले की सावनेर तहसील में भी 'भील' तथा अन्यत्र भी इसी नाम के पूर्व पद युक्त ग्राम मिल जाते हैं। यहाँ भील जनजाति की उपस्थिति के आंकड़े नहीं मिल पाने के कारण संख्यात्मक चर्चा करना तो यहाँ संभव नहीं है, किंतु भील संस्कृति के कुछ धार्मिक परंपराओं के प्रचलन के कुछ प्रमाण अवश्य उपलब्ध होते हैं। इन्हें विस्तार से प्रस्तुत करना तो यहां कई कारणों से संभव नहीं है किंतु नमूने के तौर पर एक प्रथा का विवरण देना आवश्यक प्रतीत होता है, जो आज भी अपना अस्तित्व बचाए रखी है।

यहाँ गल (गर) पूजा परंपरा की चर्चा की जा रही है। इसमें लगभग 8-10 (फुट) ऊँचा एक स्तम्भ मजबूती से जमीन में गाड़ दिया जाता है, जिसके ऊपरी सिरे पर कुछ कम मोटा 10 से 15 मीटर (प्राय: 25 से 30 फुट लंबा एक खम्भा (बल्ली) एक मोटी और मजबूत सलाख पर इस तरह आड़ी लगायी जाती है कि वह चारों ओर आसानी से घुमाई

जा सके। इस आड़े खम्भे के एक सिरे पर लोहे के गल (आंकड़े, अंग्रेजी में हुक) तथा दूसरे सिरे पर रस्सियाँ बाँधी जाती थी।

आरंभ में इन 'गल' या आंकड़ों को पीठ की चमड़ी में घोंप कर व्यक्ति को लटकाया जाता था, जो किसी मनौती की पूर्ति होने के उपलक्ष्य में एक से अधिक (किंतु विषम संख्या में) लटक कर चक्कर मारता था। इस तरह लटकने और घूमने में कुछ लोग मदद करते थे, जो दूसरे छोर की रस्सी को पकड़ कर नियंत्रित करते थे। चक्कर पूरे होने पर उस भक्त को उतार कर हुक निकाले जाते और हल्दी आदि लगा कर मरहम पट्टी कर दी जाती थी कि जख्म भर जाये।

इस कार्य में सुविधा की दृष्टि से कुछ ऊँचाई पर सीढ़ी और मचान की व्यवस्था भी की जाती थी। गल घोंपने और जख्म का खून देखकर बाद में इसे बंद कर बांधकर लटकाने की प्रथा अपनाई जाने लगी और कुछ समय बाद वह भी खत्म कर लटकाने के बजाय नवस करने वाला चढ़ौती चढ़ा कर पूजा-अर्चना कर लेता है और आड़े खम्भे की रस्सी पकड़ कर कुछ लगा दिए जाते हैं। यह गल-पूजा कुछ जनजातियों में बहुप्रचलित थी, किंतु भील संस्कृति में इसे प्रधानता से माना जाता है। कुछ स्थानों पर यह बंद भी हो गई है और जहां इसको पूजा जाता है, वहाँ जा कर पूजा-अर्चना कर ली जाती है।

नागपुर जिले में कई गांवों (जैसे हिंगना, कांडी, पवनी) में गल-पूजा का आज भी प्रचलन है। नागपुर नगर में भी यह प्रचलित था। शनिचरा (शिवराज प्रेस के समीप स्थित खण्डोवा, शिव का एक रूप जो धनगर जाति के कुल देवता के रूप में पूजे जाते है) देवस्नान के अहाते में गल-पूजा का उल्लेख मिलता है। दूसरा स्थान 'गरोबा' है जहाँ कुछ दशकों पूर्व मैदान थे (जिन्हें गरोबा एक, गरोबा दो आदि क्रमांक से जाना जाता था और आज बस्तियां बस गई हैं।

'गर' में आदरार्थी 'बा' (जो बाप पिता, नात तुल्य नाम के रूप में जुड़ा है) जोड़कर 'गरोबा' सम्बोधित किया जाता है। यह स्थानीय विशेषता है जो महोबा (हस-महिब), खण्डोबा (खण्डाधारी शिव किंतु कुछ विद्वानों के मतानुसार स्कन्द) राघोबा (राम), कान्होबा (कृष्ण), ज्योतिबा (सूर्य) आदि देवों के नामों से अभिव्यक्त होता है। नागपुर में भील या धनगर आदि समाज से भिन्न व्यक्ति इसकी व्याख्या करता है। यहाँ खम्भे को स्थायी रूप में गाड़ दिया गया है और आड़ा खम्भा होली के दिन जोड़ा जाता है। इसके चारों ओर एक चबूतरा बना दिया गया है। पूर्व दिशा से प्रवेश करते ही दायीं ओर सिंदूर लगी मूर्ति है, जो मेघनाथ के नाम से जानी जाती है। ये रावण पुत्र इंद्रजीत न हो कर एक प्रकृति देव है, ऐसा भी कुछ लोगों का विश्वास है।

भील जाति का यह संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण, कुछ जिज्ञासाओं की कुछ सीमा तक ही पूर्ति करेगा, इसका मुझे ज्ञान है किंतु इससे प्रेरित होकर हमारी अगली पीढ़ी इस दिशा में प्रवृत्त होगी, ऐसी आशा है।

सन्दर्भ:

एकलव्य आख्यान के लिए द्रष्टव्य – महाभारत, गीता प्रेस गोरखपुर संस्करण, आदिपर्व 131/31-58: द्रोणपर्व 181/1721: उद्योग पर्व 48/77: मौसलपर्व 6/11 ई.

माथुर, वि. के. (1969). *ऐतिहासिक स्थानावली*, दिल्ली: शिक्षा मंत्रालय.

ऑगस्टीन, पी. ए. (1986). द भील्स ऑफ राजस्थान. वॉल्टेर फर्नाण्डीस (सं.), नई दिल्ली: इण्डियन सोशल इंस्टिटयूट.

हीरालाल, रा. ब., एंड रसेल, आर. वी. (संपा) (1961). द *ट्राईब्स एण्ड कास्टस ऑफ सेण्ट्रल प्राविंसेस ऑफ इण्डिया*, (खण्ड 2), पुनर्मुद्रित दिल्ली: कास्मो पब्लिकेशन.

सिंह, के. एस. (संपा) (2002). *पीपल ऑफ इंडिया* (भाग-3). दिल्ली: ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.

कालेलकर, जी. एम. (1928). *मुंबई इलाख्यातील जाती.* मुंबई.

शशिकांत भटट, एस. (1979). द हिस्ट्री ऑफ कॉइस एण्ड सील्स ऑफ झाबुआ स्टेट. द *जर्नल ऑफ एकेडमी ऑफ इण्डियन न्यूमिस्मैटिक्स ऐण्ड सिगिल्लोग्राफी, 2,* 54-60.

कोलते, वि. भि.(1996). *प्राचीन विदर्भ व आजचे नागपुर,* अमरावती.

बैगा जनजाति की परम्परागत राजनीतिक व्यवस्था एवं पेसा अधिनियम: पूर्वी मध्य प्रदेश से कुछ अनुभवजन्य साक्ष्य

डॉ. उदय सिंह राजपूत

सारांश

भारत के करीब 705 जनजातीय समूह विभिन्न राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों में निवासित हैं जो कुल जनसंख्या का 8.6 प्रतिशत है। इन सभी जनजातीय समूहों की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक स्थितियाँ एक जैसी नहीं है। कुछ जनजातीय समूहों ने समाज की मुख्यधारा की जीवनशैली को अपना लिया है, वहीं कुछ अभी भी आदिम अवस्थाओं में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आदिवासी उपयोजना के अन्तर्गत सम्पूर्ण भारत में 75 ऐसे अति पिछड़े जनजातीय समूहों को चिन्हित किया गया और इन्हें विशेषरूप से कमजोर आदिवासी समूह की श्रेणी में रखा गया। वर्तमान में, मध्यप्रदेश में तीन- बैगा, भारिया और सहरिया को इसी श्रेणी में रखा गया है। घटती या स्थिर जनसंख्या, शिक्षा का न्यून स्तर, कृषि में आदिम तकनीकों का प्रयोग तथा अति आर्थिक पिछड़ापन इन समूहों की विशेषताएं हैं जो इन्हें अन्य समूहों से पृथकता प्रदान करती है। बैगा इन्हीं अति पिछड़े जनजातीय समूहों में से एक है जिसकी जनसंख्या मध्यप्रदेश में सर्वाधिक है।

प्रत्येक आदिवासी समूह की तरह ही बैगा जनजाति की परम्परागत राजनीतिक व्यवस्था जिसे जाति पंचायत के नाम से जाना जाता है, प्राचीन समय से ही समृद्ध रही है। यह समाज अपने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मामलों तथा आपसी विवादों और धार्मिक मुद्दों को परम्परागत राजनीतिक संस्थाओं के माध्यम से नियमित, नियोजित और नियन्त्रित करता रहा है। समय के साथ -साथ इस राजनीतिक व्यवस्था के महत्व, संरचना तथा कार्यप्रणाली में बदलाव आते रहे है। समाज को स्व-शासित करने में, स्व-शासन के इस निकाय के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय संसद ने भूरिया समिति की अनुशंसाओं को दृष्टिगत रखते हुए पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 1996 पारित किया। इस अधिनियम के माध्यम से परम्परागत राजनीतिक संस्थाओं को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया है। प्रस्तुत शोध पत्र में आदिम जनजातीय समूह बैगा की परम्परागत राजनीतिक व्यवस्था की मौजूदगी, महत्व, कार्यप्रणाली और पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 1996 के क्रियान्वयन के बाद आए बदलावों को तृणमूल स्तर पर देखने का प्रयास किया गया है। यह अध्ययन मध्यप्रदेश

के डिण्डोरी एवं अनूपपुर जिले के बैगा बहुल गाँवों में साक्षात्कार अनुसूची, अवलोकन एवं समूह चर्चा के माध्यम से एकत्रित किये गये प्राथमिक तथ्यों पर आधारित है।

प्रस्तावना

भारत के मध्य में स्थित मध्यप्रदेश आदिवासी बहुल राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाय तो सम्पूर्ण भारत की आदिवासी जनसंख्या का 14.51 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य में निवास करता है जो कि किसी भी एक राज्य की जनजातीय आबादी से अधिक है। मध्यप्रदेश की कुल जनसंख्या 7,26,26,809 में से 1,53,16,784 आदिवासी जनसंख्या है, जो कि कुल जनसंख्या का 21.1 प्रतिशत है। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद मध्यप्रदेश में 46 प्रमुख जनजातियाँ शेष रह गयी थी, जिनमें से कीर, मीना और पारथी को भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति की सूची से विलोपित कर दिया गया है। इस प्रकार अब मध्यप्रदेश में कुल 43 जनजातियाँ शेष रह गयी हैं जिनमें से तीन बैगा, भारिया और सहरिया को विशेष पिछड़ी जनजातियाँ माना गया है। गोण्ड जनजाति मध्यप्रदेश की प्रमुख जनजाति है। यह जनसंख्या की दृष्टि से न केवल मध्यप्रदेश वरन् भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। राज्य में कुल आदिवासी जनसंख्या में 34.74 प्रतिशत गोण्ड की जनसंख्या है। गोण्ड के बाद भील जनजाति, जनसंख्या की दृष्टि से भारत की तीसरी व मध्यप्रदेश की दूसरी बड़ी जनजाति है। प्रदेश की कुल जनजातीय जनसंख्या का 22.32 प्रतिशत भील जनजाति का है।

बैगा जनजातीय समूह

बैगा जनजातीय समूह मध्य भारत की सतपुड़ा पर्वतीय श्रृखंलाओं के बीच घने जंगलों, दुर्गम एवं सुदूर पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाला एक प्रमुख जनजातीय समूह है। इस जनजातीय समूह की सात उपजातियों - बिंझवार, भरोतियां, नरोतियां, राय भैना, काठ भैना, गोण्डवेना और कोन्दवान में विभाजित है। बैगा की इन सभी उपजातियां की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थितियाँ एक जैसी नहीं हैं । यहाँ तक कि इन स्थितियों में बदलाव की गति भी एक समान नहीं है। विवाह के कठोर नियम हैं तथा बाहरी लोगों के साथ विवाह की अनुमति नहीं है। बैगा को जड़ी-बूटियों की पहचान में दक्षता हासिल है तथा सामाजिक व्यवस्था में इसी समुदाय के गुनिया, ओझा और पुजारियों का विशेष महत्व है। गोदना इनकी जीवन शैली का एक अभिन्न हिस्सा है। आमतौर पर बैगाओं के निवास स्थान घने जंगलों के बीच, बिखरे हुए रूप में पाये जाते हैं। यह जनजाति घनें जंगलों में स्थानान्तरित कृषि के लिए भी जानी जाती थी हालाँकि वर्तमान में

स्थानान्तरित कृषि करीब-करीब समाप्त हो चुकी है और अब यह जनजाति भी स्थिर कृषि की ओर बढ़ रही है (त्रिपाठी एवं मिश्रा, 2019)। जंगलों और बैगा के बीच में एक अटूट रिश्ता है। ये जीवन की अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति जंगलों से ही करते है। आजीविका का मुख्य साधन वनोत्पाद का संग्रहण, कृषि और कृषि से जुड़ी हुई मजदूरी है। कुछ समय पहले तक बैगा जंगलों से केवल खाद्य उत्पाद ही एकत्रित व संग्रहित करते थे लेकिन वर्तमान में वे कई तरह के वनोत्पादों का संग्रहण करते हैं जिन्हें निकट के बाजार में बेच अन्य आवश्यक सामग्री को खरीदते हैं (गौतम, 2011) । डिण्डोरी के चाड़ा विकासखण्ड को छोड़कर करीब-करीब सभी गांवों में सड़क, पेयजल, बैंक, डाकघर, बिजली, स्वास्थ्य केन्द्र जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है।

भारत में बैगा जनजाति सम्पूर्ण भारत में नहीं वरन् कुछ ही राज्यों के सीमित दुर्गम क्षेत्रों में निवास करती है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार, सम्पूर्ण भारत में बैगाओं की आबादी 5,52,495 है जो कुल जनजातीय आबादी का मात्र 0.53 प्रतिशत है। इस समुदाय की सर्वाधिक आबादी 4,14,526 मध्यप्रदेश राज्य में निवास करती है जो पूरे भारत की बैगा आबादी का 75 प्रतिशत है। हालाँकि मध्यप्रदेश की कुल जनजातीय आबादी में बैगाओं की आबादी मात्र 2.7 प्रतिशत है। इसके पश्चात् छत्तीसगढ़ में करीब 89 हजार, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में 30 हजार, पश्चिम बंगाल में 13 हजार तथा शेष चारों राज्यों - झारखण्ड, बिहार, उड़ीसा तथा महाराष्ट्र में इनकी आबादी 5 हजार से भी कम है। मध्यप्रदेश की कुल आदिवासी जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर जनगणना वर्ष 1981 से 1991 के बीच में 31.8, वर्ष 1991 से 2001 के बीच 26.4 तथा वर्ष 2001 से 2011 के बीच 25.2 प्रतिशत रही है, जबकि बैगा आबादी में यह दशकीय वृद्धि क्रमशः 28, 26.5 तथा 24.5 प्रतिशत रही है। मध्यप्रदेश की कुल आदिवासी जनसंख्या में बैगा जनजाति का प्रतिशत वर्ष 1981 में 2.8 प्रतिशत, वर्ष 1991 में 2.7 प्रतिशत, वर्ष 2001 में 2.7 प्रतिशत तथा वर्ष 2011 में 2.7 प्रतिशत रहा है। अतः कहा जा सकता है कि वर्ष 1981 से 2011 के बीच बैगा जनजाति का मध्यप्रदेश की कुल जनजाति में करीब-करीब एक समान प्रतिशत रहा है (शर्मा एवं रॉय, 2016)।

2011 की जनगणना के आकड़ों के आधार पर मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों में बैगा जनजाति की आबादी तथा कुल आदिवासी आबादी में उनके प्रतिशत को देखा जाय तो स्पष्ट है कि मध्यप्रदेश के शहडोल एवं उमरिया जिले में बैगा जनजाति की आबादी का प्रतिशत सर्वाधिक है। इन दोनों जिलों की कुल आदिवासी आबादी में क्रमशः 23.95 एवं 21.03 प्रतिशत बैगा जनजाति की आबादी है। सिंगरौली, मण्डला एवं डिण्डोरी जिलों

की कुल आदिवासी आबादी का करीब 10 प्रतिशत बैगा जनजाति का है। शेष अनूपपुर, सीधी, बालाघाट एवं जबलपुर जिले में कुल आदिवासी आबादी का क्रमशः 7.2, 6.36, 6.08 एवं 2.30 प्रतिशत बैगा जनजाति की आबादी का है। इसके अतिरिक्त डिण्डोरी जिले में 52 बैगा बाहुल्य गाँवों को मिलाकर बैगाचक क्षेत्र बना है जिसमें बैगाओं का संकेन्द्रण बहुत अधिक है। जिले के समनापुर, बजाग, अमरपुर और करंजिया विकासखण्ड के अन्तर्गत आने वाले अधिकांश बैगा बाहुल्य गांव घने जंगलों एवं पहाड़ों के किनारे बसे हैं जहाँ स्वच्छ पेयजल, पहुँच मार्ग, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आजीविका के साधनों एवं मूलभूत सेवाओं का व्यापक अभाव है।

मध्य प्रदेश की सम्पूर्ण जनजातीय आबादी एवं बैगा आबादी के मध्य विभिन्न विकासात्मक सूचकों को तुलनात्मक रूप से देखा जाय तो यह स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश की सम्पूर्ण आदिवासी आबादी में साक्षरता का स्तर 50.55 प्रतिशत है, वहीं बैगा में यह दर 47.17 प्रतिशत है। राज्य में महिला साक्षरता दर जहाँ कुल आदिवासी समुदाय में 41.05 प्रतिशत है, वहीं बैगाओं में यह मात्र 24.05 प्रतिशत है। शहरी जनसंख्या का प्रतिशत भी बैगाओं में अति न्यून है (जोशी, 2016)। राज्य की सम्पूर्ण आदिवासी आबादी का 6.8 प्रतिशत शहरों में निवासित है, वहीं बैगा में यह प्रतिशत मात्र 4.9 है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि वर्ष 1974 से ही आदिवासी उपयोजना के अन्तर्गत बैगा जनजातियों के लिए पृथक बैगा विकास प्राधिकरण के गठन के साथ ही अनेक विकासात्मक योजनायें संचालित की जा रही है लेकिन फिर भी जमीनी स्तर पर हालात चिन्ताजनक बने हुए हैं। राज्य की आबादी का यह हिस्सा मूलभूत आवश्यकताओं का अभाव, गरीबी, बीमारी, भुखमरी, कुपोषण और विभिन्न प्रकार की वंचनाओं की पीड़ा झेलते हुए समाज के अन्तिम छोर पर खड़ा है।

बैगा समुदाय की परम्परागत पंचायती राज व्यवस्था

जनजातीय समुदाय अपने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मामलों तथा आपसी विवादों और धार्मिक मुद्दों को परम्परागत राजनीतिक संस्थाओं के माध्यम नियमित, नियोजित और नियन्त्रित करता रहा है। अन्य जनजातीय समुदाय की तरह बैगा समुदाय की परम्परागत जाति पंचायत व्यवस्था प्राचीन समय से ही समृद्ध रही है। गाँवों के आपसी झगड़ों को सुलझाना, न्याय प्रदान करना, कानून और व्यवस्था को बनाये रखने में इन जाति पंचायतों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। गाँवों के विकास कार्यों को मिलजुल कर करना, गाँव की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना, अपने चारों ओर फैले प्राकृतिक पर्यावरण के सौन्दर्य को बनाये रखना भी इन पंचायतों के कार्यक्षेत्र में आता है।

ये पंचायतें प्रशासनिक कार्यों के साथ-साथ समाज को एक सामाजिक मंच भी प्रदान करती हैं। गाँव के सारे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक मामलों में इनकी मौजूदगी होती है। गाँव में सभी लोगों के बीच सांमजस्य बनाये रखने के लिये ये पंचायतें एक आधार स्तम्भ के रूप में कार्य करती हैं।

परम्परागत पंचायतों की एक संरचना होती है जो थोड़े -बहुत अन्तरों के साथ सभी बैगा क्षेत्रों में एक जैसी होती हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात इन पंचायतों में लोगों का विश्वास, आस्था और श्रृद्धा का होना है। सभी लोग इन पंचायतों के फैसलों को सम्मान और आदर की दृष्टि से देखते हैं। ये पंचायतें इनकी संस्कृति का हिस्सा होती हैं। समुदाय के सारे नियम-कानून जो सदियों से चले आ रहे हैं, उनको बनाये रखना तथा उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित कराना और समय-समय पर समुदाय की आवश्यकतानुसार समाज की सहमति से नये कानूनों का सृजन करना, इनकी जिम्मेदारी होती है। समुदाय के सांस्कृतिक पक्ष को बचाये रखना भी इनके कार्यक्षेत्र में आता है।

पाँच लोगों की यह पंचायत- मुकद्दम, देवान, समरथ, कोटवार और सिरवई से मिलकर बनती है। यह जरूरी नहीं है कि सारे बैगा क्षेत्रों में इन पंचायत पदाधिकारियों के नाम एक जैसे होते हों; स्थान, दूरी और समय के साथ-साथ इनके नामों में परिवर्तन आता रहा है। यहाँ तक कि डिण्डोरी जिले के बजाग विकासखण्ड का बैगा बहुल बैगाचक क्षेत्र तथा समनापुर, करंजिया और अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ विकासखण्ड के बैगा बहुल गांवों में ही इन पंचायत पदाधिकारियों के नामों में परिवर्तन पाया जाता है। निश्चित रूप से, पूर्व में आवागमन के साधनों का अभाव, दुर्गम क्षेत्र जो एक दूसरे से कटे हुये थे, के कारण इस तरह की विभिन्नता कोई बड़ी बात नहीं है।

सभी पंचायत पदाधिकारियों के कार्य बंटे हुये होते हैं। मुकद्दम जिसको बैगा क्षेत्रों में शयाना (गाँव का सबसे बुजुर्ग आदमी जो समझदार है) भी कहा जाता है, जाति पंचायत की अध्यक्षता करता है और सभी पक्ष-विपक्ष की बातों को सुनने तथा पंचायत के अन्य सदस्यों से परामर्श करने के बाद जाति पंचायत का फैसला सुनाता है। यह पद ब्रिटिश समय से ही अस्तित्व में है। हाँलाकि पर्याप्त साक्ष्यों के अभाव में यह कहना बहुत कठिन है कि ब्रिटिश शासन से पूर्व भी यह पद इसी नाम से अस्तित्व में था या नहीं। कोटवार का महत्वपूर्ण कार्य गाँवों के सभी लोगों को जाति पंचायत में आमन्त्रित करना और उसका एजेंडा बताना है। कोटवार यह कोशिश करता है कि जाति पंचायत की सूचना अधिक से अधिक लोगों के पास पहुँचे और भागीदारी का स्तर वृहद हो। समरथ, सिरवई

और देवान, मुकद्दम के सहायक और सलाहकार की भूमिका में होते हैं। जाति पंचायत के फैसले में वस्तुनिष्ठता के साथ पारदर्शिता को बनाये रखने में सिरवई, समरथ और देवान की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसके अतिरिक्त टोटिया भी इस सभा में सम्मिलित होता है। इन पंचायतों का अपना कोरम (गणपूर्ति) होता है और कोटवार को छोड़कर शेष पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होती है। पंचायत पदाधिकारी इस कार्य को समाज का कार्य मानकर पंचायत में आना अपनी जिम्मेदारी समझते हैं।

प्रत्येक टोले एवं मंजरों में यह पाँच व्यक्ति होते हैं जो जाति पंचायत को पूर्णता का आकार देते हैं। जब कोई विवाद एक से अधिक टोले और मंजरे का होता है तो फिर आमसभा होती है। आमसभा में सभी प्रभावित टोले के लोग तथा सभी पंचायत पदाधिकारी सम्मिलित होते हैं। इसका स्वरूप एक टोले की जाति पंचायत से बड़ा होता है। इसकी तुलना हम आज की ग्रामसभा से कर सकते हैं।

बैगा समुदाय की इस स्वशासी व्यवस्था की समाज में उपस्थिति, प्रभाव, कार्यक्षेत्र और लोगों का विश्वास समय के साथ-साथ सिमटता गया। देश में आजादी के बाद 1960 के दशक से प्रारम्भ हुई पंचायत राज व्यवस्था ने इन परम्परागत जाति पंचायतों के मुखियाओं के महत्व को सीमित किया। धीरे-धीरे आदिवासी गाँवों में दो मुखिया (वैधानिक पंचायत का मुखिया सरपंच व परम्परागत पंचायत का मुखिया मुकद्दम) उभरने लगे। कई गाँवों में इन दोनों नेतृत्व में संघर्ष की स्थिति भी उभरी। इसके अतिरिक्त बैगा समुदाय का अन्य आदिवासी एवं गैर-आदिवासी समाज के सम्पर्क में आना, यातायात एवं संचार साधनों का विस्तार तथा अन्य सामाजिक एवं आर्थिक विकास कार्यक्रमों के कारण धीरे-धीरे इन परम्परागत जाति पंचायतों के प्रति विश्वास कम होता गया। समाज के कुछ लोग इन जाति पंचायतों के फैसलों के विरूद्ध पुलिस एवं अदालतों का सहारा भी लेने लगे। कुल मिलाकर समय के साथ-साथ समुदाय के लोगों में इन पंचायतों के प्रति आस्था सिमटती गई। वर्ष 1993 में संविधान की पाँचवी अनुसूची सहित सम्पूर्ण देश में एक समान पंचायत राज व्यवस्था को कायम किया गया। निःसन्देह 73वां संविधान संशोधन ग्राम स्तर पर लोकतन्त्र को स्थापित करने तथा मृतप्राय पंचायतों को नवजीवन देने के सन्दर्भ में एक मील का पत्थर है, लेकिन यह अधिनियम अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समाज की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाया। जनजातीय समाज तथा स्वैच्छिक संगठनों के विरोध आन्दोलनों और न्यायालयीन हस्तक्षेप के बाद जनजातीय क्षेत्रों में स्वशासन की इन परम्परागत पंचायतों के महत्व तथा आदिवासी समुदाय को अपने निवास क्षेत्रों में सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक मामलों में

अन्तिम नियन्ता बनाने की दृष्टि से भारतीय संसद ने 1996 में पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम पारित किया। यह अधिनियम 10 जून 1994 को भारत सरकार द्वारा दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में गठित समिति की अनुशंसाओं के आधार पर बनाया गया है (सिसोदिया, 2018)। आमतौर पर यह पेसा अधिनियम के नाम से लोकप्रिय है। यह अधिनियम अनुसूचित क्षेत्रों की ग्रामसभाओं को गाँव की संस्कृति, परम्परा, रूढ़ि, विश्वास, प्राकृतिक संसाधन आदि के संरक्षण, संवर्धन एवं सुरक्षा का अधिकार देता है तथा यह अधिनियम जनजातीय समुदाय की परम्परागत जाति पंचायत एवं नवीन संवैधानिक पंचायत दोनों के बीच एक कड़ी का काम करता है। इस अधिनियम का क्रियान्वयन देश के 10 राज्यों- आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, झारखण्ड, गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा तथा महाराष्ट्र में भिन्न-भिन्न समय में हो चुका है।

मध्यप्रदेश में पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 1996 का क्रियान्वयन

इस अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के पश्चात्, मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य बना जिसने 'मध्यप्रदेश पंचायत राज' (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1997 के नाम से पारित किया। यह अधिनियम 5 दिसम्बर, 1997 से राज्य में प्रभावी हो गया है। इस अधिनियम के द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों की पंचायतों को कुछ विशिष्ट अधिकार एवं कर्तव्य प्रदान किये गये हैं जो कि आदिवासी समुदाय की परम्परागत स्वशासी व्यवस्था की प्रकृति के समानुरूप है। भारतीय संविधान की पाँचवी अनुसूची के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के कुछ जिले या उनके कुछ भाग को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है। ये ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें अनुसूचित जनजाति का बाहुल्य है। सम्प्रति राज्य में छः जिलों- झाबुआ, अलिराजपुर, डिण्डोरी, मण्डला, बड़वानी और अनूपपुर का सम्पूर्ण क्षेत्र पाँचवी अनुसूची के अन्तर्गत आता है। इसी तरह राज्य के 14 जिले ऐसे हैं जिनका कुछ क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र के अन्तर्गत आता है।

पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 1996 के प्रमुख प्रावधान

इस नये अधिनियम में अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समुदायों के लोगों को उनके सामाजिक जीवनवृत और सांस्कृतिक स्वरूप को ध्यान में रखते हुए ग्रामसभा को मौलिक अधिकार दिये गये तथा यह आशा व्यक्त की गई कि इससे जनजातीय समाज की परम्परागत स्वशासी व्यवस्था और आधुनिक औपचारिक

संस्थाओं के बीच पनपी विसंगतियाँ समाप्त होंगी जो जनजातीय समाज में व्याप्त असन्तोष और भड़कते विद्रोह का मूल कारण रही है। इस नये कानून के तहत् राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों की पंचायत राज प्रणाली को आदिवासी समाज की बुनियादी परम्पराओं तथा प्रथागत् कानून के अनुरूप ढ़ाला गया है। सीधे शब्दों में कहा जाय तो आदिवासी समुदाय की परम्परागत 'जाति पंचायत' को ही कानूनी रूप में ग्रामसभा का दर्जा दिया गया है; जहाँ सब लोग एक जगह बैठकर आपस में मिल-जुल कर स्वेच्छा से सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक फैसले लेने में सक्षम हों। साथ ही पूर्व में सम्पूर्ण गाँव की एक ग्रामसभा का प्रावधान था किन्तु इस अधिनियम के तहत् गाँव के पृथक-पृथक फलियों में ग्रामसभा का आयोजन किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि आदिवासी गाँव 6 से 8 किलो मीटर की दूरी में फैले होते हैं तथा 6 से 10 फलियों में विभाजित होते हैं। ग्रामसभा की बैठक में गणपूर्ति के लिये कुल सदस्यों की एक तिहाई उपस्थिति अनिवार्य है। ग्रामसभा की बैठक की अध्यक्षता हेतु उपस्थित व्यक्तियों में से बहुमत द्वारा अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति का चयन किया जाता है। अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षण 50 प्रतिशत से कम नहीं होगा तथा अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर पर सरपंच का पद सभी जगह अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिये आरक्षित होगा।

ग्राम सभाएँ समुदाय के रीति-रिवाज, सांस्कृतिक पहचान व सामुदायिक संसाधनों को सुरक्षित रखने, गाँव के विकास हेतु योजनाओं को अनुमोदित करने, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम हेतु लाभार्थियों की पहचान करने, क्रियान्वित की जा रही योजनाओं की आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र देने, जल, जंगल और जमीन की सुरक्षा तथा प्रबन्धन करने के लिए प्रभावी कदम उठाना, ग्रामीण हाट-बाजार का प्रबन्धन करने, खनन क्षेत्र को पट्टे पर देने जैसे कई मूलभूत अधिकारों से सुसज्जित किया गया है (चौबे, २०१५)। इस प्रकार सामान्य क्षेत्रों की पंचायत राज व्यवस्था की अपेक्षा अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम सभाओं, पंचायतों, जनपद एवं जिला पंचायतों को व्यापक और विशिष्ट अधिकार व शक्तियाँ देकर अतिरिक्त रूप से सशक्त बनाने का प्रयास किया गया है।

इस अधिनियम के क्रियान्वयन के साथ ही अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समुदाय के प्रति यह आशा व्यक्त की जाने लगी कि इस अधिनियम का दोहरा लाभ अनुसूचित क्षेत्रों की पंचायतों को मिलेगा। एक तरफ तो ये पंचायतें लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण का लाभ लेंगी वहीं दूसरी ओर अपनी सांस्कृतिक एकता एवं परम्पराओं को सुरक्षित एवं संरक्षित रखने में भी सहायक होगी। साथ ही आदिवासी समुदाय में पायी जाने वाली कुरीतियाँ जो इस समुदाय को आर्थिक रूप से पंगु बनाकर ऋणग्रस्तता के जाल

में फँसाती है, ग्रामसभा में उन पर विचार होगा, ग्रामसभा उन पर रोक लगा सकेगी। गाँव में होने वाले छोटे-मोटे वाद-विवाद पुलिस थानों में न जाकर ग्रामसभा में सुलझाए जायेंगे, जो समुदाय को आर्थिक सुदृढ़ता प्रदान करेंगे। ये सभी निर्णय गाँव के वयस्क लोगों से बनी ग्राम सभा द्वारा लिये जायेंगे। ग्रामसभा की इस प्रभावपूर्ण एवं निर्णयकारी भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए यह अध्ययन ग्रामसभा द्वारा पारस्परिक जाति पंचायत की तर्ज पर किये जा रहे संस्कृति संरक्षण, आपसी विवादों एवं मुद्दों का समाधान, जाति पंचायत का ग्रामसभा के रूप समायोजन एवं रूपान्तरण से उभरते मुद्दे आदि पर केन्द्रित किया गया है।

अध्ययन के उद्देश्य

अध्ययन के उद्देश्य निम्न हैं -

1. बैगा समुदाय की परम्परागत राजनीतिक व्यवस्था की उपस्थिति एवं कार्यप्रणाली को समझना

2. पेसा अधिनियम के क्रियान्वयन के बाद परम्परागत राजनीतिक व्यवस्था एवं वैधानिक पंचायत राज व्यवस्था के संबंधों को जानने के साथ ही परम्परागत पंचायतों के महत्व एवं कार्यप्रणाली में आए बदलावों का अध्ययन करना।

शोध प्रविधि

इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य बैगा समुदाय की परम्परागत राजनीतिक व्यवस्था की मौजूदगी, कार्यप्रणाली एवं पेसा अधिनियम के क्रियान्वयन के बाद इसमें आये बदलावों को जानना है। इस हेतु मध्य प्रदेश के बैगा बहुल दो जिलों - अनूपपुर एवं डिण्डोरी को चयनित किया गया तथा साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से प्राथमिक तथ्यों का संकलन किया गया है। इस अध्ययन के लिए दोनों जिलों के चार विकासखण्डों से 22 ग्राम पंचायतों को चुना गया तथा बैगा समुदाय के 254 महिला एवं पुरूषों से प्राथमिक तथ्यों का संकलन किया गया। निरक्षरता, अज्ञानता, गरीबी के अधिक होने, भाषा की समझ का अभाव तथा गैर आदिवासी समुदाय के साथ चर्चा करने में शर्मीलापन आदि अध्ययन की सीमाएं रही हैं जिन्हें न्यून करने हेतु सूक्ष्म अवलोकन तथा समूह चर्चा विधियों का उपयोग किया गया है।

तालिका क्र.1

जिला एवं विकासखण्ड से चयनित उत्तरदाताओं की जानकारी

क्र.	जिला	विकासखण्ड	पुरूष	महिला	आवृति	प्रतिशत
1	अनूपपुर	पुष्पराजगढ़	41	19	**118**	**46.5**
		जैतहरी	37	21		
2	डिण्डोरी	करंजिया	61	16	**136**	**53.5**
		बजाग	29	30		
	कुल		168 (66.1 प्रतिशत)	86 (33.9 प्रतिशत)	**254**	**100**

उपर्युक्त तालिका क्र.1 से स्पष्ट है कि अनूपपुर जिले के दोनों विकासखण्ड - पुष्पराजगढ़ एवं जैतहरी से 118 (46.5 प्रतिशत) तथा डिण्डोरी जिले के करंजिया एवं बजाग से 136 (53.5 प्रतिशत) बैगा जनजाति को अध्ययन में समाहित किया गया है। निदर्शन में महिलाओं का प्रतिशत न्यून है जिसका महत्वपूर्ण कारण बाहरी एवं अपरिचित लोगों से बात करने में असहज महसूस करना, भाषा की कठिनाई तथा आजीविका के कार्यों में सलंग्न रहना है। निदर्शन में सम्मिलित करीब दो तिहाई (67 प्रतिशत) उत्तरदाताओं की आयु 21 से 40 वर्ष के बीच है। वहीं दूसरी ओर आधे से अधिक उत्तरदाता (52 प्रतिशत) निरक्षर हैं और केवल 3 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने ही कक्षा 10 व उससे अधिक की शिक्षा अर्जित की है। शैक्षणिक प्रगति के लगातार प्रयासों के बावजूद बैगा जनजाति में शिक्षा का न्यून स्तर का होना अभी भी चिन्ता का कारण बना हुआ है। निदर्शन में सम्मिलित अधिकांश उत्तरदाताओं (72 प्रतिशत) की आजीविका का साधन कृषि एवं कृषि से जुड़ी हुई मजदूरी है। करीब 93 प्रतिशत उत्तरदाताओं के परिवार की वार्षिक आय 30 हजार रूपये तक है। साथ ही एक और चिन्ताजनक पहलू यह है कि चयनित उत्तरदाताओं में केवल 21 प्रतिशत ही ग्रामसभा की बैठकों में नियमित रूप से भाग लेते हैं।

अध्ययन क्षेत्र में उत्तरदाताओं से परम्परागत जाति पंचायतों की मौजूदगी को जानने का प्रयास किया गया है। इस सन्दर्भ में 36 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है कि परम्परागत जाति पंचायत अभी अस्तित्व में है लेकिन उसका महत्व दिनों-दिन कम होता जा रहा है। सर्वेक्षित 7 प्रतिशत उत्तरदाता यह मानते हैं कि जाति पंचायत में समाज से जुड़े हुए छोटे मुद्दों का ही समाधान होता है; वहीं 20 प्रतिशत उत्तरदाता ये मानते हैं कि उनके

गाँवों में जाति पंचायत ठीक से कार्यरत नहीं है, जबकि एक तिहाई से अधिक (36 प्रतिशत) उत्तरदाताओं को इस सन्दर्भ में कोई जानकारी नहीं है।

तालिका क्रमांक 2

बैगा बहुल क्षेत्रों में परम्परागत जाति पंचायत की स्थिति

क्र.	जाति पंचायत की स्थिति	आवृत्ति	प्रतिशत
1	मौजूद किन्तु महत्व में कमी	93	36.6
2	छोटे मुद्दों का समाधान	18	07.1
3	ठीक से कार्यरत नहीं	51	20.1
4	नहीं जानते	92	36.2
	कुल	254	100.0

तालिका क्रमांक 3

परम्परागत जाति पंचायत की बैठक की स्थिति

क्र.	जाति पंचायत की बैठक की स्थिति	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	131	51.6
2	नहीं	110	43.3
3	नहीं जानते	13	05.1
	कुल	254	100.0

गाँव के सामाजिक-सांस्कृतिक मुद्दों को लेकर होने वाली जाति पंचायत की बैठक की स्थिति को जानने का प्रयास उत्तरदाताओं से किया गया है। इस सन्दर्भ में करीब 52 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि जाति पंचायत की बैठक आवश्यकतानुसार गाँव में होती है। यदि कोई व्यक्ति या परिवार का कोई सामाजिक मुद्दा है या कोई विवाद है तो सर्वप्रथम वह गाँव के मुखिया-मुकद्दम से ही चर्चा करता है तथा उसके बाद जाति पंचायत की बैठक आमन्त्रित की जाती है। इसी सन्दर्भ में 43 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि जाति पंचायत की बैठक गाँव में नहीं होती। परम्परागत पंचायत के प्रतिनिधि गांव में मौजूद हैं लेकिन अधिकांश युवा आबादी तथा वैधानिक पंचायत के प्रतिनिधि जाति पंचायत की महत्ता और इसके फैसलों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। इसके अतिरिक्त 5 प्रतिशत उत्तरदाताओं को इन पंचायतों की बैठकों की कोई जानकारी नहीं है।

इस अधिनियम के द्वारा ग्राम सभाओं को सशक्त किया गया कि वे जनजातीय संस्कृति के संरक्षण व संवर्धन पर नीतिगत फैसले लें। ग्राम सभाओं के माध्यम से

नहीं है, जबकि एक तिहाई से अधिक (36 प्रतिशत) उत्तरदाताओं को इस सन्दर्भ में कोई जानकारी नहीं है।

तालिका क्रमांक 2
बैगा बहुल क्षेत्रों में परम्परागत जाति पंचायत की स्थिति

क्र.	जाति पंचायत की स्थिति	आवृत्ति	प्रतिशत
1	मौजूद किन्तु महत्व में कमी	93	36.6
2	छोटे मुद्दों का समाधान	18	07.1
3	ठीक से कार्यरत नहीं	51	20.1
4	नहीं जानते	92	36.2
	कुल	254	100.0

तालिका क्रमांक 3
परम्परागत जाति पंचायत की बैठक की स्थिति

क्र.	जाति पंचायत की बैठक की स्थिति	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	131	51.6
2	नहीं	110	43.3
3	नहीं जानते	13	05.1
	कुल	254	100.0

गाँव के सामाजिक-सांस्कृतिक मुद्दों को लेकर होने वाली जाति पंचायत की बैठक की स्थिति को जानने का प्रयास उत्तरदाताओं से किया गया है। इस सन्दर्भ में करीब 52 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि जाति पंचायत की बैठक आवश्यकतानुसार गाँव में होती है। यदि कोई व्यक्ति या परिवार का कोई सामाजिक मुद्दा है या कोई विवाद है तो सर्वप्रथम वह गाँव के मुखिया-मुकद्दम से ही चर्चा करता है तथा उसके बाद जाति पंचायत की बैठक आमन्त्रित की जाती है। इसी सन्दर्भ में 43 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि जाति पंचायत की बैठक गाँव में नहीं होती। परम्परागत पंचायत के प्रतिनिधि गांव में मौजूद हैं लेकिन अधिकांश युवा आबादी तथा वैधानिक पंचायत के प्रतिनिधि जाति पंचायत की महत्ता और इसके फैसलों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। इसके अतिरिक्त 5 प्रतिशत उत्तरदाताओं को इन पंचायतों की बैठकों की कोई जानकारी नहीं है।

इस अधिनियम के द्वारा ग्राम सभाओं को सशक्त किया गया कि वे जनजातीय संस्कृति के संरक्षण व संवर्धन पर नीतिगत फैसले लें। ग्राम सभाओं के माध्यम से

जनजातीय समाज की वर्षों पुरानी सकारात्मक परम्पराओं को पुनर्प्रचलन में लाने तथा वह परम्परायें व कुरीतियां जो समय के साथ-साथ या बाहरी प्रभाव के कारण जनजातीय समाज में प्रचलित हो गई हैं, उन्हें चिन्हित कर रोका जाये।

तालिका क्रमांक 4

ग्रामसभा में जनजातीय संस्कृति के संरक्षण पर निर्णय

क्र.	जनजातीय संस्कृति का संरक्षण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	28	11.0
2	नहीं	215	84.6
3	नहीं जानते	11	04.4
	कुल	254	100.0

इस सन्दर्भ में 11 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि ग्रामसभा ने जनजातीय संस्कृति के संरक्षण व संवर्धन पर कार्य किया है। वहीं दूसरी ओर उत्तरदाताओं का एक बड़ा भाग अर्थात करीब 85 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि ग्रामसभा में इस पर कोई चर्चा नहीं होती। इस सन्दर्भ में समूह चर्चा एवं अवलोकन के माध्यम से यह विदित हुआ कि ग्रामसभाओं की बैठक बहुत कम होती है तथा जब कभी भी बैठक होती है, उसमें ग्रामीणों की सहभागिता बहुत कम होती है। बैठक का एजेन्डा पहले से ही शासन द्वारा तय किया जाता है जो पेसा अधिनियम की मूल मंशा के विपरीत है। शोध क्षेत्र के अनुभव यह बताते हैं कि करीब-करीब सभी उत्तरदाताओं में इस अधिनियम का महत्व, प्रावधान व क्रियान्वयन को लेकर जागरूकता का अभाव दिखाई देता है।

इस अधिनियम का मूल उद्देश्य यह है कि अनुसूचित क्षेत्रों की ग्रामसभायें परम्परागत जाति पंचायत की तर्ज पर कार्य करें। गाँव के लोग एक जगह बैठकर आपसी सहमति से गाँव के सामाजिक-धार्मिक और सांस्कृतिक फैसले लें। विभिन्न मुद्दों को लेकर जितने भी विवाद हैं उन सबको बिना पुलिस और अदालतों के हस्तक्षेप के आपसी बातचीत व सहमति से सुलझाए। इस सन्दर्भ में उत्तरदाताओं से यह जानने का प्रयास किया गया है कि बैगा समाज के आपसी झगड़ों, विवादों को सुलझाने में ग्रामसभा की क्या भूमिका रही है।

तालिका क्रमांक 5
आपसी विवादों के समाधान में ग्राम सभा की भूमिका

क्र.	ग्रामसभा द्वारा आपसी विवादों का समाधान	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	47	18.5
2	नहीं	202	79.5
3	नहीं जानते	05	2.0
	कुल	254	100.0

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि 18.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि आपसी झगड़ों को सुलझाने का प्रयास ग्रामसभा में हुआ है। इनका मत है कि इन आपसी झगड़ों को सुलझाने में जाति पंचायत के मुखिया की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। करीब 80 प्रतिशत उत्तरदाता इस बात से असहमति जाहिर करते हैं। इनका मत है कि ग्रामसभा में गाँव के विकास, योजनाओं और लाभार्थियों के चयन से संबधित चर्चा होती है, आपसी विवादों की नहीं। इससे स्पष्ट होता है कि अधिनियम की मूल मंशा का प्रसार अभी जनजातियों में नहीं हुआ है। अध्ययन में उत्तरदाताओं से यह भी जानने का प्रयास किया गया कि आपके गाँव में प्रभावशाली व्यक्ति कौन है जिसकी सामाजिक मंचों पर उपस्थिति प्रत्येक निर्णय को प्रभावित करती है। इस सन्दर्भ में 67 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने सरपंच तथा 18 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने जाति पंचायत के मुखिया को बताया है।

निष्कर्ष

वर्षों से समाज की मुख्यधारा से कटे हुए एवं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास की अन्तिम सीढ़ी पर खड़े जनजातीय समुदाय के क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था को स्थापित करने की दिशा में पेसा अधिनियम एक महत्वपूर्ण कदम है। यह अधिनियम जनजातीय समुदाय को पुनः अपनी स्वशासी परम्पराओं के तहत कार्य करने एवं निर्णय लेने की आजादी देता है। इस अधिनियम का केन्द्र-बिंदु ग्रामसभाएं हैं। ग्रामसभाओं को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक निर्णयों को लेने की आजादी दी गई है। गाँव व समुदाय के विकासात्मक कार्यों के अतिरिक्त इन ग्रामसभाओं को जनजातीय समुदाय की संस्कृति, परम्परायें, रीतियाँ, तीज-त्यौहार, आदिवासी सहजीवन से निकली हुई सकारात्मक परम्पराओं आदि को सुरक्षित एवं संरक्षित करना, ग्राम समुदाय की वर्षों पुरानी जाति पंचायत की तरह ग्रामसभाओं में गाँव व समुदाय से सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्यों को करना इन ग्रामसभाओं की

जिम्मेदारी है लेकिन इस अधिनियम के क्रियान्वयन की तृणमूल स्थितियाँ कुछ अलग ही चित्र प्रस्तुत करती हैं।

यह चिन्ता का विषय है कि मध्य प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में इस अधिनियम को लागू हुए 23 वर्षों का समय पूर्ण हो चुका है लेकिन अभी भी अधिकांश उत्तरदाताओं को इस अधिनियम के प्रावधानों, ग्राम सभाओं की विशिष्ट स्थिति तथा उसके कार्य एवं शक्तियों के बारे में जानकारी का अभाव है। ग्राम सभा सदस्यों के साथ-साथ अधिकांश पंचायत प्रतिनिधि भी इस बात को नहीं जानते कि वर्ष में ग्राम सभा की कितनी बैठक होना अनिवार्य है।

ग्रामसभा में आवश्यक गणपूर्ति के सन्दर्भ में भी उत्तरदाताओं की स्थिति ऐसी ही है। जहाँ तक परम्परागत जाति पंचायत के अस्तित्व व उसकी कार्यप्रणाली की बात की जाये तो विभिन्न बैंगा क्षेत्रों में भ्रमण के दौरान यह बात स्पष्ट रूप से सामने आयी कि ये परम्परागत जाति पंचायतें अभी भी अस्तित्व में हैं लेकिन इसके कार्य अब सिमट रहे हैं। तकरीबन सभी उत्तरदाता ये मानते हैं कि इन परम्परागत जाति पंचायतों का अस्तित्व कम हुआ है। आज अधिकांश विवाद पुलिस, न्यायालय में सुलझाये जा रहे हैं। गाँवों में मुकद्दम जो जाति पंचायत का मुखिया होता है, उसकी भूमिका भी अब कम दिखाई दे रही है। बैगा पर अन्य जातियों का प्रभाव भी दिखाई देने लगा है और इसके परिणामस्वरूप स्वयं बैंगा में इस संस्था के प्रति जो विश्वास, सम्मान और आस्था थी, आज समाप्त होती नजर आ रही है। सरपंच की तुलना में गाँव के मुखिया का महत्व कम हुआ है। वैसे भी गाँव के मुखिया के आर्थिक हालात कमोबेश सभी ग्रामीणों के समान ही होते हैं लेकिन सरपंच अपेक्षाकृत आर्थिक रूप से अधिक सुदृढ़ जागरूक, अधिकारियों तक पहुँच तथा लोगों को योजनाओं का लाभ देने की स्थिति में होने के कारण उसके समर्थक ज्यादा होते हैं। इस प्रभावशाली स्थिति के कारण कई बार ग्रामीण न चाहकर भी सरंपच का समर्थन करते हैं तथा जाति पंचायतों की बैठकों में भी अब उसकी उपस्थिति को लोग अधिकारिक रूप से अनिवार्य मानने लगे हैं।

कई जगह पर जहाँ संवैधानिक पंचायत और जाति पंचायत का मुखिया अलग-अलग है वहाँ पर दोनों तरह की पंचायतों के बीच संघर्ष की स्थिति भी दिखाई देती है तथा जाति पंचायतों का वजूद न के बराबर है किन्तु जिस जगह पर मुकद्दम ही सरपंच है वहाँ पर जाति पंचायत अपेक्षाकृत प्रभावशाली है, पर यह संख्या नगण्य है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि जाति पंचायत की अपेक्षा संवैधानिक पंचायतें ज्यादा ताकतवर हैं। गाँवों में अधोसंरचनात्मक विकास, गरीबी उन्मूलन हेतु लाभार्थियों का चयन, रोजगार, स्व-

रोजगार और अन्य विभिन्न योजनाओं हेतु लाभार्थियों का चयन, ये सारे कार्य संवैधानिक पंचायतों के है; लेकिन जाति पंचायत का कार्य वर्तमान में केवल जाति से सम्बन्धित विवादों जैस विवाह एवं पैतृक भूमि के विभाजन को लेकर उभरे विवादों का समाधान करने तक ही सीमित रह गया है। यही कारण है कि इन जाति पंचायतों की बैठकों में जाति पंचायत के मुखिया मुकद्दम की बजाय सरपंच की बातों को ज्यादा गंभीरता से लिया जाता है।

कई जगह यह देखने में आया है कि बैगा बहुल क्षेत्रों में ही सरपंच बैगा समुदाय से न होकर गोण्ड या अन्य जनजाति से है। कुछ जगह पर यह देखने में आया कि गाँवों में सम्पन्न राठौर या यादव जो गैर जनजाति वर्ग से है, उप-सरपंच के पद पर चयनित हुये है और सरपंचों के सारे अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं। यह दोनों ही स्थितियाँ बैगा में राजनीतिक जागरूकता के कम होने, क्षमता का अभाव तथा राजनीतिक गतिविधियों में भागीदारी के प्रति अनिच्छा को प्रदर्शित करती है।

कुल मिलाकर, यदि इस अधिनियम की मूलमंशा को जमीनी स्तर पर क्रियान्वित करना है तो वृहद स्तर पर पंचायत प्रतिनिधियों एवं ग्रामसभा के सदस्यों को जागरूक करना होगा तथा चरणबद्ध तरीके से प्रभावी प्रशिक्षण कार्यक्रम को संचालित करना होगा। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को स्थानीय भाषा में अनुवादित कर पंचायत भवन, स्वास्थ्य केन्द्र, स्कूल और अन्य सार्वजनिक एवं सुगम स्थानों पर चस्पा करना होगा। दिखावटी (Mock) ग्रामसभा का आयोजन कर गाँव के लोगों को इसके प्रक्रियागत पहलुओं से अवगत कराना होगा। ग्रामीणों एवं पंचायत प्रतिनिधियों में क्षमतावृद्धि एवं जागरूकता लाने के उद्देश्य से आदर्श ग्रामसभाओं का भ्रमण भी करवाया जा सकता है। जनजातीय समुदाय की संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए लोगों को तैयार करना होगा। आमजन के मस्तिष्क में इस बात को पहुँचाना होगा कि वे ग्रामसभा का उपयोग सामूहिक रूप से सभी विषयों के लिए परम्परागत जाति पंचायत की तरह ही कर सकते हैं। सभी कार्यों में ग्रामसभा गाँव स्तर पर सर्वोच्च संस्था तथा छोटी संसद है जिसके निर्णयों को अन्य ऊपरी संगठनों को मानना होगा। ग्रामसभा के इस प्रभावशाली स्वरूप से आमलोगों को अवगत कराना होगा। समुदाय को जागरूक और सशक्त बनाने में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका को और अधिक बढ़ाना होगा। ग्रामसभा के माध्यम से विकास कार्यों में जनजातीय समुदाय की भागीदारी को बढ़ाना होगा तथा विकास कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए जनजातीय समुदाय को सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया को अपनाना होगा। यदि अनुसूचित क्षेत्रों के विकास को गति देने वाली ग्रामसभायें मजबूत

होंगी तो निश्चय ही जनजातीय समाज की क्षमता में वृद्धि होगी तथा जनजातीय विकास का सपना आकार लेगा।

सन्दर्भ

गौतम, आर. के. (2011). *बैगा : दि हन्टर्स एण्ड गैदर्स ऑफ सेन्ट्रल इण्डिया,* नई दिल्ली: रिडवर्थी प्रकाशन, पृ. 74-88.

चौबे, के. एन. (2015). इन्हेन्सिग पेसा : दि अनफिनिस्ड एजेन्डा. *इकोनोमिक एण्ड पोलिटिकल वीकली, 50*(8).

जोशी, वाय. जी. (2016). स्टेट्स ऑफ सोशल चेंज अमंग बैगास ऑफ म.प्र., इन एस. एन. चौधरी (संपा), *प्रिमीटिव ट्राईब्स ऑफ सेन्ट्रल इण्डिया*, नई दिल्ली: कॉन्सेप्ट पब्लिशिंग कम्पनी, पृ. 98-118.

त्रिपाठी, बी., एवं प्रसाद, डी. वी. (2019). सिंक्रेटिस्म एण्ड इमरजिंग आईडेन्टिस अमंग दि भूमिया बैगा, इन त्रिपाठी एवं डी.वी. प्रसाद (संपा), *ट्राइबल रीलिजन इन सेन्ट्रल इण्डियाः कन्टिन्युटी एण्ड चेंज,* दिल्ली: बी. बी.आर. पब्लिशिंग कार्पोरेशन, पृ. 181-196.

शर्मा, आर. के., एवं राय, जे. (2016). सोशियो इकोनोमिक एण्ड डेमोग्राफिक केरेक्टेरिस्ट्सि ऑफ थ्री मोस्ट बेकवर्ड ट्राईब्स ऑफ मध्यप्रदेश, *ट्राईबल हेल्थ बुलेटिन*, *23*(1), 77-87.

सिसोदिया, वाई. एस. (2018). पेसा इन ट्राइबल एरियाज्, *कुरूक्षेत्र, 66*(9), 29-33.

जनजातीय विकास में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका का अध्ययन (बस्तर क्षेत्र के संदर्भ में)

आंनद मूर्ति मिश्रा
शारदा देवांगन

सारांश

भारत में गैर सरकारी संगठन का लंबा इतिहास रहा है। गैर सरकारी संगठन का जनसमुदाय के साथ जीवंत एवं परस्पर मधुर संवाद होता है। इसी कारण से ये संगठन आम जनता का विश्वास प्राप्त करने में सफल होते है। गैर-सरकारी संगठन विविध क्षेत्रों - जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पर्यावरण, स्वच्छता, वन संरक्षण, जनजातीय विकास, रोजगार, उद्यमिता आदि पर कार्य कर रहे है। प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य जनजातीय विकास में गैर सरकारी संस्थाओं के महत्व का अध्ययन करना है। प्रस्तुत अध्ययन में तथ्यों के संकलन के लिए बस्तर जिले में संचालित 11 गैर सरकारी संगठनों का चयन दैव निदर्शन विधि द्वारा किया गया है एवं प्राथमिक तथ्यों का संकलन साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से किया है। इस अध्ययन में यह जानने का प्रयास किया गया हैं कि इन गैर-सरकारी संगठनों के कार्यों के कारण जनजातीय समुदाय की सामाजिक – आर्थिक स्थितियों में किस तरह के बदलाव आये हैं।

परिचय:

विश्व में, अफ्रीका के बाद भारत जनजातीय जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर आता है। भारत की कुल जनसंख्या का 8.08 प्रतिशत जनजाति बंधुओं द्वारा निर्मित है। प्रत्येक समाज की भांति जनजातीय समाज भी स्थिर नहीं वरन् गतिशील रहा है, लेकिन उसमें परिवर्तन की गति धीमी दिखाई देती है, चूँकि जनजातीय समाज अन्य लोगों की तुलना में काफी पिछड़े हुए तथा आर्थिक दृष्टि से गरीब रहे हैं अतः उन्हें विकसित करने की आवश्यकता महसूस हुई। आज विश्व के प्रत्येक स्थानों पर वहां की सरकारों द्वारा जनजातियों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है (उपाध्याय, 2002)।

भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है, जहाँ जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाया जाता है। भारत की स्वाधीनता के साथ ही देश में नए कल्याणकारी राज्य की कल्पना को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए राज्य और केंद्र की सरकार का स्वरूप निर्धारित किया गया था, जिसके अंतर्गत जन विकास और कल्याण

के लिए अनेक विभाग निर्मित किये गये। किन्तु जनविकास के लिए बनाएं गये कार्यक्रमों का लाभ जन समुदाय को नहीं मिलने के कारण गैर सरकारी संगठनों की स्थापना की गयी।

विश्व बैंक के अनुसार, ''एनजीओ एक निजी संगठन होता है जो लोगों का दुख-दर्द दूर करने, पर्यावरण की रक्षा करने, बुनियादी सामाजिक सेवाएं प्रदान करने अथवा सामुदायिक विकास के लिए गतिविधियां चलाता है।'' दूसरे शब्दों में, ''एनजीओ वैधानिक रूप से गठित संगठन होते हैं जो सरकार से स्वतंत्र रूप से काम करते हैं और इन्हें आमतौर पर सार्वजनिक हितों के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने वाले ऐसे गैर-सरकारी समूहों के तौर पर देखा जाता है जिनका लक्ष्य लाभ कमाना नहीं होता।'' स्वैच्छिक संगठनों का मूल उद्देश्य सामाजिक न्याय, विकास और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए काम करना है। इनका वित्त पोषण प्रायः पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से सरकार से प्राप्त मानदेय राशि से होता है और वे सरकारी प्रतिनितियों से दूरी बनाते हुए अपना गैर-सरकारी स्वरूप बनाए रखते हैं। (मैथ्यू एवं वर्गीश्, 2011)

भारत में गैर-सरकारी संगठनों को स्वैच्छिक संगठन, अलाभकारी संगठन, परोपकारी संगठन, परमार्थ संगठन, नागरिक समाज संगठन के नाम से जाना जाता है। गैर-सरकारी संगठनों का पंजीकरण विभिन्न अधिनियम यथा सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, इण्डियन ट्रस्ट एक्ट 1882, पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1950, कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 8, रिलिजियस इण्डोमेंट एक्ट 1863, चैरिटेबुल एण्ड रिलिजियस ट्रस्ट एक्ट 1920, मुस्लिम वक्फ एक्ट 1973, वक्फ एक्ट 1954, पब्लिक वक्फ एक्ट 1959 के अंतर्गत किया जा सकता है। गैर-सरकारी संगठन वे सभी संगठन हैं जो सीधे सरकारी विभाग या उसकी कोई इकाई नहीं है (वेस्ग्राड, 1997) । गैर-सरकारी संगठनों को स्वैच्छिक संगठन, नागरिक समाज संगठन, स्वयंसेवी संगठन के नाम से भी जाना जाता है। (https://cmcldp.org/userfiles /Formation)

देश में स्वैच्छिक संगठनों के विकास का इतिहास:

हमारे देश में स्वैच्छिक संगठनों का इतिहास काफी समृद्ध रहा हैं। महान कवि रवीन्द्रनाथ टैगोर ने ग्रामीण पुनर्रचना का कार्य 1908 में सिलाईदहा में तथा 1921 में श्रीनिकेतन में प्रारम्भ किया। स्पेंसर हैच ने निर्धन विकास परियोजना की शुरुआत वाई.एम.सी.ए. के तत्वावधान में मार्तण्डम के आस-पास की। महात्मा गाँधी ने सामाजिक-आर्थिक जीवन में बदलाव के लिए अपने सत्य और अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वर्ष 1931 में वर्धा से शुरुआत की। जुगतराम दुबे ने ग्रामीण

पुनर्रचना का कार्य स्वराज्य आश्रम वेडची में 1922 से शुरू किया। इस तरह के अनेकों स्वैच्छिक प्रयास पूर्व में हुए हैं।

अंतरराष्ट्रीय स्वैच्छिक संगठनों का इतिहास 1839 से प्रारंभ होता है। अनुमान है कि 1914 तक विश्वभर में 1,083 स्वैच्छिक संगठन थे जो दासता, महिलाओं के मताधिकार, निरस्त्रीकरण आदि जैसे क्षेत्रों में काम कर रहे थे परंतु 1945 में संयुक्त राष्ट्र संगठन (यूएनओ) के अस्तित्व में आने के बाद विश्वभर में स्वैच्छिक संगठनों की संख्या में बाढ़-सी आ गई। स्वैच्छिक संगठनों की संख्या में हुई वृद्धि के प्रमुख कारण हैं- आर्थिक मंदी, शीतयुद्ध की समाप्ति, निज़ीकरण, बढ़ती मांग आदि। बीसवीं सदी में वैश्वीकरण के प्रादुर्भाव के कारण भी गैर-सरकारी संगठनों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। (https://cmcldp.org/userfiles/ Formation)

भारत में दान और सेवा की धारणा पर आधारित नागरिक समाज (सिविल सोसाइटी) का लंबा इतिहास रहा है। मध्यकालीन युग में ही सांस्कृतिक संवर्द्धन, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत पहुँचाने वाले अनेक स्वयंसेवी संगठन सक्रिय थे। उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध में राष्ट्रीय चेतना का विस्तार भारत के कोने-कोने में जा पहुँचा और सामाजिक-राजनीतिक आंदोलनों में स्वयंसेवा के माध्यम से अपने को स्थापित करने का रास्ता अपनाया। इस प्रकार के प्रयासों के कुछ प्रमुख प्रारंभिक उदाहरण हैं- फ्रेंड इन नीड सोसाइटी (1858), प्रार्थना समाज (1864), सत्यशोधक समाज (1873), आर्य समाज (1875), नेशनल काउंसिल फार वीमेन इन इंडिया (1875), दि इंडियन नेशनल कांफ्रेंस (1887) आदि। स्वैच्छिक संगठनों की बढ़ती संख्या को देखते हुए उन्हें वैधानिक स्थिति प्रदान करने के लिए 1860 में समिति पंजीकरण विधेयक को अनुमोदित किया गया।

भारत ही विश्व का एक ऐसा देश है जहां गैर-सरकारी और लाभ के लिए काम नहीं करने वाले सक्रिय संगठनों की संख्या सबसे अधिक है। पिछले दशक में भारत में नये स्वैच्छिक संगठनों की संख्या में तेज़ी से वृद्धि हुई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1970 तक देश में केवल 1.44 लाख समितियां पंजीकृत थीं। पंजीकरण की संख्या में अधिकतम वृद्धि वर्ष 2000 के बाद हुई। सरकार द्वारा कराए गए एक अध्ययन के अनुसार भारत में 2009 के अंत तक लगभग 30 लाख 30 हज़ार स्वैच्छिक संगठन थे। इसका अर्थ हुआ कि औसतन लगभग 400 भारतीयों के पीछे एक स्वैच्छिक संगठन कार्यरत हैं। (https://cmcldp.org/userfiles/ Formation)

उद्देश्य:

प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य जनजातीय विकास में गैर सरकारी संस्थाओं के महत्व का अध्ययन करना है।

साहित्य का पुनरावलोकन

दुबे (1969), का कहना है कि जनजातियों की समस्या का स्वतंत्र अस्तित्व है। इस समस्या को प्रादेशिक तथा राष्ट्रीय हितों से सम्बद्ध एवं संतुलित करने की निश्चित कार्य प्रणाली के रूप में देखा जाना चाहिए। अब यह आवश्यक हो गया है कि हम आदिवासी हितों के संरक्षण तथा उनकी संस्कृतियों के वैशिष्ट्य और जीवन शक्ति को बनाए रखने के प्रयत्नों के साथ यह भी विचार करें कि विनाशकारी सांस्कृतिक प्रभावों से उन्हें बचाए रखकर भी उनके तथा क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय विकास की योजनाओं में किस तरह सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है।

वी. कृष्णमूर्ति (1982), के मत में स्वैच्छिक संगठन सरकार के कार्यों का अनुकरण नहीं करते वरन् ये सरकारी प्रयासों की जमीनी वास्तविकता को सामाजिक पटल पर रखते हुए नई कार्यप्रणाली की खोज कर सम्पादित करते हैं। कपूर एवं सिंह (1997), ने अपने अध्ययन में हिमाचल प्रदेश में एन.जी.ओ के विकास, उसके संगठन तथा उसकी कार्यप्रणाली के बारे में शुरू से लेकर अब तक के बारे में बताया है। साथ ही सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन के साथ-साथ यह भी बताने का प्रयास किया है कि ये योजनाएँ कहाँ तक सफल हुई हैं।

राजशेखर (1999), का अध्ययन दक्षिण भारत के स्वयंसेवी संस्थाओं के विकास पर आधारित है तथा ये संस्थाएं राष्ट्र के विकास के लिए सरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर कार्य कर रही है यह भी अध्ययन में बताया गया है। इसके साथ-साथ ग्राम पंचायतों की कार्य प्रक्रिया एवं समस्याओं को भी बताया है। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत के लक्ष्यों, उनके विकास तथा चुनाव के बारे में भी विस्तार से बताया है। खेतान (2003), ने बताया है कि बीते कुछ वर्षों से स्वयंसेवी संस्थाओं के स्वरूप एवं चरित्र में कई बदलाव आये है किन्तु इन बदलाव के कारण न सिर्फ स्वयंसेवी संस्थाओं की संख्या में वृद्धि हुई है अपितु उनके द्वारा उठाये जा रहे मुद्दों और कार्यक्षेत्र में भी विस्तार हुआ है।

बेत्तेई (2003), कहते हैं कि भारत में एन.जी.ओ. इतने नवीन है कि अभी वे एक निश्चित संगठनात्मक रूप हासिल नहीं कर पाये हैं और न सिर्फ सरकारी एजेन्सियों के काम

काज के तरीकों अपितु उनके संगठन के स्वरूप की भी नकल करने लगे हैं। गैर-सरकारी संगठनों का महत्वपूर्ण कार्य नागरिक समाज का निर्माण करना है और इस कार्य में वे निरंतर पिछड़ते जा रहे हैं। गैर-सरकारी संगठनों के भविष्य को लेकर इन्होने चिन्ता जाहिर की है कि भारत में जाति, नाते-रिश्तों के दावे बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इनमें ये संगठन जाति के प्रभाव से बच जाये मगर पारिवारिक संबंधों से नहीं बच पाएंगे।

गुप्ता एवं दाधीच (2004), का मानना है कि आजादी के बाद से ही देश में पिछड़े वर्गों की स्थिति में सुधार लाने के लिए शासन द्वारा कई प्रयास किये जा रहे हैं लेकिन इनकी स्थिति में अधिक परिवर्तन नहीं हो पा रहा है। इसका प्रमुख कारण प्रदाय व्यवस्था की अक्षमता का होना है। गैर-सरकारी संगठन इस प्रदाय व्यवस्था को स्वस्थ बनाने तथा सरकारी योजनाओं को लाभार्थियों तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मिश्रा (2008), ने अपने अध्ययन में गैर-सरकारी संगठनों की अवधारणा, सैद्धान्तिक परिदृश्य एवं अस्तित्व का व्यवस्थित विश्लेषण किया है। इसके अतिरिक्त लेखक ने विकास एवं ग्रामीण विकास के सरकारी प्रयासों को विश्लेषित किया है। साथ ही स्वयंसेवी संगठनों की वर्तमान में बढ़ती भूमिका एवं इनके समक्ष समस्याओं पर भी बात की है।

उपकरण एवं प्रविधि

प्रस्तुत अध्ययन में तथ्यों के संकलन के लिए बस्तर जिले में संचालित 11 गैर सरकारी संगठनों का चयन दैव निदर्शन विधि द्वारा किया गया है एवं प्राथमिक तथ्यों का संकलन साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से किया है।

शोध क्षेत्र - बस्तर, भारत के छत्तीसगढ़ प्रदेश के दक्षिण दिशा में स्थित जिला है। बस्तर जिले एवं बस्तर संभाग का मुख्यालय जगदलपुर शहर है। इसका क्षेत्रफल 4029.98 वर्ग कि. मी. है। बस्तर जिला छत्तीसगढ़ प्रदेश के कोंडागांव, सुकमा, बीजापुर जिलों से घिरा हुआ है। बस्तर जिले की जनसंख्या वर्ष 2011 में 14,11,644, वर्तमान कोंडागांव जिले को सम्मिलित करते हुए थी जिसमें 697,359 पुरूष एवं 714,285 महिलांए थी। बस्तर की जनजातीय जनसंख्या का 70 प्रतिशत भाग गोंड, मारिया, मुरिया, भतरा, हल्बा, धुरवा जनजातीय समुदाय का है । बस्तर जिला को सात विकासखण्ड/ तहसील- जगदलपुर , बस्तर, बकावण्ड, लोहण्डीगुडा, तोकापाल, दरभा, बास्तानार में विभाजित किया गया है। बस्तर के जनजातीय समुदाय की बडी जनसंख्या आज भी घने जंगलों में निवास करती है। बस्तर के जनजातीय समुदाय अपनी संस्कृति, कला, पर्व, सहज जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध है। (https://hi.wikipedia.org/ wiki)

बस्तर में कार्यरत गैर आदिवासी संगठन

1. **महात्मा गांधी महिला एवं बाल कल्याण संस्थान:** इस संस्था की स्थापना सन् 1974 में महिला कल्याण मंडल के रूप में की गयी थी।

कार्यक्षेत्र- इस संगठन के मुख्य कार्यक्षेत्र निम्न है-

- महात्मा गाँधी प्राथमिक कन्या शाला, बालबाड़ी केंद्रो की संचालन।
- कढाई-सिलाई प्रशिक्षण।
- परिवार परामर्श केन्द्र-दहेज वापसी।
- निराश्रितों एवं वृद्धा पेंशन जरूरतमन्दो को दिलवाना।
- पीड़ित एवं शोषित महिलाओं को विधिक सहायता दिलवाना।
- जननी सुरक्षा एवं आयुष्मती योजना का प्रचार-प्रसार करना।
- महिला सशक्तीकरण और निराश्रित बालिका /महिला पुनर्वास।
- विधिक कानूनी जागरूकता शिविरों का आयोजन।
- स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन।

वित्तीय स्रोत: विभिन्न व्यक्तियों, समूहों व संगठनों द्वारा दिए गए दान के माध्यम से गतिविधियों का संचालन।

उपलब्धि: महात्मा गांधी महिला एवं बाल कल्याण की गतिविधियां बहुआयामी है। यह संस्थान सदैव ही सभी वर्गों के हित में कार्य करता है। महिलाओं और बच्चों की शिक्षा इसका प्रमुख मुद्दा रहा है। इस संगठन की कुछ उपलब्धियां इस प्रकार है-

- साक्षरता अभियान के अंतर्गत अब तक 4,910 लोगों को साक्षर किया जा चुका है।
- लघु उद्योग एवं कढाई-सिलाई प्रशिक्षण के अंतर्गत लगभग 1516 लोग प्रशिक्षित होकर आय प्राप्त कर रहे हैं।
- अब तक लगभग 1271 सिलाई मशीनों को वितरित किया जा चुका है जिसके कारण महिलाएं आज अपने स्वयं के रोजगार से आय अर्जित कर रही हैं।
- 1,482 बेसहारा निर्धन महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करा कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा चुका है।

- परिवार परामर्श केन्द्र के द्वारा अब तक 2467 परिवारों को परामर्श दिया जा चुका है।

2. **बस्तर सेवक मंडल छत्तीसगढ़:** बस्तर सेवक मंडल छत्तीसगढ़, भारत में काम करने वाला एक गैर सरकारी संगठन है जो 1977 में स्थापित हुआ तथा राज्य के विभिन्न पिछड़े क्षेत्रों में अपनी सेवाएँ दे रहा हैं।

उद्देश्य: इस संस्था के उद्देश्य इस प्रकार हैं-

- प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के माध्यम से ग्रामीणों को सशक्त बनाना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना।
- डेयरी, मत्स्य पालन, पशुपालन और पशु कल्याण के लिए क्षेत्र में कार्य करना।
- स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को एच.आई.वी. /एड्स, टीबी आदि के बारे में जागरूक करने के साथ-साथ स्वच्छता के महत्व को बताना है।
- ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन की दिशा में कार्य करना है।
- व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से भी युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहन कर उन्हे प्रशिक्षण प्रदान करना।

वित्तीय स्त्रोत:

. नाबार्ड (National Bank for Agriculture and Rural Development)
. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और टाटा ट्रस्ट
. केरिटास इंडिया नई दिल्ली (Caritas India, New Delhi)
. मनोस युनिडा- स्पेन (MANOS UNIDA-SPAIN)
. इंडियन एजुकेशन कलेक्टिव, नई दिल्ली (Indian Education Collective, New Delhi)
. स्वीस लीग ऑफ कैथोलिक वुमेन (Swiss League of Catholic Women)

संचालित कार्यक्रम:

a. **महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना-** महिला किसान परियोजना के अंतर्गत 700 लोगों ने पंजीयन करवाया है जिसमें से बस्तर जिले के बकावण्ड विकास

खण्ड के पांच ग्राम पंचायत टलनार, तारापुर, बनियागांव, उलनार, करीतगांव आते है जिसमें कुल 104 स्वयं सहायता समूह है। इसमें कुल 1053 महिला किसानों द्वारा जैविक खेती के द्वारा कृषि कार्य करने के लिए 311 एकड़ जमीन दिया गया है, जिसमें उगाए जाने वाली सब्जियों को जगदलपुर शहर के हरिहर बाजार में बेचा जाता है।

b. **जीविका -** यह परियोजना आदिवासी समुदायों की आजीविका सुरक्षा हेतु बस्तर जिले के अंतर्गत बकावंड ब्लाक के तीन ग्राम पंचायत तारापुर, टलनार, और उलनार शामिल है जिसमे 350 छोटे और सीमांत किसान शामिल है जो कि कृषि हेतु काफी हद तक मानसून पर ही आश्रित है। ऐसे परिवारों को खाद्य सुरक्षा के साधनों को बढ़ाने के लिए कार्य किया जाता है।

c. **प्रमोशन ऑफ फारमर्स प्रोडयुसर ऑर्गनाइजेशन-** आजीविका के साधनों को बढ़ाने के लिए बस्तर जिले के बकावण्ड ब्लाक किसानों को प्रोत्साहन दिया जाता है। इस परियोजना को नार्बाड से सहायता प्राप्त है। सात सौ किसानों का पंजीयन दो फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गनाइजेशन के तहत 624 शेयर धारकों का एक सहयोगी समूह बनाया गया है।

d. **पेशा हमारा हक-** इस परियोजना का उदेद्श्य आदिवासियों को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए उन्हें उनके मूल अधिकारों से अवगत कराना। यह परियोजना बस्तर जिले के दरभा विकास खण्ड के तीन ग्राम पंचायतों कुकानार, केशापुर और छिन्दबहार शामिल है जिसमें 11 गांव और 892 परिवार जिसमें से 704 अनुसूचित जनजाति और 38 परिवार अन्य पिछड़ा वर्ग के और 150 परिवार अन्य शामिल है।

e. **चाइल्ड फंड इन इंडिया-** इस परियोजना का उदेद्श्य ग्रामीण क्षेत्रों में कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए आंगनबाड़ी के माध्यम से लोगो को जागरूक करना है।

f. **वाटरशेड -** इस परियोजना के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से जल सुरक्षा को सुनिश्चित कर, आदिवासियों के खाद्य सुरक्षा और सामाजिक - आर्थिक स्थिति को सुधारना है।

g. **महिला स्वयं सहायता समूह-** इस परियोजना के अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूह की स्थापना की जाती है और उन्हें प्रशिक्षित कर समूह के माध्यम से रोजगार दिया जाता है। अब तक लगभग 180 स्व सहायता समूह का गठन किया जा चुका है। 170 से अधिक महिलाओं ने बैंक में खाता खुलवाया है। महिलाओं की भागीदारी ग्राम सभाओं में भी होने लगी है।

h. **मनरेगा-एनआरएलएम एंड सीएफटी कंवरजेंश स्ट्रेटेजी-** ग्रामीण आजीविका के साधनों को प्रोत्साहित करना और प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से आजीविका के साधनों को बढ़ाना है।

i. **ग्राम निर्माण -** इसके अंतर्गत बहुत सारे समूह बनाये गये है जैसे- स्वयं सहायता समूह, किसान समूह जो सम्पूर्ण गाँव के विकास को केंद्र में रखकर कार्य कर रहे हैं।

j. **कौशल विकास-** कौशल विकास योजना के अंतर्गत ग्रामीण तथा शहरी बेरोजगार युवाओं को उनके रूचि के अनुसार प्रशिक्षण के माध्यम से उनको प्रशिक्षित कर रोजगार के साधन उपलब्ध कराया जाता है। (Annual report: 2017-2018)

3. **सोसायटी ऑफ़ ट्रायबल वेलफेयर एंड रूरल एजुकेशन (साफ्टवेयर) सोसायटी:** यह संस्था 2008 में छत्तीसगढ़ सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत हुई तथा तब से लेकर आज तक यह बस्तर जिले में ग्रामीण विकास के लिए कार्य रही है।

उद्देश्य: इस संगठन के उद्देश्य निम्न है-

- विशेष रूप से आदिवासी समाज को सशक्त बनाना है।
- स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करना।
- प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग कर स्थायी रूप से आजीविका के साधनों को बढ़ाने का प्रयास करना।
- शिक्षा को बढ़ावा देना।
- महिला स्वयं सहायता समूह और सहकारी समितियों को बढ़ावा देना।

वित्तीय स्रोत: स्वयं के द्वारा तथा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बैंक से लोन के माध्यम से।

संचालित कार्यक्रम: इस सोसाइटी के अंतर्गत अब तक लगभग 400 लोगो को रोजगार प्राप्त हो चुका है। इस संस्था के अंतर्गत निम्न कार्यक्रमों का संचालन सफलतापूर्वक हो रहा है-

a. **मशरूम उत्पादन एवं विक्रय-** मशरूम उत्पादन ग्रामीणों के लिए एक अच्छा रोजगार का साधन है जिसके जरिये बस्तर जिले के पोटानार ग्राम के बहुत से लोगों की आय में वृद्धि हुई।

b. **कैंपेन अगेन ह्यूमन ट्रेफिकिंग-** इस योजना के तहत बस्तर जिले के बकावण्ड के गिरोला ग्राम में लोगों को मानव तस्करी के खिलाफ जागरूक किया जाता है तथा उनके गाँव में ही उपलब्ध रोजगार के साधनों से लोगों को रोजगार करने के लिए प्रोत्साहित तथा उनके संचालन के लिए उचित मार्गदर्शन दिया जाता है।

c. **मोटिवेशनल प्रोग्राम फार रूरल स्टुडेंट-** मोटिवेशनल प्रोग्राम के अंतर्गत बस्तर जिले के विभिन्न ग्रामीण स्कूलों में जाकर बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना एवं विशेषकर बालिकाओं को मासिक धर्म के प्रति जागरूक कर स्वच्छता के महत्व को समझाना है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में अंधिकांश बालिकाएं कक्षा आंठवी एवं नवमीं कक्षा के बाद स्कूल छोड़कर मजदूरी करने लगती है। इस विषय पर बच्चों को परामर्श दिया जाता है।

d. **मां दुर्गा अगरबत्ती उद्योग -** मां दुर्गा अगरबत्ती उद्योग बस्तर के गिरोला ग्राम में संचालित हो रहा है। इस उद्योग से बहुत से ग्रामीण महिलाएं जुड़ी हैं।

5. **मां शारदा लोककला मंच, जगदलपुर:** इस संस्था की स्थापना सन् 2008 में मां शारदा लोक कला मंच के रूप में हुई तथा उसी समय से यह संस्था बस्तर जिले के ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में सफलतापूर्वक कार्य कर रही है।

उद्देश्य:

- कला जत्था के माध्यम से शिक्षा और स्वास्थ्य जागरूकता लाना।
- ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में अधिक से अधिक बच्चों को स्कूल जाने हेतु शिक्षा कला जत्था के माध्यम से देना।
- पारंपरिक कला का संरक्षण और संवर्धन करना।
- पारम्परिक लोक कला की जानकारी के लिए युवा पीढ़ी को प्रशिक्षण देना।
- छत्तीसगढ़ की लोक कलाओं को जीवंतता प्रदान करने के लिए कार्यक्रम बनाना एवं उन्हें लागू करना।
- ग्रामीण इलाकों में उपलब्ध संसाधनों का सही रूप से उपयोग करने की जानकारी देना और लोगों को जागरूक करना ताकि ग्राम में उपस्थित संसाधनों का लोग अधिक से अधिक उपयोग करें एवं आर्थिक रूप से सुदृढ़ बने।
- ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य एवं साफ-सफाई के लिए जागरूक करना। इसके लिए निःशुल्क जनस्वास्थ्य एवं मातृ-शिशु कल्याण कार्यक्रम बनाना एवं उन्हें लागू करना साथ ही नेत्र तथा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करना।

वित्तीय स्रोत:

- नाबार्ड (National Bank for Agriculture and Rural Development)
- इमानुअल हॉस्पिटल ऐसोसियेशन (Emmanuel Hospital Association) नई दिल्ली के सहयोग से संस्था,
- छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (Chhattishgarh Council of Science & Technology) रायपुर।
- महिला एवं बाल विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।

संचालित कार्यक्रम:

a. **डेयरी उद्यमिता विकास कार्यक्रम-** नाबार्ड (National Bank for Agriculture and Rural Development) के सहयोग से संस्था द्वारा डेयरी उद्यमिता कार्यक्रम संचालित है जिसमें संस्था द्वारा गठित अमृत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित कोआपरेटिव सोसायटी को आगे बढ़ाने हेतु अग्रसर है । अमृत कोआपरेटिव सोसायटी को आगे बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन बस्तर द्वारा ग्राम तुरेनार में 10 एकड़ जमीन और मूलभूत सुविधाएँ प्रदान की। पब्लिक - प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में इस परियोजना को तैयार करके इसका नाम श्वेत बस्तर दिया । संस्था द्वारा कोआपरेटिव सोसाइटी के सदस्यों को डेयरी डेवलपमेंट वर्कर, वेक्सीनेसन, चारागाह विकास इत्यादि डेयरी संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता है।
b. **स्वयं सहायता समूह गठन, लिंकेज एवं आजीविका कार्यक्रम:** नाबार्ड (National Bank for Agriculture and Rural Development) के सहयोग से संस्था स्वयं सहायता समूह के गठन का कार्य जनपद पंचायत उसूर एवं भैरमगढ़, जिला बीजापुर, जनपद पंचायत छिंदगढ़, जिला- सुकमा एवं जनपद पंचायत जगदलपुर, जिला- बस्तर में संचालित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में संस्था द्वारा जनपद पंचायत के प्रति महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़कर उन्हें स्व-रोजगारमूलक प्रशिक्षण देकर क्रेडिट लिंकेज एवं आजीविका के मुख्यधारा से जोडती है। अभी तक संस्था द्वारा 600 समूहों का गठन एवं आजीविका प्रशिक्षण देकर समूहों का क्रेडिट लिंकेज करवाया गया है और आजीविका के मुख्य धारा से जोड़ा गया है।
c. **स्वयं सहायता समूह के लिए विकासखंड एवं जिला स्तरीय बैंकर्स सेनसिटाईजशन कार्यक्रम:** नाबार्ड (National Bank for Agriculture and Rural Development) के सहयोग से जिला-बीजापुर, सुकमा और बस्तर में 100

स्वयं सहायता समूह के सदस्यों एवं लीडर्स का क्षमता विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विकासखंड एवं जिला स्तरीय बैंकर्स सेंसिटाईजेशन कार्यक्रम रखा गया जिसमें संबंधित क्षेत्र के बैंक मैनेजर ने आज के समय में समूह का महत्व, बैंक लिंकेज, आजीविका से जुड़ने इत्यादि की पूरी जानकारी दी।

d. **बांस हस्तकला प्रशिक्षण स्व सहायता समूह गठन, लिंकेज एवं आजीविका कार्यक्रम -** मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना (MMKVY) के अंतर्गत जिला कौशल विकास योजना (DSDA) के सहयोग से संस्था द्वारा 500 घंटे का 20 हितग्राहियों को बांस हस्तकला प्रशिक्षण दिया गया जिसमें सभी हितग्राहियों को प्रशिक्षण के बाद प्लेसमेंट करवाया गया और कुछ हितग्राहियों को संस्था के द्वारा बैंक से लोन दिलवाया जिससे वे खुद का स्वरोजगार प्रारम्भ कर सके।

e. **सिलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम -** मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना (MMKVY) के अंतर्गत जिला कौशल विकास योजना (DSDA) के सहयोग से संस्था द्वारा 270 घंटे का 20 हितग्राहियों को सिलाई प्रशिक्षण के अंतर्गत ट्रेड-सेविंग मशीन ऑपरेटर का प्रशिक्षण दिया गया तथा सभी हितग्राहियों को प्रशिक्षण के बाद प्लेसमेंट करवाया गया है। कुछ हितग्राहियों को बैंक से लोन दिलवाया गया जिससे वे स्वयं का स्वरोजगार प्रारम्भ कर सके।

f. **परिवार नियोजन और ट्युबरक्लोसिस जागरूकता कार्यक्रम -** मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और जिला क्षय नियंत्रण अधिकारी दंतेवाड़ा के सहयोग से संस्था द्वारा दंतेवाड़ा जिले के 20 ग्राम पंचायतों में नुकक्ड़ नाटक (कलाजत्था) के माध्यम से परिवार नियोजन और ट्युबरक्लोसिस जागरूकता का जीवत कार्यक्रम किया गया, जिसमें नुक्कड नाटक के माध्यम से टी.बी. बीमारी की जानकारी और रोकथाम की जानकारी दी जाती है।

g. **ट्यूबरक्लोसिस (TB) जागरूकता कार्यक्रम-** इमानुअल हॉस्पिटल एसोसिएशन नई दिल्ली के सहयोग से संस्था द्वारा 2013 से जनपद पंचायत-बास्तानार, जिला - बस्तर में ट्यूबरक्लोसिस जागरूकता कार्यक्रम संचालित कर रही है। इस कार्यक्रम में संस्था द्वारा सभी गाँवों का प्रारम्भिक सर्वे किया जाता है। सर्वे के दौरान टी.बी. के लक्षणों की जानकारी ली जाती है और पॉजिटिव होने की संभावना होने पर कार्यकर्ताओं के माध्यम से स्फुटम् संग्रह करके चिकित्सा महाविद्यालय डिमरापाल तक पहुँचाया जाता है। यदि टी.बी. पाजीटिव निकला तो उसे दवाई मुफ्त में उपलब्ध

करायी जाती है। पीड़ित व्यक्ति यदि कम पढ़ा लिखा है तो उसे गाँव के किसी अन्य सदस्य के माध्यम से दवाई दी जाती हैं। संस्था द्वारा उसे इस कार्य के लिए मानदेय भी दिया जाता है।

h. **अंधविश्वास से बचाव पर जागरूकता कार्यक्रम (नुक्कड़ नाटक के माध्यम से)-** छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद रायपुर के सहयोग से संस्था द्वारा बस्तर जिले के 6 ग्राम पंचायतों में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से अंधविश्वास से बचाव पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से प्रचार प्रसार का जीवंत कार्यक्रम किया जाता है। जिसमें नाटक के माध्यम से अंधविश्वास से बचने की जानकारी एवं रोकथाम की जानकारी दी जाती है। (Annual report: 2017-2018)

6. **सृजन सामाजिक संस्था:** सृजन सामाजिक संस्था का पंजीयन वर्ष 2000 में सामाजिक जन चेतना जागृत करने के उद्देश्य से हुआ।

उद्देश्य: सृजन सामाजिक संस्था का मुख्य उद्देश्य गुमशुदा बच्चे, शोषित बच्चे, घर से भागे हुए बच्चे जिन्हें इलाज की जरूरत पड़ती है ऐसे बच्चों की देखभाल एवं पुनर्वास करना है।

वित्तीय स्रोत: महिला एवं बाल विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अनुदान।

संचालित कार्यक्रम:

a. बालिका गृह, जगदलपुर
b. बालगृह, दंतेवाड़ा
c. चाइल्ड लाइन, राजनांदगांव
d. आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र, दंतेवाडा

7. **बस्तर सामाजिक जन विकास समिति:** महिलाओं एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास, स्वास्थ्य एवं शिक्षा के साथ सामाजिक उत्थान के लक्ष्य को केन्द्रित करते हुए वर्ष 2003 में बस्तर सामाजिक जन विकास समिति की स्थापना की गई।

उद्देश्य: वृक्षारोपण के माध्यम से पर्यावरण को नुकसान से बचाना तथा जैविक कृषि को प्रोत्साहित करना साथ ही स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को एड्स जैसी भयावह बीमारी के बारे में जानकारी प्रदान करना और महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है।

वित्तीय स्रोत

- **a.** छत्तीसगढ़ राज्य एड्स नियंत्रण समिति, रायपुर।
- **b.** एफ0 वी0 टी0 आर0 एस0 (Functional Vocational Training and Research Society) बैंगलोर।
- **c.** माइक्रो स्माल एंड मिडिल इंटरप्राइजेज, नई दिल्ली।
- **d.** चाइल्ड इंडिया फाउंडेशन, मुंबई।
- **e.** एन0एम0डी0सी0, दंतेवाड़ा ।
- **f.** महिला एवं बाल विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
- **g.** समाज कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
- **h.** स्वास्थ्य विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
- **i.** ग्रामीण एवं पंचायत विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
- **j.** पुलिस विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।

संचालित कार्यक्रम:

- **a.** पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से संस्था द्वारा वर्ष 2018-2019 में 5000 पौधों का रोपण किया गया तथा जन सहयोग एवं जागरूक लोगों कि सक्रिय भागीदारी के माध्यम से प्रतिवर्ष इस तरह के कार्यों को गति इस संस्था के द्वारा दी जा रही हैं ।
- **b.** कृषि के क्षेत्र में जैविक कृषि को प्रोत्साहन हेतु कार्य कर रही है।
- **c.** स्वास्थ्य के क्षेत्र में कम कीमत या कम दरों पर विशेष स्वास्थ्य सुविधाओं को ग्रामीणों तक पहुंचाने का कार्य कर रहीं है साथ ही उन्हें स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कर रहीं है।

8 . बस्तर विकलांग सेवा समिति: बस्तर विकलांग सेवा समिति का पंजीयन वर्ष 2001 में विकलांग बच्चों के विकास के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अंतर्गत किया गया था। पूर्व में इस संस्था ने बस्तर जिले के तीन विकास खण्डों में जागरूकता कार्यक्रम संचालित किये थे किन्तु अब इसके कार्य क्षेत्र का विस्तार हुआ हैं।

उद्देश्य:

- मानसिक स्वास्थ्य एवं अन्य विकलांगता के क्षेत्र में मानव संसाधन विकसित करना।

- विकलांगों की रोकथाम तथा प्रारंभिक पहचान के आधार पर सुधार करने का प्रयास करना।
- प्रभावित व्यक्तियों को सशक्त बनाना तथा उनके पुनर्वास के लिए काम करना।

वित्तीय स्रोत: सरकारी अनुदान, डोनेशन एवं जन विकास समिति, वाराणसी तथा चाइल्ड मेंटेनेंस, केरल द्वारा सहायता प्राप्त है।

संचालित कार्यक्रम:

a. विकलांग बच्चों का पुनर्वास
b. बाधा रहित वातावरण
c. कक्षांतर्गत स्वास्थ्य चिकित्सा आदि।

9 . अर्शिल शिक्षण व प्रशिक्षण वेलफेयर सोसायटी: इस संस्था की स्थापना सन् 2005 में अर्शिल शिक्षण व प्रशिक्षण वेलफेयर सोसायटी के नाम से हुई हैं तथा तब से यह संस्था बस्तर जिले के ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में सफलतापूर्वक कार्य कर रही है।

उद्देश्य: कौशल विकास के माध्यम से जरूरतमंदों को रोजगार मुलक प्रशिक्षण प्रदान करना एवं स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता के साथ महिला सेक्स वर्कर्स के पुनर्वास का कार्य करना।

वित्तीय स्रोत:

a. महिला एवं बाल विकास विभाग ।
b. छत्तीसगढ़ राज्य एड्स नियंत्रण समिति, रायपुर।
c. प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीण।
d. व्यक्तिगत दान

संचालित कार्यक्रम:

a. घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के अंतर्गत महिलाओं का संरक्षण - इस कार्यक्रम के अंतर्गत घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना तथा उन्हें न्याय दिलाने का प्रयास करना तथा उन्हें रोजगार उपलब्ध कराना।

b. प्रधानमंत्री आवास योजना - इसके अंतर्गत बस्तर जिले में 70 आवास निर्माण के साथ 350 लोगों को प्रशिक्षित करना, नारायणपुर जिले में 40 आवास निर्माण

के साथ 200 लोगों को प्रशिक्षण देना एवं कांकेर में भी 70 आवास निर्माण के साथ 370 लोगों को प्रशिक्षित कर रोजगार उपलब्ध कराने का कार्य किया गया है।

c. **एड्स नियंत्रण कार्यक्रम -** यह कार्यक्रम राज्य एड्स नियंत्रण समिति, रायपुर द्वारा संचालित है जिसके अंतर्गत लगभग 1300 महिला सेक्स वर्करों पर कार्य किया जा रहा है। इसमें प्रत्येक महिलाओं को वर्ष में चार बार स्वास्थ्य जांच जैसे - सिफलिस, गोनोरिया, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन और एच0 आइ0 वी0 की भी जाँच करायी जाती है एवं संबंधित महिला सेक्स वर्कर्स को मुफ्त में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जाती है।

d. **बंधुआ मजदूर उन्मूलन कार्यक्रम-** इस कार्यक्रम के द्वारा राज्य से बाहर गये हुए मजदूरों एवं राज्य में ही कम उम्र के बाल मजदूरों को वापस लाने तथा उनके शिक्षा व पुनर्वास का कार्य करना है।

e. **कौशल विकास योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम-** इस योजना के अंतर्गत जिले में कम पढे लिखे बेरोजगारों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण प्रदान करना जैसे- महिलाओं के लिए मुख्यतः ब्यूटीशियन, सिलाई प्रशिक्षण, कम्प्यूटर प्रशिक्षण, पुरुषों के लिए मुख्यतः राजमिस्त्री, ड्रायवर कम मैकेनिक आदि प्रशिक्षण उपलब्ध कराना है।

10. चेतना चाइल्ड एवं वुमेन वेलफेयर सोसायटी: इस संस्था का पंजीयन सन् 2004 में चेतना चाइल्ड एवं वुमेन वेलफेयर सोसायटी के रूप में हुआ। अपनी स्थापना के समय से ही यह संस्था बस्तर जिले के ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में लोगों के जीवन को सुगम बनाने के लिए कार्यरत है।

उद्देश्य: बच्चों के स्वास्थ्य एवं विशेषकर एड्स से पीड़ित महिलाओं को जागरूक करना तथा महिला स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करना है।

वित्तीय स्रोत:

a. छत्तीसगढ़ राज्य एड्स नियंत्रण समिति, रायपुर।
b. युनिसेफ।
c. चाइल्ड लाइन
d. ग्लोबल एलांइस अगेंस्ट ट्रैफिकिंग ऑफ वीमेन।
e. महिला बाल विकास छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।

f. श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
g. स्वास्थ्य विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
h. शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर। ।

संचालित कार्यक्रम

a. **लक्ष्यगत हस्तक्षेप परियोजना-** इस परियोजना के अंतर्गत ऐसे लोग जो एच0आई0वी0 फैलाने में मदद करते है जैसे - महिला सेक्स वर्कर्स, ट्रांसजेंडर, समलैंगिक इनको जागरूक करना तथा समय - समय पर शारीरिक जांच करवाया जाता है इसके साथ-साथ लोगों को कंडोम की जानकारी देना तथा पीड़ितों को उसके उपचार के लिए शासन की सेवाओं को उपलब्ध कराना है।

b. **चाइल्ड लाइन 1098 -** इस परियोजना के अंतर्गत विशेषकर घुमंतू बच्चे, अनाथ बच्चों को स्वयं सेवकों के माध्यम से उनके परिवारों तक पहुँचाने तथा उनको सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

c. **बचपन बचाओ आंदोलन -** इस योजना पर अभी प्रायोगिक कार्य किया जा रहा है। इस अभियान में 18 वर्ष से कम आयु के ऐसे बच्चों को खोजना है जिनको किसी कारण से शिक्षा नहीं मिल पाई है।

11. सेवा भारती मातृछाया, शिशु गृह पंजीयन: वर्ष 2017 में शिशु गृह छोड़े गए बच्चों के पुनर्वास के लिए इस संस्था की स्थापना की गई।

उद्देश्य: इस संस्था का विशेष उद्देश्य अनाथ बच्चों, छोडे गये बच्चे तथा सरेंडर बच्चों के पुनर्वास एवं उनके उत्थान है।

वित्तीय स्रोत:

a. महिला विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
b. सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी (Central Adoption Resource Authority)
c. स्टेट एडाप्शन रिशोर्स ऑथोरिटी (State Adoption Resourse Authority) छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।

संचालित कार्यक्रम

a. अनाथ बच्चों का पुनर्वास - इस परियोजना के अंतर्गत अनाथ बच्चों को यदि कोई अभिभावक गोद लेना चाहते है तो वे कानूनी रूप से इस संस्था में आवेदन देकर बच्चा गोद ले सकता है।

12. देवी गायत्री शिक्षण संस्थान: इस संस्था की स्थापना वर्ष 2010 में हुई है तथा तब से आज तक यह संस्था बाल विकास पर कार्य कर रहीं है।

उद्देश्य: गरीब तबके के बच्चों, नक्सली हिंसा से पीड़ित व अन्य जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा प्रदान करना है जिससे वह स्वावलंबी बन सकें।

वित्तीय स्रोत:

a. महिला विकास विभाग छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
b. बाल कल्याण समिति।
c. जन सहयोग के माध्यम से।

संचालित कार्यक्रम:

a. **गरीब व अनाथ बच्चों का पुनर्वास -** इस परियोजना के अंतर्गत अनाथ बच्चों को गोद लेकर उनकी शिक्षा व उन्हें रोजगार के साधन उपलब्ध कराया जाता है।
b. **गौशाला का निर्माण -** गौशाला निर्माण के माध्यम से अच्छी नस्ल की गायों का पालन कर दुध का उत्पादन करना तथा गोबर गैस के उपयोग को बढ़वा देना है।
c. **वृक्षारोपण -** वृक्षारोपण के माध्यम से फलदार पेड़-पौधों को लगाकर फल व सब्जियों का उत्पादन जैविक खेती के माध्यम से करना है और आय अर्जित करना।
d. **रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण -** आश्रम में निवासरत बच्चों को शिक्षित करने के साथ-साथ उन्हें रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें लघु व्यवसाय के लिए प्रेरित करना व आत्मनिर्भर बनाना है।

निष्कर्ष

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् सरकार द्वारा जनजातियों और ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान के लिए बहुत से नियमों को बनाया गया किंतु उन नियमों का संचालन और उसको सुचारू रूप से सरकार को चलाने के लिए संसाधनों की आवश्यकता थी किंतु सरकारी उपक्रमों द्वारा कार्यक्रमों का संचालन सही ढंग से नहीं होने के कारण गैर सरकारी संगठनों की

आवश्कता महसूस की गई। 1960-70 के दशक से गैर सरकारी संगठनों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही हैं तथा कमजोर और हाशिये पर स्थित समुदाय के विकास में ये संगठन वृहत्तर भूमिका निभा रहे हैं।

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि बस्तर जिले में जनजातीय विकास में गैर सरकारी संगठन की अहम भूमिका है जिसके माध्यम से अंतिम व्यक्ति तक विकास को पहुँचाया जा सकता है। गैर सरकारी संगठन केन्द्र और राज्य सरकार के विभिन्न संस्थाओं एवं मंत्रालयों के साथ समन्वय स्थापित कर स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, कृषि, जनजातीय विकास पर कार्य कर रहे है। कुछ क्षेत्रों में इनके द्वारा किये गये प्रयास एवं परिणाम सकारात्मक है अतः आवश्यकता है कि सरकार द्वारा इन गैर सरकारी संगठनों द्वारा किये जा रहे कार्यों का विस्तारपूर्वक सतत मूल्यांकन हो जिसे ऐसी संस्थाओं के प्रयास एवं शासन के साथ समन्वय होने से बस्तर के जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों का विकास होगा।

क्र0	एन0जी0ओ0 का नाम	पंजीयन वर्ष	पता	अध्यक्ष /सचिव का नाम	कार्यरत कर्मचारियों की संख्या	विशेष क्षेत्र में कार्य	लाभांवितों की संख्या
1	बस्तर सेवक मंडल	1973	आडावाल, जगदलपुर	जोसेफ मैपारापल्लीय	40	आदिवासी क्षेत्रों में बच्चों के स्वास्थ्य एवं महिलाओं एवं पुरुषों को रोजगार के लिए प्रेरित करना एवं उनको रोजगार उपलब्ध कराना।	35,000
2	महात्मा गांधी महिला एवं बाल कल्याण संस्थान	1972	हिकमी पारा, जगदलपुर, बस्तर	सुश्री के0एम0नायडु	30	महिला सशक्तिकरण एवं निराश्रित बालक /बालिकाओं का पुनर्वास ।	20,000
3	सोसायटी ऑफ़ ट्रायबल वेलफेयर एंड रूरल एजुकेशन (सॉफ्टवेयर) सोसायटी	2008	महावीर नगर, धरमपुरा	के.श्रीधर	10	आदिवासी महिलाओं को जागरूक कर उन्हें स्वयं के व्यवसाय के लिए प्रेरित करना।	400
4	मां शारदा लोककला मंच जगदलपुर	2008	एक्सिस बैंक के सामने	मिनेश पानीग्राही	50	कला जत्था के माध्यम से लोगों को एड्स एवं टी0बी0 बीमारियों के प्रति जागरूक करना तथा स्व-सहायता समूह के माध्यम से लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना।	3000
5	सृजन सामाजिक संस्था	2000	धरमपुरा-1	श्री शरद श्रीवास्तव	11	महिला एवं बच्चों के कल्याण, ग्रामीण विकास।	399

6	बस्तर सामाजिक जनविकास समिति	2003	तेतरखुटी अघनपुर, जगदलपुर	श्रीमती बिमला वर्मा	62	महिलाओं एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास, , स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर बल	20,000
7	बस्तर विकलांग सेवा समिति	2001	अघन पुर	सिस्टर बेस्टी	20	विकलांग बच्चों का पुनर्वास एवं उन्हें बाधा रहित वातावरण प्रदान करना	(बालक-41 बालिका-34)
8	अर्शिल शिक्षण व प्रशिक्षण वेलफेयर सोसायटी	2003	एक्सिस बैंक के सामने जगदलपुर	ललिता धुर्वे	55	महिलाओं एवं बच्चों के रोजगार, महिलाओं का पुनर्वास, घरेलू हिंसा के क्षेत्र में	7000
9	चेतना चाइल्ड एवं वुमेन वेलफेयर सोसायटी	2004	सी0एम0 ऑफिस के सामने	वंदना खरे	24	विशेषकर महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्यरत	2000
10	सेवा भारती मातृछाया		सेवा भारती मातृछाया		सेवा भारती मातृछाया		सेवा भारती मातृछाया
11	देवी गायत्री शिक्षण संस्थान	2010	तितिरगांव	टी0 के0 शर्मा	15	नक्सली हिंसा से पीड़ित व अन्य जरूरतमंद बच्चों को शिक्षित एवं उनका पुनर्वास करना।	22

संदर्भ सूची

Annual report (2017-2018): Bastar Sevak Mandal Jagdalpur.

अरूण गोपाल, एवं अन्य (2017). *स्वयं सेवी संगठनों का गठन एवं प्रंबधन, समाज कार्य स्नातक पाठ्यक्रम सामुदायिक नेतृत्व,* महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट.

उपाध्याय, वी. के., एवं शर्मा, वी. पी. (2007). *भारत की जनजातिय संस्कृति.* भोपाल: मध्यप्रदेश हिंदी ग्रन्थ अकादमी.

कपूर, अ. के., एंड सिंह, ध. (1997). *रूरल डेवलमेन्ट थ्रू एन.जी.ओ.* जयपुर: रावत पब्लिकेशन्स.

कृष्णमूर्ति, वी. (1982). *वालन्टरी एजेन्सीज एण्ड रूरल डेवलपमेन्ट.* नयी दिल्ली: कुरूक्षेत्र.

कौली, एस. आर. (2011). *योजना,* गैर सरकारी संगठन विकास को समर्पित मासिक पत्रिका.

खेतान, एन. (2003). *स्वयं सेवी संस्थाएं: कुछ मुद्दे.* जयपुर: मूलप्रश्न.

गुप्ता, एवं दाधीच (2004). *गैर-सरकारी संगठन एवं ग्रामीण विकास.* हैदराबाद: ग्रामीण विकास समीक्षा.

दुबे, एस. सी. (1969). *मानव और संस्कृति (द्वितीय संस्करण).* दिल्ली: राजकमल प्रकाशन.

दोषी, एम. एल. (2009). *समकालीन मानवशास्त्र.* जयपुर: रावत पब्लिकेशन.

बेत्तेई, ए. (2003). *नागरिक समाज और स्वैच्छिक संगठन.* जयपुर: मूलप्रश्न.

मिश्रा, आर. (2008). *वालन्टरी सेक्टर एण्ड रूरल डेवलपमेन्ट.* जयपुर: रावत पब्लिकेशन.

राजशेखर, डी. (1999). *डिसेण्ट्रलाइज्ड गवर्नमेन्ट एण्ड एन.जी.ओ.* नई दिल्ली: कान्सेप्ट पब्लिशिंग कम्पनी.

Retrieved from web http://hi.vikaspedia.in/social-welfare//-गैर-सरकारी संगठनों का संचालन तथा प्रबंधन

Retrieved from web http://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/134763/8/08_chapter%201.pdf

Retrieved from web https://cmcldp.org/userfiles/Formation%20&%20Management%20of%20Voluntary%20Organizations.pdf

Retrieved from web https://hi.wikipedia.org/wiki/

Retrieved from web https://hindi.mapsofindia.com/my-india/ngos-and-rural- development-in-india/

वार्षिक प्रतिवेदन (2017, 2018). मां शारदा लोककला मंच, जगदलपुर.

श्रीवास्तव, ए. आर. एन.(2002). *जनजातीय संस्कृति*. भोपाल: मध्यप्रदेश हिंदी ग्रन्थ अकादमी.

हसनैन, एन., एवं दीक्षित, ए. (2007). *सामान्य मानव शास्त्र*. नई दिल्ली: जवाहर पब्लिशर्स एडं डिस्ट्रीब्युटर्स.

उत्तरी हिन्द महासागर में अत्यधिक चक्रवातों के आने के कारणों का विश्लेषणात्मक अध्ययन

विक्रम प्रताप सिंह

सारांश:

पृथ्वी की जलवायु की संरचना काफ़ी जटिल है जिसका पूर्वानुमान लगाना बहुत मुश्किल कार्य है। यह एक रेखीय समीकरण न होकर कई कारकों एवं घटकों द्वारा संचालित होती है, जिसमें समुद्र-वायुमंडल सहलग्नता का महत्वपूर्ण योगदान है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, विशेषत: हिन्द महासागर का उत्तरी भाग, चक्रवात गठन का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है। अपनी भौगोलिक स्थिति और चारों तरफ फैले महाद्वीपों के कारण यहाँ की जलवायु बड़ी ही अनियमित होती है, जिससे यहाँ आने वाले चक्रवातों का अनुमान लगा पाना बड़ा कठिन होता है। यद्यपि पिछले कुछ दशकों से वैज्ञानिकों द्वारा चक्रवात गठन और उत्कटता की प्रक्रिया को विस्तार में समझा जाने लगा है, तथापि उनके बारे में पूरी तरह से सही भविष्यवाणी कर पाना अभी भी संभव नहीं है। यह आलेख हिन्द महासागर क्षेत्र में चक्रवातों के गठन और पिछले कुछ वर्षों में आये चक्रवाती तूफानों के सन्दर्भ में चर्चा एवं कारण जानने का एक प्रयास है।

चक्रवाती तूफ़ान एक प्राकृतिक आपदा हैं जिनसे जान-माल का भारी नुक़सान होता है। उत्तरी अमेरिका की अंतरिक्ष संस्था "नासा" के अनुसार उष्णकटिबंधीय चक्रवात सबसे उग्र मौसमीय घटनाओं में से एक हैं। प्रतिवर्ष लगभग आधा दर्ज़न से भी अधिक चक्रवात उत्तरी हिन्द महासागर में उत्पन्न होते हैं जो कि म्यांमार, बांग्लादेश, भारत और श्रीलंका की तटीय सीमाओं को प्रभावित करते हैं। बंगाल की खाड़ी, पूर्वोत्तर हिन्द महासागर में स्थित विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है, जिसके तटीय क्षेत्रों में लगभग पचास करोड़ से भी अधिक जनसख्या निवास करती है। पिछले कुछ दशकों से अरब सागर की तुलना में बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफ़ानों की बहुलता एक आम घटना हो गयी है। सैद्धांतिक रूप से, चक्रवात एक निम्न वायु दाब वाले क्षेत्र के चारों तरफ़ तेज़ गति की हवाओं के घूमने के कारण उत्पन्न होते हैं (Lal, 2018)। अक्सर यह महासागरों के उष्णकटिबंधीय भाग में गर्म जल सतह पर निम्न दबाव के कारण बनते हैं। जल की अधिक विशिष्ट ऊष्मा के चलते, यह निम्न दबाव का क्षेत्र काफ़ी लम्बे समय तक बना रहता है, जिसके फलस्वरूप चक्रवाती तूफ़ान अक्सर लम्बे अंतराल तक स्थित रहते और उग्र होते जाते हैं।

अरब सागर की तुलना में, बंगाल की खाड़ी में अधिक चक्रवाती तूफान आते हैं। इन दोनों सागरों के तुलनात्मक अध्ययन से यह विदित हुआ है की अरब सागर की लवणता और सतही जल का तापमान बंगाल की खाड़ी से क्रमशः उच्च एवं निम्न हैं (Jaswal et al., 2012; Roman Stork et al., 2020)। भारत की प्रमुख बड़ी नदियाँ, उदाहरणार्थ गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, कृष्णा, ईरावदी, महानदी, गोदावरी इत्यादि अपने अलवण जल को भारी मात्रा में बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित करती हैं, जबकि इसकी तुलना में अरब सागर में बहुत ही कम मात्रा में अलवण जल का प्रवाह होता है। इसके फ़लस्वरूप बंगाल की खाड़ी की सतही लवणता अरब सागर से काफ़ी कम हो जाती है।

मानसूनी हवाओं का सागर के सतही जल के तापमान को नियंत्रित करने में बड़ा योगदान है। गर्मी के मौसम में भूखण्ड अपनी कम विशिष्ट ऊष्मा के कारण साग़र से जल्दी गर्म होते हैं। इसके परिणामस्वरूप सागर के ऊपर उच्च वायु दाब का क्षेत्र और भूखण्ड के ऊपर निम्न वायु दाब का क्षेत्र निर्मित होता है। हवा के बहाव की दिशा उच्च दाब से निम्न दाब क्षेत्र की तरफ़ होने के कारण ग्रीष्म कालीन मानसूनी हवाएँ दक्षिण-पश्चिम से उत्तर-पूर्व की ओर बहती हैं। मानसूनी हवाओं के प्रवाह के फ़लस्वरूप अरब सागर के सतह के जल का विस्थापन होता है और गहरे साग़र का ठंडा जल ऊपर आता है, जिसे "अपवेलिंग" कहा जाता है (Tudhope et al., 1996), जिसके परिणामस्वरुप सतह का तापमान काफ़ी कम हो जाता है। सतही तापमान के गिरने से अरब सागर के ऊपर उच्च वायु दाब का क्षेत्र बन जाता है। इसके विपरीत, बंगाल की खाड़ी में ऐसी प्रकिया न होने के कारण वहाँ का सतही जल तापमान अरब सागर की तुलना में अधिक होता है। यद्यपि यह दोनों साग़र एक ही अक्षांश पर होने के कारण समान सूर्यातप पाते हैं, तथापि बंगाल की खाड़ी का सतही जल का तापमान 28 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक और सापेक्षिक आर्द्रता उच्च होते हैं। परिणामस्वरूप बंगाल की खाड़ी में निम्न वायु दाब का क्षेत्र बन जाता है और यहाँ चक्रवाती तूफ़ानों की उत्पत्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ बन जाती हैं (चित्र सं. 1)।

वर्ष 2019 चक्रवाती तूफ़ानों के अनुसार अतिक्रियाशील था, जिसमें उत्तरी हिन्द महासागर एवं निकटवर्ती सागरों में 9 चक्रवाती तूफ़ानों को दर्ज़ किया गया (www.downtoearth.org.in; www.weather.comenIN) जिनका उल्लेख तालिका 1 में किया गया है।

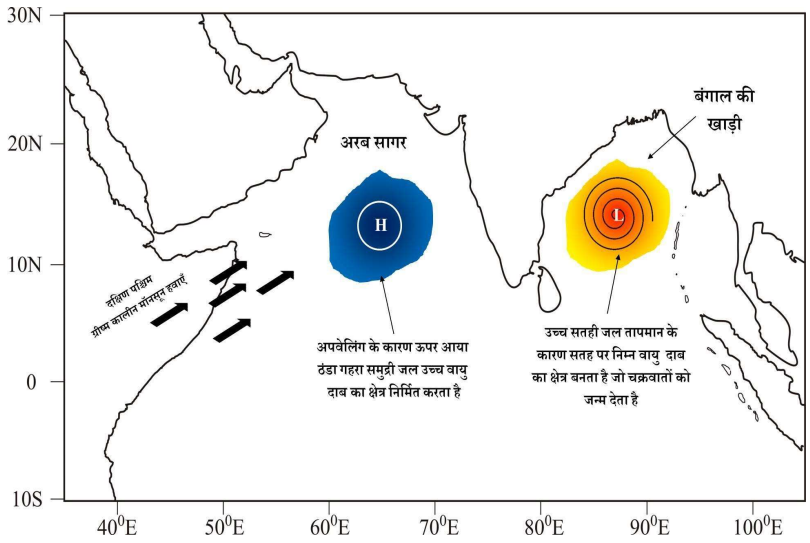

चित्र सँ. 1- चक्रवात के जनन में मानसूनी हवाओं का योगदान

(उत्तरी हिन्द महासागर का मानचित्र पैमाने के अनुरूप नहीं है, इसका प्रयोग केवल अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की स्थिति दिखाने के लिए किया गया है)

तालिका 1. वर्ष 2019 में उत्तरी हिन्द महासागर में आये हुए चक्रवाती तूफ़ान

क्र. सं.	नाम	वर्गीकरण	निरंतर वायु वेग	प्रभावित क्षेत्र
1	***पाबुक़*** *(4-7 जनवरी)*	चक्रवाती तूफ़ान	85 किमी प्रति घंटा	थाईलैंड, म्यांमार, अंडमान द्वीप समूह
2	***फ़ोनी*** *(26 अप्रैल-4 मई)*	अत्यधिक गंभीर चक्रवाती तूफ़ान	215 किमी प्रति घंटा	सुमात्रा, निकोबार द्वीप समूह, श्रीलंका, पूर्वी भारत, बांग्लादेश, भूटान
3	***वायु*** *(10-17 जून)*	गंभीर चक्रवाती तूफ़ान	150 किमी प्रति घंटा	उत्तरी मालदीव, पश्चिमी भारत, दक्षिणी पाकिस्तान, पूर्वी ओमान
4	***बॉब-03*** *(6-11 अगस्त)*	चक्रवाती डिप्रेशन	55 किमी प्रति घंटा	पूर्वी भारत, बांग्लादेश
5	***हिक्का***	गंभीर चक्रवाती तूफ़ान	140 किमी प्रति घंटा	पश्चिमी भारत, ओमान, सऊदी अरब, यमन

	(22-25 सितम्बर)			
6	***क्यार*** *(24 अक्टूबर-1 नवंबर)*	अत्यधिक गंभीर चक्रवाती तूफान	240 किमी प्रति घंटा	पश्चिमी भारत, ओमान, यमन, सोमालिया
7	***महा*** *(30 अक्टूबर-7 नवंबर)*	अति गंभीर चक्रवाती तूफान	185 किमी प्रति घंटा	श्रीलंका, मालदीव, दक्षिण एवं पश्चिमी भारत, ओमान
8	***बुलबुल*** *(6-11 नवंबर)*	गंभीर चक्रवाती तूफान	140 किमी प्रति घंटा	म्यांमार, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पूर्वी भारत, बांग्लादेश
9	***पवन*** *(2-7 दिसंबर)*	चक्रवाती तूफ़ान	75 किमी प्रति घंटा	सोमालिया

(स्रोत: www.wikipedia.org)

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के तथ्यों के अनुसार, वर्ष 2019 में आये चक्रवाती तूफानों में से पाँच अरब सागर के ऊपर बने थे, जो पिछले 117 वर्षों में पहली बार हुआ (https://www.hindustantimes.com)। जून में आये 'वायु' और सितम्बर में आये 'हिक्का' तूफ़ानों को गंभीर चक्रवाती तूफ़ानों की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया था, जिन्होंने क्रमशः गुजरात और ओमान के तटीय क्षेत्रों में क्षति पहुँचायी थी। अक्टूबर के अंत में अरब सागर के ऊपर बने 'क्यार' और 'महा' चक्रवातों ने सोमालिया तट पर काफ़ी तबाही मचाई थी| दिसंबर में अरब सागर के ऊपर बने चक्रवात 'पवन' ने एक निम्न वायु दाब क्षेत्र का रूप लेकर सोमालिया और उसके आस-पास के इलाकों में भारी वर्षा कराई थी।

वर्ष 2007 में अरब सागर के ऊपर बना उष्णकटिबंधीय चक्रवात 'गोनू' पिछले कई वर्षों में सबसे अधिक शक्तिशाली चक्रवाती तूफ़ान था। लगभग 240 किमी प्रति घंटा के वेग से चलने वाली हवाओं और साथ में हो रही वृष्टि के कारण पूर्वी ओमान के निचले इलाकों में 50 व्यक्तिओं की मृत्यु हो गयी थी तथा लगभग 4.2 अरब डॉलर का आर्थिक नुक़सान हुआ था। यह ओमान की अब तक की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा थी। हालाँकि 2017 में आये चक्रवात 'ओखी' की तीव्रता 'गोनू' से कम थी, फिर भी इसमें भारत और श्रीलंका में कुल मिलाकर 270 लोगों की मृत्यु हुई थी। 'ओखी' एक असामान्य चक्रवात था, जो दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती अवसाद (डिप्रेशन) के रूप

में उत्पन्न हुआ था (https://earthobservatory.nasa.gov), परन्तु सिर्फ 6 घंटों के अंतराल में यह एक तीव्र तूफ़ान में बदल गया और दक्षिणावर्त घूमकर इसने अरब सागर के तटीय राज्यों केरल, तमिलनाडु और गुजरात में भयंकर तबाही मचायी थी (https://www.dailypioneer.com)। यह भारत की पश्चिमी तटरेखा से टकराने वाले सबसे गंभीर चक्रवाती तूफ़ानों में एक था (https://www.hindustantimes.com)।

वर्ष 2020 में भी अब तक आये दो बड़े चक्रवाती तूफ़ान 'अम्फान' और 'निसर्ग' तबाही मचा चुके हैं। चक्रवात अम्फान (16-21 मई) को अत्यधिक गंभीर चक्रवाती तूफान की श्रेणी में रखा गया था (https://www.wikipedia.org)। 240 किमी प्रति घंटा के निरंतर वायु वेग से चलते हुए इसने श्रीलंका, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बांग्लादेश और भूटान में लगभग 13.6 अरब डॉलर और 128 लोगों की जान का नुकसान किया था। 110 किमी प्रति घंटा के वायु वेग से चलने वाला चक्रवात निसर्ग (1-4 जून) भी एक गंभीर चक्रवाती तूफान था। महाराष्ट्र और गोवा में इसने 665 करोड़ डॉलर की क्षति पहुँचाई थी और 6 लोगों की मृत्यु हुई थी। वर्ष 2020 का उत्तरी हिन्द महासागर का चक्रवाती तूफ़ानों का मौसम अभी समाप्त नहीं हुआ है और निकट भविष्य में हमें और भी ऐसी घटनाएँ देखने को मिल सकती हैं। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है की अक्टूबर माह के बाद, जबकि ग्रीष्मकालीन मानसून की अवधि समाप्त हो जाती है, अरब सागर में चक्रवाती तूफ़ान का बनना एक दुर्लभ घटना है। ऐसे में उपर्युक्त वर्णित चक्रवाती तूफ़ानों का आना असामान्य घटना है। इन तूफानों के लिए अब तक के सबसे प्रबल कारक, हिन्द महासागर द्विध्रुव (*इंडियन ओशन डाइपोल*) को उत्तरदायी माना जाता है (Zhou et al., 2019)। हिन्द महासागर द्विध्रुव (इंडियन ओशन डाइपोल) एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पश्चिमी हिन्द महासागर का सतही जल तापमान उत्तरी हिन्द महासागर के तापमान से कभी अधिक (सकारात्मक चरण) और कभी कम (नकारात्मक चरण) हो जाता है। सकारात्मक चरण में अरब सागर का सतही तापमान भी असामान्य रूप से बढ़ जाता है, जिसके कारण चक्रवाती तूफ़ानों के बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। हालाँकि अरब सागर में उठने वाले ज़्यादातर चक्रवाती तूफ़ान तेज़ पवन अपरूपण एवं कम तापमान के तटीय जल के कारण अधिक तीव्रता के नहीं होते।

तुलनात्मक रूप से, बंगाल की खाड़ी को चक्रवातों का बड़ा केंद्र माना गया है जहाँ अत्यधिक भयंकर तूफ़ान आते हैं। तथ्यों के अनुसार हर दस घातक उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में से आठ बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होते हैं। वर्ष 1999 में ओडिशा में आया चक्रवात, जिसे "सुपर साइक्लोन" की संज्ञा दी गयी थी, पिछले 120 वर्षों में भारत का

सबसे तीव्र और भयंकर तूफ़ान था (Fanchiotti et al., 2020)। यही नहीं, इसे वैश्विक रूप से भी सबसे तीव्र और भयंकर तूफ़ानों की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है। पारादीप तट से टकराने के 36 घंटों बाद भी प्रचंड निम्न वायु दाब के कारण इसकी विनाशकारी क्षमता, लगभग 250 किमी प्रति घंटे के वायु वेग के चलते, बहुत ही ज़्यादा थी, इतनी कि तूफ़ान की वजह से समुद्र में 40 फ़ीट ऊँची लहरें उठीं, जो दस हज़ार लोगों और एक लाख पशुधन की मृत्यु का कारण बनी। मई 2008 में म्यांमार में आये अत्यधिक गंभीर चक्रवाती तूफ़ान 'नर्गिस' ने वहाँ बहुत ही ज़्यादा तबाही मचाई थी। अभिलेखों के अनुसार, यह म्यांमार में सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा थी, जिसमें एक लाख चालीस हज़ार लोगों की मृत्यु हो गयी थी।

2019 में बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवात 'फ़ोनी' ने खाड़ी से नमी को इकट्ठा किया और अत्यधिक गंभीर चक्रवाती तूफ़ान में बदलकर पुरी (ओडिशा) के तट से टकराया। चक्रवात 'फ़ोनी' अजीबोग़रीब ढंग से व्यवहार करते हुए लगातार अपनी दिशा बदल रहा था और अंतिम पड़ाव में अपनी गति को बढ़ाते हुए निर्धारित समय से पहले ही तट से जा टकराया। 1999 के सुपर साइक्लोन के बाद यह दूसरा सबसे ख़तरनाक चक्रवात था, जिसमें 210 किमी प्रति घंटे की रफ़्तार से चलती हवाओं ने ओडिशा राज्य के 14 ज़िलों में तबाही मचाई। इस तूफ़ान ने 41 लोगों और लगभग 22 लाख मवेशियों की जान ली (www.wikipedia.org)। पिछले दिनों, पश्चिम बंगाल को प्रभावित करने वाला चक्रवात 'अम्फान', लगभग 100 वर्षों में वहाँ का सबसे भयंकर तूफ़ान था, जिसने 80 लोगों की जान ली और हज़ारों को बेघर कर दिया। पश्चिम बंगाल से टकराने से पूर्व, इसने ओडिशा के बालेश्वर, भद्रक और केंद्रापड़ा जनपदों में भी काफी तबाही मचाई थी। बंगाल की खाड़ी के तटीय इलाक़े 'हुदहुद', 'फैलिन', 'तितली', 'बुलबुल' और 'अम्फान' जैसे चक्रवाती तूफ़ानों से अक्सर प्रभावित होते रहते हैं।

नए अध्ययन एवं शोध, इन चक्रवाती तूफ़ानों के लिए महासागरों में निरंतर जल-तापमान वृद्धि को दोषी मानते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का यह सीधे-सीधे मानना है कि इसके लिए "ग्लोबल वार्मिंग" ज़िम्मेदार है। हालाँकि पिछले कुछ दशकों से निरंतर आ रहे चक्रवातों के अध्ययन से उनके विषय में काफ़ी जानकारी मिली है और अब इनकी क्रियाविधि के बारे में हमारी समझ अच्छी होती जा रही है। हाल के समय में मौसम विज्ञानी, समुद्र विज्ञानी एवं भू-विज्ञानियों ने समुद्र तट से दूर गठित होने वाले चक्रवातों के समुद्री एवं वायुमंडलीय मापदंडों को प्रयोगशाला में कंप्यूटर सिमुलेशन के द्वारा समझने में काफ़ी प्रगति कर ली है। परन्तु चक्रवाती तूफ़ानों के गठन की प्रक्रिया बड़ी ही जटिल

है, क्योकि पृथ्वी का जलवायु तंत्र एक गैर-रेखीय प्रणाली के अंतर्गत कार्य करता है। अत: हम इन तूफ़ानों का आना तो बंद नहीं कर सकते, अपितु सही समय पर इनका अनुमान लगाकर जान-माल के नुक़सान को कम अवश्य कर सकते हैं।

इस सन्दर्भ में यह भी जानना आवश्यक है कि पृथ्वी पर घटने वाली हर जलवायु सम्बंधित आपदा को वैश्विक उष्णीकरण से जोड़ना ठीक नहीं होगा। वैश्विक उष्णीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे पृथ्वी पर समान रूप से लागू करना सर्वथा अनुचित है। पृथ्वी पर मौज़ूद भूखंड अलग-अलग अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के स्थिति में आते हैं, जिनकी जलवायु वहाँ की स्थानीय परिस्थितियों पर निर्भर करती है। जलवायु परिवर्तन के लिए सूर्यातप के साथ- साथ समुद्र-वायुमंडल सहलग्नता भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ ही महाद्वीपों और महासागरों का पृथ्वी पर अनियमित वितरण जलवायु परिवर्तन के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है। अंत में, इन सभी कारकों के साथ-साथ, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी के कक्षीय मापदंड- विकेन्द्रता (एक्सेंट्रिसिटी), अक्षीय झुकाव (आब्लिक्विटी) और अग्रगमन (प्रीसेशन) भी अति महत्वपूर्ण हैं, जो जलवायु को नियंत्रित करते रहते हैं। यह सभी कारक पारस्परिक रूप से एक दूसरे से सम्बंधित हैं और पृथ्वी की जलवायु इन सभी की प्रतिक्रियाओं का परिणाम होता है। अत: हम सभी को उनके विषय में मूलभूत जानकारी रखना आवश्यक है जिससे जलवायु परिवर्तन और उससे आने वाली आपदाओं को वैश्विक उष्णीकरण का परिणाम बताकर राष्ट्रहित में किये जा रहे विकास के कार्यों जैसे औद्योगीकरण, उत्खनन, पेट्रोलियम पदार्थों के प्रयोग इत्यादि पर प्रश्न चिन्ह न लगे।

सन्दर्भ:

Fanchiotti, M., Dash, J., Tompkins E. L., & Hutton C. W. (2020). The 1999 super cyclone in Odisha, India: A systematic review of documented losses. *Int. Jour. of Disaster Risk Reduction, 51,* 1-10.

https://earthobservatory.nasa.gov

https://www.dailypioneer.com

https://www.hindustantimes.com

Jaswal, A., Singh, V., & Bhambhak, S. R. (2012). Relationship between sea surface temperature and surface air temperature over Arabian Sea, Bay of Bengal and Indian Ocean. *Jour. Indian Geophy. Union, 16* (2), 41-53.

Lal, D. S. (2003). *Climatology*. Allahabad: Sharda Pustak Bhawan.

Roman Stork, H. L., Subrahmanyam, B., & Murty, V. S. N. (2020). The Role of Salinity in the Southeastern Arabian sea in determining monsoon onset and strength. *JGR Oceans, 125* (1), doi: 10.1029/2019JC015592

Tudhope, A., Lea, D., Shimmield, G., Chilcott, C., & Head, S. (1996). Monsoon Climate and Arabian sea coastal upwelling recorded in massive corals from Southern Oman. *PALAIOS, 11*(4), 347-361.

www.downtoearth.org.in

www.weather.com-enIN

www.wikipedia.org

Zhou, Q., Wei, L., & Zhang, R. (2019). Influence of Indian ocean dipole on tropical cyclone activity over Western North Pacific in Boreal autumn. *J. Ocean Univ. China 18,* 795–802.

कानून व महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध : एक अध्ययन

डॉ उमेश कुमार

सारांश

भारतवर्ष में महिलाओं की सुरक्षा हेतु बहुत से नियम और कानून बनाए गए हैं फिर भी महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में दिन-प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है। महिलाएं गांव, नगरों, महानगरों में असुरक्षित महसूस कर रही हैं। एक तरफ समाज का बुद्धिजीवी वर्ग महिलाओं को समान दर्जा दिलाने की वकालत करता है तो दूसरी तरफ उनके विरुद्ध बढ़ते हुए अपराधों पर कई बार चुप्पी साध लेता है। केंद्र व राज्य सरकारें भी नए-नए हेल्पलाइन नंबर बताकर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं तथा अपना पल्ला झाड़ लेती हैं, परंतु महिलाओं के विरुद्ध अपराध करने वाले सभी की मेहनत पर पानी फेर कर अपराध को अंजाम देते हैं। निर्भया की मृत्यु पर क्षुब्ध भारतीय समाज आज उस घटना से आगे बढ़ गया है तथा 21वीं सदी के भारत में एक सुरक्षित भविष्य का सपना संजो रहा है। जहां तक नियम- कानून का सवाल है सरकार हर संभव प्रयास करती है तथा समय-समय पर कानून में बदलाव के साथ-साथ जरूरत पड़ने पर नए कानून भी तुरंत प्रभाव से लागू किए जाते हैं। यह शोध पत्र ऐसे ही कुछ नियम-कानून जो कि महिलाओं के विरुद्ध दुष्कर्म जैसे घृणित अपराध को रोकने के साथ दंडित करने के लिए बनाए गए हैं पर एक दृष्टि डालता है तथा इन नियम-कानूनों के उपयोग में आने वाली बाधाओं को वर्णित करता है। यह शोध पत्र प्राथमिक तथा द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित है। प्राथमिक आंकड़ों में विधि के नियमों का उल्लेख किया गया है तथा सार विश्लेषण विधि का प्रयोग किया गया है।

परिचय

महिलाओं के विरुद्ध अपराध बहुत पुराने समय से हो रहा है। हमारी सामाजिक-धार्मिक रूढ़ियों, परम्परावादी और पुरुषवादी सोच, महिला शरीर को लेकर पुरुष मस्तिष्क में उठने वाले बुरे ख्याल, और महिलाओं को उपभोग की वस्तु समझने की मानसिकता ने इसे और बढ़ाने का काम किया है। 'आज भी परम्परा और संस्कृति के नाम पर पति द्वारा बलात्कार हो रहा है, उनकी शारीरिक बनावट के कारण अश्लील छींटाकसी हो रही है, महिला को पुरुष आज भी अपनी संपत्ति समझता है और उसकी यौनिकता पर नियंत्रण रखने का प्रयास करता है' (Chaudhary, 2019)। महिलाओं के प्रति अपराध चिंता का विषय होने के साथ-साथ समाज के पिछड़े और बर्बर होने का भी प्रतीक है। महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों में अपरिचितों के साथ ही परिचित लोगों की भी संलिप्तता चिंताजनक रूप में काफी ज्यादा है।

इन अपराधों पर रोक लगाना महिलाओं के विकास और उन्हें निर्बाध रूप से काम करने और आगे बढ़ने देने के लिए जरूरी है। विधिक प्रावधान इस दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हैं। विधिक संरक्षण और ऐसे अपराधों के प्रति दंड का विधान महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों की रोकथाम में काफी उपयोगी होता है। दंड का विधान एक ओर न्यायपालिका को समुचित शक्ति देता है कि वह अपराधियों को दण्डित करने में सक्षम हो, वहीं जाँच एजेंसियों एवं पुलिस आदि को भी इन विधिक प्रावधानों से दंडात्मक कार्यवाही में काफी सुगमता होती है।

विधि के नियम तथा दुष्कर्म

दुष्कर्म का अपराध भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 376 के तहत एक जघन्य अपराध है। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत यह अपराध एक संज्ञेय और गैर जमानती अपराध है। दुष्कर्म के अपराध के लिए अधिकतम सजा आजीवन कारावास है। निर्भया केस के पश्चात जस्टिस वर्मा समिति के अनुमोदन पर क्रिमिनल लॉ में बहुत से संशोधन किए गए। भारतीय दंड संहिता, 1860 में कुछ नए अपराधों को शामिल किया गया तथा कुछ अपराधों का दायरा बढ़ा दिया गया। भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के तहत दुष्कर्म के अपराध का दायरा बढ़ाया गया। अपराधों के लिए कठोर सजा का प्रावधान किया गया। क्रिमिनल लॉ संशोधन अधिनियम, 2018 में भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 376 में संशोधन के पश्चात न्यूनतम सजा को बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया है तथा धारा 376 AB के रूप में नई धारा जोड़ दी गई है जिसके अनुसार 12 वर्ष से कम उम्र की महिला के साथ दुष्कर्म के लिए कम से कम 20 वर्ष के कारावास का प्रावधान किया गया है जो आजीवन कारावास तक हो सकता है। इस संशोधन के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी तो उसे बाकी बचे हुए जीवन पर्यंत सलाखों के पीछे रहना होगा इसके साथ-साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है या मृत्यु की सजा भी दी जा सकती है। 16 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के दुष्कर्म के लिए 20 वर्ष या आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। सामूहिक दुष्कर्म के लिए 20 वर्ष का न्यूनतम कारावास होगा जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है या मृत्यु दंड । इसके साथ-साथ मासूम बच्चियों के विरुद्ध बढ़ते हुए दुष्कर्म के अपराध को रोकने के लिए पोक्सो कानून, 2012 में भी संशोधन किए गए हैं| इस संशोधन के अनुसार 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से दुष्कर्म मामले में न्यूनतम 20 वर्ष जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है की सजा का प्रावधान है। पोक्सो कानून संशोधन अधिनियम, 2019 के

अनुसार पोक्सो कानून, 2012 की धारा 6 के तहत मौत की सजा का प्रावधान किया गया है।

दुष्कर्म: मुद्दे और चुनौतियां

दुष्कर्म के आंकड़े सरकार तथा समाज के समक्ष चुनौती पेश कर रहे हैं। वर्ष 2012 में दुष्कर्म के कुल केस 24923, 2013 में 33707, 2014 में 36535, 2015 में 34651, 2016 में 38997, 2017 में 32559, 2018 में 33356, 2019 में 32033 दर्ज किए गए। दुष्कर्म के बढ़ते मामलों में कुछ बातें सामने आई हैं जिनकी वजह से दुष्कर्म पीड़िताएं त्रस्त हैं जिनमें से प्रमुख हैं- प्राथमिकी दर्ज करने में पुलिस अधिकारियों की आनाकानी, मुस्तगीसा/ पीड़िता की चिकित्सकीय जांच समय पर ना होना, पुलिस द्वारा जानबूझकर केस कमजोर बनाना, अन्वेषण में जानबूझकर लापरवाही करना, पुलिस द्वारा मामले को टालने की कोशिश के साथ पीड़िता पर मामला रफा-दफा करने के लिए दबाव डालना, अन्वेषण में जरूरी फॉरेंसिक प्रक्रिया का पालन न करना तथा इसके पश्चात न्यायालय में कानूनी प्रक्रिया में देरी इत्यादि कुछ चुनौतियां हैं जिनका पीड़िता को सामना करना पड़ता है। इन सबसे ऊपर है दामन पर लगा दाग जिसकी वजह से दुष्कर्म पीड़िता समाज में खुलकर जी नहीं पाती तथा लोग उन्हें हेय दृष्टि से देखते हैं और अपनाने में संकोच करते हैं।

केंद्रीय सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी

अभी हाल ही में हुए उन्नाव, हाथरस दुष्कर्म मामले ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार भी मामले को लेकर गंभीर हैं तथा कठोर नियम कानून होते हुए भी एक बार फिर केंद्र सरकार को एडवाइजरी जारी करनी पड़ी है। इसके मुताबिक, यौन अपराधों जैसे संज्ञेय मामलों में एफआईआर अनिवार्य रूप से दर्ज हो। अगर कोई सरकारी कर्मचारी एफआईआर दर्ज करने में नाकाम रहता है तो उसे सजा दी जाए। साथ ही दुष्कर्म के मामलों में पुलिस जांच हर हाल में दो महीने में पूरी की जाए। केंद्र ने समय-समय पर राज्यों के लिए कई एडवाइजरी जारी की हैं, ताकि पुलिस यौन हमलों समेत महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के मामलों में सख्त कार्रवाई कर सके। इन कार्रवाइयों में एफआईआर दर्ज करने, फोरेंसिक जांच के लिए साक्ष्य जुटाने और यौन हमला साक्ष्य संग्रह (एसएईसी) किट, दो महीने में जांच पूरी करने यौन अपराधियों का राष्ट्रीय डाटाबेस का अनिवार्य इस्तेमाल शामिल हैं। डाटाबेस से यौन अपराधियों की पहचान करने और ऐसे अपराधी द्वारा बार-बार किए जा रहे यौन अपराध पर भी नजर रखी जा सकेगी। (https://www.mha.gov.in/hi/division_ of_mha)

केंद्रीय सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी के मुख्य बिंदु: -

1. **आईपीसी के तहत सजा:** -यौन अपराधों से जुड़े सभी संज्ञेय अपराध के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने में अगर कोई सरकारी कर्मचारी विफल रहता है तो आईपीसी की धारा 166 के तहत उसे सजा दिए जाने का प्रावधान है। जिसके तहत कार्रवाई की जाएगी।
2. **जांच की प्रगति पर पोर्टल से रखें नजर:** -सीआरपीसी की धारा 173 के तहत दुष्कर्म के मामलों में दो महीनों में जांच पूरी की जानी चाहिए। इस सिलसिले में गृह मंत्रालय ने इन्वेस्टिगेशन ट्रैकिंग सिस्टम फॉर सेक्सुअल ऑफेंसेज (आईटीएसएसओ) नाम से एक ऑनलाइन पोर्टल भी बनाया है जहां ऐसे मामलों की प्रगति पर नजर रखी जा सकती है।
3. **पीड़िता का परीक्षण :**-सीआरपीसी की धारा 164-ए के तहत यौन हमले या दुष्कर्म पीड़िता का चिकित्सकीय परीक्षण अपराध की सूचना मिलने के 24 घंटे के भीतर सहमति से किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से कराया जाना चाहिए।
4. **मृत्यु पूर्व बयान:** -भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 (1) के तहत मृतका का लिखित या मौखिक बयान एक अहम तथ्य के तौर पर माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के पुरुषोत्तम चोपड़ा बनाम दिल्ली सरकार मामले में सात जनवरी, 2020 के एक आदेश के मुताबिक, मरने के पहले का दिया गया बयान न्यायिक जांच के लिए सभी जरूरतों को पूरा करता है। इसे इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है कि ऐसे बयान को मजिस्ट्रेट या किसी पुलिस अफसर के बयान के सामने रिकॉर्ड नहीं किया गया।
5. **साक्ष्यों को जुटाने, संग्रह करने या संभालने के लिए प्रशिक्षण:** -यौन हमलों के मामलों में जांच अधिकारियों या चिकित्सा अधिकारियों के लिए फोरेंसिक साक्ष्य जुटाने, सुरक्षित रखने और उसे ले जाने के संबंध में गृह मंत्रालय के तहत फोरेंसिक विज्ञान सेवा महानिदेशालय ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ऐसे मामलों की जांच के लिए सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की पुलिस को यौन हमला साक्ष्य संग्रह (एसएईसी) किट्स दी गई हैं। हर यौन हमला मामले में इस किट का इस्तेमाल अनिवार्य रूप से हो। जांच में लगे अधिकारियों, पुलिस को साक्ष्य जुटाने, संरक्षित करने और उसे संभालने का नियमित तौर पर प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए।

6. **समय पर दोषी के खिलाफ आरोपपत्र तैयार किया जा सके:** -राज्य और केंद्रशासित प्रदेश सभी संबंधित अधिकारियों को इस बारे में जरूरी दिशा-निर्देश जारी कर सकते हैं, ताकि इन नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित हो सके। ऐसे सभी मामलों की प्रगति की ऑनलाइन पोर्टल के जरिये निगरानी भी रखी जाए, ताकि कानून के मुताबिक समय पर दोषी के खिलाफ आरोपपत्र तैयार करने के लिए कार्रवाई की जा सके।

7. **जीरो एफआईआर(प्राथमिकी) :** - दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 154 की उपधारा (1) के तहत संज्ञेय अपराधों के मामलों में प्राथमिकी अनिवार्य रूप से दर्ज हो। कानून के मुताबिक, महिलाओं के खिलाफ यौन हमलों समेत संज्ञेय अपराधों में पुलिस को प्राथमिकी या जीरो प्राथमिकी (अपने थाना क्षेत्र के बाहर हुई घटना के मामले में) भी दर्ज करना होगा।

8. **खामी पाए जाने पर जिम्मेदार अधिकारियों पर तत्काल सख्त कार्रवाई :**-कानूनी तौर पर सख्त प्रावधानों और क्षमता बढ़ाने के उपायों के बावजूद पुलिस की ओर से अगर इन अनिवार्य आवश्यकताओं का पालन नहीं किया जाता है तो यह देश में आपराधिक न्याय देने को प्रभावित कर सकता है। खास तौर पर महिला सुरक्षा के मामले में। ऐसी खामी संज्ञान में आती है तो इनकी जांच हो और जिम्मेदार संबंधित अधिकारियों के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई की जाए।

निष्कर्ष

प्रकृति ने स्त्री को कितना खूबसूरत वरदान दिया है, जन्म देने का, लेकिन दुष्कर्म पीड़िताओं के लिए यही वरदान अभिशाप बनकर उनकी सारी जिंदगी को डस लेता है। ना सिर्फ वह स्त्री लांछित की जाती है बल्कि 'बलात' इस दुनिया में लाया गया वह नन्हा जीव भी अपमानजनक जीवन जीने को मजबूर हो जाता है। यदि हम निर्भया केस के बाद दुष्कर्म के केसों की समीक्षा करें तो यह तथ्य सामने आता है कि महिलाओं के विरुद्ध दुष्कर्म के मामलों में कमी न आकर वृद्धि हुई है| निर्भया केस की तरह अन्य मामलों में भी दुष्कर्म की वीभत्स घटनाएं जनसंचार के माध्यम से देशभर के लोगों तक पहुंची हैं। कानून में बदलाव करने के बाद सख्त सजा के प्रावधान के बावजूद भी दुष्कर्म के अपराधों में वृद्धि हुई है। तथ्यों से यह सिद्ध होता है कि सख्त सजा के प्रावधान से अपराधियों के मन में भय नहीं है। महिलाओं की सुरक्षा केवल मात्र नए नियम कानून बनने से संभव नहीं है।

आज आवश्यकता है व्यक्तिगत सोच की दिशा बदलने की तथा महिलाओं को दिमागी तथा शारीरिक तौर पर मजबूत बनने की क्योंकि प्रकृति के नियमानुसार जो कमजोर है उसके शिकार होने की संभावना सबसे अधिक होती है।

संदर्भ:

Chaudhary, N. (2019). नारी देह के विरुद्ध हिंसा . SAGE Publishing India.

https://www.mha.gov.in/hi/division_of_mha/महिलाओं-के-प्रति-अपराध से दिनांक 23/11/2020 को उद्धृत.

Sexual violence pandemic in India: Rape cases doubled in last 17 years, India Today, December 13, 2019 available on https://www.indiatoday.in/diu/story/sexual-violence-pandemic-india-rape-cases-doubled-seventeen-years-1628143-2019-12-13

क्रिमिनल लॉ संशोधन अधिनियम, 2013

क्रिमिनल लॉ संशोधन अधिनियम, 2018

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973, अनुसूची-I

पोक्सो कानून संशोधन अधिनियम, 2019

पॉक्सो कानून, 2012

भारतीय दंड संहिता, 1860

वर्तमान परिदृश्य में नकदी विहीन लेन-देन का शिक्षा में महत्व

रविन्द्र कुमार ठाकुर
डा. एम. टी. वी. नागाराजु
लाल कुमार सिंह

सारांश

यह शोध-पत्र भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे 'कैशलेस इंडिया' मिशन का वर्तमान परिदृश्य में शिक्षा के महत्व को प्रस्तुत करता है, तथा इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैशलेस व्यवस्था को भारत के सभी छोटे- बड़े उद्यमियों ने अपनाया है जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत हुआ है। इन सभी परिवर्तनों से भारत की शिक्षा व्यवस्था भी अछूती नहीं रही। इसने शिक्षा व्यवस्था को एक नई दिशा देने का कार्य किया है और आज शिक्षा के हर क्षेत्र में चाहे अध्यापक का वेतन हो, बच्चों की फीस तथा और भी ऐसे कार्य हैं जो नकदी रहित होने से विद्यालय प्रशासन, अध्यापक, बच्चे और अभिभावक आदि के लिए यह बहुत ही वरदान साबित हुआ है। इसके साथ की वर्तमान में आए कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में कैशलेस की महत्ता और भी अधिक हो गयी है।

प्रमुख शब्दावली- नकदी रहित लेन-देन, डिजिटल पेमेंट।

प्रस्तावना

जब से इस धरती पर जीवन आरम्भ हुआ है तब से इंसान अपने जीवन के लिए प्रतिदिन संघर्ष करते आ रहा है। उसी संघर्ष ने मनुष्य को आज के विज्ञान युग तक पहुँचाने का कार्य किया है। इस प्रगति ने पूरे विश्व की सोच और जीवन को बदल दिया और इस बदलाव से भारत भी अछूता नहीं रहा। ज्ञान-विज्ञान की प्रगति ने ही पूरे विश्व को एक वैश्विक गॉव बना दिया। आज लोग घर बैठ कर भी मीलों दूर बैठे अपने सगे संबंधियों से पल भर में सम्पर्क कर सकते है। इसके अलावा भारत के किसी भी कोने में बहुत ही कम समय में पहुँच सकते हैं। एक समय था जब लोग घर से बाहर व्यवसाय या नौकरी करके घर वापस आते तो अपने साथ मुद्राएं लेकर आते, जिससे कभी-कभी रास्ते में उनके साथ बहुत सारी घटनाएं घट जाती थीं। ऐसे समय में विज्ञान की प्रगति ने उस पर लगाम लगाया और उसके परिणाम स्वरूप बैंक अस्तित्व में आया। जो व्यवसाय और नौकरी करने वालों के लिए एक वरदान साबित हुआ। किन्तु फिर भी लोगों को लेन-देन करने के लिए नकदी का इस्तेमाल करना पड़ता था, जो कि बहुत जोखिम भरा होता था। ऐसे समय में भारत सरकार की एक पहल ने इस क्षेत्र में एक क्रांति ला दी, जिसे हम 'कैशलेस इंडिया' के रूप में जानते हैं।

'कैशलेस इंडिया' मिशन की शुरूआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उद्देश्य के साथ की थी कि इससे देश अर्थव्यस्था के नकदी को कम कर भ्रष्टाचार द्वारा देश के अन्दर छुपे का काले धन की पहचान करना तथा उनको वापस लाना। इसकी शुरूआत तब हुई जब देश में पॉच सौ और हजार रूपये के नोटों को बन्द करने का फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 को ली थी। यह जानते हुए भी कि भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की कई अन्य देशों की अर्थव्यवस्था की तुलना में नकदी पर अधिक निर्भर है, सरकार का यह कदम वास्तव में एक साहसिक कदम था। अचानक लिए गए इस निर्णय की वजह से बाजार में नकदी की भारी कमी हो गई और लोगों को आवश्यक वस्तुएं खरीदने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा क्योंकि बैंको एवं एटीएम से नई मुद्रा बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध हो पा रही थी उसे भी पाने के लिए लोगों को रात-दिन लंबी-लंबी कतारों में खड़ा रहना पड़ा। भारत में ज्यादातर लोग नकदी पर ही निर्भर है क्योंकि भारत में कार्ड के साथ व्यक्तिगत उपभोग व्यय का केवल 5 प्रतिशत योगदान है जबकि विकसित देशों में 30-50 प्रतिशत खर्च कार्ड के द्वारा होता है इसलिए नकदी रहित लेनदेन के विकास का बहुत बड़ा अवसर उपलब्ध है (तावडे, 2017)।

सरकार द्वारा किये गये विमुद्रीकरण के बाद लोगों ने धीरे-धीरे क्रेडिट और डेबिट कार्ड तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का सहारा लेना शुरू कर दिया। इस प्रकार नकद की कमी ने डिजिटल लेनदेन की गति को आगे बढ़ाने में मदद की। धीरे-धीरे लोगों में यह प्रणाली इतनी प्रचलित हो गई की 10 रूपए के भुगतान के लिए ऑनलाइन पेमेंट का सहारा लेने लगे। युवराज और शीला (2018) के अध्ययन से पता चला है कि अधिकांश लोग क्रेडिट और डेबिट कार्ड को प्राथमिकता देते हैं और भुगतान का सबसे आरामदायक तरीका मोबाइल वॉलेट्स है। इस तरह लोगों में प्रचलित यह कैशलेस प्रणाली भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का आधार माना जा रहा है। इस नई व्यवस्था के लागू होने के बाद से देश की प्रगति लगातार बढ़ रही है। बैंकिंग 40 प्रतिशत और डिजिटल पेमेंट तीन गुना तक बढ़ा है साथ ही ई-कामर्स लेनदेन और डिजिटल भुगतान गेटवे के माध्यम से अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ी है (चन्द्रकला, 2019)।

कैशलेस इंडिया रूपी क्रांति ने भारतीयों के प्रचलित लेनदेन की प्रणाली को बदल दिया है तथा नये बदलाव के लिए लोगों को तैयार किया है। आज भारत स्मार्टफोन और मोबाइल प्रयोगों के लिए सबसे बड़े बाजारों में से एक माना जा रहा है, जो कम नकदी अर्थव्यवस्था की ओर एक आसान रास्ता प्रदान करता है (शिवकामी, आर0; भट, आर0 एम0 और शमा, आर0, 2018)। वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए नकदी रहित लेनदेन की

अवधारणा भारत में सफल हो सकती है, इस बात की पुष्टि कई अध्ययनों (अली, पी0 एस0; फिदा, सी0 पी0 और श्यामजीत, सी0, 2018, युवराज, एस0 और शीला, ई0 एन0, 2018) ने भी की है।

कैशलेस क्या है ?

कैशलेस लेनदेन का मतलब ऐसे सौदों से होता है जहां पर किसी वस्तु या सेवा को खरीदने के लिए भुगतान ऑनलाइन बैंकिंग, चेक या किसी अन्य तरीके से जैसे मोबाइल वॉलेट पेटीएम इत्यादि से होता है, लेकिन इन सबके लिए आपका बैंक अकाउंट होना जरूरी है। अर्थात एक अकाउंट और स्मार्टफोन, आधार कार्ड, इंटरनेट कनेक्टिविटी, डेबिट/क्रेडिट कार्ड है तो फिर कैशलेस सोसाइटी का हिस्सा बन सकते है। यह एक ई-पेमेंट सेवा है जिसका प्रयोग ऑनलाइन पेमेंट के लिए होता है। अगर आसान भाषा में कहे तो यह एक ऐसी सर्विस है जिसके द्वारा बिना बैंक में जाये अपने खाता से किसी को पैसे भेज सकते है, किसी से पैसे ले सकते है।

डिजिटल पेमेंट के प्रकार

देश में कई तरह से डिजिटल पेमेंट किये जाते हैं जिनमें से डेबिट और क्रेडिट कार्ड एक प्रमुख तरीका है। कार्ड के जरिए पेमेंट करने का तरीका आसान भी है और तमाम लोग इसके बारे में जानते भी है। वहीं अब ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए पेमेंट, नेट बैंकिंग के जरिए भुगतान के अलावा मोबाइल वॉलेट्स के जरिए भी पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट वॉलेट में पेटीएम, मोबिक्विक, यूपीआई, एसबीआई और तमाम बैंकों के मोबाइल वॉलेट हैं जिनके जरिए आसानी से पेमेंट किया जा सकता है।

कैशलेस भारत का महत्व

- लोगों को नकदी लाने और ले जाने से छुटकारा मिलेगा।
- कई विकसित देशों ने इस प्रणाली को अपनाया है अतः उनके साथ कदम से कदम मिला कर चलने तथा देश के विकास के लिए जरूरी है।
- यह प्रणाली व्यक्ति के घर या व्यक्तिगत खर्चे का हिसाब लगाने और बचत करने में सहायक होगा।
- इसके द्वारा किये गए लेनदेन की निगरानी कर सकते हैं जिससे करों का भुगतान आवश्यक हो जाता है।
- कैशलेस द्वारा टैक्स का भुगतान आसान हो गया है जिससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है साथ ही एकत्र किए गए धन को देश के विकास में आसानी से खर्च किया जा सकता है।

- टैक्स ज्यादा आने से सरकार द्वारा टैक्स में कमी की जा सकती है।
- इसके द्वारा काले धन पर रोक लग जाएगी क्योंकि इससे गरीब और जरूरतमंदों को सीधे उनके बैंक खाते में धन को हस्तांतरित किया जा सकता है। जिससे बिचौलियों का बाजार खत्म हो जाएगा और गरीबों का शोषण बन्द हो जाएगा।
- कैशलेस प्रणाली द्वारा हवाला के लेनदेन पर लगाम लगेगा जिससे आपराधिक गतिविधियों के बढ़ावा पर रोक लग सकता है।
- इस तरह की सुविधा से रूपये के प्रिटिंग में लगने वाले लागत की बचत हो सकती है और उस रूपये को देश के विकास में लगाया जा सकता है।

नकदी रहित लेन-देन के लाभ

- पेट्रोल-डीजल खरीदने पर ऑनलाइन पेमेंट करने से पेमेंट करने वालों को 0.75 प्रतिशत की छूट दी गई है।
- रेलवे के मासिक पास पर 0.5 प्रतिशत की छूट मिलेगी तथा ऑनलाइन टिकट पर रेलवे दस लाख का बीमा भी देता है। रेलवे से जुड़ी विभिन्न सेवाओं के लिए ऑनलाइन भुगतान करने वाले ग्राहकों को 5 फीसदी की छूट मिलेगी।
- इंश्योरेंश कंपनी सामान्य बीमा पर 10 और लाइफ इंश्योरेंश पर 8 फीसदी की छूट मिलेगी।
- 2000 रूपए तक के जितने भी डिजिटल पेमेंट के लेनदेन है उन पर सेवा शुल्क नहीं लगेगा।
- डिजिटल पेमेंट से टोल प्लाजा पर 10 फीसदी की छूट मिलेगी।

कैशलेस का शिक्षा में महत्व

- डिजिटल पेमेंट से विद्यालय की फीस, कैंटीन की फीस, आदि पेमेंट करने में आसानी होगी तथा कहीं से भी पेमेंट कर सकते हैं, अर्थात् इन सभी का पेमेंट घर बैठे कर सकतें है।
- किताबों को ऑनलाइन खरीदने पर डिजिटल पेमेंट किया जा सकता है, जिससे छात्रों को कहीं भागदौड़ की आवश्यकता नहीं होती।
- बच्चे आमतौर पर कई बार लापरवाही से अपनें पॉकेट से रूपये कहीं गिरा देतें है, इसलिए डिजिटल पेमेंट से रूपए खोने का डर नहीं रहेगा।
- डिजिटल पेमेंट से बच्चे के ऊपर परिवार का नियंत्रण होता है। उसके बैंक डिटेल्स से उसके खर्चे को नियंत्रित किया जा सकता है।

- डिजिटल पेमेंट से बच्चे के खान-पान पर ध्यान रखा जा सकता है जिससे उनके स्वास्थ्य पर कोई खराब असर ना पड़े। क्योंकि पेमेंट से उनके खाने पीने से संबंधित सभी जानकारी उनके बैंक के स्टेटमेंट से पता चल सकता है।
- डिजिटल पेमेंट से विद्यालय के प्रशासनिक कार्यो जैसे- अकाउंट, खर्चे, परीक्षा फीस, आदि अलग-अलग पेमेंट से विद्यालय के समय को बचाकर उसके विकास के लिए कहीं और प्रयोग किया जा सकता है।
- कैश कम करने से विद्यालय की सुरक्षा को सुधारा जा सकता है।
- डिजिटल पेमेंट से परिवार, विद्यार्थी, विद्यालय प्रशासन आदि द्वारा उनके खर्चे की निगरानी रखी जा सकती है।
- टैक्स कलेक्शन में बढ़ोतरी होती है क्योंकि संस्थाओं के आय-व्यय की जानकारी ऑनलाइन हो जाएगी तो सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी होगी।

निष्कर्ष

निष्कर्षत: कह सकते है कि कैशलेस इकॉनामी ने अधिक से अधिक पारदर्शिता, मौद्रिक लेनदेन में आसानी और सुविधा का मार्ग प्रशस्त किया है। इसको लागू करने में बहुत परेशानियां आयी फिर भी इस कदम का लाभ अब प्राप्त होना शुरू हो गया है और ज्यादा से ज्यादा लोंगों ने डिजिटल मुद्रा में लेन-देन शुरू भी कर दिया है। देश धीरे-धीरे प्रचलित नकदी अर्थव्यवस्था से कैशलेस अर्थव्यवस्था की तरफ लगातार बढ़ रहा है। डिजिटल पेमेंट द्वारा टैक्स का भुगतान आवश्यक हो जाता है जिससे काले धन पर अंकुश लगा सकतें हैं। पूरा देश लेनदेन के प्रक्रिया के आधुनिकीकरण के दौर से गुजर रहा है और इस वजह से ई-भुगतान सेवाओं में सराहनीय प्रगति हुई है। छोटे से लेकर बड़े व्यवसाय करने वालों ने भी अब इलेक्ट्रानिक पेमेंट स्वीकार करना शुरू कर किया है और इस तरह से वे भी सभी लोंगों के लिए कैशलेस प्रणाली अपनानें के लिए प्रेरणदायक सिद्ध हुए हैं।

भारत एक विकासशील देश है जिसमें अधिकांश जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे अपने जीवन को जीने के लिए मजबूर हैं। इसलिए कैशलेस प्रणाली लागू करने में बहुत सारी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है फिर भी देश के विकास के लिए यह कदम आवश्यक था। आज लोगों की सोच में परिवर्तन देखने को मिल रहा है तथा लोग कैशलेस प्रणाली के खूबियों को भली भांति समझ गये हैं कि आने वाला कल कैशलेस का ही होगा, क्योंकि यह प्रणाली सुरक्षित, आसान और सुविधाजनक है। इस तरह के लेनदेन से नकली नोटों का चलन तथा काले धन की समस्या भी खत्म हो जाएगी। आज जब पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, ऐसे में कैशलेस का महत्व और भी बढ़ जाता

है। कैशलेस का शिक्षा में बहुत ही ज्यादा महत्व है क्योंकि उसके माध्यम से बच्चे के ऊपर, विद्यालय के ऊपर, प्रशासनिक कार्यों के ऊपर निगरानी की जा सकती है जिससे शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारा जा सकता है। कोरोना जैसी महामारी में स्कूल की फीस, अध्यापकों का वेतन, स्कूल के खर्चे आदि भुगतान सब डिजिटल पेमेंट के माध्यम से हो रहे हैं, क्योंकि स्कूल-कॉलेज बन्द होने पर भी ऑनलाइन कक्षाएं चल रहीं है। अतः यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भविष्य में प्रचलित नकदी लेनदेन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी।

संदर्भ

अली, पी. एस., फिदा, सी. पी., एवं श्यामजीत, सी. (2018). इवैल्युएशन ऑफ कैशलेस इकोनॉमी कॉन्सेप्ट इन इन्डियन सीनेरियो. *इन्डियन जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स एण्ड डेवेलपमेंट, 6*(12), 1-7.

तावडे, पी. एच. (2017). फ्यूचर एण्ड स्कोप ऑफ कैशलेस इकोनॉमी इन इन्डिया, *इन्टरनेशनल जर्नल ऑफ एडवांस रिसर्च एण्ड इन्नोवेशन आइडियाज इन एजुकेशन, 2*(3). 177-181.

युवराज, एस., एवं शीला, ई. एन. (2018). कन्ज्यूमर्स पर्सेप्शन टुअर्डस् कैशलस ट्राँजेक्शन एण्ड इन्फोरमेशन सिक्युरिटी इन दी डिजिटल इकोनॉमी. *इन्टरनेशनल जर्नल ऑफ मैकेनिकल एण्ड टेक्नोलॉजी, 9*(7). 89-96.

शिवकामी, आर., भट, आर. एम., एवं शमा, आर. (2018). ए स्टडी ऑन कैश, लेस कैश एण्ड कैशलेस इकोनॉमिक्स - दी इन्डियन सिनारियो. *इन्टरनेशनल जर्नल ऑफ मैनेजमेंट, आई. टी. एण्ड इंजिनियरिंग, 8*(8). 58-69.

चन्द्रकला, वी. (2019). ए स्टडी ऑन कैशलेस इकोनॉमी इन इन्डिया. *जर्नल ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजिज एण्ड इन्नोवेटिव रिसर्च, 6*(1), 110-118.

मुखोपध्याय, बी. (2016). *अन्डरस्टैडिंग कैशलेस पेमेंट्स इन इन्डिया*. फाइनेंसियल इन्नोवेशन (स्प्रींगर ओपेन).

टालम, मो. (2019). फाइनेसिंग हायर एजुकेशन इन दी कैशलेस इकोनॉमीः चैलेंजेज एण्ड प्रोसपेक्ट्स, *इन्टरनेशनल जर्नल ऑफ रिसेंट साइंटिफिक रिसर्च, 10*(5ए). 32275-32282.

http://hindi.moneycontrol.com/news/investment/your-money-learn-the-advantages-of-cashless-transactions_151220.htm

http://www.prabhatkhabar.com/news/economy/cashless-economy-advantage-and-disadvantage/905733.html

http://www.narendramodi.in/hi/pm-modi-s-mann-ki-baat-25th -december-2016-533606

http://www.jagranjosh.com/general-knowledge/

https://www.magzter.com/news/901/2408/042017/h2a06

https://www.magzter.com/news/901/2408/042017/h2a06

Vertical payment Solutions Pvt. Ltd., Campus-Overview-New-Edited. Retrieved from- www.mycampuscard.com

बदलते परिप्रेक्ष्य में सिनेमा देखने के सम्बन्ध में लोगों की बदलती आदतें

डॉ दीपक शर्मा

भूमिका:

सिनेमा, भारतीय समाज का एक ऐसा दर्पण जो एक साथ, सभी स्तर के दर्शकों को भूत, वर्तमान और भविष्य बड़े पर्दे पर दिखाता है और समय की नब्ज़ टटोलने के साथ अपना प्रभा मंडल भी तैयार करता है। भारत में सिनेमा के पदार्पण से अब तक प्रारूप, विषय सामग्री, कथानक, शैली, कथ्य और तकनीक के स्तर पर सिनेमा बदलता रहा है। साथ ही उसी गति से सिनेमा का दर्शक भी बदला है। बदलाव एक सतत् प्रक्रिया है। ऐसे बदलाव निरंतर होते रहे हैं, किन्तु वर्तमान में जो बदलाव हुए हैं वह पहले से बिल्कुल भिन्न हैं। वर्तमान फिल्मों की उपलब्धियां उसके व्यापक समृद्ध स्वरूप, उद्देश्यपरक और समाधानात्मक विषय हैं जिसे नये दर्शक वर्ग ने हृदय से स्वीकारा है। मुख्यतः प्रेम त्रिकोण, संघर्षशील और आदर्श चरित्र, नायक प्रधान, षड़यंत्रकारी खलनायक, शो-पीस मात्र नायिका, आदर्शवादिता की स्थिति, अतिरंजित काल्पनिक कथानक, बुराई पर अच्छाई की विजय तथा राष्ट्रभक्ति विषय पर फिल्में केवल कोरे मनोरंजन के उद्देश्य से बनती थी। समानांतर और समाधानात्मक सिनेमा की बॉक्स ऑफिस पर सफलता संदिग्ध थी। शैली की विविधता का अभाव किन्तु मस्तिष्क पर अद्भुत प्रभाव छोड़ने में सक्षम अर्थपूर्ण शब्दावली, भाव, उत्कृष्ट एवं मधुर संगीत के कारण बीता युग फिल्मी संगीत का स्वर्ण युग था।

फिल्म संगीतकार अनिल विश्वास के अनुसार, फिल्म संगीत में पिछले 70 वर्षों में बहुत बदलाव आए। आज के संगीत के बारे में यही कहा जा सकता है कि एक बड़े जिस्म में आत्मा नाम की चीज नहीं है। आत्मा रही नहीं मर गई, और आत्मा के बिना जिस्म तो मात्र लाश हो जाता है (hindisamay.com)। आज का सिनेमा भविष्य के समाज का दर्पण है। आज का दर्शक मौजूद ढेरों विकल्पों में भेद कर स्वरुचि मनोरंजन के चयन की समझ रखता है, वह जहां अपनी सोच को विराम देता है। सिनेमा वहां से भविष्य की तस्वीर सामने रख जनसामान्य के विषय उठाकर यथार्थ के धरातल पर सामाजिक स्वीकारोक्ति युक्त समाधान देता है।

अमेरिकी मोशन पिक्चर एसोसिएशन से जुड़े एरिक जानस्टन के अनुसार, सिनेमा आज के समाज में संवहन का सर्वाधिक प्रभावशाली माध्यम है। यह शिक्षा और अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावनाओं की वृद्धि का एक सबलतम साधन है। यदि यह कहा जाता है कि एक चित्र एक सहस्र शब्दों से अधिक मूल्यवान है तो निश्चय ही एक चलचित्र एक सहस्र चित्रों से अधिक गुणवान है (भारतीय हिन्दी सिनेमा की विकास यात्रा, एक मूल्यांकन, पैसिफिक पब्लिकेशन)। नयी पीढ़ी की कई युवा प्रतिभाओं ने आधुनिक तकनीक, संचार क्रान्ति, नये विचार, गहरी सोच और कल्पनाओं के साथ फिल्म जगत में ऊँची छलांग लगाई है। आज के दौर में बेहद सामान्य से दिखने वाले तमाम निषेध विषयों, जीवनी, शारीरिक विकारों, वर्जित विषयों, सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को बड़ी संजीदगी से उठाया है, जो हमारे बीच अनछुए थे पर कहीं न कहीं समाज के लिए महत्वपूर्ण रहे हैं।

गीतकार पुनीत शर्मा के अनुसार, अगर लेखक सामाजिक-आर्थिक मुद्दों को गहराई से कहने की क्षमता रखता है तो वह वैश्विक दर्शकों की निगाह में आ सकता है। लोग अब सतही सामग्री को बर्दाश्त नहीं करते हैं। प्रतिस्पर्धात्मक माहौल में लेखकों को नए विषय पर नए तरीके से बेहतर सोचने और लिखने का दबाव है। जब तक सेंसरशिप की बाधाएं नहीं हैं तब तक लेखकों के लिए अपार आजादी है और अब जितने विषयों पर सोच पा रहे हैं वैसा मौका सिनेमा या टीवी नहीं दे पाया था (hindi.business-standard.com)।

मार्च 2020 में कोरोना लॉकडाउन की वजह से मनोरंजन उद्योग में ओवर-द-टॉप (ओटीटी) मंच का नया दौर शुरू हुआ। देश में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के उपयोगकर्ताओं की संख्या बढ़ने से इन प्लेटफॉर्म्स पर श्रव्य -दृश्य सामग्री की बाढ़ सी आ गई। सिनेमाघर बंद होने की वजह से ज्यादातर फ़िल्मों को ऑनलाइन मंच पर रिलीज़ किया गया। फिल्म निर्माताओं के मुताबिक, इस प्लेटफ़ॉर्म के फायदे हैं कि अब हर तरीके के श्रव्य-दृश्य सामग्री बनाने की आजादी मिल रही है, जो सिनेमा को नहीं मिली थी (zeebiz.com)।

पिछले कई सालों से दर्शक ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पर रचनात्मक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर स्वस्थ समाज के लोगों की भावनाओं के विरुद्ध गाली-गलौज, सेक्स और मारधाड़ से भरपूर कई श्रव्य-दृश्य सामग्री पर आपत्ति जता रहे हैं (dw.com)। जस्टिस फॉर राइट्स फाउंडेशन नामक एनजीओ चलाने वाले हरप्रीत सिंह होरा नामक वकील ने वेब सीरीज पर दिखाए जा रहे गाली-गलौज और फूहड़ दृश्यों के खिलाफ शीर्ष न्यायालय

में याचिका दाखिल कर सेंसरशिप की गुहार लगाई, लेकिन ओटीटी प्लेटफार्म के लिए नियमन जैसी व्यवस्था नहीं होने से कोर्ट ने याचिका सुनने से इंकार कर दिया (hindi.oneindia.com)।

देश में फिल्म्स, न्यूजपेपर्स और टीवी को विनियमित करने के लिए संस्थाएं हैं, लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जैसे उभरते मीडिया के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। भारत सरकार विनियमन के स्थान पर ऐसी आचार संहिता के बारे में प्रयासरत है, जिसका ओटीटी उद्योग पालन कर सके। सूचना-प्रसारण मंत्रालय ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर दिखाए जाने वाले श्रव्य-दृश्य सामग्री को अपने दायरे में लाना चाहता है (hindi.oneindia.com) (economictimes.indiatimes.com)।

ऐसे में ओटीटी प्लेयर्स पर काफी दबाव है कि वे अपने श्रव्य-दृश्य सामग्री पर सेंसरशिप लगाना सुनिश्चित करें। इसके तहत दर्शकों की शिकायतों को सुनने के लिए हर ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म ने डिजिटल क्यूरेटेड कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल (DCCC) गठन किया, जो वेब सीरीज़ और फ़िल्म को परिपक्वता रेटिंग देने के साथ प्रसारित श्रव्य-दृश्य सामग्री का विस्तृत वर्णन सुनिश्चित करेगी। निषिद्ध सामग्री को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं करने से प्रस्तावित स्व-नियामक मॉडल को सितम्बर 2020 में सरकार ने अस्वीकार कर दिया (zeebiz.com)।

अध्ययन का उद्देश्य: यह शोध कार्य ओटीटी मीडिया प्रदर्शन का अध्ययन करने का एक प्रयास है, जिसके मुख्य उद्देश्य हैं:

1. भारत में ओटीटी मीडिया विस्तार और खपत पैटर्न का अध्ययन।
2. ओटीटी का फ़िल्मों और केबल/ डायरेक्ट टू होम टीवी पर प्रभाव का अध्ययन।
3. ओटीटी माध्यम के उपभोग और उपयोग की प्रवृत्ति का अध्ययन।
4. ओटीटी के सम्बन्ध में उपभोक्ताओं की सामान्य अवधारणा और नियामक की आवश्यकता का अध्ययन।

नमूना डिजाइन:

अनुसंधान के उद्देश्य के लिए, एक चयनित सीमित न्याय पर आधारित खोजपूर्ण सहवर्णनात्मक अध्ययन किया गया है जिसके लिए दिल्ली, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुरुग्राम से 21 वर्ष से ऊपर आयु के दो समूहों में विभक्त कुल 100 उत्तरदाता लिए गए हैं। नमूने का चयन करने के लिए सुविधा नमूने का उपयोग किया गया है। प्रत्येक शहर से 25 उत्तरदाताओं को लिया गया है।

डेटा संग्रह और व्याख्या:

यह शोध पत्र प्राथमिक आंकड़ों पर आधारित है। सर्वेक्षण के उद्देश्य से संरचित प्रश्नावली तैयार कर डेटा एकत्र किया गया है। तालिकाओं की मदद से डेटा एकत्र करने के बाद इसका विश्लेषण किया गया है। उन्हें समझने योग्य रूप में प्रस्तुत करने के लिए रेखांकन किया गया है।

साहित्य का पुनरावलोकन:

दादा साहब फाल्के द्वारा निर्देशित साल 1913 में बनी पहली मूक फिल्म राजा हरिशचंद्र (कोरोनेशन थिएटर बंबई में प्रदर्शित) से लेकर खान बहादुर आर्देशीर ईरानी द्वारा निर्देशित 14 मार्च 1931 को प्रदर्शित पहली बोलती फिल्म आलमआरा से होते हुए कोरोना काल में ओटीटी मंच पर रिलीज़ हुई गुलाबो सिताबो, दिल बेचारा, शकुन्तला देवी तक भारतीय सिनेमा ने 100 साल से अधिक का लंबा सफ़र तय किया है। कुछ लोगों को फिल्मों का गीत-संगीत, मारधाड़, बड़ा कैनवस, काल्पनिकता और रंगीनियत पसंद आती है और कुछ को वास्तविकता के इर्द-गिर्द घूमती, जीवन के कड़वे सच दिखाती फ़िल्में। फ़िल्मी सितारों के बेचे सपने हर शुक्रवार लोग हाथों-हाथ खरीद सौ करोड़ के क्लब में खड़ा कर देते हैं। इसी बीच यथार्थवादी फिल्मों के लिए भी जगह निकल ही आती है।

प्रख्यात निर्देशक श्याम बेनेगल के अनुसार, भारतीय दर्शकों का डीएनए एक ख़ास किस्म की फिल्में ही पसंद करता है। लेकिन अब इस डीएनए में भी हलचल हुई है। हालाँकि अब परम्परागत समाज और सिनेमा के ढांचे से इतर इस ख़ास पसंद के दर्शकों के लिए ख़ास फिल्में बन रही हैं, साथ ही अपने समय को संयमित ढंग से दृश्यबद्ध करके सफलता के नये आयाम भी गढ़ रही हैं (dnaindia.com)।

फिल्मकार अनुराग कश्यप के अनुसार, सिनेमा का भविष्य अच्छा नज़र आता है। भारत में अब बहुत प्रगतिशील फिल्में बनने लगी हैं, चाहे वो मराठी, तमिल या तेलुगु हों। अब तक हम बंधे हुए थे लेकिन अब हम और हमारा सिनेमा खुल रहा है, आज़ाद हो रहा है। आगे जो होगा अच्छा ही होगा (thehindu.com)।

अभिनेता संजय सूरी के अनुसार, पहले के मुकाबले हमारा सिनेमा पीछे जा रहा है। आने वाले सालों में क्या होगा इसे लेकर मैं चिंतित हूँ। ऐसा नहीं कि फिल्में अच्छी बन नहीं सकती या बन नहीं रहीं लेकिन उतनी तादाद में नहीं बन रहीं क्योंकि इसके लिए ज़रूरी माहौल नहीं है। पहले भी फिल्मों में अंतरंग दृश्य या नग्नता दिखाई जाती थी लेकिन अब बेवजह की सनसनी ज़्यादा है। फिल्म की कहानी लिखते वक़्त अगर सोचना पड़े कि

ये फिल्म सेंसर में अटक जाएगी या मॉरल पुलिसिंग की भेंट चढ़ जाएगी तो लेखक लिखना ही छोड़ देंगे (newindianexpress.com)।

फिल्म निर्देशक दिबाकर बनर्जी के अनुसार, पिछले 70-80 साल में भारत का सिनेमा केवल भारतीयों के लिए ही बना है। भारतीय फिल्मों को विश्व की बेहतरीन फिल्मों में जगह बनानी होगी। हमें सिनेमा की ऐसी भाषा बनानी है जो भारत की अपनी भाषा हो लेकिन उसे विदेशी भी समझें। विश्व सिनेमा देखने वाले लोग भी भारत की फिल्में देखना चाहेंगे। ऐसी नई और मज़ेदार सी भाषा बन तो रही है। मैं भी अपनी फिल्मों में ऐसी भाषा लिखने की कोशिश कर रहा हूं (bbc.com)।

फिल्मकार ज़ोया अख़्तर के अनुसार, मल्टीप्लेक्स आने से भारत में कम बजट की फ़िल्में बन रही हैं क्योंकि एक साथ कई स्क्रीन उपलब्ध हो जाती हैं। अगर बाज़ार में 10 बड़े सितारे हैं तो आप बताइए कि वो कितनी फिल्मों में काम कर सकते हैं। ऐसे में आप बड़े सितारों के साथ प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं। फिर निर्माता भी जोखिम उठाने के लिए तैयार होने लगते हैं, अलग तरह की फिल्में बनाते हैं (bbc.com)। फिल्म निर्देशक बालाजी थरीथरन के अनुसार, तकनीक ने फिल्म बनाने का खर्चा कम कर दिया है। निर्माता कम बजट की फिल्मों में पैसा लगाने के लिए ज़्यादा इच्छुक रहते हैं। फिर चाहे वो निर्देशक की पहली फिल्म ही क्यों न हो (bbc.com)।

फोकस 2012 नामक रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान में भारतीय हर साल करीब 2.7 अरब टिकटें खरीदते हैं। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा है, लेकिन टिकट की कीमत दुनिया में सबसे कम दरों में से है। हॉलीवुड के मुकाबले कुल आमदनी काफी कम है, हालांकि फिल्मों के बजट लगातार बढ़ रहे हैं। बॉलीवुड की एक बड़े बजट की फिल्म का बजट 20 लाख से दो करोड़ डॉलर तक हो सकता है (bbc.com)।

फिल्म अभिनेता अनिल कपूर के अनुसार, हमारा श्रव्य-दृश्य सामग्री, हमारा काम, हमारी सोच सब स्थानीय होती है। समस्या यह है कि भारतीय फिल्मकार वैश्विक स्तर पर नहीं सोचते हैं। अगर हमारी फिल्में 200 करोड़ कमा लेती हैं तो हम जश्न मनाने लगते हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। हॉलीवुड में फिल्में दो अरब डॉलर से भी ज़्यादा तक कमाती हैं। फिल्में जहाँ रचनात्मकता और कला दिखाने का एक ज़रिया हैं वहीं इसमें पैसा भी ख़ूब लगता है। दोनों के बीच की ये जंग बरसों से चली आ रही है (bbc.com)।

अभिनेत्री नंदिता दास के अनुसार, हमने बंदिशों और सीमाओं को लाँघने की कोशिश नहीं की। हम फिल्मों में दिलेर नहीं हो पाए। चाहे किसी को पसंद आए या न आए

पर पहले वो जगह तो थी कि ऐसी फिल्में बन सकें। हमने मौका खो दिया है, समानांतर सिनेमा अब लगभग ख़त्म हो चुका है। आज फिल्मों में पैसा, कला पर हावी है। हर चीज़ बहुत ज़्यादा व्यावसायिक हो गई है। बजाय यह देखने के कि कहानी क्या है, यह देखा जाता है कि फिल्म कितनी चलेगी (bbc.com)। गीतकार प्रसून जोशी के अनुसार, सिनेमा ने अपने सफ़र में हमारे रहन सहन, पहनावा, बोलचाल, संस्कृति पर जितना असर डाला है उतना असर किसी और चीज़ ने नहीं डाला। सोचिए अगर फिल्मों के डायलॉग नहीं होते, गीत नहीं होते। आज सिनेमा के बिना भारत की कल्पना करना मुश्किल है (bbc.com)।

वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार, सिनेमा हॉल और सिनेमाघरों में निवेश नहीं हो रहा है क्योंकि ओटीटी प्लेटफार्म पर फिल्में रिलीज हो रही हैं (digitaldhanbad.com)। दिल्ली यूनिवर्सिटी के 20 छात्रों से जब पूछा गया कि क्या वो लॉकडाउन खुलने के बाद भी थिएटर में फिल्म देखना बिलकुल छोड़ देंगे, लगभग सबका जवाब 'ना' था (dw.com)।

केपीएमजी (2019) की 'इंडियाज डिजिटल फ्यूचर: मास और नीश' (India's Digital Future: Mass and Niches) रिपोर्ट के अनुसार, ओटीटी धीरे-धीरे केबल टीवी कारोबार को खत्म कर रहा है। साल 2018 के अंत तक केबल और सेटेलाइट ग्राहकों की संख्या बढ़कर 19.7 करोड़ हो गई थी, जिसमें सबसे ज्यादा ग्राहक डिजिटल केबल के थे। वित्त वर्ष 2019 में केबल और सेटेलाइट (सीएंडएस) के करीब 1.2-1.5 करोड़ सक्रिय ग्राहकों की संख्या में कमी आई है। ग्राहकों की इस संख्या में गिरावट का मुख्य कारण नवीनीकरण नहीं कराना, ओटीटी जैसे अन्य तरीकों की तरफ रुख करना और नए टैरिफ ऑर्डर (एनटीओ) के कारण शुल्क बढ़ना है। वित्त वर्ष 2019 में ग्राहकी राजस्व की वृद्धि दर अच्छी खासी 8.1% रही, जो 463 करोड़ रुपये तक पहुंच गई (abplive.com)।

मुंबई निवासी शिक्षक निगेल डिसूजा के अनुसार, भारत में मार्च 2020 के अंत में लॉकडाउन लगा तो उन्होंने अमेजन प्राइम और नेटफ्लिक्स को सब्सक्राइब किया। पहले सिनेमाघरों में भी फिल्में देखना पसंद करते थे। अब वह वायरस की परवाह किए बिना कितनी भी फिल्में देख सकते हैं (livemint.com)। फ्रांसीसी विज्ञापन कंपनी पब्लिसिज ग्रुप के अनुसार, कोरोना काल में सबसे ज्यादा बदलाव डिजिटल फॉर्मेट का बढ़ते इस्तेमाल के कारण मीडिया में देखने को मिले हैं और जो व्यावहारिक बदलाव देखे गए

हैं, वो लंबे समय तक रहेंगे (hindi.thequint.com)। मार्केट रिसर्च और एनालिसिस फर्म वेलोसिटी एमआर के प्रबंध निदेशक व सीईओ जसल शाह के अनुसार, लॉकडाउन के दौरान किये सर्वेक्षण में पाया कि 75% से अधिक भारतीयों ने ओटीटी प्लेटफार्मों के लिए नए सब्सक्रिप्शन खरीदे हैं। 73% लोगों ने हॉटस्टार और यूट्यूब जबकि अमेजन प्राइम और नेटफ्लिक्स में क्रमश: 67% और 65% लोगों ने नया सब्सक्रिप्शन लिया है (hindi.thequint.com)।

इन्वेस्ट इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, कोरोना काल में 2020 के पहले तीन महीने में भारत में ओटीटी मंच को 30 हजार करोड़ व्यूज मिले। 2019 के अंतिम तीन महीनों के मुकाबले ये 13% ज्यादा है। अमेजन प्राइम, नेटफ्लिक्स और डिज्नी प्लस हॉटस्टार जैसे ओटीटी मंच पर उपभोक्ता का समय खर्च 82.63% बढ़ा है। इसी दौरान नि:शुल्क यूट्यूब मंच पर भारतीयों ने 20.5% ज्यादा समय खर्च किया (bhaskar.com)।

एकाउंटिंग फर्म प्राइसवाटर हाउस कूपर्स के अनुसार, साल 2018 तक भारत में ओटीटी का बाजार 2150 करोड़ रुपए का था जो 2019 के अंत में बढ़कर 2185 करोड़ रुपए का हो गया। इसका 2023 तक बढकर 11,977 करोड़ रुपए का होने का अनुमान लगाया था, लेकिन कोरोना काल में ओटीटी को तेजी से उपभोक्ता मिलने से ये आंकड़ा और बढ़ सकता है (bhaskar.com)।

बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2018 तक भारत का ओटीटी बाज़ार 35 हजार करोड़ रुपए था जो 2023 तक 3.60 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। तेज इंटरनेट और स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं की बढ़ती संख्या से भारत में ओटीटी बाज़ार 15% की तेज रफ्तार से बढ़ रहा है। वर्ष 2025 तक वैश्विक बाज़ार 17% की रफ्तार से बढ़कर 240 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है (hindi.oneindia.com)। काउंटर पॉइंट रिसर्च इंडिया ओटीटी विडियो कंटेंट मार्केट कन्जूमर सर्वे (2019) के अनुसार, कुल ओटीटी उपभोक्ताओ में 89% 35 साल से कम उम्र के युवा हैं। अगर 16-24 और 25-35 के उम्र समूहों में देखा जाये तो ये बराबर का हैं। कुल उपभोक्ता में 79% पुरुष हैं (counterpointresearch.com)। हंगामा डिजीटल ओटीटी के सीईओ सिद्धार्थ रॉय के अनुसार, भारतीय ओटीटी मंच की तरक्की का प्रमुख कारण एकाश्रयी सीरीज़ और क्षेत्रीय भाषाओं में सामग्री परोसना है। कोरोना काल में हंगामा पर 66% ग्राहक बढ़े हैं जिसमें टायर-2 सिटी में 65% और टायर-3 सिटी में 86% ग्राहक बढ़े (bhaskar.com)।

इंडियन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स (2019) की रिपोर्ट के अनुसार, ओटीटी मंच पर वीडियोज़ देखने का चलन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, इस कारण भारत में क्षेत्रीय सामग्री

दिखाने वाले नए नए ओटीटी मार्केट में आ रहे हैं और अब इन मंच पर क्षेत्रीय सामग्री की भरमार हो गई है (hindi.gonewsindia.com)। फिक्की ईवाइ की रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2018 में ओटीटी मंच की खपत बढ़ी है। क्षेत्रीय उपभोक्ताओं को इसका बड़ा कारण बताया गया है। बंगाली भाषा में होईचोई पर प्रथम बार आगन्तुक की संख्या में 85% बढ़त देखी गई है। साल 2018 के मार्च तक इन आगन्तुकों की संख्या 77 हज़ार थी जो साल 2019 के मार्च तक 1.40 लाख हो गई (hindi.gonewsindia.com)।

ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (बार्क) के अनुसार, भारत के सिर्फ 66% यानी करीब 19.7 करोड़ घरों तक टीवी की पहुंच है। इंडस्ट्री को 2024 तक इसके बढ़कर 23-25 करोड़ होने का अनुमान है। साथ ही रोजाना औसतन 3.4 घंटे टीवी देखने का समय 2024 तक बढ़कर 4 से 4.5 घंटे रोजाना पहुंचने की संभावना है (navbharattimes.indiatimes.com)।

निर्देशक सुजित सरकार के अनुसार, सिनेमाई जादू को टीवी, आईपैड या लैपटॉप के अनुभव से नहीं बदला जा सकता है। कोरोना काल में वित्तीय बाधाओं ने गुलाबो सिताबो को ओटीटी पर रिलीज़ करने के कठिन निर्णय के लिए प्रेरित किया, क्योंकि बहुत सारे तकनीशियन मुझ पर निर्भर हैं (livemint.com)। फिल्म समीक्षक कोमल नाहटा के अनुसार, कोरोना काल में ओटीटी पर फिल्म को रिलीज होने से निर्माताओं को अब अपने फंसे पैसों को भुनाने का एक नया तरीका मिल गया। निकट भविष्य में सिनेमा के फिर से खुलने पर बेहद बड़ा प्रश्न चिन्ह है। यदि सिनेमाघरों को फिर से खोला भी जाता है तो क्या जनता सच में फिल्म देखने आएगी (navodayatimes.in)? अभिनेता पंकज त्रिपाठी के अनुसार, बड़ी स्क्रीन पर सिनेमाघरो में दर्शकों का जो अनुभव होता है वह 20 से 25 इंच की स्क्रीन या मोबाइल पर नहीं हो सकता है (magzter.com)।

अभिनेता नवाज़ुद्दीन सिद्धिकी के अनुसार, ओटीटी पर फिल्म के रिलीज़ से कलाकार की अभिनय क्षमता को नुकसान होता है और अमूमन असफल फिल्म ही ओटीटी पर आती हैं। ओटीटी से कलाकार की क्षमता की चर्चा नहीं होती, न ही उसे ये पता चलता है कि किरदार को कितना सही ढंग से निभाया है। दर्शकों की प्रतिक्रिया भी सही ढंग से नहीं मिल पाती है (magzter.com)।

मल्टीप्लेक्स ऑपरेटर आईएनओएक्स लीजर लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक सिद्धार्थ जैन ने अनुसार, दुनिया का कोई भी व्यवसाय मॉडल मुक्त धन के साथ प्रतिस्पर्धा

नहीं कर सकता है और नेटफ्लिक्स मुफ्त पैसे के अलावा कुछ भी नहीं है (economictimes.indiatimes.com)।

अमेजन प्राइम के निदेशक (भारत) विजय सुब्रमण्यम के अनुसार, ओटीटी कंपनी, सिनेमाघरों को कारोबार से बाहर करना नहीं चाहती है। थिएटर फिल्म वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और हम इसे बदलना नहीं चाहते हैं, लेकिन प्रौद्योगिकी का विकास ग्राहकों की वरीयताओं को बदलता रहता है कि उसे क्या देखना है और हमारा उसे विकसित करना जारी रहेगा (newindianexpress.com)। फिल्म अभिनेता माधवन के अनुसार, सिनेमाघरों का अलग ही आकर्षण है, लेकिन कोरोना काल में ओटीटी पर फिल्म रिलीज होना पूर्ण आशीर्वाद जैसा है। सबसे अहम् है कि दर्शक बिना किसी भौगोलिक या भौतिक सीमाओं के कोई भी फिल्म कभी भी कहीं भी आराम से देख सकते हैं (hindi.news18.com)।

फिल्मकार सुभाष घई के अनुसार, कोरोना काल में ओटीटी का भले ही विस्तार हुआ है, लेकिन मल्टीप्लेक्स और सिनेमाघर का कोई विकल्प नहीं है। लोग स्थानीय विषय सामग्री को पसंद करते हैं, वेब सीरीज हो या फिल्म, यह सबसे महत्वपूर्ण विषय सामग्री है, इसे कहने का तरीका आना चाहिए। यदि विषय में दम है तो उसे दर्शक हाथों-हाथ लेंगे और वह आमदनी का जरिया बन जाएगा। डिजिटल मंच की वजह से अब किसी को प्रोड्क्शन हाउस के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है (tfipost.in)।

हॉलीवुड अभिनेता व निर्देशक एडवर्ड जेम्स ओल्मोस के अनुसार, डिजिटल मंच की वजह से अब तकनीकी तौर पर सक्षम होने की जरूरत है। एक अच्छा अभिनेता या निर्देशक बनने के लिए कैमरा, प्रकाश और ध्वनि की अच्छी समझ होनी चाहिए। तकनीक ने मोबाइल फिल्म की नई विधा को जन्म दिया है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मोबाइल से फिल्में बनकर फिल्मोत्सव में आ रही हैं, लेकिन इसके लिए हुनर सीखने की जरूरत है (abplive.com)।

वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार, भारत देश में रचनात्मक अभिव्यक्ति के साथ उच्च सांस्कृतिक, पारंपरिक नैतिकता और नैतिक मूल्यों को बनाए रखने की आवश्यकता है। कई देशों में सांस्कृतिक अवसाद है और बच्चे बुरी आदतें विकसित करते हैं लेकिन हमारे भारत देश में अनुशासन और नैतिक परवरिश है (samachar4media.com)।

सूचना-प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के अनुसार, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स अभी सूचना एवं प्रौद्योगिकी (आईटी) मंत्रालय के आईटी एक्ट के दायरे में आते हैं, उन्हें सूचना-प्रसारण मंत्रालय के तहत आना चाहिए। इसके लिए सेंसर बोर्ड नहीं है। सरकार ने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को फरवरी 2020 में चेतावनी दी कि अगर स्व सेंसरशिप समिति नहीं बनी और उसका सही से पालन नहीं किया तो फ़िल्मों की तरह ओटीटी सामग्री की सेंसरशिप भी फ़िल्मों की तरह सरकारी हाथों में चली जाएगी (hindi.asiavillenews.com) (jagran.com)।

इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अनुसार, सूचना-प्रसारण मंत्रालय ने ओटीटी मंचों से किसी निर्णायक इकाई का गठन करने और आचार संहिता को अंतिम रूप देने के लिए कहा। इसके तहत ओटीटी ने आइ0एम0ए0आइ0 के साथ स्व सेंसरशिप कोड को तय किया ताकि रचनात्मक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनी रहे। सितम्बर 2020 में आइ0एम0ए0आइ0 के साथ हर एक ओटीटी ने आचार संहिता पर हस्ताक्षर किया है। दर्शकों की शिकायत सुनने और उस पर एक्शन लेने के लिए अब हर ओटीटी मंच का अपना एक उपभोक्ता शिकायत पैनल होगा (samachar4media.com)। ओटीटी वीडियो बाजार से जुड़ी रेडसीर कंसल्टिंग के अनुसार, मार्च-जुलाई 2020 के बीच ओटीटी क्षेत्र में ग्राहकों की तादाद 30% तक बढ़ी और यह 2.2 करोड़ से बढ़कर 2.9 करोड़ हो गई। अप्रैल-जुलाई 2020 के दौरान कुल स्ट्रीमिंग में 50% से अधिक हिंदी का योगदान था (hindi.business-standard.com)।

ओवर द टॉप (ओटीटी) मंच:

ओवर द टॉप इन्टरनेट आधारित मंच हैं, जो इन्टरनेट के माध्यम से वीडियो या अन्य मीडिया से संबंधित सामग्री प्रदर्शित करता है। यह एक तरह के ऐप होते हैं। इसका उपयोग मुख्य रूप से वीडियो ऑन डिमांड, टेलीविज़न सामग्री, फ़िल्म, ऑडियो स्ट्रीमिंग, ओटीटी डिवाइसेस, वॉइस आईपी कॉल, एवं कम्युनिकेशन चैनल मैसेजिंग आदि के लिए किया जाता है। इसके लिए ओटीटी मंच का ग्राहक बनना होता है और फिर उसमें जो सामग्री देखना चाहते हैं, देख सकते हैं। ओटीटी मंच की लोकप्रियता सबसे पहले अमेरिका में बढ़ी, इसके बाद यह धीरे-धीरे विश्व में फैल गई। आने वाले कुछ समय में इसका बहुत ज्यादा उपयोग होने लगेगा (hindiwings.com)।

ओटीटी मंच की सेवाएँ निम्न तीन प्रकार की होती हैं:

1) ट्रांसक्शनल वीडियो ऑन डिमांड (टीवीओडी) - ओटीटी की इस सर्विस में यदि ग्राहक अपने पसंदीदा टेलीविज़न कार्यक्रम या फिल्म को देखना चाहते हैं, तो इसके जरिये वे किराए पर देख सकते हैं या इसे खरीदा भी जा सकते है जैसे एप्पल आईट्यून्स आदि।
2) सब्सक्रिप्शन वीडियो ऑन डिमांड (एसवीओडी) - वीडियो स्ट्रीमिंग सामग्री के लिए भुगतान कर ग्राहकी लेनी होती है। बहुत से ऐसे मंच हैं जिसमें ग्राहक मौलिक सामग्री देख सकते हैं जैसे नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम आदि।
3) एडवरटाइजिंग वीडियो ऑन डिमांड (एवीओडी) - इस ओटीटी में सामग्री देखने के लिए बीच में विज्ञापन भी देखने पड़ते हैं। इसमें ग्राहक मुफ्त में सामग्री देख सकते हैं (onehindee.com)।

भारत में सबसे ज्यादा लोकप्रिय ओटीटी मंच:

हॉटस्टार- यह भारतीय बाजार में 40 करोड़ से अधिक मासिक आधार पर सक्रिय उपयोगकर्ता के साथ डिज्नी के स्वामित्व वाला ओटीटी मंच है। यह विशेष रूप से सजीव खेल प्रसारण और गेम ऑफ़ थ्रोंस जैसे सुपरहिट शोज को प्रदर्शित करने के लिए लोकप्रिय है।

नेटफ्लिक्स- वीडियो स्ट्रीमिंग की सबसे ज्यादा लोकप्रिय कंपनी नेटफ्लिक्स सन 2016 में भारत आई। इसके आने के 4 महीने के बाद मौलिक भारतीय सीरीज सेक्रेड गेम्स इसमें रिलीज़ हुई। इसके बाद रियलिटी टीवी सीरीज, फ़िल्में रिलीज़ की गई और फिर इसके अंशदाताओं में बढ़ोत्तरी होती गई।

अमेज़न प्राइम वीडियो- इस ओटीटी कंपनी ने भारत के अधिक मौलिक भारतीय सामग्री के उत्पादन के लिए इसे क्षेत्रीय भाषा के साथ प्रदर्शित किया।

ऑल्ट बालाजी- यह रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा समर्थित बालाजी टेलीफिल्म्स की भारतीय कंपनी घरेलू वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस है, जो भारत में टियर 2 और टियर 3 शहरों को लक्ष्य करती है।

सोनी लिव- सोनी ने वर्ष 2013 में अपनी खुद की ओटीटी सर्विस शुरू की, और स्ट्रीमिंग मार्केट में कदम रखा। इस ऐप के 10 करोड़ डाउनलोड पार हो गये। हॉटस्टार की तरह

सोनी लिव ने भी भारत में विकास प्राप्त करने के लिए कई वैश्विक फुटबॉल टूर्नामेंट के सजीव प्रसारण किये। इसके साथ ही इसने गेमिंग और कुछ मिनी गेम भी चलाए हैं।

ज़ी 5- वर्ष 2018 में शुरू हुए इस ओटीटी मंच पर एक लाख घंटों के ऑन डिमांड सामग्री और 80 से अधिक सजीव टीवी कार्यक्रम उपलब्ध हैं। यह मंच वॉइस सर्च और विभिन्न भाषाओं को समर्थन करता है।

वूट- वर्ष 2016 में शुरू हुए वायाकॉम 18' के वूट ने अपने टीवी चैनलों से 45 हजार से भी अधिक घंटों की सामग्री को खरीद लिया। जिसमें कलर्स टीवी, एमटीवी, निकेलोडियन, वायाकॉम 18 मोशन पिक्चर्स और एमटीवी शामिल है। यह भी विभिन्न भाषाओं में सामग्री प्रदान करता है।

एमएक्स प्लेयर- टाइम्स इन्टरनेट द्वारा समर्थित एमएक्स प्लेयर ने फरवरी 2019 में 5 मौलिक वेब सीरीज के साथ अन्य मौलिक कार्यक्रमों का निर्माण किया। भारत के सबसे लोकप्रिय वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप के रूप में नामित होने के बाद इन- ऐप गेमिंग फीचर भी जोड़ा गया है (deepawali.co.in)।

ओटीटी मंच से प्रदत्त सेवाओं के लाभ

जहाँ टीवी कार्यक्रम एवं फ़िल्में देखने के लिए केबल या डीटीएच की आवश्यकता होती है उसी तरह इन्टरनेट का उपयोग करके ओटीटी मंच पर पसंदीदा कार्यक्रम जब चाहे तब देख सकते हैं। ओटीटी मंच पर लोग वेब सीरीज, वृतचित्र एवं जो भी देखते हैं वह सब मौलिक होते हैं। कुछ ओटीटी मंच खुद के कार्यक्रम बनाकर इसमें डालते हैं। ओटीटी मंच ऐप को स्मार्ट फोन या टेबलेट पर डाउनलोड कर सकते हैं और इसे अपनी स्मार्टटीवी से जोड़कर अपने पसंद के कार्यक्रम एवं फ़िल्में सुविधानुसार, जब चाहे तब देख सकते हैं। ओटीटी का सबसे अच्छा फायदा यह है कि लोगों को इसके लिए इंतजार नहीं करना पड़ता, उन्हें जिस समय जो कार्यक्रम देखना हो वह देख सकते हैं। कोरोना काल में फिल्म गुलाबो सिताबो से ओटीटी मंच पर बॉलीवुड फिल्मों की शुरूआत हुई, जिससे लोगों को अपने घर में ही अपने परिवार के साथ फ़िल्में देखने का मौका मिल रहा है (allbhajan.com)।

जांच परिणाम:

1. चयनित अध्ययन क्षेत्र में किए गए सर्वेक्षण से प्राप्त परिणाम संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत हैं।
2. सर्वे से प्राप्त परिणामों के विश्लेषण में पाया गया कि सभी उत्तरदाताओं ने किसी न किसी ओटीटी को डाउनलोड किया है।

3. विश्लेषण में पाया गया कि कुल उपयोगकर्ताओं में से 42% हॉटस्टार, 7% नेटफ्लिक्स, 26% अमेज़न प्राइम वीडियो, 12% सोनी लिव, 13% अन्य ओटीटी का उपयोग करते हैं। साथ ही कुल उपयोगकर्ताओं में से 8% कभी-कभार, 37% रोजाना कम से कम 4 घंटे तक और 55% 4 घंटे से अधिक समय ओटीटी प्लेटफॉर्म पर गुजारते हैं।
4. विश्लेषण में पाया गया कि 18% उत्तरदाताओं का मानना है कि ओटीटी अच्छा है, 56% का मानना है कि अच्छा है लेकिन कमियां हैं, 17% मानते है कि समय की बर्बादी है, 9% इसे दिशाहीन मानते हैं।
5. विश्लेषण में 29% उत्तरदाताओं ने पुनः मनोरंजन हेतु, 46% ने विविधतापूर्ण कंटेंट, 17% कभी भी कहीं भी देख सकते हैं, 8% उत्तेजनापूर्ण सामग्री के लिए ओटीटी डाउनलोड का उद्देश्य बताया।
6. विश्लेषण में 38% उत्तरदाताओं ने पढ़ने की आदत छूटना, 15% ने नींद की कमी, 30% व्याकुलता व शारीरिक परेशानी, 17% आवश्यक कामों में व्यवधान स्वीकार किया।
7. विश्लेषण में 16% उत्तरदाताओं ने ड्रामा, 19% एक्शन, 48% कॉमेडी, 17% वासना देखना स्वीकार किया।
8. विश्लेषण में 74% उत्तरदाता पूर्णतः सहमत हैं कि रचनात्मकता ज्यादा है, 22% ने अधिकांश तौर पर, 3% आंशिक तौर पर, 1% नहीं कहा।
9. विश्लेषण में 10% उत्तरदाताओं ने यूट्यूब, 85% केबल टीवी और डीटीएच, 3% पायरेटेड फिल्म, 2% ने फिल्म देखना स्वीकार किया।
10. विश्लेषण में ओटीटी के ज्यादा उपयोग न कर पाने के सन्दर्भ में 18% उत्तरदाताओं ने समयाभाव, 49% सीमित डाटा, 4% सामग्री पसंद नहीं, 29% ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया।
11. विश्लेषण में 56% उत्तरदाताओं ने पूर्णतः, 37% ने अधिकांश तौर पर, 4% आंशिक तौर पर समाज और संस्कृति के लिये घातक माना जबकि 3% ने नहीं माना।
12. विश्लेषण में 44% उत्तरदाताओं ने पूर्णतः, 42% अधिकांश तौर पर, 8% आंशिक तौर पर स्वीकार किया कि ओटीटी एकदम नया अनुभव है जो मनोरंजन की दुनिया में क्रांति कर देगा जबकि 6% ने नहीं में उत्तर दिया।
13. विश्लेषण में 72% उत्तरदाताओं ने थिएटर के मुकाबले ओटीटी के लिए निर्मित फ़िल्मों में अश्लीलता, 2% छोटे सितारों को मौका, 9% नवीनता, 17% विविधता होने की बात कही।

14. विश्लेषण में 12% उत्तरदाताओं ने पूर्णतः समर्थन किया कि ओटीटी मंच के चलते लोग टीवी देखना कम कर देंगे और इस लड़ाई में टीवी हार जाएगा जबकि 32% अधिकांश तौर पर, 9% आंशिक तौर पर 47% नहीं उत्तर दिया।
15. विश्लेषण में 57% उत्तरदाताओं ने पूर्णतः स्वीकार किया कि ओटीटी मंच के चलते लोग भविष्य में सिनेमा हॉल जाना कम कर देंगे और वह बंद होने लगेंगे जबकि 5% अधिकांश तौर पर, 7% आंशिक तौर पर, 31% नहीं उत्तर दिया।
16. विश्लेषण में 93% उत्तरदाताओं ने ओटीटी के लिए सेंसरशिप लागू होना चाहिए या नियामक को अत्यावश्यक माना जबकि 1% आंशिक तौर पर, 2% दिन के समय, 4% बिलकुल नहीं उत्तर दिया।

सुझाव:

भारत में दुनिया का सबसे विपुल फिल्म उद्योग है, जो प्रति वर्ष लगभग 1500 से 2000 फ़िल्में बना रहा है। भारतीय प्रशंसक, फिल्मी सितारों को देवी-देवताओं की तरह पूजता है, उनके मंदिरों तक का निर्माण करता है, लेकिन बदलाव एक विरोधाभासी चीज़ है। इसे ख़ास संदर्भ में समझने की ज़रूरत है। यहां संदर्भ एनिमेशन या तकनीक के इस्तेमाल, स्क्रिप्ट के प्रकार और नग्नता का स्तर नहीं है। दर्शक इतनी अजीब फ़िल्मों या गाने पचा चुके हैं कि अब मुड़कर देखने पर वो हास्यस्पद लगती हैं। हमें बदलाव का विश्लेषण उपभोक्ता के गहरे अर्थ के संदर्भ में करना होगा। सिनेमा या मनोरंजन का कोई भी माध्यम, समाज में बदलाव के आधार पर ही बदलता है। हम कई तरह के बदलावों को देख रहे हैं और सामाजिक अर्थों में बदलाव के कई नए संदर्भ भी उभर रहे हैं। भारतीय सिनेमा को इससे अलग-थलग करके नहीं रख सकते। पिछले कुछ दशकों में सांस्कृतिक मायनों में बहुत बदलाव आए हैं और उनका भारतीय सिनेमा पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा है। कई फिल्मों में हीरो बजाय लड़की को भगा के ले जाने के, उसके परिवार की मर्ज़ी से ही शादी करने पर अड़ता है जबकि वर्तमान में हीरो, शादीशुदा हीरोइन को भाग चलने को कहता है। शादीशुदा से प्रेम संबंध और भागने का विचार दर्शकों को स्वीकार्य हो गया है। इसी तरह के बदलावों जैसे बेमेल उम्र की प्रेम कहानी, लिव-इन संबंध, विवाहपूर्व और विवाहेत्तर सेक्स को अन्य फ़िल्मों में भी देख सकते हैं। पहले बेमेल उम्र वाली प्रेम कहानी 'लम्हे' को भारतीय दर्शकों ने नकार दिया था लेकिन अब प्रौढ़ के साथ संबंध और शादी स्वीकार्य है। कारोबारी मानसिकता हो जाने के कारण भी भारतीय सिनेमा में बहुत बदलाव आए हैं। इस पर एक रिसर्च हो सकती है, जिसमें शुद्धतावादी आरोप लगाते हैं कि सिनेमा ने भारतीय मूल्यों को गिराने वाला चलन शुरू किया। आधुनिकतावादी कह सकते हैं कि

सिनेमा बदलते सामाजिक ढांचे और भावनाओं को दर्शाता है। लेकिन दोनों मानेंगे कि समाज में बदलाव से ही ऐसे बदलाव आते हैं।

उपसंहार:

आज की फिल्में प्रयोगधर्मिता पर आधारित है, रोज नये विषय के साथ तकनीक के अदभुत संयोजन से उत्कृष्ट सिनेमा का वृहद संसार तैयार हुआ है। मूक फिल्मों से थ्रीडी फिल्मों की तकनीक, कहानी, पात्र, भाषा, शब्द, संगीत के सुर के साथ साथ सिनेमा देखने की आदतें सब कुछ बदला है। कहीं यह बदलाव अखरता है तो उससे ज्यादा परिमार्जित और परिवर्धित भी हुआ है, यह समय समृद्ध सिनेमा का समय है। फिल्मों का ये बदलता परिदृश्य सुखद अनुभूति देने वाला है, आज का सिनेमा विचारों को गढ़ने और प्रसारित करने में समर्थ है। शॉर्ट मूवी और वेब सीरीज आधुनिक फिल्म उद्योग की नई विधा है जो कम समय, संसाधन और बजट में उद्देश्यपूर्ण सकारात्मक काम कर रही हैं। समय की मांग, समस्या और दर्शकों की विविधता के आधार पर बहुआयामी फिल्मों का दौर आया है। आज फिल्में भारत ही नहीं विदेशी बाजार को भी ध्यान में रखकर बनायीं जा रही हैं। फिल्म लेखक गौरव सोलंकी के अनुसार, इस वक्त बेहतर कहानी से भी स्टार बनने की संभावनाएं हैं। ओटीटी मंच से दर्शकों के लिए वैश्विक स्तर की मनोरंजक सामग्री का दायरा बढ़ा है। ऐसे में फिल्मों और वेब सीरीज को लेकर दर्शकों की उम्मींदें और अपेक्षाएं भी बढ़ रही हैं (hindi.business-standard.com)।

ऐसे आरोप लगते रहे हैं कि सिनेमा की भाषा, परिधान, लहज़ा भारत की अपनी भाषा और संस्कृति से दूर चला गया है। यह एक सावधान होने का संकेत हो सकता है, इन कार्यक्रमों को महिमामंडन नहीं किया जा सकता है। विदेशी सामग्री को नक़ल करने की अनुमति देने के लिए सीमाएँ होनी चाहिए। भारत में ओटीटी मंचो को निर्णायक इकाई और आचार संहिता के लिए चीन के स्ट्रीमिंग कंपनी का उदाहरण लेना चाहिए, जिन्होंने वहां की सरकार की सभी शर्तों का पालन किया है (jagran.com)।

आज के दौर में बड़ा फर्क प्रस्तुतिकरण का भी है। तब सीधी सपाट कहानी का दौर था। सशक्त प्रस्तुति ने इसे बहुसंख्यजन की आवाज, बुलन्दी का साधन और क्रान्ति का माध्यम बनाया है। पहले कहानी तत्कालीन समाज का, काल्पनिकता में लिपटी हुई, आईना थी लेकिन आज कहानियां यथार्थ के धरातल पर बुनी जाती हैं और अपने समय से कहीं आगे चलती हैं। कहा जा सकता है कि सिनेमा के बदलते स्वरूप के साथ दर्शक भी बदला है, जो सुखद है। स्थिरता जड़ता की निशानी होती है और परिवर्तन विकास की

कहानी कहता है। आखिर समय की मांग के साथ कदम मिलाकर चलना ही तो निरंतरता है। भारत जैसे विविधता वाले देश में 20 से भी ज़्यादा अन्य भाषाओं में फिल्में बनती हैं। कई कम बजट की फिल्मों ने भी अच्छी कमाई की है। कभी सिनेमा का कथानक भारत के गाँव कस्बों या बड़े शहरों तक सीमित था। भारत जैसे देश में जहाँ सिनेमा किसी जुनून की तरह है। मल्टीप्लेक्स आने से फिल्म देखने की आदत पर भी काफी असर पड़ा। फिल्मों के डिजटिल होने से भी फिल्म निर्माण, डिस्ट्रिब्यूशन फिल्म स्क्रीनिंग की लागत कम हुई साथ ही फ़िल्मों की पहुँच भी पाँच गुना ज़्यादा बढ़ गई है। कोरोना संक्रमण खत्म होने के बाद भी ज्यादातर लोग सिनेमा घर जाकर सिनेमा देखने से ज्यादा ओटीटी पर सिनेमा देखना पसंद करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा छवि के अनुसार, मुझे ओटीटी, सिनेमाघर जाकर मूवी देखने से ज्यादा आरामदायक लग रहा है और आगे भी इसी माध्यम से मूवी देखूंगी (bhaskar.com)। लॉकडाउन के कारण बंद सिनेमाघरों के कारण निराश निर्माताओं ने फिल्मों को ऑनलाइन जारी करने के लिए ओटीटी मंच को चुना, इससे सिनेमा संचालकों में रोष व्याप्त हुआ। फिल्म उद्योग ऐसे तरीके तलाशने में लगा है जिससे दुनिया में ज़्यादा लोगों तक पहुँचा जा सके और आमदनी बढ़ाई जा सके। अमेरिका में तेजी से प्रचलन के बाद भारत में पे-पर-व्यू का बाजार शुरुआती स्तर पर है लेकिन ओटीटी कंपनियां इसे लेकर आक्रामक हैं। पे-पर-व्यू का मतलब है कि दर्शक जिस फिल्म को देखना चाहते हैं उसे किराये पर या खरीदकर देख सकते हैं। शेमारू एंटरटेनमेंट के हीरेन गडा के अनुसार पे-पर-व्यू से फिल्म उद्योग के लिए एक वैकल्पिक वितरण मॉडल तैयार हो सकता है (hindi.business-standard.com)।

भारत की आधी से अधिक आबादी, 35 साल से कम उम्र की है और उनमें से कई मोबाइल फोन पर पहले से ही मनोरंजन सामग्री का उपभोग कर रहे हैं। कोरोना काल में पहले से अधिक तेजी से ओटीटी उपयोग का चलन बढ़ा है। दर्शकों के तीव्र रुझान को देखकर ओटीटी मंच डिजिटल रिलीज को लेकर काफी आक्रामक हैं और इसके लिए उन्होंने जल्द ही रिलीज होने वाली हिंदी एवं भाषाई फिल्मों के साथ करार भी किया। कोरोना काल में बंद ने बदलाव को गति दी है जो सिनेमा देखने के सम्बन्ध में लोगों की बदलती आदतों में साफ़ दिखाई देता है।

सन्दर्भ:

Retrieved from web https://blog.comviva.com
Retrieved from web https://brandequity.economictimes.indiatimes.com

Retrieved from web https://dntiwari.com

Retrieved from web https://home.kpmg/in/en/home/insights

Retrieved from web https://www.livehindustan.com

Retrieved from web https://www.magzter.com

Retrieved from web https://www.zeebiz.com/hindi/technology

सिंह, डी. के., एंड यादव, वी. के. (2012). भारतीय हिन्दी सिनेमा की विकास यात्रा एक मूल्यांकन. दिल्ली: पैसिफिक पब्लिकेशन, संस्करण, पृ.सं.02.

भार्गव, ए. हिंदी सिनेमा सदी का सफ़र. सिने साहित्य प्रकाशन.

राजाध्यक्ष, विलमेन. इनसाइक्लोपीडिया ऑफ़ इंडियन सिनेमा.

लारेंस, एच., एंड मेक्ग्रहन, आर. (2016). इंटरनेट टीवी सिस्टम: ओटीटी टेक्नोलॉजीज, सर्विसेज,

ऑपरेशन एंड कंटेंट.

वॉक, ए. (2015). ओवर द टॉप, हाउ द इंटरनेट इज चेंजिंग दि टेलीविज़न इंडस्ट्री, क्रियेट स्पेस इंडिपेंडेंट पब्लिशिंग प्लेटफ़ॉर्म.

रेणु, ऐस. (2014). हिस्ट्री ऑफ़ इंडियन सिनेमा. डायमंड पॉकेट.

आदिवासी समाज एवं संवैधानिक अधिकार

डॉ चन्द्रमौलि
जितेंद्र सिंह धुर्वे

सारांश

भारत एक विकासशील राष्ट्र है, विविधता में एकता भारतीय संस्कृति की विशेषता है। जिसमे विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक एवं धार्मिक समुदाय के लोग सौहर्द्रपूर्वक जीवन व्यतीत करते है। इन्ही समुदायों मे से एक समुदाय आदिवासियों का है, जिनकी आबादी 2011 जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% है। आदिवासी समाज एक विशेष जाति, वर्ग, समुदाय के लोगो का समूह है, जिनकी अपनी संस्कृति, दर्शन, संस्कार, विचार, धर्म एवं धार्मिक पद्धति, पर्व-त्यौहार, गीत-संगीत, नृत्य, वेष-भूषा, सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति होती है। आदिवासी समाज आज भी अपने अस्तित्व व अस्मिता के लिए संघर्ष करते हुये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक एवं वैज्ञानिक रूप से पिछड़ा हुआ है। भारत जैसे विशाल राष्ट्र मे जैसे भाषा, धर्म, जाति और वेष-भूषा की विविधता है उसी तरह आदिवासियों मे भी विभिन्नतायें पायी जाती है। आदिवासी भारत के मूलनिवासी है, इन्हे आदिवासी, आदिमजाति, वनवासी, गिरिजन, जनजाति या अनुसूचित जनजाति आदि अनेक नामो से जाना जाता है। इन आदिवासियों की अनेक उपजातियाँ, उनकी संस्कृति, खान-पान, रहन सहन, भेष-भूषा, भाषा पूरी तरह से भिन्न होते हुये भी इनकी समस्यायें, जीवन निर्वाहक साधन, जीवन पद्धति और सामान्य व्यावसायिक तरीके लगभग एक समान है। आदिवासी समुदाय की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक तथा न्यायिक दशा को सुधारकर समाज की मुख्यधारा मे लाने के लिए भारतीय संविधान में संवैधानिक अधिकार प्रदान किए गए है, जिनका क्रियान्वयन सुनिश्चित करके विकास के उद्देश्य को पूरा किया जा सकता है।

आज 21वीं सदी के विज्ञान व संचार के विकसित युग में भी आदिवासी समुदाय का अपेक्षित विकास देखने को नहीं मिलता। इसके लिए अनेकानेक तत्व जिम्मेदार है, जिन्हें समझकर, जानकार समय के साथ दूर करना नितांत आवश्यक है, जिससे देश मे उपेक्षित एवं पिछड़े आदिवासी समुदाय की दशा एवं दिशा मे सार्थक सुधार के साथ सर्वांगीण विकास हो सके। इसी दृष्टि से प्रस्तुत शोधपत्र मे आदिवासी समुदाय के सामाजिक अस्तित्व व अस्मिता के लिए दिये गए भारतीय संविधान मे संवैधानिक अधिकारों का अध्ययन किया गया है।

मूल शब्द: आदिवासी, आदिवासी समाज, संस्कृति, संवैधानिक अधिकार

प्रस्तावना

विश्व में मानव समाज विभिन्न जाति, वर्ग एवं समुदाय में पाया जाता है, जिसमें विभिन्न समुदायों का तुलनात्मक रूप से समान विकास नही हो पाया है, जिनके पिछड़े होने मे भौगोलिक एवं राजनीतिक परिस्थितियां मुख्य रूप से जिम्मेदार रही है। आदिवासी समुदाय ऐसी ही परिस्थितियों के कारण आज भी आधुनिक सभ्यता से दूर दुर्गम क्षेत्रों मे हजारो वर्षो से अपनी अलग सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन शैली के साथ पिछड़े रूप मे जीवन यापन कर रहे है। ये मानव समूह भारत मे विभिन्न बीहड़ वनो, मरुस्थलों, पर्वतों व पठारों पर संकुचित व अत्यंत पिछड़े समाज के रूप मे प्राथमिक क्रिया कलाप के द्वारा जल, जमीन, जंगल, जानवर, प्रकृति पर जीवन जीने को मजबूर है। आदिवासी समुदाय भारत मे 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या मे 8.6% की हिस्सेदारी रखता है, फिर भी विश्व की प्रगति से अपरचित, रूढ़िवादी, अंधविश्वास और भ्रांतियों से आज भी आबद्ध है। लेकिन प्राचीन सभ्यता और संस्कृति यदि कहीं सुरक्षित है तो वह है आदिवासी समाज और क्षेत्र। भारत मे समाज की एक तस्वीर बड़े महानगरों जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बंगलौर मे बसती है तो दूसरी सुदूर जंगलो एवं पहाड़ी, पठारी, मरुस्थलों और बीहड़ों मे निवास करती है। ऐसे मानव समूहों के लिए 'आदिवासी' 'कबीले' 'वनवासी' 'आदि मानव' 'गिरिजन' 'जनजाति' या 'अनुसूचित जनजाति' जैसे शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये सभी शब्द अँग्रेजी भाषा के 'नेटिव (Native)', 'अबोरिजनल (Aboriginal)', 'ट्राइब या ट्राइबल (Tribe or Tribals)' के पर्यायवाची है।

जन मानस मे सामान्यतः आदिवासियों को लेकर दो तरह के अर्थ एवं भावार्थ मन मस्तिष्क मे उत्पन्न होते है, जिनके अर्थ से तात्पर्य है कि आदिवासी एक विशेष जाति वर्ग के लोगों का समूह होता है जिनकी अपनी भाषा, संस्कृति, संस्कार, दर्शन, धर्म, देवी-देवता, पूजन पद्धति, पर्व-त्यौहार, नृत्य, खान-पान, आभूषण, वेश-भूषा, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन शैली होती है। ये पृथ्वी पर निवास करने वाले आदि मानव समाज है, जो प्रकृति के सानिध्य मे रहकर संघर्ष करते हुये अपने अस्तित्व और अस्मिता को बनाए रखने मे विश्वास करते हैं और अपने आसपास प्राप्त संसाधनों का उपयोग कर जीवनयापन की अपनी विशेष शैली का निर्माण करते है। प्रकृति की सामीप्यता के कारण जिन-जिन संसाधनों का उपयोग करते है उन्हें आदिवासी समाज पवित्र मानते हुये विभिन्न देवी देवताओं के रूप मे श्रद्धा के साथ पालन और पूजा करते है। आदिवासी जीवन की सभ्यता और संस्कृति अक्षुण्ण रूप मे प्रकृति की गोंद मे जल, जलाशय, नदी, जमीन,

जंगल, खेत-खलिहान, पर्वत-पहाड़, पठार, घाटी, चरागाह, जानवर, जलवायु और कृषि क्रियाकलाप के साथ पोषित, पुष्पित एवं पल्लवित हुई है। आदिवासी जीवन दर्शन की विशिष्टता उनके स्थानीय जल, जमीन, जंगल, जानवर, पशुपालन, नदी तट, जलाशय, चरागाह, वन, खेत-खलिहान, आर्थिक किया कलाप, गीत-संगीत, नृत्य, वाद्ययंत्र, दर्शन, धर्म, संस्कार, देवी-देवता, पूजा-पद्धति, पर्व-त्यौहार, स्थानीय प्राकृतिक स्वरूप और जलवायु से की जा सकती है कि आदिवासी समाज प्रकृति से कितने मार्मिक एवं संजीदगी से जुड़ा हुआ है। आदिवासी समाज की विशिष्टता प्रारम्भिक उत्पत्ति से लेकर वर्तमान स्थिति को सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यत्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, पारिवारिक पृष्ठभूमि एवं प्राकृतिक पर्यावरण के साथ क्रियाकलापो के सामंजस्य से समझा जा सकता है। आदिवासी सभ्यता और संस्कृति विश्व मे विभिन्न विधाओं मे उन्नत रही है जैसे उनकी लोकगीत, लोकसंगीत, लोककथा, लोकोक्ति, लोकाचार, लोकपहेली, मुहावरे, हँसी-मजाक, अतिथि सत्कार, लोकनृत्य, लोककला, लोकनौटंकी, लोकखेल, लोक-मनोरंजन, कारीगरी, चित्रकारी, परंपरा एवं चिकित्सा पद्धति में प्रतीत होती है। जब हम भावार्थ कि बात करते है तो जन समुदाय के मस्तिष्क मे एक ऐसी छवि दिखाई देती है कि आदिवासी समाज पिछड़े, असभ्य, अर्धनग्न, गंदे, क्रूर, शिकारी, नरभक्षी, कुपोषित, गरीब, खानाबदोसी, घुमक्कड़ी जीवन जीने वाले मानव समुदाय से अभिप्राय होता है। ऐसी कल्पना करना वर्तमान सभ्य समाज के लिए अशोभनीय है। आदिवासी समाज आर्थिक एवं आधुनिक संचार क्रांतियों के रूप मेँ पिछड़ा हो सकता है लेकिन सांस्कृतिक एवं पारिस्थितिकी कि दृष्टि से उन्नत दशा मे पाये जाते है।

आदिवासी का जीवन आम लोगो से इस अर्थ में भिन्न है कि वे आधुनिकतावादी प्रवृत्तियों से पार्थक्य कि नीति अपनाते है अर्थात अपनी भाषा, संस्कृति, परम्पराओं को आदिवासी समाज किसी प्रकार से छोड़ना नही चाहता है इसलिए आधुनिक समाज के लोगों से मिलने भर से ही भयभीत होने वाला यह समूल नष्ट होने कि आशंका से डर जाता है। ऐतिहासिक रूप से अगर किसी समाज विशेष ने उनको अपने समाज से संबंधित होने का अवसर भी दिया तो उसे अंततः परिणाम के रूप में उनका घोर शोषण ही प्राप्त हुआ है। अतः आदिवासी समाज अपनी पहचान को कायम रखना चाहता है। इसके लिए वह किसी भी ऐसे संभावित खतरे से बचाव का एकमात्र उपाय आधुनिक विश्व के विकास से स्वयं को दूर रखने में ही अपना हित मानता है। अपनी नृजातीय सांस्कृतिक विशेषताओं को अक्षुण्ण बनाए रखना चाहता है। पारंपरिक, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक विन्यासों को यथावत रखना चाहते है (कमलाकांत पटेल, 2018)।

मुख्यधारा से दूर जंगलों में निवास करने वाली आदिम जनजातियाँ आज भी सांस्कृतिक विलक्षणताओं के साथ जीवन यापन कर रही है। आदिवासी प्राचीन देवताओं यथा दुल्हादेव, नारायनदेव, सुरजदेव, माता-माई, खैरमाता, ठाकुरदेव, घनश्यामदेव, वाघेश्वर आदि कि आराधना करते है। आदिवासियों का प्रमुख आर्थिक आधार कृषि एवं वनोपज़ है तेंदुपत्ता, माहुलपत्ता, जलाऊ लकड़ी बीनना तथा बेचना, बांस कि बनी चीजें, पत्तल, दोना व शहद इकट्ठा करना आदि प्रमुख कार्य है। आदिवासी समाज मे सामूहिकता कि भावना ही व्यक्तियों को समूह मे बाँधे रखती है, यों तो आदिवासी समाज मे सामुदायिक भावना अधिक पायी जाती है तथा तीज, त्यौहार, मेला, हाट आदि मे जीवंत रूप मे दृष्टिगत होती है (ग्रोवर, 2016)।

आदिवासी एक सामाजिक प्राणी है और मानवीय विकास का चक्र निरंतर चलता रहता है। समाज और सरकार का कर्तव्य है कि प्रत्येक प्राणी सुखी सम्पन्न जीवन यापन करे। इस हेतु सरकार ने विभिन्न प्रकार की योजनाओं का क्रियान्वयन किया है। वर्तमान परिवेश में आदिवासी/ जनजाति समुदाय का विकास सरकार की प्रमुखता है क्योंकि देश के सर्वांगीण विकास में सभी समुदाय का विकास एवं सहयोग आवश्यक है। किसी एक समुदाय को छोड़कर देश का समग्र विकास नहीं किया जा सकता है (चन्द्र और नायक, 2018)।

आज के वर्तमान विकसित युग मे जहाँ विज्ञान और संचार के माध्यम से विकास हो रहा है उससे समाज का कोई भी वर्ग अछूता नही है ऐसे मे आदिवासियों मे भी एक तरफ जागरूपता आयी है, तो दूसरी तरफ इनकी समस्याएँ भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है क्योंकि जिस गति से जल, जमीन, जंगल, जानवर और स्थानीय संसाधनों का निर्वाध रूप से दोहन हो रहा है, जिस पर आदिवासी समुदाय का जीवन निर्भर है। आजादी के बाद से देश मे विभिन्न विकसोन्मुख योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया, इनमे से बहुत सारी योजनाएँ आदिवासियों के मूलनिवास, जंगलों एवं पहाड़ी क्षेत्रो मे कि गयी जिसके परिणामस्वरूप इनका विस्थापन प्रारम्भ हुआ और उनके अस्तित्व, अस्मिता, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं पर्यावरणीय स्थिति खतरे मे आ गयी है। जिस जल, जमीन, जंगल, जानवर, जमीर और पर्यावरण के साथ रहते थे उस पर से उनका अधिकार छिना जा रहा है जो चिंता का विषय है।

आदिवासी/अनुसूचित जनजाति का अर्थ एवं परिभाषाएँ

आदिवासी इस धरती पर सभ्य होने वाली सर्वप्रथम जातियों में से ही है कई सभ्यताओं को विकसित करने में आदिवासियों का महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन

विडम्बना है कि इन्ही लोगो को हम आदिवासी जैसे शब्दों से संबोधित करते है। 'आदिवासी' शब्द के विभिन्न पर्यायवाची तात्पर्य है, जैसे वनवासी, मूलनिवासी, देशज, गिरिवासी, गिरिजन, आदिम, जंगली। 'आदिवासी' शब्द मुख्यतः आदिकाल से निवास करने वाले व्यक्तियों के संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता रहा है। 'आदिवासी' आदिकाल से रहने वाली जातियों का ऐतिहासिक चित्रण करता है जो एक परंपरा और संस्कृति में जीवन निर्वाह कर रहे है।

आदिवासी शब्द अपने आप मे भ्रामक है क्योंकि आरम्भ मे इसके लिए अँग्रेजी में primitive (आदिम), Indigenous (देशज/देशीलोग) जैसे शब्द का प्रयोग किया गया था जिसका अर्थ होता है कबीले में निवास करने वाले ऐसे मानव समुदाय, जिनकी सभ्यता और संस्कृति का पूर्ण विकास नहीं हुआ था। सभ्यता का अर्थ जीवन जीने के ढंग से था जबकि संस्कृति का अर्थ संस्कार से लिया गया था। आधुनिक मानव मस्तिष्क मे 'आदिवासी' शब्द के उच्चारण से ही अनेक प्रतिबिम्ब सहज ही बनने लगते है। प्रत्येक सदी मे यह समाज उपेक्षित, अपमानित किया गया और सोची समझी साजिश के तहत वन-जंगलों मे जबरन भगाया जाता रहा। आदिवासी जो अपनी स्वतंत्र परंपरा सहित, सहस्रो वर्षो से घने जंगलों में रहने वाला संदर्भहीन मानव है, जो एक विशेष पर्यावरण में अपनी सामाजिक तथा सांस्कृतिक मूल्यों को जान की कीमत पर संजोए, प्रकृतिनिष्ठ, प्रकृति-निर्भर, लक्ष्य की खोज में शिकारी बना, मारा-मारा भटक रहा है। कभी राजनीतिक तथा सांस्कृतिक वैभव से इतराने वाला यह कर्तव्यशील मनुष्य, वर्तमान मे लाचार, अन्याय ग्रस्त तथा उपेक्षित जीवन यापन करनेवाला मानव वेदना से लाचार है। सूर्यास्त के साथ-साथ गिरिकुहरों में उसकी हलचल बंद हो जाती है जबकि सूर्योदय के साथ-साथ भोजन की खोज में वन की सकरी, कटीली तथा पथरीली पगडंडियों पर उसके नंगे पैर चलने लगते है। जंगल मे भोजन के लिए घूम-घूमकर थके उनके पैर, चिलचिलाती धूप मे तपी उसकी पीठ, यदि भोजन मिल भी जाए तो कंधे पर शिकार का बोझ, यही है आधुनिक भारत मे आदिवासी का करुणापूर्ण दृश्य, दिनभर भटकने के बाद आयी थकान को दूर करने के लिए थोड़ी सी रोशनी में मस्त महफिल में आनंद की अनुभूति लेने की क्रिया करता है। उस संगीत महफिल में आदिवासी स्त्री-पुरुष, बच्चे, युवक-युवतियाँ तथा बड़े-बूढ़े सामूहिक रूप से नृत्य करते है, गाते है और अपने सांस्कृतिक मूल्यों को सँजोये रखते है। ये मूल्य ही उनके सामूहिक जीवन की विशेषताएँ है। उनकी सांस्कृतिक समूह चेतना ही उनके जीवन की आधारशिला है (गुप्ता, रमणिका)। सामान्यतः आदिवासी का अर्थ

सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक समूह है जिनकी अपनी स्वायत्तशासी व्यवस्था होती है।

अनुसूचित जनजाति शब्द का सबसे पहले भारत के संविधान में प्रयोग किया गया था। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 366 (25) में अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित करते हुये बताया गया है कि "ऐसी जनजातियाँ या जनजातीय समुदाय या इसमे सम्मिलित जनजातीय समुदाय के भाग या समूहों को संविधान के प्रयोजनों हेतु अनुच्छेद 342 के अधीन अनुसूचित जनजातियाँ माना गया है" (https://hi.vikaspedia.in/social-welfare)। राष्ट्रपति किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के विषय मे वहाँ के राज्यपाल से सलाह के बाद सार्वजनिक अधिसूचना के द्वारा किसी आदिवासी जाति या आदिवासी जातियों, आदिवासी समुदायों या आदिवासी समुदायों के भागों या समूहों को निर्दिष्ट करके संविधान के उद्देश्यों के लिए या राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के संबंध में अनुसूचित जनजाति में अधिसूचित कर सकते है। भारतीय संसद कानून के द्वारा धारा (1) में निर्दिष्ट अनुसूचित जनजातियों की अधिसूची में किसी भी आदिवासी जाति या आदिवासी समुदाय या किसी भी आदिवासी जाति या आदिवासी समुदाय के किसी भी भाग को या समूह को शामिल कर या निकाल सकती है। (https://hi.vikaspedia.in/social-welfare)।

किसी भी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के परिपेक्ष्य में अनुसूचित जनजातियों का विशिष्टीकरण संबन्धित राज्य या केंद्रशासित प्रदेश की सरकारों के सलाह के बाद राष्ट्रपति अधिसूचित कर सकता है, तत्पश्चात केवल संसद की कार्यवाही के द्वारा संशोधित किया जा सकता है। अनुच्छेद 342 की धारा अनुसूचित जनजातियों की अधिसूचना अखिल भारतीय आधार पर न करके राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों के अनुसार करने का भी प्रावधान प्रदान करता है। भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजातियों के विशिष्टीकरण के लिए मुख्य रूप से आदिम लक्षणों, विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक एकांतवास, विकसित समाज से संवाद या संपर्क मे संकोच, पिछड़ापन, परंपरागत जीवन शैली जैसे लक्षण को आधार माना गया है। (https://hi.vikaspedia.in/social-welfare)।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366(25) में अनुसूचित जनजाति से आशय ऐसे जनजातियों या जनजातीय समुदाय से है जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजाति माना गया है।

रेमंड फर्थ ने आदिवासियों को परिभाषित करते हुये कहा है कि "आदिवासी समुदाय विशेष एक ही सांस्कृतिक श्रृंखला का मानव समूह है, जो साधारणतः एक ही

भूखंड पर रहता है, एक ही भाषा-भाषी है तथा एक प्रकार कि परम्पराओं व संस्थाओं का पालन करता है और एक ही सरकार के प्रति उत्तरदायी होता है" (मीना, हरीराम)। गिलिन एंड गिलिन ने अपनी पुस्तक 'कल्चर एंथ्रोपोलॉजी' मे लिखा है कि "स्थानीय जनजातीय समूहों का एक ऐसा समुदाय जनजाति कहलाता है जो एक सामान्य क्षेत्र मे निवास करता है, एक सामान्य भाषा का प्रयोग करता है तथा जिनकी एक सामान्य संस्कृति होती है" (शहनाज़ बेगम)।

मजूमदार ने कहा है कि "कोई जनजाति, परिवारों तथा पारिवारिक वर्गों का एक ऐसा समूह है जिसका एक सामान्य नाम होता है। जिसके सदस्य एक निश्चित भूभाग पर निवास करते है, एक सामान्य भाषा का प्रयोग करते है" (शहनाज़ बेगम)। जार्ज पीटर मर्डाक ने आदिवासी को परिभाषित करते हुये लिखा है कि "यह एक सामाजिक समूह होता है जिसकी एक अलग भाषा होती है तथा विशिष्ट संस्कृति व एक स्वतंत्र राजनैतिक संगठन होता है" (मीना, हरीराम)। भारत सरकार ने इन्हे भारत के संविधान कि 5वीं अनुसूची में 'अनुसूचित जनजाति' के रूप में मान्यता दी है और अनुसूचित जातियों के साथ ही इन्हे एक ही श्रेणी अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत रखा है, जो कुछ सकारात्मक कार्यवाही के उपायों के लिए पात्र है (मीना, 2010)।

सामान्यतः 'आदिवासी' शब्द 'प्राचीन काल से निवास करने वाली जातियों' के लिए प्रयोग किया जाता है। आदिवासी शब्द 'आदि' और 'वासी' दो शब्दो से मिलकर बना है जिसका अर्थ अनादि काल से किसी भौगोलिक स्थान में वास करने वाला व्यक्ति या समुदाय होता है (खर्टे, 2018)। मुख्यरूप से देखा जाए तो आदिवासी शब्द किसी भी जनजातीय भाषा मे नहीं पाया जाता है और न ही कभी प्राचीन काल मेँ इसका प्रयोग हुआ है। किसी भी आदिग्रंथ वेद, पुराण, संहिता, उपनिषद, रामायण, महाभारत, कुरान, बाइबिल आदि मे कहीं भी आदिवासी शब्द का उपयोग नहीं दिखायी देता है। इस शब्द का प्रयोग हिन्दी और संस्कृत मे समान रूप से 20वीं शताब्दी के आरंभ मे मिलता है। 1879 के बाद इस शब्द का प्रचलन तेजी से बढ़ा और लोगो ने विभिन्न प्रकार से उपयोग करना प्रारम्भ किया। 'आदिवासी' शब्द न तो आधिकारिक है, न संवैधानिक है और न ही सम्माजनक है। भारतीय संविधान के अनुसार इस शब्द का उपयोग किसी भी सरकारी दस्तावेज़ मे नहीं किया जा सकता है, फिर कुछ प्रदेश कि सरकारें और स्थानीय संगठन राजनीतिक परिपेक्ष्य मे जन मानस को जानबूझकर भ्रमित करने कि कोशिश में इसका प्रयोग करते हैं।

"आदिवासी से अभिप्राय यह है कि यह देश के मूल एवं प्राचीनतम निवासी हैं (अहमद, 2014)। आदिवासियों को परिभाषित करते हुए श्यामचरण दुबे लिखते हैं कि

"जनजातियों कि जड़ें इस देश में बहुत गहरी और पुरानी हैं। उनका परिवेश अगम्य भले ही रहा हो, किन्तु उसकी दूरी ने सांस्कृतिक प्रभाओं पर स्वाभाविक नियंत्रण रखा है, जनजातियों का समाज बोध सीमित और उथला है। अपनी सांस्कृतिक समग्रता, भाषाओं, संस्थाओं, विश्वासों और प्रथाओं के आधार पर समाज के शेष भागों में वे अलग दिखाई पड़ते हैं। जनजातियाँ समाजवादी भले ही न हो किन्तु उनमें आंतरिक स्तरण और विशेषीकरण बहुत कम होता है" (सिंह, 2017)। डॉ आर एन मुखर्जी ने 'People and Institutions of India' में जनजाति को परिभाषित करते हुए लिखा है कि "एक जनजाति वह क्षेत्रीय मानव समूह है, जो भू-भाग, भाषा, सामाजिक नियम और आर्थिक कार्य आदि विषयों में एक समानता के सूत्र में बंधा होता है" (पाण्डेय एवं पाण्डेय, 2012)। Oxford Dictionary में जनजाति को परिभाषित करते हुए लिखा गया है कि "एक जनजाति विकास के आदिम अथवा बर्बर आचरण में लोगों का एक समूह है जो एक मुखिया की सत्ता स्वीकारते हों तथा साधारणतया अपना एक समान पूर्वज मानते हों" (पाण्डेय एवं पाण्डेय, 2012)। Imperial Gazetteer of India में जनजाति को परिभाषित करते हुए लिखा गया है कि "एक जनजाति समान नाम धारण करने वाले परिवारों का संकलन है, जो समान बोली बोलते हैं, एक ही भूखंड पर अधिकार करने का दावा करते हैं तथा जो साधारणतया अंतर्विवाही न हों यद्यपि मूल रूप से चाहे वैसे रह रहे हों" (पाण्डेय एवं पाण्डेय, 2012)। Lucy Mair ने जनजाति को सरल शब्दों में परिभाषित करते हुए लिखा है कि "एक जनजाति समान संस्कृति वाली जनसंख्या का स्वतंत्र राजनीतिक विभाजन है" (पाण्डेय एवं पाण्डेय, 2012)। Hawell ने जनजाति को परिभाषित करते हुए लिखा है कि "कोई जनजाति एक सामाजिक समूह है, जो एक विशेष भाषा बोलती है तथा जिसकी अपनी विशिष्ट संस्कृति होती है, जो इन्हें दूसरे जनजातीय समूहों से अलग करते हैं" (पाण्डेय एवं पाण्डेय, 2012)। Rulph Piddington ने जनजाति को परिभाषित करते हुए लिखा है कि "हम एक जनजाति की व्याख्या एक ऐसे समूह के रूप में कर सकते है, जो समान भाषा बोलता हो, समान भू-भाग में निवास करता हो तथा जिसकी संस्कृति में समानता पायी जाती हो" (पाण्डेय एवं पाण्डेय, 2012)। उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि एक निश्चित भौगोलिक भू-भाग पर रहने वाले ऐसे मानव समुदाय से है जिनकी अपनी भाषा, संस्कृति, धर्म, रीति-रिवाज, परंपरा, व्यवसाय, नृत्य-संगीत, भेष-भूषा, कला-चित्रकारी और आवासीय स्वरूप, राजनीतिक नियम, सामाजिक संगठन होता है।

अध्ययन के उद्देश्य

प्रस्तुत शोध पत्र के द्वारा अध्ययनकर्ता निम्नलिखित तथ्यों को प्रस्तुत करना चाहता है-

1. वर्तमान समय में आदिवासी समाज के स्वतन्त्रता एवं विकास से संबन्धित संवैधानिक अधिकारों का विस्तृत अध्ययन करना
2. वर्तमान समय में आदिवासी समाज के स्वतन्त्रता एवं विकास से संबन्धित संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण एवं उसमें संशोधन की संभावना का विश्लेषण

शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोध पत्र अपने अध्ययन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए द्वितीयक आकड़ों पर आधारित है। द्वितीयक आकड़ें मुख्य रूप से विभिन्न पुस्तकों, शोध पत्रिकाओं, शोध ग्रन्थों, पुस्तकालयों, सरकारी कार्यालय से प्रकाशित योजना, वार्षिक पत्रिका, वार्षिक प्रतिवेदन, भारतीय संविधान में उल्लेखित अधिकारों पर आधारित है।

आदिवासी समाज और अर्थव्यवस्था-

आदिवासियों का जीवन आम लोगों से इस अर्थ में भिन्न है कि वे आधुनिकतावादी प्रवृत्तियों से पृथक नीति अपनाते हैं अर्थात अपनी भाषा, संस्कृति, परम्पराओं को आदिवासी समाज किसी भी प्रकार से छोड़ना नहीं चाहता है। आदिवासी सामान्यतः दूसरे समाज से दूर सुदूर जंगलों और दुर्गम क्षेत्रों में निवास करता है। मुख्य रूप से इनका जीवन यापन मुख्यतः प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित है, आज भी इनके सामाजिक परिवेश में ज्यादा परिवर्तन नहीं आया है। ये अपनी भाषा, संस्कृति, परम्पराओं और मान्यताओं को आज भी संजोकर रखे हुए हैं। आदिवासी समाज में संयुक्त परिवार की अवधारणा है, जहाँ पति-पत्नी को समान अधिकार होता है। आदिवासी समाज में सामाजिक व्यवस्था के लिए एक सामाजिक प्रणाली होती है, जिसमें समूह का एक मुखिया होता है जो सभी प्रकार की समस्याओं का निराकरण करता है और सामाजिक नियम बनाता है। परन्तु वर्तमान परिदृश्य में गाँव में समस्यायों का निराकरण ग्राम प्रधान/सरपंच करता है, इसके बावजूद सामाजिक दृष्टि से आदिवासियों में अपना एक अलग ही मुखिया होता है।

आदिवासियों की अपनी एक अलग धार्मिक परम्परा होती है। ये अधिकांशतः प्राकृतिक एवं उन सभी तत्वों की पूजा करते हैं जो इनके जीवन में प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से सहयोग करते हैं। ये अपने पूर्वजों की पूजा या आत्माओं की भी पूजा करते हैं, इनका मानना है कि इनके पूर्वज विभिन्न रूपों में आज भी विद्यमान हैं। प्रकृति के विभिन्न तत्वों जैसे नदी, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, वन, झील, जल निकायों, जमीन, जानवर, पर्वत-पहाड़

आदि प्राकृतिक संसाधनों की पूजा करते हैं क्योंकि इनका विश्वास है कि प्राकृतिक संसाधनों की पूजा उनके जीवन को सुरक्षित बनाएगी। वर्तमान समय में यह समाज विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के संपर्क में आने के बाद ये हिन्दू देवी-देवता और ईसाई देवी-देवता की भी पूजा करते हैं। आधुनिक समय में आदिवासी समाज में भी काफी परिवर्तन हो रहा है, ये दूसरे समुदाय को देखकर अपने आप को परिवर्तित कर रहे हैं जैसे खान-पान, रहन-सहन, वेशभूषा, भाषा, संस्कृति, व्यवसाय, त्यौहार मनाने, विभिन्न प्रकार के सामाजिक कार्यक्रम में काफी बदलाव हुआ है। भारतीय संविधान में इन समुदायों के सामाजिक-आर्थिक दशा में सुधार के लिए विभिन्न अधिकार दिए गए हैं साथ ही बहुत सारे कानून और योजनाएं क्रियान्वित की गई हैं, जिसके तहत इनके जीवन यापन में सुधार हो सके, परन्तु जिस दर से अपेक्षा की गई थी उतना नहीं हो पा रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि आज भी अधिकांश आदिवासी समाज शिक्षा में विस्तार होने पर भी अशिक्षित है, जिस कारण ये अपने अधिकारों का सही उपयोग करने में असमर्थ है, साथ ही आर्थिक दृष्टि से भी कमजोर है। आदिवासी समाज के मुख्य धारा में न आ पाने का मुख्य कारण यह है कि सरकार द्वारा बनाए गए कानून और योजनाओं का क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण जरूरतमंद लोगों को उसका वास्तविक फायदा नहीं मिल पा रहा है। इनके सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन में परिवर्तन पर आधुनिक संचार, विज्ञान और विकास का भी प्रभाव पड़ रहा है।

अर्थव्यवस्था का सीधा मतलब है, संस्था की अर्थशास्त्र प्रणाली। अर्थव्यवस्था को एक संस्थागत व्यवस्था के रूप में समझा जा सकता है जो व्यक्तिगत और सामुदायिक जीवन के लिए अस्तित्व के भौतिक साधनों के अधिग्रहण, उत्पादन और वितरण की सुविधा प्रदान करती है (Preffer, 1994). आदिवासी अर्थव्यवस्था पूर्णतः प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है; जल, जमीन, जंगल और जानवर इनकी अर्थव्यवस्था के मुख्य साधन हैं। सबसे अधिक मात्रा में ये वन संसाधनों से जीवकोपार्जन के साधन एकत्रित करते हैं, जैसे शिकार करना, फल-फूल, जड़, पत्ते, औषधि, घर बनाने तथा जलाने के लिए लकड़ी आदि का संग्रहण करते हैं। आदिवासी समाज में विभिन्न वस्तुओं का संग्रहण आवश्यकता पर आधारित है न कि लाभ पर, जिसके लिए परम्परागत ज्ञान-विज्ञान के साधनों का उपयोग करते हैं। आज भी अधिकांश समाज वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित है, इसका तात्पर्य यह है कि दूसरी वस्तु लेने के लिए उसके बदले में पैसा न देकर वस्तु देना होता है। वर्षों पहले तक ये लोग मौसम के अनुसार स्थानांतरण भी करते थे, परन्तु वर्तमान समय में ये स्थायी जीवन यापन करने लगे हैं, परिणामस्वरूप इनकी

अर्थव्यवस्था में काफी परिवर्तन हुआ है, ये आर्थिक क्रियाकलाप में आधुनिक तकनीक का भी सीमित प्रयोग करते हैं। आदिवासी वर्तमान में न सिर्फ प्राथमिक क्रियाकलाप में संलग्न होते हैं बल्कि द्वितीयक तथा तृतीयक क्रियाकलापों की तरफ अग्रसर हैं। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार आदिवासियों की आर्थिक दशा को सुधारने के लिए विभिन्न आर्थिक योजनाओं से सहायता प्रदान करने के लिए सदैव तत्पर है, परन्तु योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं हो पाने के कारण आज भी ये समाज अन्य समाज की अपेक्षा बहुत पिछड़े एवं संकुचित रूप से जीवन यापन कर रहे हैं। आज भी आदिवासी समुदाय ऋण जैसी सामाजिक जड़ता से ग्रसित है, जिससे इनके आय का बड़ा भाग मूलधन और ब्याज को चुकाने में चला जाता है, जिसके कारण ये ऋण जाल में फंसे रहते हैं और अंततः अपनी जमीन गिरवी रख देते हैं, फिर भी समाधान नहीं हो पाता तो आत्महत्या हेतु मजबूर हो जाते हैं। अतः इनकी सामाजिक-आर्थिक दशा को सुधारने के लिए उचित योजना बनाए जाने की जरूरत है।

"भारत के आदिवासी लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति संतोषजनक नहीं है। उनका जीवन स्तर अभी भी निम्न है। इसके अलावा आदिवासी विकास योजनाओं ने बहुसंख्यक आदिवासी लोगों के जीवन में कोई बदलाव नहीं लाया है। समावेशी विकास भारत के आदिवासी लोगों के विकास के लिए फलदायी और सुलभ नहीं बन पा रहा है" (Banothu, 2016).

आदिवासियों का संवैधानिक अधिकार-

भारतीय संविधान में सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक न्याय की स्थिति और अवसर की समानता, व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करने का प्रावधान है। भारत के नागरिकों को संविधान में उपलब्ध सभी अधिकार, जो संविधान या जल, जमीन, जंगल के किसी कानून या सरकार के किसी भी आदेश में निहित है, अनुसूचित जनजाति के लिए समान रूप से उपलब्ध है। आदिवासियों को भी सशक्त बनाने के लिए भारतीय संविधान में विभिन्न अधिकार दिए गए किन्तु ये जनजातियाँ पिछड़ी और शेष आबादी से अलग-थलग होने के कारण अपने अधिकारों का प्रयोग सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। संविधान के निर्माताओं ने इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि इन पिछड़ी जातियों को अलग से अधिकार देकर उन्हें सशक्त बनाया जा सकता है। कुछ लोग इन प्रावधानों को अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेषाधिकार कहते हैं लेकिन ये केवल सक्षम करने वाले प्रावधान हैं ताकि अनुसूचित जनजातियाँ अवसरों का लाभ उठा सकें और अपने अधिकारों और सुरक्षा उपायों का प्रयोग कर सकें।

आज के युग में जहाँ विज्ञान और संचार माध्यम में जिस तेज गति से विकास हो रहा है उससे समाज का कोई वर्ग अछूता नहीं है, ऐसे में आदिवासियों में भी एक तरफ जागृति आ रही है तो दूसरी ओर इनकी समस्याएँ दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि जिस गति से जमीन और जंगलों का निर्बाध रूप से दोहन हो रहा है जिस पर इनका जीवन निर्भर है। आजादी के बाद देश ने विभिन्न विकासोन्मुख योजनाओं का क्रियान्वयन किया, इनमें बहुत सारी योजनाएं आदिवासियों के मूलनिवास, जंगलों एवं पहाड़ी क्षेत्रों में की गई जिसके परिणामस्वरूप इनका विस्थापन शुरू हो गया, जो चिंता का विषय बन गया है।

भारतीय सामाजिक संरचना के निर्माण में ग्रामीण एवं शहरी संस्कृतियों के योगदान के साथ-साथ आदिवासी संस्कृति का भी अमूल्य योगदान रहा है। आदिवासी प्राचीन काल से ही सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से अन्य समाज के संपर्क से वंचित रहे हैं, फलस्वरूप विभिन्न विकासात्मक घटनाओं जैसे संचार, यातायात, व्यवसाय, स्वास्थ्य एवं कल्याणकारी योजनाओं के प्रभाव न होने के कारण परिवर्तन अपरिहार्य है। भारतीय आदिवासी समाज आज परिवर्तन के संक्रमण काल से गुजर रहा है क्योकि वह एक तरफ परंपरागत, ऐतिहासिक रूप से संस्कृति को संजोने में लगा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ उसमें परिष्कृत सभ्यता का प्रभाव भी परिलक्षित हो रहा है। इस तरह आदिवासी समाज में ग्रामीण एवं शहरी सभ्यताओं के कारण आर्थिक उन्नति कम, समस्याएँ ज्यादा तेजी से बढ़ी हैं, उनके संसाधनों पर विकास जैसे प्रभावी तत्व के कारण दोहन प्रारम्भ हो गया है, जिसको आदिवासी प्राचीन काल से संरक्षित करते हुए अपना अस्तित्व बनाए हुए थे। विकास जैसे तत्वबोध ने न केवल आर्थिक, बल्कि सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक स्वतन्त्रता को भी सीमित किया है। आदिवासी भाषा, धर्म एवं वेशभूषा में तेजी से परिवर्तन उनके अस्तित्व को संकट के द्वार पर ला दिया है।

देश की आदिवासी अथवा अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक स्थिति का अध्ययन व्यवहारिक एवं सैद्धांतिक रूप से महत्त्वपूर्ण है क्योंकि आदिवासी निर्जन एकांत में रहते आए हैं लेकिन वर्तमान औद्योगिक विकास की दृष्टि उनके क्षेत्र में संरक्षित संसाधनों के दोहन पर पड़ चुकी है, फलस्वरूप उनका स्थानांतरण बिना किसी समुचित पुनर्स्थापना के वहाँ से स्थानांतरित कर दिया जाता है जिसके कारण उनका अस्तित्व एवं अस्मिता की रक्षा का संकट आ गया है। इसके लिए सरकार उनके जीवन की अस्तिव एवं स्वतन्त्रता बनाए रखने के लिए विभिन्न अधिकार सुरक्षित किए है:

1. सामाजिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक सुरक्षा का अधिकार

व्यक्ति को सुखी, सम्पन्न एवं स्वतन्त्रता प्रदान करना है तो उनको उचित सामाजिक, स्वतंत्र सांस्कृतिक, उचित शिक्षा सुविधा प्रदान किया जाना मानव समाज के उन्नति के लिए नितांत आवश्यक है। इसी सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए विधि विशेषज्ञों ने भारतीय संविधान में व्यक्ति के सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक एवं स्वतन्त्रता का अधिकार निर्देशित किया है, जिसको भारत सरकार या राज्य सरकारें किसी व्यक्ति या समूह के अधिकार से वंचित नहीं कर सकती है, जो निम्नलिखित है-

(i) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत राज्य सरकार किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता/समानता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, का अधिकार सुरक्षित है।

(ii) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4) में जनजातियों के विकास के लिए विशेष प्रावधान उनके अस्तित्व एवं अस्मिता की सुरक्षा के लिए किया गया है।

(iii) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(5) आदिवासी समाज को संपत्ति के अधिकार की सुनिश्चितता देता है।

(iv) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 में मानव दुर्व्य व्यापार, भिक्षा एवं अन्य समान बलपूर्वक श्रम का प्रतिषेध किया गया है अर्थात बलात कार्य का पूर्णतः निषेध है।

(v) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 में बाल श्रम पूर्णतः निषेध है, कोई भी व्यक्ति या संगठन/संस्थान किसी भी स्थिति में किसी भी नाबालिग से किसी भी प्रकार का श्रम नहीं करवा सकता है।

(vi) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 में सामाजिक हितों के संरक्षण को सम्मिलित किया है, साथ ही किसी भी व्यक्ति या समूह की अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित रखने या पालन करने का अधिकार सुरक्षित किया गया है।

(vii) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 (अ) के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को अनुसूचित जनजातियों को उपलब्ध कराए गए

संवैधानिक सुरक्षा, समानता से संबंधित मामलों की जाँच, मूल्यांकन और अवलोकन करने का अधिकार निहित है।

(viii) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 में राज्य, सामाजिक और शैक्षणिक दशाओं तथा सामाजिक कठिनाइयों की जाँच करने तथा उनमें सुधार लाने के लिए एक आयोग की स्थापना करेगा।

(ix) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350 के अंतर्गत मातृभाषा में शिक्षण की स्वतन्त्रता का अधिकार प्रदान किया है।

2. राजनीतिक अधिकार

राजनीतिक अधिकार किसी व्यक्ति को उसके अस्तित्व का बोध कराता है कि उसकी भी अहमियत समाज में समान रूप से सामाजिक विकास, सामाजिक संचालन की सहभागिता में और राजनीतिक क्रियाशीलता से संबंधित है। भारत के संविधान में निम्नलिखित राजनीतिक अधिकार समान रूप से व्यक्ति को प्रदान किया गया है।

i. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164(1) में बिहार, मध्य-प्रदेश और उड़ीसा में जनजातीय अधिकारों की सुरक्षा के लिए जनजातीय कार्य मंत्रियों का प्रावधान निहित है।
ii. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत पंचायत चुनाव में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है जिससे सहभागिता में सबका प्रतिनिधित्व हो सके।
iii. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244(1) में पाँचवीं अनुसूची का प्रावधान है।
iv. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244(2) में छठी अनुसूची का प्रावधान है।
v. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 एवं 332 में लोक सभा तथा राज्य विधान मण्डलों में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण सामाजिक प्रतिनिधित्व के लिए प्रदान किया गया है।
vi. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों के संबंध में विशेष राजनीतिक प्रावधान सुरक्षित है।

3. आर्थिक सुरक्षा का अधिकार

मनुष्य अपने जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए सदैव शारीरिक एवं मानसिक रूप से क्रियाशील रहता है, यह क्रियाशीलता वह जीवन रक्षक सामग्री के संग्रहण के लिए करता है। आदिवासी समाज सदियों से जिन खाद्य संसाधनो पर

आश्रित रहा है आज वहाँ पर अन्य समाज, संगठन या सरकार द्वारा अधिग्रहण किया जा रहा है। भारत सरकार उनके आर्थिक स्थिति के समान अवसर को ध्यान में रखकर संविधान में उनके आर्थिक सुनिश्चितता का अधिकार सुरक्षित किए हैं। जो निम्नलिखित है-

i. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में राज्य के अंतर्गत किसी कार्यालय/संस्थान में रोजगार या नियुक्ति पर सभी भारतीय नागरिकों को समानता का अधिकार प्राप्त है।
ii. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(4) के तहत रोजगार में जनजातियों के लिए आरक्षण का विशेष प्रावधान सुरक्षित है, जिससे उनको विशेष अवसर मिल सके।
iii. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 37(1) (2) और (3) में नागालैंड, असम और मणिपुर के जनजातियों व पर्वतीय क्षेत्रों के सम्बंध में विशेष प्रावधान के तहत उनके अधिकार को सुरक्षित किया गया है।
iv. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 46 में कहा गया है कि राज्य विशेष रूप से कमजोर वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए प्रोत्साहन को बढ़ावा देगा ताकि उन्हें सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से बचाया जा सके।
v. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275 के अंतर्गत संविधान की 5वीं एवं 6ठी अनुसूचियों के अधीन आवृत विशेषीकृत राज्यों (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों) को विशेष अनुदान का प्रावधान उनके विकास को तीव्र करने के लिए प्रदाय है।
vi. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 335 में राज्य या संघ के कार्यकलाप से सम्बंधित सेवाओं और पदों के लिए नियुक्तियां करने में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखेगा।

आदिवासियों का भूमि व वन अधिकार-

भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची और अन्य राज्यों के क़ानूनों में आदिवासी समुदायों द्वारा वर्षों से खेती की जा रही भूमि का किसी भी प्रकार से हस्तांतरण प्रतिबंधित है। यह सर्वविदित है कि आदिवासियों का अधिकार वन क्षेत्र या उपज पर ऐतिहासिक काल से रहा है। स्वतन्त्रता से पूर्व औपनिवेशिक काल में आदिवासियों के भूमि पर अधिग्रहण एवं

वन अधिकारों से वंचित किया जाना प्रारम्भ हुआ क्योंकि वहां उपस्थित संसाधनों का दोहन व्यावसायिक उद्देश्य के लिए किया जाना शुरू किया गया, जबकि भारतीय वन अधिकार अधिनियम 1927 के तहत वन भूमि पर अतिक्रमण को अपराध माना गया है। स्वतन्त्रता के बाद भारत सरकार वनों के संरक्षण के लिए राज्य सूची में सम्मिलित कर दिया, जिससे उचित देखभाल हो सके। वनों के संरक्षण को ध्यान रखते हुए भारत सरकार ने पहली बार 1952 में राष्ट्रीय वन नीति बनाई, किन्तु प्रभावी नहीं रही। 1972 में भारत सरकार वन्य जीव हेतु वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया जिससे लाखों आदिवासी वनों से विस्थापित होने के लिए मजबूर हो गए, उनके इस विस्थापन से जल, जमीन, जंगल और जानवर का अधिकार उनसे छिन गया। इस विस्थापन के पुनर्वास पर सरकार का कोई सकारात्मक प्रयास नहीं दिखाई दिया। सरकार 1977 में 42वें संविधान संशोधन से वन को समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया, पुनः 1988 में इसमें संशोधन किया गया। यह अधिनियम वन भूमि के रूपान्तरण कि अनुमति वहाँ रह रहे निवासियों को जीवन निर्वाह के लिए देता है और वनवासियों के अधिकारों को वहाँ के वनों की क्षमता से जोड़कर उनके संग्रहण की प्रक्रिया में कटौती भी करता है।

आदिवासी अधिकारों की रक्षा के लिए 1996 में एक केन्द्रीय कानून लाया गया जिसमें आदिवासी क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को सामुदायिक वन और सामुदायिक भूमि पर सामुदायिक अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व सौंपा गया है। भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने भी वन क्षेत्रों में अतिक्रमणों की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए कई दिशा-निर्देश दिए हैं। 18 सितंबर, 1990 को जारी दिशा-निर्देशों में राज्य सरकारों को 25 अक्टूबर, 1980 के बाद, 1980 से पूर्व बसने वाले और अतिक्रमण करने वालों को बेदखल करने का प्रावधान किया गया है। पर्यावरण मंत्रालय ने वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत वर्षों से किसी विशिष्ट भूमि पर खेती करते आ रहे वनवासियों और जनजातियों को मालिकाना हक प्रदान करने की मान्यता दी गयी थी। यह अधिनियम वनवासियों एवं आदिवासियों के लिए अधिकार के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हुआ जिससे लाखों आदिवासियों एवं वनवासियों का स्थानांतरण होने से रुक गया। भारत सरकार आदिवासियों की महिलाओं की सुरक्षा व समानता के लिए समान भूमि अधिकार सुनिश्चित करती है जितना अधिकार भूमि पर पुरुष का है उतना ही महिलाओं का भी है।

पेसा अधिनियम, 1996

भारत सरकार ने जनजातियों के अस्तित्व को उनकी परम्पराओं सहित अधिकार के साथ सुरक्षित रखने के लिए भूरिया समिति के द्वारा 1995 में की गयी सिफारिशों के आधार पर

संसद ने 9 राज्यों (छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमांचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान) के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में संविधान के 'भाग 9 (पंचायती राज)' को 'पेसा कानून' 1996 के द्वारा विस्तारित किया। वर्तमान में यह अधिनियम देश के 10 राज्यों में लागू है। माननीय राष्ट्रपति ने अपने आदेश के द्वारा इन 10 राज्यों में आदिवासी बहुल क्षेत्रों में हस्तक्षेप/अतिक्रमण समाप्त करने के लिए उसको 'अनुसूचित क्षेत्र' घोषित किया है। इस कानून के प्रावधानों को सुचारु रूप से क्रियान्वित करने के लिए 'पंचायती राज मंत्रालय' जैसे एक नोडल मंत्रालय का गठन भी किया गया है। इस तरह यह कानून 2011 की जनगणना के अनुसार 10 राज्यों के 10.4 करोड़ जनजातीय जनसंख्या में से 7.6 करोड़ लोगों को सम्मिलित किया है, जो कुल जनजातियों की 73% जनसंख्या है। वहीं दूसरी तरफ भारत के उत्तर-पूर्व के जनजातिय क्षेत्रों में अतिक्रमण को रोकने एवं स्वायत्तता प्रदान करने के लिए छठी अनुसूंची में उत्तर-पूर्व के कुछ भाग को 'अनुसूचित क्षेत्र' में सम्मलित किया है, जिसमें भारत की लगभग 1.24 करोड़ जनजातियाँ निवास करती हैं। इस प्रकार पेसा अधिनियम एक बड़े क्षेत्र की आदिवासी जनसंख्या को शक्ति एवं स्वायत्तता प्रदान करता है।

पेसा एक्ट-1996 एक सरल, व्यापक और शक्तिशाली कानून है, जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के गाँवों को अपने क्षेत्र के संसाधनों के उपयोग और विभिन्न गतिविधियों पर अधिक नियंत्रण रखने की शक्ति प्रदान करता है। इस अधिनियम में यह प्रावधान है कि राज्य सरकारें अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों की ग्राम पंचायतों को 'स्थानीय स्वशासन' की परंपरागत संस्था को सशक्त करेंगी एवं उनकी शक्तियों का हस्तांतरण कर सुदृढ़ करेंगी। यह कानून ग्राम पंचायत को अपने समाज के परंपरागत ज्ञान, सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक संसाधनों का प्रबंधन, रीति-रिवाज और विवादों का निपटारा पारंपरिक रीति से करने के लिए स्वतंत्र एवं सशक्त बनाता है। सरकार को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य योजनाओं या कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए इस क्षेत्र के ग्राम पंचायत से परामर्श या स्वीकृति लेनी पड़ती है। पेसा अधिनियम ग्राम पंचायत को निम्नलिखित शक्तियां प्रदान करता है-

i. सरकार या किसी संस्थान द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं व कार्यक्रमों द्वारा खर्च की गयी धनराशि को ग्राम पंचायत द्वारा प्रमाणन कराना अनिवार्य।

ii. जल निकायों के उपयोग की योजना एवं उनका प्रबंधन करने की ग्राम पंचायत स्तर/ग्राम सभा पर स्वायत्तता।

iii. भूमि अधिग्रहण के मामलों में ग्राम पंचायत/ग्राम सभा से परामर्श एवं पुनर्वास को सुनिश्चित करना।

iv. मादक पदार्थों का निषेध करना या किसी मादक पदार्थ के विनिमय को विनियमित करना अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम पंचायत/ग्राम सभा को प्रदान किया गया है।

v. लघु वन उपजों पर आदिवासियों या वनवासियों का स्वामित्व सुनिश्चित कराना ग्राम पंचायत/ग्राम सभा को दिया गया है।

vi. भूमि स्थानांतरण को रोकना एवं किसी व्यक्ति के अधिग्रहित भूमि या नियम विपरीत बेची गई भूमि को वापस दिलाने का अधिकार पेसा एक्ट के तहत अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम पंचायत/ग्राम सभा को प्रदान किया गया है।

vii. अनुसूचित जनजातियों के लोगों को कर्ज देकर शोषण संबंधी गतिविधियों पर नियंत्रण करने का अधिकार ग्राम पंचायत/ग्राम सभा को दिया गया है।

viii. छिटपुट खनिजों के उपयोग के लिए लाइसेन्स अनुसूचित क्षेत्रों के ग्राम पंचायत/ग्राम सभा को दिया गया है।

ix. अनुसूचित क्षेत्रों में स्थानीय संसाधनों पर जनजातियों का अधिकार एवं नियंत्रण रखना ग्राम पंचायत/ग्राम सभा को प्रदान गया है।

x. ग्रामीण बाज़ारों का प्रबंधन एवं नियोजन ग्राम पंचायत/ग्राम सभा को दिया गया है।

xi. सभी संस्थाओं, संगठनों के द्वारा संचालित जनजातीय योजनाओं एवं उपयोजनाओं का सुचारू रूप से क्रियान्वयन करने का अधिकार भी ग्राम पंचायत/ग्राम सभा को पेसा एक्ट में दिया गया है। इस अधिनियम ने आदिवासियों के विकास के लिए बनाए गए कार्यक्रमों, योजनाओं और परियोजनाओं की सराहना करने के लिए ग्राम पंचायतों को शक्ति प्रदान किया है। कुल मिलाकर इस अधिनियम ने लोगों को जनजातीय क्षेत्र में किसी भी विकास कार्यक्रम के लिए अपनी भूमि और प्राकृतिक संसाधनों और ग्राम पंचायत/ग्राम सभा की सिफारिश को उचित स्तर पर संरक्षित करने का अधिकार प्रदान किया है।

पेसा अधिनियम जनजातीय समुदाय की परंपरागत रीतियों, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा प्रथागत तत्वों के संरक्षण को महत्वपूर्ण मानता है। कानून की धारा 4अ एवं 4द निर्देश देती है कि किसी राज्य के ग्राम पंचायत की कोई भी विधि उसके सामाजिक, धार्मिक,

सांस्कृतिक, प्रथागत एवं परंपरागत व्यवहारों के अनुरूप उसको संरक्षित एवं नीतियों में कार्यान्वित करेगी, जिससे उनकी अपनी पहचान बनी रहे। पंचायत अधिनियम 1996 जो पेसा के नाम से प्रसिद्ध है, संसद का एक कानून है न कि 5वीं एवं 6ठी अनुसूची जैसा संवैधानिक प्रावधान है जिसमें जनजातियों को सीमित स्वायत्तता का अधिकार प्रदान करती है। इस अधिनियम का पारित होना लोकतांत्रिक स्वतन्त्रता का अद्भुत उदाहरण है जो जनजातियों को स्वशासन व स्वायत्तता की व्यवस्था देता है जिससे अपनी शैली एवं प्रथागत नियमों से सामाजिक मूल्य व्यवस्था के साथ जीवन निर्वाह कर सके। पेसा के इस अधिनियम से आदिवासी क्षेत्रों में सामाजिक एकता और सार्वजनिक संसाधनों पर सर्वधिकार से स्थानीय समस्याओं पर नियंत्रण प्राप्त हुआ है।

भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास, पुनर्स्थापना अधिकार

औपनिवेशिक सरकार ने रेलवे जैसे बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए, वन भूमि के अधिग्रहण के लिए, भारतीय वन अधिनियम, 1865 पारित किया। औपनिवेशिक भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 जिसका मुख्य आधार है कि पूरे समुदाय का हित और दावा व्यक्तिगत हित से सदैव श्रेष्ठ होता है, जिसमें यह कहा गया है कि निजी भूमि पर राज्य सरकार का अधिकार होता है जिसका उपयोग सार्वजनिक उद्देश्य के लिए राज्य शक्ति के तहत मुआवजा देकर अधिग्रहित कर सकता है, के प्रावधानों के तहत राज्य सरकारों ने रेल पथ, सड़क पथ, बांधों, बुनियादी ढांचे के विकास, खनन और उद्योग, विशेष आर्थिक क्षेत्र आदि क्षेत्रों के निर्माण के लिए निजी भूमि का अधिग्रहण किया है लेकिन सरकारों ने ऐसे जनजातीय परिवारों को उपेक्षित किया जिनके पास भूमि स्वामित्व का कोई दस्तावेज़ नहीं था, जबकि वो पीढ़ियों से उस भूमि पर रहते और खेती करते आ रहे थे, पुनर्वास एवं पुर्नस्थापना का अधिकार प्राप्त किए बिना स्थानांतरण को मजबूर हुये (Sharda, Devi V)। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार, 1956 के रूप में माना गया है, लेकिन आज हम संपत्ति को कानूनी अधिकार के रूप में ही केवल देखते हैं न कि मौलिक अधिकार के रूप में, जो विस्थापित कमजोर वर्गों के लिए अलाभकारी नीति के तहत कार्य किया जाता है, विशेषकर आदिवासियों के संदर्भ में दिखाई देता है।

माननीय उच्चतम न्यायालय (1997) द्वारा दिया गया निर्णय एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है जो अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक सशक्तिकरण, आर्थिक न्याय, सामाजिक स्थिति और गरिमा के लिए आदिवासियों के भूमि अधिकारों की रक्षा करता है। इसी को ध्यान में रखते हुए भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता अधिनियम के साथ, व्यापक

पुनर्वास को कानूनी रूप से परियोजना से प्रभावित लोगों को पुनर्वास का अधिकार अनिवार्य रूप से कर दिया गया, जिससे आदिवासी स्थानांतरण बिना किसी मुआवजा के न हो। इसके अलावा यह भी कहा गया कि कोई भी राज्य सरकारें जब तक मालिक द्वारा या भूमि में रुचि रखने वाले व्यक्ति की इच्छा के बिना अपने उद्देश्यों के लिए भूमि का अधिग्रहण करने के लिए राज्य शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है (Xaxa, pp 254)।

औपनिवेशिक सरकार ने रेलवे जैसे बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए वन भूमि के अधिग्रहण के लिए भारतीय वन अधिनियम, 1865 पारित किया। बाद में, भारतीय वन अधिनियम, 1878 के अधिनियमन के माध्यम से, राज्य को व्यावसायीकरण/औद्योगीकरण के उद्देश्य के लिए वन भूमि पर एकाधिकार प्राप्त किया। इसके बाद भारतीय वन अधिनियम, 1927 पारित किया गया था, जिसे स्वतंत्रता के बाद चलाया गया और यह भारत में सभी वन कानूनों का आधार बना। जिसमें संरक्षित और सुरक्षित वन क्षेत्रों से वन उत्पाद प्राप्त करना, चरागाह, मत्स्य पकड़ना, जंगल की भूमि का कृषि कार्य में उपयोग करना प्रतिबंधित कर दिया गया (Vasan, 2009)।

वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 के माध्यम से वनों एवं जीवों के संरक्षण को आधार मानकर मध्य भारत के आदिवासी जो वन मालिक थे, वनों में निवास करते थे और उन्हें गिरफ्तार किया गया था और उन्हें मामूली अपराध के लिए कैद किया गया था (Vasan, 2009)। अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एक महत्वपूर्ण अधिनियम लाया गया, जिससे इनके अधिकारों को कानूनी मान्यता देने की प्रक्रिया शुरू की गयी और विकास परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित भूमि के लिए वन में रहने वाले लोगों के मुआवजे के लिए कानूनी अधिकार दिया गया लेकिन इस कानून के लागू होने से पहले ही आदिवासियों को बहुत नुकसान पहुँचाया जा चुका था (Xaxa, pp. 255)। भारत में वन विभाग, पर्यावरण विभाग और राज्य सरकारें पर्यावरण संरक्षण और विकास परियोजनाओं के लिए बिना भूमि पुनर्वास के भूमि अधिग्रहण कर आदिवासी समुदाय को विस्थापित किया है जिसमें राजस्व अधिकारियों और उच्च अधिकारियों के द्वारा क़ानूनों की गलत व्याख्या, दस्तावेज़ में हेरा-फेरी, आदिवासियों के पीढ़ियों से रहने के बावजूद कागजात न होने से उनकी भूमि को सरकारी भूमि घोषित कर बेदखल कर दिया गया। राष्ट्रीय उद्यानों के निर्माण के परिणामस्वरूप जबरन आदिवासियों का विस्थापन और पलायन हुआ है। न केवल सरकारें बल्कि बाहर से आए स्थानांतरित लोगों

ने भी आदिवासियों की भूमि का अधिग्रहण किया है। कई राज्यों की सरकारों ने पुनर्वास कानून बनाए हैं लेकिन उसका कोई धरातलीय क्रियान्वयन नहीं दिखाई देता है।

प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास के दायित्व के बिना राज्य सरकारें निजी स्वामित्व वाली भूमि का अधिग्रहण करने के लिए राज्य की अप्रतिबंधित शक्ति का प्रयोग करते हुए, बिना उचित मुआवजे, बिना स्थानापन्न भूमि के, बिना पुनर्वास सुविधा के, बिना उचित जीवन यापन/रोजगार की सुविधा के आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और पारिस्थितिकी अधिकार से वंचित कर दिया जाता है। क्या उनको कोई मुआवजा देकर उनके स्थायी जीवन यापन की स्थिति की भरपाई की जा सकती है, शायद ऐसा नहीं (Walter, 2008)।

केंद्र व राज्य सरकारें विस्थापित व्यक्तियों/ परियोजना प्रभावित व्यक्तियों या उनके पुनर्वास और पुर्नस्थापन के राज्यवार या जिलेवार आँकड़े नहीं तैयार करती हैं, जो विभिन्न समुदायों के विस्थापन के प्रतिकूल प्रभाव के लिए राज्यों की उपेक्षा का लक्षण प्रतीत होता है, लेकिन भारत के विभिन्न हिस्सों में बड़ी-बड़ी परियोजनाओं द्वारा विस्थापन से संबंधित विभिन्न अध्ययनों से पता चलता है कि सार्वजनिक प्राधिकरणों और निजी निगमों ने समान रूप से मामूली मुआवजे देकर, विस्थापित होने वाले समूहों से भूमि, वन और अन्य सामान्य संपत्ति संसाधनों को प्राप्त करने के लिए तो प्रयास किया है और सफल भी रहे हैं, लेकिन अधिकांश अध्ययन यह बताते हैं कि परियोजना प्रभावित लोगों का पुनर्वास अधिकांशतः असावधानीपूर्ण, आधे-अधूरे विस्थापन की स्थिति है, जो काम की तलाश में पलायन करने के लिए मजबूर होने के साथ विस्थापन से पहले की तुलना में बहुत बदतर स्थिति में हैं। इसके अलावा विस्थापित व्यक्ति (डीपी) और परियोजना प्रभावित व्यक्ति (पीएपी) जो बेहतर तरीके से संगठित और मुखर थे, वे उन लोगों की तुलना में अधिक बेहतर पाए गए और पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आर एंड आर) का लाभ प्राप्त कर पाए हैं, लेकिन जो अपने अधिकारों के लिए संगठित तरीके से संघर्ष नहीं कर सकते थे, खानाबदोश जीवन जीने के लिए मजबूर हैं।

फर्नांडिस और परांजयपे ने अनुमान लगाया कि स्वतंत्रता के पहले चार दशकों के दौरान बांधों, खानों, वन्यजीव अभयारण्यों, उद्योगों के कारण विस्थापित होने वाले लोगों की संख्या लगभग 21 मिलियन थी और सरकारी स्रोतों के अनुसार कम से कम 75 प्रतिशत का पुनर्वास नहीं किया गया है। महापात्रा ने बताया है कि 1947 से 1999 के बीच 25 मिलियन लोग पलायित हुए हैं (फर्नांडिज). आंकड़ों का अद्यतन राज्यों में

उपलब्ध अध्ययनों और विशेष अध्ययनों के आधार पर अनुमान किया है कि स्वतंत्रता के बाद से 2000 तक लगभग 60 मिलियन स्थानांतरित व्यक्ति या परियोजना प्रभावित व्यक्ति (डीपी/पीएपी) थे, तथा यह भी अनुमान लगाया था कि भारत के लगभग 25 प्रतिशत आदिवासी कम से कम एक बार स्थानांतरित व्यक्ति या परियोजना प्रभावित व्यक्ति (डीपी/पीएपी) बन चुके हैं, क्योंकि उनके क्षेत्र प्राकृतिक संसाधन से समृद्ध हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अभाव में योजना आयोग की रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि शोधकर्ताओं के आधार पर लगभग 60 मिलियन स्थानांतरित व्यक्ति या परियोजना प्रभावित व्यक्ति (डीपी/पीएपी) हैं। एक अनुमान के अनुसार भारत सरकार द्वारा स्थापित विकास परियोजनाओं के कारण विस्थापित होने वाले कुल 47 प्रतिशत लोग आदिवासी हैं। आंध्र प्रदेश, आसाम, गोवा, गुजरात, झारखंड, केरल, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, ओड़ीसा, सिक्किम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, कुल 13 राज्यों में 2,04,16,469 (20.41 मिलियन) लोग स्थानांतरित व्यक्ति या परियोजना प्रभावित व्यक्ति (डीपी/पीएपी) हैं जिसमें से 62,68,754 (30.70%) लोग आदिवासी समुदाय से हैं (Xaxa, pp 261)। बहुत सारे आँकड़े सरकारें दर्ज नहीं करती हैं जैसे हीराकुंड परियोजना में सरकार 1,10,000 स्थानांतरित व्यक्ति या परियोजना प्रभावित व्यक्ति (डीपी/पीएपी) दर्ज की है जबकि अध्ययन में पाया गया कि 1,80,000 लोग प्रभावित थे (Xaxa, pp 262)।

भारत में 1951 से 1990 तक बाँध, खनन, उद्योग, अभयारण्य और अन्य कारणों से कुल 213 लाख लोग स्थानांतरित हुए जिसमें केवल 53.80 (25%) लाख लोग पुनर्स्थापित किए गए जिसमें आदिवासियों की संख्या 85.39 लाख थी उसमें से केवल 21.16 लाख (25%) आदिवासी ही पुनर्स्थापित किए गए (Fenandes, 2000)। कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों ने 1973 के बाद से 86,728 लोगों को विस्थापित किया है जिसमें 14,487 आदिवासी थे और उनमें से केवल 11,621 आदिवासियों को पुनर्स्थापित किया गया। इन आदिवासी समुदायों से 5460.44 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया है(Xaxa, pp 263)।

आदिवासी विस्थापित होने के कुल मामलों में 1,39,56.84 हेक्टेयर भूमि खो दी, लेकिन पुनर्वास और पुनर्स्थापन के तहत केवल 91.16 हेक्टेयर भूमि दी गई और केवल 10,097 को ही नौकरी दी गई और 81 को दैनिक श्रमिक के रूप में नियोजित किया गया। आदिवासी लोग मुख्य रूप से कृषक हैं और वे आजीविका के लिए सार्वजनिक संपत्ति के साधन और वन पर निर्भर हैं और इस नुकसान की भरपाई नहीं होने से उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है (Basant, 2013)।

निष्कर्ष

केंद्र एवं राज्य सरकारें स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद जनजातियों के सामाजिक समानता, आर्थिक उन्नति तथा राजनीतिक सहभागिता के लिए विकास की दिशा और दशा में सुधार के लिए विभिन्न नीतियों एवं योजनाओं का क्रियान्वयन किया है, लेकिन आजादी के सात दशक बाद आज भी आदिवासी समाज उपेक्षित, शोषित, पीड़ित व अत्यंत पिछड़ा हुआ है। आज भी इन क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार, पेयजल, कृषि, पशुपालन एवं विकास का वातावरण जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। सरकारें तात्कालिक राजनीतिक लाभ के लिए हर साल हजारों करोड़ रुपए की योजनाएँ तो चलाती हैं लेकिन वास्तविक उद्देश्य पूरा नहीं कर पा रहीं हैं। देश में यह कैसा विकास एवं समृद्धि जिसमें आदिवासी समाज आज भी मुख्यधारा से दूर एकांत में प्राचीन परम्परा में जीवन यापन करने को विवश है। सरकारें आदिवासियों की संस्कृति और जीवन शैली को समझे बिना कल्याणकारी योजनाएं तो बना लेती हैं लेकिन ये योजनाएं सही रूप में वहाँ तक नहीं पहुँच पाती हैं। आदिवासी क्षेत्रों में औद्योगिक संसाधनों के दोहन से स्थानीय जल, जमीन, जंगल, जानवर से आदिवासी दूर होते जा रहे हैं, परिणामस्वरूप आदिवासी विस्थापित या पलायित होने को विवश है। स्थानांतरित आदिवासियों के लिए समुचित नीति व क्रियान्वयन न होने से शहरी क्षेत्रों की तरफ पलायित या खानाबदोशी जीवन जीने को मजबूर है। उनके लिए स्थानापन्न भूमि, पुनर्वास, पुनर्स्थापना जैसे अधिकार देने में सरकारें असमर्थ रही हैं, जिसके कारण उनकी संस्कृति, रहन-सहन, रीति-रिवाज, खान-पान, संस्कार एवं व्यवसाय प्रभावित होने से वह गरीबी, अशिक्षा, कुपोषित, बेरोजगारी और ख़ानाबदोश जिंदगी जीने को विवश हैं। पलायित एवं विस्थापित आदिवासी समाज संस्कृति के दोराहे पर खड़ा है, न तो वह मुख्य धारा में शामिल हो पा रहा है और न ही अपनी संस्कृति को बचा पा रहा है। आज जब भी जहां भी विकास की बात की जाती है, आदिवासी सहम सा जाता है क्योंकि सबसे पहले आदिवासी क्षेत्रों के संसाधनों के दोहन पर विकास की नींव रखी जाती है। आज जिस भी नीति के कारण जल, जमीन, जंगल, जानवर, व्यवसाय, स्थानापन्न भूमि, पुनर्वास, पुर्नस्थापना से संबन्धित कानून हो या फिर विभिन्न नीतियों के कार्यान्वयन से संबन्धित कानून हो सब में सबसे ज्यादा नुकसान आदिवासी समाज को ही उठाना पड़ता है। राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी, प्रशासनिक अधिकारियों की उदासीनता, प्रक्रियागत कमी और उचित निगरानी एवं मूल्यांकन नीतियों का अभाव योजनाओं के विफल होने का मुख्य कारण है। वर्तमान में अधिकारियों के खराब व्यवहारों के कारण आदिवासी समुदाय अपने अधिकारों की माँग करने में असमर्थ है।

आदिवासी समाज को विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए उनके सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य, आर्थिक, स्थानापन्न भूमि, पुनर्वास, पुर्नस्थापना, कृषि भूमि, सिचाई के लिए जल, वनोपाज़ संग्रहण, चरागाह जैसे समस्त अधिकारों को समय-समय पर निरीक्षण कर उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। भारत के आदिवासी समुदाय के सर्वांगीण विकास एवं कल्याण के अधिकारों की रक्षा के लिए योजनाबद्ध तरीके से योजनाएँ बनाने एवं क्रियान्वयन की जरूरत है, इसके लिए आदिवासियों की सामाजिक, आर्थिक, व राजनीतिक स्तर पर सहभागिता की नितांत आवश्यकता है। सरकार को आदिवासियों की शिक्षा (बौद्धिक एवं व्यावसायिक) पर ध्यान देने की जरूरत है, इसके अलावा जनजातियों को प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से कल्याणकारी योजनाओं तथा नीतियों के अधिकारों के बारे में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। ग्राम पंचायत को उचित अधिकार प्रदान कर जनजातियों की समस्याओं के निदान और उनके सर्वांगीण विकास के लिए सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन के माध्यम से कल्याणकारी योजनाओं का गठन, कार्यान्वयन तथा अवलोकन किया जाना चाहिए। भारत सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा आदिवासियों के कल्याण की बातें तो बहुत की जाती हैं परंतु गंभीरतापूर्वक विचार तथा योजना नहीं बनती है, इस पर गहन मंथन करने की जरूरत है। अंत में हम यह कह सकते हैं कि 'विकास' वर्तमान समाज एवं देश की आवश्यकता है लेकिन वह विकास संधृत होना चाहिए जो आर्थिक, सामाजिक एवं पारिस्थितिकी की दृष्टि से अनुकूल, सर्वजन हिताय और बहुजन सुखाय हो, जिससे देश का सर्वांगीण एवं समुन्नत विकास हो सके। विकास किसी भी समाज या संस्कृति के विनाश के समझौते पर कदापि नहीं होना चाहिए।

संदर्भ:

चंद्रा, डी. के. एंड नायक, पी. के. (2018). बिलासपुर जिले के बैगा जनजाति की शैक्षिक समस्याओं का अध्ययन. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ एडवांस्ड एजुकेशन एंड रिसर्च, 3*(3), 31-34.

पटेल, के. (2018). आदिवासी समाज की संस्कृति एवं वैश्वीकरण का प्रभाव. *TRANSFRAME 3*(4), 107.

ग्रोवर, के. (2016). औपनिवेशिक परिदृश्य में आदिवासी संस्कृति की भव्यता का नव्यता में संक्रमण. *जनकृति अंतरराष्ट्रीय पत्रिका, 2,* 16-17.

अहमद, श. श. बे. (2014). *आदिवासी साहित्य एवं विश्लेषण*. समता प्रकाशन.

सिंह, पी. (2017). नई सदी में आदिवासी साहित्य एवं अस्मिता का यथार्थ. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ हिंदी रिसर्च, 3*(2), 108-111.

मीना, एच. (2012). *आदिवासी दुनिया*. इंडिया: नेशनल बुक ट्रस्ट.

बेगम, ए., एंड शेख, एस., आदिवासी साहित्य स्वरूप एवं विश्लेषण. पृष्ठ 12.

गुप्ता, आर. (2013). *आदिवासी कौन*. राधाकृष्ण प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, पृष्ठ 26.

पाण्डेय, जी., एंड पाण्डेय, ए. (2012). *भारत की जनजातियाँ*. दिल्ली: राधा पब्लिकेशन्स.

खर्टे, ए. (2018). आदिवासी कौन हैं!https://jaykharte.blogspot.com/2018/03/blog-post.html. से प्राप्त.

मीना, आर. एल. (2010). नेतृत्व विहीन आदिवासी. प्रो. आर एल मीना, दिल्ली विश्वविद्यालय (blog). 2010. http://prof-rlmeena.blogspot.com/2010/07/blog-post_13.html. से प्राप्त.

https://hi.vikaspedia.in/social-welfare/90592894193894291a93f924-91c92891c93e92493f-91593294d92f93e923/92d93e930924-92e947902-90592894193894291a93f924-91c92891c93e92493f92f93e902

Pfeffer et al. (Eds) (1994). *Contemporary Society: Tribal Studies*. न्यू दिल्ली: कान्सैप्ट पब्लिशिंग कंपनी.

Sharda Devi V. State of Bihar (2003) SCALE 85 at pg. 98, para 31.

Vasan, S. (2009). Forest law, ideology, and practice. In Sundar, N. (ed.) *'Legal Grounds: Natural resources,identity, and the law in Jharkhand'*. New Delhi: Oxford University Press.

Fernandes, F., & Paranjype, V. (1997). Hundred years of displacement in India: Is the rehabilitation policy an adequate response? In Fernandes and Paranjype (eds) *Rehabilitation : Policy and law in india: Right to livelihood*. New Delhi: Indian Social Institute.

Walter, F. (1994). pp 22-32 in Pati 2000 as cited by Nihar Ranjan Mishra & Kamal K Mishra in *Displacement and Rehabilitation: Solutions for the Future*, Gyan Publications, 2012.

Mahapatra, L. K. (1999). Resettlement, impoverishment and reconstruction.

Walter, F. (2008). Development- induced displacement in India: Scale, impacts, and the search for alternatives. In '*India Social development report: Development and displacement*. Centre for Social Development, Oxford University Press. 2008.

Basant, J. (2013). Impact of Development- induced displacement and rehabilitation: A study of Piparwar Coal Area of Central CoalFields

Ltd. In Chatra District of Jharkhand. Unpublished MPhil dissertation in TISS, Mumbai.

Xaxa, V., et al. (2014). Report of The High Level Committee on Socio-Economic, Health and Educational Status of Tribal Communities of India, Ministry of Tribal Affairs, Government of India.

डिजिटल मीडिया में हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं की भूमिका: एक विश्लेषण

पवन कौंडल

सारांश

पिछले दशक के दौरान दुनिया भर में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। स्मार्ट फोन और कंप्यूटर के बढ़ते चलन ने लोगों को इंटरनेट का अधिक इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया है। आज सोशल नेटवर्किंग को सबसे लोकप्रिय ऑनलाइन गतिविधियों में से एक माना जाता है जिसमें फेसबुक और ट्विटर सबसे लोकप्रिय ऑनलाइन नेटवर्क के रूप में जाने जाते हैं। डिजिटल मीडिया ने हमारे व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों तरह के काम करने के तरीकों को लगभग बदल दिया है। डिजिटल मीडिया ने लगभग हर क्षेत्र पर अपना प्रभाव जमा लिया है। आज सूचनाओं के आदान-प्रदान में डिजिटल मीडिया का अहम योगदान है। ऑनलाइन पत्रकारिता ने अपनी अच्छी खासी पैठ जमा ली है और इससे हमारे खबरों को एक्सेस करने के तरीकों में बहुत बड़ा बदलाव किया है। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं भी इससे अछूती नहीं है। यह कहना गलत नहीं होगा कि पहले की अपेक्षा अब भारतीय भाषाओं का प्रसार बढ़ा है जिसमें डिजिटल मीडिया की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। प्रस्तुत शोधपत्र में डिजिटल मीडिया में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं की भूमिका और संभावनाओं की चर्चा की गई है।

संकेत शब्द: हिंदी, भारतीय भाषाएं, डिजिटल मीडिया, इंटरनेट, सोशल मीडिया

परिचय

भारत को विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों की विस्तृत श्रृंखला के साथ सबसे विविध देश माना जाता है। यूनेस्को द्वारा भारतीय भाषाओं को चार उप-श्रेणियों में विभाजित किया गया है। इन श्रेणियों में संवेदनशील, निश्चित रूप से लुप्तप्राय, गंभीर रूप से लुप्तप्राय और गंभीर रूप से संकटग्रस्त शामिल हैं। गौरतलब है कि लगभग 786 भारतीय भाषाओं में से पिछले 50 वर्षों के दौरान लगभग 220 भाषाएं लुप्त हो चुकी हैं (पाणिग्रही, 2017)। यह कहना गलत नहीं होगा कि जब इंटरनेट और डिजिटल दुनिया के शुरुआती दिनों में लगभग सभी भारतीय भाषाओं को अपना अस्तित्व तलाशना पड़ रहा था। लेकिन धीरे-धीरे डिजिटल तकनीक धीरे-धीरे डिजिटल तकनीक के प्रचलन और लोगों के बीच

इसकी आसान उपलब्धता ने अब असल में भारतीय भाषाओं की सामग्री को खाद-पानी देने का अच्छा काम किया है।

डिजिटल मीडिया में इंटरनेट एक साधन के रूप में कार्य करता है। दूसरे शब्दों में कई मीडियम जैसे वेबसाइट, मल्टीमीडिया और मोबाइल ऐप्स मिलकर डिजिटल मीडिया का निर्माण करते हैं। इंटरनेट के बगैर इन माध्यमों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इसलिए इंटरनेट को डिजिटल मीडिया का पूरक कहा जाता है।

हमारे देश में हिंदी भाषा बोलने वालों की संख्या 45 से 55 करोड़ के बीच है जो हिंदी को विश्व की सबसे लोकप्रिय भाषाओं में से एक बनाती है। लेकिन फिर भी ऑनलाइन दुनिया में हिंदी की स्थिति निराशाजनक है। हिंदी सामग्री कुल ऑनलाइन सामग्री का महज 0.1% है। चीन, जापान, रूस, पोलैंड, दुबई, सऊदी अरब जैसे देशों में स्थानीय भाषा कंटेंट ज्यादा मात्रा में ऑनलाइन उपलब्ध है। स्पष्ट रूप से, बाजार में उपयोगकर्ताओं को उस भाषा का विकल्प देने के लिए सामग्री प्लेटफ़ॉर्म को बढ़ाने की आवश्यकता है, जिसमें वे संवाद करना चाहते हैं (गुप्ता, 2016)। दूसरी ओर इंटरनेट और डिजिटल अर्थव्यवस्था ने आखिरकार यह समझ लिया है कि दुनिया विभिन्न प्रकार के लोगों से भरी हुई हैं जो विभिन्न भाषाएं बोल रहे हैं और इस पारिस्थितिक तंत्र में, स्थानीय सामग्री न केवल अपरिहार्य है, बल्कि समय के साथ-साथ इसकी प्रासंगिकता बढ़ना तय है (सहाय, 2019)।

इंटरनेट की उन्नति ने मीडिया को भी बहुत प्रभावित किया और इसने एक नई स्थिति के उभरने में योगदान दिया है जहां कई अखबारों और पत्रिकाओं ने अपने ऑनलाइन संस्करणों को प्रकाशित करना शुरू कर दिया है जिसने खबरों को पाठकों के डेस्कटॉप/हथेली पर ला दिया। इंटरनेट के आगमन ने अखबार उद्योग के लिए कई आशाएं और खतरे पैदा कर दिए हैं। इंटरनेट तकनीक से जहां समाचारों के उत्पादन और प्रसार के लिए नए रोमांचक बदलाव आए हैं, वहीं इसने पारंपरिक मुद्रित समाचार पत्र को खुद को बदलने के लिए दबाव भी डाला है।

वैश्वीकरण के बाद के युग से प्रिंट मीडिया अपने पाठकों को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए बड़े पैमाने पर परिवर्तन से गुजरा है। टेलीविजन समाचार और इंटरनेट पर खबरों के आगमन के बावजूद, भारतीय प्रिंट मीडिया ने न केवल अपने पाठकों को बनाए रखा है, बल्कि समय के साथ-साथ इसने प्रसार के मामले में भी अपना विस्तार किया है। अखबारों को हम 100 से भी अधिक वर्षों से देख रहे हैं। समाचार प्राप्त करने के इस सबसे

पुराने माध्यम ने दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई है। लेकिन इंटरनेट को 15 साल से भी कम समय लगा जब 2010 के अंत में, प्यू रिसर्च सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म के एक प्रोजेक्ट ने पाया कि पहली बार अखबारों की तुलना में लोगों ने इंटरनेट से ज्यादा खबरें प्राप्त कीं (रोसेनशियल और मिशेल, 2011)।

इन परिवर्तनों के मद्देनजर प्रिंट मीडिया डिजिटल तकनीक का भरपूर उपयोग कर रहा है। हिंदी अखबार भी इससे अछूते नहीं हैं, या यूं कहा जा सकता है कि आज की डिजिटल तकनीक भाषाई भेदभाव नहीं करती है। हर भाषा को यह एक समान रूप से देखती है। ऐसे में हिंदी भाषा का डिजिटल मीडिया में आकलन करना एक महत्वपूर्ण विषय हो सकता है।

हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं की ऑनलाइन स्थिति

भारतीयों के बीच बढ़ते इंटरनेट उपयोग के स्तर के साथ, स्थानीयकृत सामग्री की मांग एक सर्वकालिक उच्च स्तर पर है। आईएएमएआई की एक रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण आबादी मुख्य रूप से मनोरंजन के लिए इंटरनेट का उपयोग करती है। अगर इस मैट्रिक्स को बदलना है, तो यह समझना होगा कि उपयोगकर्ता क्या चाहते हैं। इसका जवाब अच्छी गुणवत्ता, आसान उपयोग और स्थानीय भाषा सामग्री साझा करने से हो सकता है। भारत के इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के बारे में सबसे खास बात यह है कि उनकी संख्या बहुत अधिक है। कम डेटा लागत और बढ़ते मोबाइल फोन के उपयोग को देखते हुए, हिंदी, तमिल, तेलुगु, बंगाली, कन्नड़ और मराठी जैसी भारतीय भाषाओं ने बड़े पैमाने पर डिजिटल स्थान में प्रवेश किया है। वर्ष 2007 में, *मलयाला मनोरमा* मोबाइल एप्लिकेशन लांच करने से डिजिटल मीडिया में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाला पहला क्षेत्रीय समाचार पत्र बना।

केपीएमजी (2019) की रिपोर्ट के अनुसार, मार्च 2019 तक भारत में 637 मिलियन इंटरनेट उपयोगकर्ता थे, जिसमें मार्च 2018 से 29% की वृद्धि हुई। इसमें 614 मिलियन अपने मोबाइल फोन के माध्यम से इंटरनेट का उपयोग करते हैं। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया कि 2025 तक अन्य 300 मिलियन उपयोगकर्ता ऑनलाइन होंगे जिनमें मुख्य रूप से कम से कम एक भारतीय भाषा बोलने वाले शामिल होंगे (गुप्ता, 2020) गूगल-केपीएमजी की एक अन्य रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताते हैं कि 2021 तक भारतीय इंटरनेट उपयोगकर्ता आधार बढ़कर 735 मिलियन हो जाएगा। भारतीय भाषा के

इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के 2021 तक 536 मिलियन तक पहुंचने के लिए 18% की सीएजीआर से बढ़ने की उम्मीद है, जबकि अंग्रेजी उपयोगकर्ताओं के केवल 3 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है जो इसी अवधि के भीतर सिर्फ 199 मिलियन तक ही पहुंचने की उम्मीद है। इससे पता चलता है कि स्पष्ट रूप से ब्रांडों के लिए विकास का अवसर क्षेत्रीय बाजारों में ही निहित है (गुप्ता, 2020)।

दूसरी ओर गूगल इंडिया और दक्षिण पूर्व एशिया के उपाध्यक्ष राजन आनंदन कहते हैं कि "अंग्रेजी खत्म हो गई है। केवल 200 मिलियन भारतीय हैं जो अंग्रेजी में कुशल हैं और वे पहले से ही इंटरनेट पर हैं। लगभग हर नये दस में से नौ उपयोगकर्ता जो ऑनलाइन आ रहा हैं, अंग्रेजी में कुशल नहीं हैं। इसलिए, यह कहना उचित होगा कि उपयोग की लगभग सभी वृद्धि गैर-अंग्रेजी उपयोगकर्ताओं से हो रही है"। केपीएमजी रिपोर्ट यह भी बताती है कि अकेले हिंदी भाषी उपयोगकर्ता अंग्रेजी बोलने वाले उपयोगकर्ताओं से आगे निकल जाएंगे और भारत में हिंदी इंटरनेट पर सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली भाषा होगी, जबकि मराठी, बंगाली, तमिल और तेलुगु भाषी इंटरनेट उपयोगकर्ता कुल भारतीय भाषा के इंटरनेट उपयोगकर्ता आधार का 30% हिस्सा होंगे।

फिक्की लैंग्वेज इंटरनेट अलायंस 2019 में आयोजित मराठी कॉन्क्लेव में ऑनलाइन भाषाओं के बढ़ते उपयोग और भारत के इंटरनेट परिदृश्य में इससे होने वाले बदलावों पर गहन चर्चा की गई। फिक्की और डिजिटल इकोनॉमी कमेटी, फिक्की के सह-अध्यक्ष और विप्रो के प्रमुख कॉर्पोरेट मामलों के अधिकारी परमिंदर काकरिया ने कहा, "भाषा लोकतंत्रीकरण लाखों भारतीयों के लिए डिजिटल सशक्तीकरण लाएगा और उन्हें इंटरनेट की शक्ति का दोहन करने में मदद करेगा।" टेक कंपनियां भी सरकार से सभी भाषाओं में विशेष रूप से स्वास्थ्य के मुद्दों के रिकॉर्ड को अनिवार्य रूप से प्रकाशित करने और उन्हें ऑनलाइन उपलब्ध कराने का आह्वान कर रही हैं। गूगल द्वारा शुरू की गई एक पहल आईएलए, भारतीय भाषाओं को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। यह हिंदी में वॉइस कमांड से सामग्री खोजने का एक प्रारंभिक कदम था। वर्तमान में चार और भाषाओं- तमिल, तेलुगु, मराठी और बंगाली को गूगल प्लेटफार्मों पर लाया गया है जो अगले वर्षों में बढ़ने की उम्मीद है (दास, 2019, पैरा 1)।

इसी कॉन्क्लेव में चर्चा हुई कि कैसे वोकल जैसे स्टार्ट-अप और ऐप विकसित किए गए हैं, जो इंटरनेट प्लेटफॉर्म पर सभी के लिए वर्नाक्यूलर एक्सेस करके भारत के गैर-

अंग्रेजी बोलने वाले उपयोगकर्ताओं को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। बकौल अप्पम्या राधाकृष्ण, कोफाउंडर और वोकल के सीईओ ने कहा, "वोकल एकमात्र कंपनी है जो भारत में ज्ञान के लिए एक मंच तैयार कर रही है। यह किसी भी उपयोगकर्ता को सक्षम करता है जो अंग्रेजी में अपनी भाषा में प्रश्नों के उत्तर पूछने और प्राप्त करने में सक्षम होने के लिए असहज है। वोकल 10 अलग-अलग भारतीय भाषाओं में है। यह अंग्रेजी और गैर-अंग्रेजी आबादी के बीच मौजूद ज्ञान असमानता को तोड़ने में मदद करता है और इसलिए जो आर्थिक असमानता मौजूद है, उसे पाटता है" (दास, 2019, पैरा 6)।

इसके मद्देनजर अगर आंकड़ों पर गौर करें तो पाते हैं कि स्थानीय भाषा इंटरनेट उपयोगकर्ता 47 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से बढ़ रहा है। स्थानीयकरण अब भारत की डिजिटल क्रांति का एक प्रमुख हिस्सा लगता है। कुलकर्णी (2019) के अनुसार "अगर इंटरनेट भारतीय भाषाओं में पेश किया जाता है, तो इससे 205 मिलियन नए इंटरनेट उपयोगकर्ता जुड़ सकते हैं" (दास, 2019, पैरा 7)।

डिजिटल कंटेंट, भारतीय भाषाएं और बाजार

डेटालैब्स बाय इंक के अनुसार भारत में वर्नाकुलर कंटेंट का अनुमानित बाजार 53 बिलियन डॉलर(2021) का है। ऐसे अनुकूल बाजार रुझानों के चलते स्टार्टअप में निवेश तेजी से बढ़ रहा है। 2014 और 2019 के बीच क्षेत्रीय भाषा के स्टार्टअप में कुल धनराशि लगभग 708 डॉलर मिलियन थी जो 49 सौदों में निहित थी। इसके अंतर्गत शीर्ष वित्त पोषित स्टार्टअप शेयरचैट (224 मिलियन डॉलर), डेलीहंट (124 मिलियन डॉलर), रोपोसो (38 मिलियन डॉलर) और प्रतिलिपि (24.5 मिलियन डालर) है (सिंह, 2019)।

अगर हम बाजार, सोशल मीडिया और चैट एप्स के डिमांड साइड को देखें, तो डिजिटल एंटरटेनमेंट और ऑनलाइन न्यूज वर्नाकुलर स्पेस में सबसे सफल उत्पाद हैं। केपीएमजी की रिपोर्ट बताती है कि भारतीय भाषा इंटरनेट उपयोगकर्ताओं द्वारा ऑनलाइन प्रति सप्ताह 530 मिनट खर्च किए गए जिसमें से 62% (328 मिनट प्रति सप्ताह), सिर्फ इन अनुप्रयोगों पर है। यह देखते हुए कि भारत में अधिकांश इंटरनेट उपयोगकर्ता नए इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं, उन्हें इंटरनेट की संभावनाओं और विभिन्न अनुप्रयोगों का बहुत कम ज्ञान है। यही वजह है कि क्षेत्रीय भाषा की सामग्री जल्दी से वायरल होती है जहां अफवाहें और फेक न्यूज भी बहुत जल्दी फैलते हैं। शहरी भारत के विपरीत जो फेसबुक, नेटफ्लिक्स या ट्विटर जैसे प्लेटफार्मों से भली-भांति परिचित हो गये हैं, वे इन प्लेटफार्मों पर पहले की तुलना में ज्यादा समय बिता रहे हैं। बढ़ी हुई स्मार्टफोन पैठ के साथ सस्ते हाई-स्पीड इंटरनेट

के संयोजन ने भारत में इंटरनेट डेटा की खपत को बढ़ाया है। भारत में डेटा की खपत 2017 में 3.5 जीबी प्रति माह से बढ़कर 2021 में 17.5 जीबी प्रति माह होने की उम्मीद है। इसका मतलब है कि पांच वर्षों में पांच गुना उछाल, जो डिजिटल बाजार के लिए अच्छा संकेत प्रतीत होता है। और इसमें वर्नाकुलर स्पेस का बहुत योगदान है। इसे निरंतर बनाए रखने के लिए क्षेत्रीय भाषा की सामग्री की विविधता को बढ़ाना आवश्यक है - न केवल विभिन्न प्रारूपों में अधिक सामग्री प्रकाशित करना, बल्कि उन अनुप्रयोगों को विकसित करना जो अधिक क्षेत्रीय भाषाओं का समर्थन कर सकते हैं (सिंह, 2019)।

डिजिटल मार्केटिंग एक व्यवसाय को अपने दर्शकों तक पहुंचाने और उन्हें वफादार ग्राहकों में बदलने में मदद करती है। जब आप डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं, तो आप गूगल, फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम और ट्विटर जैसे ऑनलाइन चैनलों पर अभियान चलाना सीखते हैं, जहां अधिकांश ऑनलाइन उपयोगकर्ता पहले से ही सक्रिय हैं। इन ऑनलाइन चैनलों पर गैर-अंग्रेजी बोलने वाले दर्शकों की वृद्धि के साथ, महत्वाकांक्षी भाषा बोलने वाले डिजिटल विपणक के लिए एक बड़ा अवसर है। इसलिए यदि आप अपनी मूल भाषा को अच्छी तरह से जानते हैं और अंग्रेजी भाषा के साथ इतने अच्छे नहीं हैं, तो आप अभी भी एक डिजिटल मार्केटर के रूप में अच्छा कर सकते हैं। बीबीसी के अनुसार, भारत में 125 मिलियन से अधिक अंग्रेजी बोलने वाले हैं ; 1.3 बिलियन लोगों के देश में बहुत कम संख्या। इसलिए, हमारी अधिकांश आबादी गैर-अंग्रेजी बोलने वालों की है। केपीएमजी द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार, 70 प्रतिशत इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को स्थानीय भाषा की डिजिटल सामग्री अंग्रेजी भाषा की सामग्री की तुलना में अधिक विश्वसनीय लगती है। केपीएमजी का अनुमान है कि 2021 तक 201 मिलियन हिंदी भाषी इंटरनेट यूजर्स होंगे। हिंदी भी टॉप 10 हाई डिमांड बिजनेस लैंग्वेज में से एक है। दूसरे देशों की बात करें तो चीन और अमेरिका जैसे देशों में सिर्फ एक या दो आधिकारिक भाषाएं हैं वहीं भारत में 6,000 से अधिक बोलियों के साथ 22 आधिकारिक भाषाएं हैं। इसलिए, यह बड़ा, नेट-सेवी अप्रयुक्त बाजार भारत को दुनिया भर से नए-पुराने व्यवसायों में सबसे अधिक मांग वाला बनाता है।

वर्नाकुलर या मातृभाषा के उपयोगकर्ताओं को तीन व्यापक खंडों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहले वे उपयोगकर्ता जो अपनी भाषा को बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं और साथ ही अपने फोन से मूलत: अपनी भाषा में ही सोशल मीडिया और ऑनलाइन

सामग्री की खपत करना और साथ ही अपनी फोन की सेटिंग इत्यादि भी अपनी भाषा में ही रखते हैं। इस तरह के लगभग 20 प्रतिशत उपयोगकर्ता होते हैं।

भारतीय भाषा इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के 2021 तक का अनुमान

भाषा	उपयोगकर्ता (मिलियन में)	उपयोगकर्ताओं का प्रतिशत
हिंदी	201	38
मराठी	51	9
बंगाली	42	8
तमिल	32	6
तेलुगु	31	6
गुजराती	26	5
कन्नड़	15	5
मलयालम	17	3
अन्य	110	20

स्रोत: केपीएमजी इंडिया एंड गूगल

दूसरे ऐसे उपयोगकर्ता जो अपने बेसिक फोन की सेटिंग तो अंग्रेजी में रखते हैं लेकिन ऑनलाइन सामग्री और सोशल मीडिया अपनी भाषा में ही इस्तेमाल करते हैं। इस तरह के लगभग 30 प्रतिशत उपयोगकर्ता होते हैं। तीसरे वे उपयोगकर्ता (लगभग 30 प्रतिशत) होते हैं जो फोन सेटिंग और सोशल मीडिया तो अंग्रेजी में करते हैं लेकिन ऑनलाइन सामग्री की खपत अपनी भाषा में करते हैं (झा, 2019)।

यह कहना गलत नहीं होगा कि आज स्थानीय उपयोगकर्ता अपना ज्यादातर समय इंटरनेट (विशेषकर स्मार्टफ़ोन) पर अन्य मीडिया (टीवी, प्रिंट और रेडियो) की तुलना में बिता रहे हैं। सोशल मीडिया और कंटेंट इंटरनेट पर समय की खपत को बढ़ाते हैं, ग्रामीण खपत शहरी की तुलना में अधिक नजर आती है।

रेडसियर (2018) की रिपोर्ट 'वर्नाकुलर इज नॉट द फ्यूचर, नॉट द फ्यूचर' 121 शहरों और कस्बों में और 2,400 इंटरनेट उपयोगकर्ताओं और 600 गैर-इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को लेकर आयोजित की गई। इस अध्ययन का उद्देश्य भारत में विशेषकर डिजिटल स्पेस में अंग्रेजी-पहले बनाम वर्नाक्यूलर-प्रथम उपयोगकर्ताओं की प्राथमिकताओं और खपत के पैटर्न को समझना था। रेडसियर के संस्थापक बताते हैं कि

"इस अध्ययन के माध्यम से, हमने पाया कि भारत ने छोटे शहरों और गांवों से संचालित पिछले 10 वर्षों में 8X की गति से इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को जोड़ा है, न कि बड़े शहरों द्वारा, जहां उपयोगकर्ता पहुंच, सामर्थ्य और आकांक्षाओं के कारण डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र में प्रवेश कर रहे हैं। साथ ही वे बताते हैं कि, "शीर्ष 50 शहरों में आज इंटरनेट उपयोगकर्ता आधार का 20% से कम हिस्सा है, और अगले पांच वर्षों में समग्र इंटरनेट उपयोगकर्ता आधार के प्रतिशत के रूप में घटता रहेगा। इस संदर्भ में, विज्ञापनदाताओं के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वे उपयोगकर्ता आधार को एक विमुद्रीकरण लेंस से देखें और समझें कि इन उपयोगकर्ताओं द्वारा इंटरनेट पर बिताया जाने वाला समय कैसे बदल रहा है, क्योंकि अब सोशल मीडिया पर खर्च किए गए कुल समय का वर्नाक्यूलर प्लेटफॉर्म 56% है" (झा, 2019)।

हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में सोशल मीडिया

सोशल मीडिया अब सिर्फ अंग्रेजी भाषा के लिए काम नहीं करता है। अब 'ग्लोबल लैंग्वेज' का चलन होने के बावजूद सोशल मीडिया पर रीजनल कंटेंट का चलन बढ़ता जा रहा है। भारत की बात करें तो पहले हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के लोगों के लिए सोशल मीडिया पर काम करना मुश्किल था, लेकिन अब यह स्थिति बदल चुकी है। लोग अपनी भाषाओं का उपयोग खुलकर और गर्व के साथ करने लगे हैं। फेसबुक जो कि देश के सबसे लोकप्रिय सोशल मीडिया ऐप में से एक है, 13 स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध है। आंकड़ों पर गौर करें तो 2018 की तीसरी तिमाही में 2.2 बिलियन से अधिक मासिक सक्रिय फेसबुक उपयोगकर्ता थे, जो दुनिया के लगभग आधे इंटरनेट उपयोगकर्ताओं में से थे।

अग्रणी कंटेंट जेनरेशन प्लेटफॉर्मो ने पहले से ही हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया है। आज यूट्यूब वीडियो का 95% कंटेंट क्षेत्रीय भाषाओं में है और डेलीहंट और शेयरचैट जैसे ऐप लोगों को कई भाषाओं में सामग्री का उपभोग करने की अनुमति दे रहे हैं। फेसबुक और गूगल ने क्षेत्रीय सामग्री के बड़े पैमाने पर वितरण को आगे बढ़ाते हुए, शानदार सामग्री पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया है (गुप्ता, 2020)।

माइक्रो-ब्लॉगिंग नेटवर्क ट्विटर ने उपयोगकर्ताओं को सात भारतीय भाषाओं में सामग्री को निजीकृत करने में मदद करने के लिए अपनी वेबसाइट को 2019 में फिर से डिज़ाइन किया है। पिछले पांच वर्षों में ट्विटर का यह सबसे बड़ा बदलाव जो अपने

मोबाइल ऐप को उपयोगकर्ताओं के अनुरूप बनाने के लिए सुधार करना चाहता है। इसका उद्देश्य बुनियादी डेटा कनेक्शन पर वेबसाइट को आसानी से एक्सेस करना भी है (मंडाविया, 2019)।

गूगल भी अपने ऐप्स और सेवाओं-एंड्रॉइड स्मार्टफ़ोन पर कुछ सर्वव्यापी लोगों को क्षेत्रीय भारतीय भाषाओं का समर्थन करने के लिए तैयार कर रहा है। शेयरचेट एक लोकप्रिय ऐप है जो आपको विविध सामग्रियों को साझा करने की अनुमति देता है। इसके 10 भाषाओं और 27 बोलियों में उपलब्ध होते हुए 3.5 मिलियन से अधिक दैनिक सक्रिय उपयोगकर्ता हैं। डेलीहंट 150 मिलियन से अधिक ऐप इंस्टॉल करने वाला एक प्रमुख समाचार एग्रीगेटर है जो 14 स्थानीय भाषाओं में कंटेंट प्रदान करता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्टफोन के बढ़ते उपयोग से स्थानीय भाषा के इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है। उपयोगकर्ताओं का यह बढ़ता समूह अपनी भाषा में सूचना और मनोरंजन के लिए भूखा है। डिजिटल सामग्री में अपनी भाषा को ढूंढना बाजारों के लिए संकेत है कि वे कैसे अपने ब्रांड को नए दर्शकों तक पहुंचने की अनुमति देता है।

माइक्रोसॉफ्ट भी अंग्रेजी से हिंदी, बंगाली और तमिल में वास्तविक समय के भाषा अनुवाद में सुधार करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप नेटवर्क की शक्ति का लाभ उठा रहा है। इसमें कंटेंट के अनुवाद के अलावा कई ऐसे भाषाई टूल्स हैं जिनकी मदद से स्थानीय भाषाओं में डिजिटल कंटेंट तैयार किया जा सकता है।

निष्कर्ष

एक भाषाई लोकतंत्रीकरण अधिक से अधिक भारतीयों को कंप्यूटिंग और इंटरनेट की शक्ति का अनुभव करने में मदद करता है। भारत की बढ़ती डिजिटल साक्षरता को भी बहुभाषी डिजिटल दुनिया द्वारा समर्थित होने की आवश्यकता है। आज डिजिटल मीडिया का उपभोक्ता अपनी भाषा और खासकर हिंदी को समर्थन दे रहा है। आज स्मार्टफोन किसी के लिए भी जानकारी का सबसे तीव्र स्रोत है। भारत के विषय में जैसे जैसे इंटरनेट की गति बढ़ रही, उसी रफ्तार से उपभोक्ताओं की संख्या भी बढ़ती जा रही है। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि डिजिटल मीडिया में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं का भविष्य उज्ज्वल है जैसा कि ऊपर दिए गए आंकड़ों से भी ज्ञात होता है।

संदर्भ

पाणिग्रही, एस. (2017). इंडियाज एनडेंजर्ड लैंग्वेजेस नीड टू बी डिजिटली डाक्यूमेंटेड. *द वायर*. https://thewire.in/society/india-endangered-languages-need-to-be-digitally-documented से प्राप्त.

गुप्ता, के. (2016). भारतीय संदर्भ में सोशल मीडिया में स्थानीय भाषा का महत्व.

सहाय, ए. (2019). *मूव ऑवर इंग्लिश-विंग्लिश एज वर्नाकुलर कंटेंट इज सेट टू रूल द डिजिटल इकोसिस्टम।* https://yourstory.com/2019/10/vernacular-content-digital- ecosystem?utm_pageloadtype=scroll से प्राप्त।

रोजेंस्टियल, टी. एवं मिशेल, ए. (2011). द स्टेट ऑफ द न्यूज़ मीडिया. *ओवरव्यू*.

केपीएमजी रिपोर्ट (2019). भारत का डिजिटल भविष्य.

गुप्ता, वी. (2020)। *व्हाए वनार्कुलर इज द बिग गेम फॉर डिजिटल मार्केटियर्स टियर्स।* https://brandequity.economictimes.indiatimes.com/news/marketing/why-vernacular-is-the-big-game-for-digital-marketers/73093513 से प्राप्त।

दास, एम. (2019). रीजनल लैंग्वेजेस चेंजिंग इंडियांस इंटरनेट लैंडस्केप। https://mediaindia.eu/society/regional-languages-changing-indias-internet-landscape/ से प्राप्त/।

सिंह, एस. (2019) *इंडियाज वर्नाकुलर इंटरनेट बूम सर्व्स एजएज रीलिफ फॉर एन्क्शियस स्टार्टअप इन्वेस्टर्स।* https://inc42.com/datalab/the-business-opportunity-in-the- vernacular- content-market-of-india/ से प्राप्त

झा, एल. (2019). मॉस्ट ऑफ इंडिया डिजिटली मोनेटेजाइबल यूजर्स वांट वर्नाकुलर कंटेंट. Most of India's digitally monetizable users want vernacular content: Report (livemint.com) से प्राप्त

गुप्ता, वी (2020). व्हाए वर्नाकुलर इज द बिग गेम फॉर डिजिटल मार्केटर्स. https://brandequity.economictimes.indiatimes.com/news/marketing/why-vernacular-is-the-big-game-for-digital-marketers/73093513 से प्राप्त

मंडविया, एम. (2019)। ट्विटर वेब आपको इसे 7 भारतीय भाषाओं में कहने की अनुमति देता है

अमरकंटक भूदृश्य के सामाजिक-सांस्कृतिक आयाम

डॉ जानकी प्रसाद

सारांश

प्रस्तुत शोध पत्र में अमरकंटक की एक सांस्कृतिक भूदृश्य के रूप में व्याख्या की गयी है तथा मनुष्य के सामाजिक और सांस्कृतिक क्रिया- कलापों एवं प्राकृतिक वातावरण के अंतर्क्रिया से निर्मित भूदृश्य को प्रस्तुत किया गया है। ग्रामीण जनजातीय अंचल के बीच नर्मदा के उत्पत्ति स्थल के निकट विकसित अमरकंटक एक छोटा क़स्बा है जिसकी सामाजिक और आर्थिक गतिविधियाँ धार्मिक कार्यों से प्रभावित हैं। धार्मिक स्थल होने के कारण यहां आस्था का गहन समावेश है तथा संस्कृति के वाहक के रूप में मंदिर व् न्यास हैं। मेकल पर्वत का यह क्षेत्र सदियों से गोंड़ और बैगा जनजातियों का निवास स्थल रहा है तथा आदिवासियों के प्रकृति एवं वन्य जीवन से निरंतर अंतर्क्रिया ने एक विशिष्ट जीवन पद्धति को जन्म दिया है जो उनकी कार्य- शैली एवं व्यवहार में प्रतिबिंबित है। अमरकंटक तीर्थस्थल होने के साथ ही साथ पर्यटन स्थल भी है इसलिए इस नगर का विकास दोनों तरह से हुआ है, जहाँ एक ओर मंदिर और धर्मशालाएं हैं वही दूसरी तरफ पर्यटक स्थलों एवं अतिथि गृहों का विकास हुआ है। प्रस्तुत अध्ययन में अमरकंटक सहित चतुर्दिक उपस्थित गाँवों का प्रकृति के साथ तादाम्य पर प्रकाश डालते हुए उद्भव और विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का उत्पत्ति स्थल एवं क्षेत्रीय संश्लेषण प्रस्तुत किया गया है तथा शोध पत्र भूगोल के साथ- साथ समाज और संस्कृति के विद्यार्थियों तथा अध्येताओं के लिए भी उपयोगी है।

प्रमुख शब्द: प्राकृतिक स्थल, सांस्कृतिक भूदृश्य, जीवन पद्धति.

प्रस्तावना

अमरकंटक मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के दक्षिण-पूर्व सीमा पर अवस्थित एक क़स्बा है तथा नगर पंचायत की सीमा मध्य प्रदेश के डिन्डोरी जिला और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से लगती है। अमरकंटक से ६ कि.मी. दक्षिण में कबीर चबूतरा है जो उपर्युक्त तीनों जिलों की सीमाओं का मिलन बिन्दु है और कबीर पंथ के अनुयायियों का महत्वपूर्ण स्थान है। नर्मदा उद्गम स्थल से दस कि.मी. उत्तर में जोहिला नदी का उद्भव स्थल ज्वालेश्वर है। अमरकंटक भूदृश्य में पहाड़, जलाशय, जंगल एवं जलप्रपात प्रमुख प्राकृतिक तथ्य है वहीं बस्ती, मंदिर, धर्मशालायें, पवित्र कुण्ड, बांध, एवं सड़कें आदि सांस्कृतिक तथ्य भी हैं। अमरकंटक में एक तरफ प्रकृति ने अपनी छटा बिखेरी है तो दूसरी तरफ मानव निर्मित

कलाकृतिओं का अद्भुद नजारा भी देखने को मिलता है, इस प्रकार यहाँ मानव-प्रकृति का अनोखा समुच्चय विकसित हुआ है। वर्तमान अमरकंटक का नगरीय क्षेत्र छोटी-छोटी अनेक बस्तियों का समूह है तथा नगरीय सीमा का एक तिहाई भूभाग बस्तियों, धार्मिक न्यासों, धर्मशालाओं, तथा अन्य संस्थाओं के रूप में विकसित हुआ है जबकि अधिकांश भाग वनाच्छादित है। अमरकंटक ग्रामीण और शहरी संस्कृति के मध्य की कड़ी की भांति है और संक्रमण स्थिति है जहाँ एक तरफ नगरीय लक्षणों में बढ़ोतरी हो रही है वहीं ग्रामीण विशेषताओं में कमी देखी जा रही है। नगर में निवास करने वाले लोगों की आजीविका तृतीयक आर्थिक क्रियाकलापों पर निर्भर है क्योंकि यहाँ पर कृषि एवं विनिर्माण कार्यों का अभाव है तथा लोगों की आजीविका प्रतिरूप एवं जीवन पद्धति ने बस्ती को नगरीय स्वरूप प्रदान किया है। अमरकंटक की आन्तरिक संरचना तथा मानव समूहन में सामाजिक एवं सांस्कृतिक तथ्य एवं प्रक्रियाएं महत्वपूर्ण है जिसके कारण यहां विशिष्ट प्रकार का सामाजिक-परिवेश उभर कर सामने आया है।

भूदृश्य की संकल्पना

'भूदृश्य' जैसी शब्दावली भूगोल के जर्मन साहित्य में 'लैण्डशाफ़्ट' के रूप में प्रचलित रही है बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका व यूनाइटेड किंगडम के विद्वानों ने 'लैंडस्केप' शब्द का प्रयोग किया तथा इसको परिभाषित करने का प्रयास भी किया परन्तु 'सांस्कृतिक भूदृश्य' की संकल्पना का प्रतिपादन कार्ल ओ. सावर द्वारा अपने लेख "मोरफोलोजी ऑफ़ लैंडस्केप" में 1925 में किया। "भूदृश्य का भौगोलिक अध्ययनों में विशिष्ट स्थान है। अध्ययनकर्त्ता दृश्यात्मक दृश्यों के प्रेक्षणों के अतिरिक्त दृश्यात्मकता को प्रभावित करने वाले भूदृश्य कारकों के अध्ययन के द्वारा भूदृश्य तत्व संयोजनों एवं अंतर्संबंधों की विभिन्न अवस्थाओं के यथार्थ पर पहुँचने का प्रयास करता है" (सिंह एवं दीक्षित, 2013, पृ. 172)। भूदृश्य में प्राकृतिक स्वरूपों तथा मानवीय क्रियाओं द्वारा अध्यारोपित दोनों स्वरूपों को सम्मिलित किया गया है अर्थात स्वभाव, प्राकृतिक वास एवं समाज को पर्याप्त स्थान दिया गया है। "मनुष्य एक सक्रिय भौगोलिक कारक है, जो प्राकृतिक वातावरण से विभिन्न रूपों में प्रभावित होता है और साथ ही अपने ज्ञान, कौशल तथा आवश्यकतानुसार उसमें परिवर्तन करके सांस्कृतिक भूदृश्य का निर्माण करता है तथा इन सांस्कृतिक भूदृश्यों का विश्लेषण करना मानव भूगोल का परम उद्देश्य है" (मौर्य, 2004, पृ. 1)। मौर्य, एस.डी. (2004) सामाजिक भूगोल को परिभाषित करते हुए लिखते है कि "मानव समाज तथा भौतिक एवं मानवीय पर्यावरण के मध्य पाये जाने वाले पारस्परिक संबंधों तथा सामाजिक अन्तःक्रियाओं और उनसे उत्पन्न परिणामों का

अध्ययन है" (पृ. 2)। अधिवास मानव पर्यावरण संबंधों की संश्लिष्ट अभिव्यक्ति है, जहाँ मानव-मानव सम्बन्ध अधिक जटिल तथा आर्थिक कार्य-कलापों पर आधारित है साथ ही साथ भिन्न-भिन्न सामाजिक - सांस्कृतिक मान्यताओं के लोगों से मिले-जुले समाज का विकास भी होता है। तिवारी, आर. सी. (2009) अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा है कि "अधिवास मानव की सबसे महत्वपूर्ण कलाकृति है अतएव यह सांस्कृतिक भूदृश्य का प्रमुख घटक है। प्राचीन काल से मानव ने प्राकृतिक पर्यावरणीय दशाओं के साथ अनुकूलन करते हुए अपने क्षेत्रों का अधिवासन किया है."(पृ.1)। नगर विस्तृत एवं संश्लिष्ट संरचना वाले अधिवास होते है, जो आर्थिक रूप से अधिक विकसित एवं सामाजिक दृष्टि से विविधता लिए होते हैं एवं उद्योग, परिवहन, वाणिज्य, व्यापार, शिक्षा एवं प्रौद्योगिकीय विकास आदि के केंद्र होने के नाते नगरों का मनुष्य के सांस्कृतिक विकास में प्रमुख योगदान रहा है। "नगर सांस्कृतिक भूदृश्य का प्रमुख घटक होते है जिसके निर्माण, निखार और नियोजन में मानवीय विचार, कल्पनाशीलता और प्रौद्योगिकी का सतत योगदान रहा है। नगर मानव सभ्यता एवं समृद्धि के स्तर के परिचायक है जिसमें भौतिक और मानवीय दशाओं का अद्भुत समन्वय देखा जाता है." (तिवारी, 2009, पृ.164)।

अमरकंटक धार्मिक और आध्यात्मिक स्थल होने के साथ आधुनिक शिक्षा का केंद्र भी है जहाँ पर प्रारम्भिक स्तर से लेकर विश्वविद्यालय तक स्थापित हैं। अमरकंटक संस्कृत के दो शब्दों अमर और कंटक से मिलकर बना है, हिन्दू मिथक के अनुसार अमरकंटक देवताओं का घर था लेकिन रूद्रगणों द्वारा इसको विनष्ट कर देने के कारण अमरकंटक हो गया। यहां महाकवि कालिदास के आम्रकूट की विवेचना आवश्यक है, कई लोग अमरकंटक को आम्रकूट का अपभ्रंश मानते है पर अमरकूट का आम्रकूट बन जाना तनिक अस्वाभाविक प्रतीत होता है। शब्दों के रूपांतर की भी अपनी परम्परा और मर्यादा होती है, अमरकूट का शाब्दिक अर्थ है जो शिखर नाशवान न हो और आम्रकूट अर्थात आमों का शिखर" (कुमार, 2008, पृ. 1-2)। अमरकंटक की भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन मेघदूतम में मिलता है -

त्वामासारप्रशमितवनोपप्लवं साधु मूर्ध्ना
वक्ष्यत्यध्वश्रमपरिगतं सानुमानाम्रकूटः।
न क्षुद्रोसऽपि प्रथम सुकृतापेक्षया संश्रयाय
प्राप्ते मित्रे भवति विमुखः किं पुनर्यस्तथोच्चैः ॥17॥

भाषानुवाद:

आम्रकूट पर्वत, वर्षा की मूसलाधार से वन की आग को शांति कर देने वाले, मार्ग (चलने) से थके हुए तुझे अच्छी तरह अपनी चोटी पर उठाएगा; नीच भी आश्रय के लिए मित्र के आने पर उसके पहले किये गए उपकारों का विचार करके मुह नहीं मोड़ता; फिर जो इस प्रकार ऊँचा हो, उसका तो कहना ही क्या? (चन्द्र एवं पन्त, 1983, पृ.33)।

उद्देश्य

1. नगर के उद्भवकारी कारकों, विकास एवं आकारिकी के स्वरूप को निर्धारित करने वाले तत्वों का भौगोलिक विश्लेषण करना।
2. अमरकंटक की एक सांस्कृतिक भूदृश्य के रूप में व्याख्या करना तथा यहाँ के सामाजिक और सांस्कृतिक तत्वों को प्रस्तुत के साथ इसका पर्यावरण से सम्बन्ध स्थापित करना।

शोध प्रविधि

प्रस्तुत अध्ययन व्यक्तिगत क्षेत्र अवलोकन तथा लोगों से चर्चा और परिचर्चा पर आधारित आनुभविक अध्ययन है, इसमें द्वितीयक श्रोत के रूप में पुस्तकों, शोध पत्रों एवं प्राथमिक जनगणना सार, 2011 के आकड़ों का उपयोग किया गया है। इस अध्ययन में भूदृश्य उपागम के माध्यम से भौगोलिक तत्वों व प्रकियाओं को समझाने का प्रयास किया गया है। उद्भव एवं विकासक्रम को समझने के लिए स्थानिक-कालिक अध्ययन विधि का सहारा लिया गया है। भूदृश्य के वर्तमान स्वरुप को प्रदर्शित करने के लिए गूगल इमेज का उपयोग किया गया है तथा इसके अतिरिक्त भौगोलिक तथ्यों को स्पष्टता प्रदान करने के लिए फोटोग्राफ लगाये गए हैं।

अमरकंटक भूदृश्य के पर्यावरणीय आयाम

अमरकंटक विन्ध्य, सतपुड़ा और मेकल पर्वत श्रृंखलाओं के मिलन बिन्दु पर संस्थित है। यह स्थल पारिस्थितिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है तथा जैव विविधता से परिपूर्ण है जो अनेकों दुर्लभ वनस्पतियों, जीवों और जड़ी बूटियों का प्राकृतिक आवास है। मेकल पर्वत पर दक्कन ट्रेप की बेसाल्ट का जमाव है तथा ऊपर बॉक्साइट और लेटराइट चट्टानें आच्छादित है जबकि घाटी या जमाव वाले क्षेत्रों में चीका मिट्टी देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर नीस और शिस्ट चट्टानें भी पायीं जाती हैं। "प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिम में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी 'नर्मदा' अमरकंटक के पश्चिमी भाग 22^0

40' उत्तरी अक्षांश एवं 81^0 45' पूर्वी देशान्तर पर समुद्र तल से 1057 मी ऊंचाई से निकलती है, यह नदी उत्तर में विन्ध्य श्रेणी और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत के मध्य भ्रंश घाटी में प्रवाहित होते हुए खम्भात की खाड़ी तक 1310 किमी की यात्रा तय करती है" (खुल्लर, 2007, पृ. 89)। नर्मदा अपने उत्पत्ति स्थल से पश्चिम की ओर सात किमी की दूरी पर बेसाल्ट चट्टान के 20 मीटर नीचे तीव्रगति से खड़े ढाल से नीचे गिरते हुए पहला जल प्रपात 'कपिलधारा' का निर्माण करती हुई डिन्डोरी जिले में प्रवेश कर जाती है। "अमरकंटक सहित मेकल पर्वत पर अपवाह प्रतिरूप अरीय है" (सिंह, 1971, पृ. 647) अर्थात जलधाराएँ केंद्र से बाहर की तरफ विकिरित होती हुईं प्रवाहित हो रहीं हैं। अमरकंटक की जलवायु मानसूनी प्रकार की है और मानसून का आगमन मध्य जून से शुरू होकर सितम्बर तक चलता है। दक्षिण- पश्चिम मानसून की एक अरब सागरीय शाखा नर्मदा उपत्यका का अनुसरण करके अमरकंटक पहुँच कर आद्रता से लबालब कर देती है। ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु में शीतोष्ण कटिबंधीय लक्षण आ जाते हैं इसीलिए तापमान अपेक्षाकृत कम होता है। वर्षा की अधिकता तथा सामान वितरण के कारण सम्पूर्ण भूदृश्य में वनस्पतियों का आवरण सघन और विविधता युक्त है। अमरकंटक का समुद्रतल से 1057 मीटर ऊँचा होने के फलस्वरूप पार्थिव विकिरण द्वारा तेजी से ऊष्मा का ह्रास होना तथा वानस्पतिक आवरण के कारण ग्रीष्मकाल में तापमान अपेक्षाकृत कम होता है तथा शाम विशेष रूप से सुहानी होती है।

पारंपरिक ढंग से बने कम ऊंचाई वाले मकान, छोटे- छोटे दरवाजे एवं तीव्र ढाल वाले खपरेल (चम्पार) का निर्माण वर्षा की अधिकता का द्योतक है। वर्षा ऋतु में प्रकृति के सौन्दर्य की अलग छटा निखरती है, तेज हवा के साथ बादल सड़कों पर तैरते नजर आते हैं। इस मौसम का नजारा देखने के लिए सावन के महीने में पूरे देश से पर्यटक आते हैं जिसमें पश्चिम बंगाल के सैलानियों की संख्या अधिक होती है। अमरकंटक में शीत ऋतु अधिक ठंडी होती है और पारा अधिक गिर जाने से नर्मदा किनारे की हरी घास बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ लेती है जो पर्यटकों का प्रमुख आकर्षण होती है। शीत ऋतु में अमरकंटक में पाला पड़ने से वनस्पतियों को बड़ा नुकसान होता है तथा शीत ऋतु के समापन के साथ ऋतुराज बसंत की दस्तक से वनस्पतियों की वितानें पुष्पों और फलों से आच्छादित हो जाती हैं फलस्वरूप जीवों एवं मनुष्यों के व्यवहार और गतिविधियों में परिवर्तन देखा जाता है। भ्रमण और पर्यटन की दृष्टि से यह ऋतु अमरकंटक में सबसे उपयुक्त है। कुछ वर्षों से मौसमी घटनाओं में परिवर्तन देखा गया है इसलिए तापमान में वृद्धि और वर्षा की कमी के चलते जैव विविधता में निरंतर कमी आ रही है तथा वनस्पतियों का तेजी से अनाच्छादन मृदा अपरदन को बढ़ावा दे रहे हैं। अमरकंटक को विभिन्न स्थानों से जोड़ने

वाली सड़कों के निर्माण हेतु पेड़ों को काटा गया तथा पहाड़ को तोड़ा गया है जिससे जमीन की प्राकृतिक व्यवस्था भंग हो गयी है परिणामस्वरूप सड़कों के किनारे भूक्षरण एवं भूस्खलन तेजी से बढ़ा है। भूक्षरण का एक अन्य कारण बॉक्साइट खनन भी रहा है।

मेकल पर्वत श्रृंखला प्राचीन होने के साथ- साथ जल का प्रमुख स्रोत भी है। यह पर्वत श्रृंखला घर्षित होकर पठार का रूप धारण कर चुकी है इस प्रकार स्थलाकृति की समप्राय बनावट एवं जल की उपलब्धता ने बस्ती बसने का आधार प्रदान किया है। अमरकंटक धार्मिक दृष्टि से पवित्र स्थल नर्मदा के उद्गम बिन्दु के रूप में विख्यात है, सोन और जोहिला नदियाँ भी अमरकंटक से निकलती हैं। उपर्युक्त तीन नदियों के अलावा गायत्री, सावित्री, आरण्यक, कपिला, रुद्रगंगा, शंभूधारा, दुर्गाधारा जैसी सात अन्य छोटी-छोटी सहायक नदियाँ उद्भूत होती हैं। मेकल पर्वत को पुराणों में 'तरु' कहा गया है। शास्त्रीय मिथकों की मानें तो समुद्र मंथन से निकले विष को पान करने के बाद देवाधिदेव महादेव को अमरकंटक में आकर ही उसकी दग्धता से मुक्ति मिली थी। अमरकंटक की शीतलता का यह कथात्मक आधार है। नर्मदा, गंगा से बहुत पुरानी नदी है तथा भारत की सात पवित्र नदियों में नर्मदा का अद्वितीय स्थान है तथा पवित्र नदियों में स्नान करने या तट पर प्रार्थना करने से पापों से मुक्ति मिलती है जबकि नर्मदा के दर्शन मात्र से पाप धुल जाते हैं। स्कन्द पुराण के निम्न श्लोक से यह प्रकट होता है-

यथा गंगा तथा रेवा तथा चैव सरस्वती।
समं पुण्यं फलंप्रोक्तंस्नान दर्शन चिंतनै: ।।

(स्कन्द पुराण उद्धृत श्रीवास 2011, पृ. 27)

ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने नर्मदा को अद्वितीय शोधन क्षमता प्रदान की है इसलिए प्रति वर्ष गंगा भी नर्मदा उद्गम पर डुबकी लगाने आती है। नर्मदा दुनिया में एकमात्र नदी है जिसकी पूरी परिक्रमा की जाती है और ऐसा माना जाता है कि नर्मदा, भगवान शंकर से इतने अधिक वरदान प्राप्त कर चुकी है कि ऋषि एवं देव भी इनकी परिक्रमा करते हैं। अमरकंटक कपिल, भृगु, दुर्वासा, एवं मार्कंडेय ऋषिओं की तपोस्थली रही है। मान्यता है कि पातालेश्वर मंदिर मार्कंडेय ऋषि का, भृगु कमंडल भृगु ऋषि, कपिलधारा कपिल ऋषि तथा दूधधारा दुर्वासा ऋषि के योग स्थल रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि अज्ञातवास के समय पाण्डव भी यहाँ रुके थे तथा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया था।

अमरकंटक और चतुर्दिक गाँवों की जनसंख्या संरचना

तालिका 1. अमरकंटक नगर और चतुर्दिक स्थित गाँवों की जनसंख्या की प्रमुख विशेषताएँ

अधिवास का नाम	जनसंख्या	लिंगानुपात	अनुसूचित जाति	%	अनुसूचित जनजाति	%	साक्षरता दर	कुल कर्मिक	कृषक		कृषि मजदूर		गृह उद्योग कर्मिक		अन्य कर्मिक	
अमरकंटक (न.प.)	**8416**	**864**	**519**	**6.17**	**3618**	**42.99**	**80.20**	**3081**	**68**	**2.20**	**286**	**9.28**	**147**	**4.77**	**2580**	**83.74**
कबीर चबूतरा खुरखुरी	484	984	22	4.55	300	61.98	51.26	378	172	45.50	6	1.59	2	0.53	198	52.38
आमाडोब	1208	867	05	0.41	1014	83.94	44.71	591	03	0.51	217	36.72	07	1.18	364	61.59
ठाड़पथरा	899	885	00	0.00	693	77.09	35.74	459	37	8.06	227	49.46	01	0.22	194	42.27
केंवची	1470	1019	00	0.00	1028	69.93	54.57	741	180	24.29	472	63.70	02	0.27	87	11.74

तावरडबरा	476	838	00	0.00	363	76.26	58.25	230	53	23.04	07	3.04	05	2.17	165	71.74
भुंडाकोना	323	1212	18	5.57	198	61.30	61.31	199	46	23.12	148	74.37	00	0.00	05	2.51
उमरगुहान	425	1073	00	0.00	362	85.18	63.17	244	123	50.41	111	45.49	00	0.00	10	4.10
पोड़की	459	1508	00	0.00	307	66.88	75.53	212	161	75.94	29	13.68	03	1.42	19	8.96
दमगढ़	301	980	01	0.33	280	93.02	74.70	202	51	25.25	116	57.43	02	0.99	33	16.34
फर्रिसेमर	617	1023	01	0.16	545	88.33	52.66	333	23	6.91	303	90.99	05	1.15	02	0.60

स्रोत: प्राथमिक जनगणना जनगणना सार, भारत की जनगणना, 2011

उपरोक्त तालिका 1 में अमरकंटक और इसके चारों ओर स्थित ग्रामों की जनसंख्या की प्रमुख विशेषताओं के आंकड़े प्रस्तुत किये गए हैं। तालिका में लिखित ग्रामों में जनजातीय जनसंख्या सर्वाधिक है जो 62% से 93% है इससे स्पष्ट है कि ग्राम जनजाति बाहुल्य हैं। अमरकंटक नगर में भी 43% आदिवासी जनसंख्या है। जनसंख्या की दृष्टि से गाँव छोटे- छोटे हैं परन्तु आवासित भाग पर्याप्त है क्योंकि इन जनजातीय गाँवों में मकान एक दूसरे से दूरी पर बने हैं इनके बीच-बीच में बाड़ी बनी होती है। पोड़की और उमरगुहान को अर्ध संहत बस्ती कह सकते हैं जहाँ कृषि भूमि गाँव के चारों ओर है। तालिका में वर्णित बस्तियों के अतिरिक्त अनेक बस्तियों का भी अपना अलग अस्तित्व है परन्तु जनगणना में इनको तालिका में लिखित बस्तियों में शामिल नहीं किया गया है जैसे ठाड़पथरा के पास पड़मनिया, कुयेंरापथरा, आमानाला, दुर्गाधारा; सोनमुड़ा के नीचे पचरीपानी और केवची के बैगा टोला तथा यादव टोला; धूनीपानी के नीचे छोटकीदवार आदि। कबीर चबूतरा और खुरखुरी दादर दो अलग बस्तियां हैं लेकिन जनगणना में इन्हें एक साथ रखा गया है। अमरकंटक की जनसंख्या के आंकड़ों का अवलोकन करें तो नगरीय विशेताएँ परिलक्षित होतीं हैं जैसे अन्य कर्मिक लगभग 84% हैं जबकि कृषक और कृषि श्रमिक दोनों मिलाकर 11% हैं और घरेलु उद्योग में लगभग 5% कर्मिक संलग्न हैं। साथ ही लिंगानुपात 864 स्त्रियाँ प्रति हजार पुरुष है और साक्षरता दर 80% है। गाँवों के आंकड़े इसके विपरीत हैं जैसे- कृषक और कृषि श्रमिक दोनों का प्रतिशत मिलाकर अन्य कर्मिकों से बहुत अधिक है क्योंकि लोगों की आजीविका प्राथमिक सेक्टर से सम्बंधित है। तावरडबरा (ज्वालेश्वर) 71.74% और अमडोब (61.59%) में अन्य कर्मिक अधिक हैं जिसमें जालेश्वर एक धार्मिक स्थल है जबकि फर्रीसेमर और भुंडाकोना में अन्य कर्मिकों की संख्या नगण्य है। इन गाँवों का औसत लिंगानुपात प्रति हजार पुरुषों पर 1014 महिलाएं हैं जो देश के औसत (940) से बहुत अधिक है। इन ग्रामीण बस्तियों की साक्षरता दर बहुत कम है जैसे ठाड़पथरा में मात्र 35.74% लोग साक्षर हैं।

अमरकंटक भूदृश्य के सामाजिक व सांस्कृतिक पक्ष

अमरकण्टक नगर बस्तियों का समूहन है और ये बस्तियां अलग-अलग नाभिकों के पास विकसित हुई हैं। नर्मदा मंदिर सबसे प्रमुख और शक्तिशाली नाभिक है जहाँ नगर की मुख्य बस्ती उद्भूत हुई है। इसके अतिरिक्त अन्य नाभिक मंदिर, आश्रम व धर्मशालाएं हैं जिन्होंने मानव बसाव को आकर्षित किया है। कपिला संगम, नाका, बांधा, टी सी पी सी, बाल्को और हिंडाल्को का खनन क्षेत्र अन्य प्रमुख मानव बसाव के आकर्षण केंद्र रहे हैं। चतुर्दिक

ग्रामीण बस्तियों के बसाव को जलश्रोतों, बाड़ी व खेत बनाने योग्य जमीन, लम्बे समय तक धूप की उपलब्धता ने आकर्षित किया है। नगर के केंद्रीय स्थल को जोड़ने वालीं सड़कों का अनुसरण करते हुए बसाहट रैखिक रूप में बाहर की तरफ विकसित हुई है इसके अतिरिक्त नगर की अन्य बस्तियों का विकास प्रमुख बस्ती से अलग हुआ जैसे बाराती, जमुना दादर, कपिला संगम, बांधा, गुम्मा घटिया आदि। यहाँ के निवासियों का व्यवसाय भी भिन्न है और आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोग हैं। बाराती की विशेषताएं सामाजिक और आर्थिक रूप से मिश्रित हैं। अमरकंटक की नगरीय सीमा के बाहर ग्रामीण जनजातीय जीवन विद्यमान है। इस प्रकार अमरकंटक आधुनिक नगरीय और जनजातीय संस्कृतियों का समागम स्थल है। ग्रामीण बस्तियाँ दूर-दूर स्थानों में बसीं हैं चूंकि धरातलीय संरचना अत्यन्त असमान और वनाच्छादित है साथ ही ये बस्तियाँ आंतरिक रूप से बिखरीं हैं जो भरण पोषण युक्त संसाधनों की कमी का द्योतक हैं। जल स्रोतों ने मानव बस्तियों को आकर्षित किया है जहाँ अधिकांश झोपड़ियों व मकानों के समूह जनजातीय लोगों के हैं। इन मानव समूहों के द्वारा बसाव के दौरान जल स्रोतों के आलावा पूर्वोन्मुखी ढ़ाल या घाटियों के स्थलों का चयन किया गया है जहाँ लम्बे समय तक धूप मिले साथ ही बाड़ी या कृषि योग्य जमीन पर भी ध्यान दिया गया है। अमरकंटक के चारों ओर बस्तियाँ इनका पूर्ण अनुसरण करती हैं। गाँवों में बैगा जनजाति के लोगों का बाहुल्य है जबकि गोंड़ और पनिका सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से प्रभावशाली हैं। बैगाओं की बस्तियाँ या टोले मुख्य बस्तियों से दूर जंगल में होते हैं क्योंकि वे प्रकृति प्रेमी होते हैं और जीवन में किसी का हस्तक्षेप नहीं चाहते हैं।

सांस्कृतिक रूप से अमरकंटक बहुरंगी संस्कृति का केंद्र है जहाँ एक तरफ आंचलिक आदिवासी संस्कृति प्रतिष्ठित है तो दूसरी तरफ हिन्दू संस्कृति विद्यमान है। जैन और सिख धर्म को मानने वाले लोग भी नगर की संस्कृति का हिस्सा हैं। अमरकंटक में अधिकांश हिन्दू मंदिरों एवं न्यासों की स्थापना इस बात का लक्षण है कि यहां हिन्दू संस्कृति का प्रभाव सर्वाधिक है जबकि जैन संप्रदाय के लोगों का एक मंदिर और वृहद् धर्मशाला है तथा सिख संप्रदाय का एक गुरुद्वारा और कबीर पंथ का अपना स्थान है। धार्मिक स्थल होने के कारण नगर में मंदिर और धर्मशालाएं प्रमुख भूचिन्ह है, यहाँ दो प्रमुख मंदिर समूह हैं एक प्राचीन मंदिर समूह कर्ण देव (1041-1073 AD) द्वारा निर्मित सूरजकुंड के समीप मंदिरों में पातालेश्वर भगवान शंकर का मंदिर प्रमुख है जबकि दूसरा मंदिर समूह जहाँ माँ नर्मदा, शंकर, कार्तिकेय, राम जानकी, कृष्ण मंदिर के साथ एक महत्त्वपूर्ण कुण्ड है जिसके बीच में नर्मदा की शांकरी प्रतिमा स्थापित हैं।

गूगल इमेज 1: अमरकंटक भूदृश्य (इमेज पुनर्नवीकरण अक्टूबर 2018).

गूगल इमेज 2: नर्मदा मंदिर परिसर की अष्टभुजी आकृति और अमरकंटक की सघन बस्ती (इमेज पुनर्नवीकरण अक्टूबर 2018).

नगर की मुख्य बस्ती मंदिर के उत्तर में पंडान मोहल्ला है (गूगल इमेज 2 में दृष्टव्य) जहाँ मंदिर के पुजारी रहते हैं, यहाँ मुख्य सड़क और गलियों के सहारे एक और दो मंजिल के पक्के मकान निर्मित हैं। यह नगर का सबसे समृद्ध क्षेत्र है क्योंकि यहाँ आर्थिक रूप से मजबूत और उच्च सामाजिक प्रस्थिति के पुजारी लोगों के परिवार निवास करते हैं साथ ही शिक्षित नौकरी पेशा वर्ग के लोग भी रहते हैं। पुरोहित धार्मिक अनुष्ठानों के साथ व्यावसायिक कार्यों (दुकानों व अथिति गृहों का संचालन) में भी संलग्न हैं। इस मोहल्ले से लगे दूसरे मोहल्ले में व्यवसायी वर्ग निवास करता है जबकि पूर्वी बाह्यवर्ती भाग टिकरी टोला में सामाजिक व आर्थिक रूप से कमजोर अनुसूचित जाति एवं जनजाति समुदायों के प्रधान, चौधरी, धोबी एवं सफाई कर्मी लोगों की झोपड़ियाँ/ मकान हैं इसके आलावा जमुना दादर में पनिका, गोंड़, बैगा जनजाति के साथ यादव लोग भी निवास करते हैं। बैंक टोला में खैरवार, गोंड़ तथा बैगा जबकि कपिला संगम में पनिका, गोंड़, बैगा जनजातियों के लोग निवास करते हैं वहीं बांधा में माझी, गोंड़ व पनिका का निवास है। गुम्मा घटिया में यादव तथा क्रीडा परिसर के पास पटेल, पनिका और गोंड़ तथा हिंडाल्को खनन क्षेत्र में कुछ कोल लोगों का निवास है। मुख्य बस्ती के बाह्यवर्ती भाग में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ी जातियों का निवास होना भारत की जाति पद्धति व सामाजिक भूगोल के सिद्धांत को स्पष्ट करती है। "नगरीय पड़ोस में आवासीय मकानों की व्यवस्था ग्रामीण प्रतिरूप के आधार पर विभिन्न जातियों के लोग अलग-अलग मकानों में रहते हैं, हिन्दू जातियों के लिए अलग-अलग मोहल्ले बसे होते है उदाहरणस्वरूप उत्तर प्रदेश के मथुरा, अलीगढ, बुलंद शहर, मेरठ, मुरादाबाद, बरेली, बंदायू, और फ़िरोज़ाबाद तथा इन नगरों में मुस्लिमों के लिए अलग मोहल्ला, कटरा या बस्तियाँ है" (अहमद, 2012, पृ. 147)। इस प्रकार सामाजिक परिवेश तथा कार्यात्मक एकीकरण की उभय संकल्पनाओं के आधार पर नगर की सामाजिक-स्थानिक व्याख्या की जा सकती है।

जनजातीय गाँवों की आकारिकी के अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि गाँव अलग-अलग मोहल्लों का समूहन है। गाँव के प्रत्येक मोहल्ले दूरी पर बसे होते हैं जबकि कुछ गाँव में अपेक्षाकृत नजदीक देखने को मिलते हैं, इसको जमीन की उपलब्धता और धरातलीय बनावट प्रभावित करती है। इन मोहल्लों में प्रत्येक मकान एक दूसरे से दूर-दूर बने होते हैं जिसका प्रमुख कारण घर के साथ बाड़ी होती है जिसका बहुआयामी उपयोग है; यहाँ छोटी-छोटी जरूरत की चीजें उगाते हैं साथ ही साथ पशुओं का चारा रखने का मचान, जलाऊ लकड़ियों की लकड़यानी और कोलिकी (नहाने का स्थान) होती है। मोहल्लों की अपनी अलग पहचान होती है जिसका नामकरण संस्थिति (नदिया टोला,

बीच टोला), धरातलीय संरचना (टिकरी टोला, भर्रा टोला), वनस्पति (सरई टोला, हर्रा टोला, पीपर कुट्टी), जनजातीय या अन्य समुदाय (बैगान टोला, किसान टोला) के नाम पर होता है। क्षेत्र में गाँवों के नाम भी इसी तरह के मिलते हैं, यहाँ यादवों का जनजातीय ग्रामों का भाग होना आम बात है जिनका अपना अलग मोहल्ला होता है। सामान्य तौर पर इनका मोहल्ला बाहर की तरफ अधिक जमीन की उपलब्धता के साथ बसा होता है, यद्यपि यादवों का पारंपरिक व्यवसाय पशुपालन रहा है जिसके चलते पुरातन समय में आदिवासी ग्राम प्रमुख मुकद्दम द्वारा गाँव में जमीन देकर यादवों को बसाया जाता था। ग्राम प्रमुख का आवास जिस मोहल्ले में होता था उसको मुकद्दम टोला कहा जाता है। टोले की संस्थिति गाँव के लगभग बीच में पायी जाती है। अमरकंटक की स्थलाकृति, अपवाह तंत्र, सड़कों एवं कार्यस्थलों ने मकानों की व्यवस्था एवं विभिन्न नगरीय प्रकार्यों को प्रभावित किया है। नगर की एक प्रमुख रैखिक सड़क है जो पंडान मोहल्ले से प्रारंभ होकर बस अड्डे तक जाती है जबकि अन्य सड़कें इससे या तो समकोण या न्यूनकोण पर मिलतीं हैं। मुख्य बस्ती से पश्चिम की तरफ इस सड़क के किनारे नगर का व्यावसायिक क्षेत्र (बाजार) विकसित हुआ है इसके अतिरिक्त स्थानीय निकाय का भवन, आश्रम, स्वास्थ्य एवं शिक्षण संस्थान है, नगर के मुख्य व्यावसायिक क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य दुकानें नर्मदा मंदिर, चंद्राचार्य अस्पताल और नाका के पास स्थित हैं।

नगर की आन्तरिक संरचना एवं बाह्य आकृति को नदी घाटी, सड़कों का जाल, नर्मदा मंदिर एवं कल्चुरी राजाओं द्वारा निर्मित प्राचीन मंदिरों की अवस्थिति, नगर निकाय भवन तथा बस अड्डे ने सर्वाधिक प्रभावित किया है। नगर की दूसरी सड़क दीर्घवृत्ताकार स्वरुप में नर्मदा मंदिर के बाईं ओर से प्रारंभ होकर माई की बगिया, सोनमुड़ा को जोड़ती हुई पुनः मंदिर के पास मिल जाती है जिसके किनारे मंदिर एवं आश्रम स्थित हैं। "किसी समय विशेष पर नगर की संरचना उसके विकास के क्रम एवं प्रक्रिया का परिणाम होती है। नगर के आकार-वृद्धि एवं कार्यात्मक विकास के साथ-साथ उसकी संरचना में परिणात्मक एवं गुणात्मक दोनों तरह के परिवर्तन अपरिहार्य है" (सिंह, 1987, पृ. 201)। हेलीपैड के समीप जैन धर्मशाला तथा निर्माणाधीन जैन मंदिर परिसर ने व्यावसायिक दुकानों को आकर्षित किया है जहाँ पूजा सामग्री के अलावा घरेलू वस्तुएं, साज-सज्जा व सौन्दर्य प्रसाधन तथा खिलौने मिलते हैं। अमरकंटक अपने चतुर्दिक स्थित ग्रामीण बस्तियों के लिए सेवा केंद्र का कार्य करता है क्योंकि यहां नगर बाजार, शैक्षणिक तथा स्वास्थ्य सुविधाएं, डाकघर, बैंक इत्यादि हैं जहाँ आसपास की बस्तियों के जनजातीय लोग वस्तुओं का क्रय और खुद के उत्पादों का विक्रय करने के लिए अमरकंटक आते हैं। इस

प्रकार आर्थिक क्रिया के साथ ही साथ गैर-आदिवासी समाज से निरंतर सम्पर्क होने से भाषागत एवं अन्य सामाजिक एवं सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित हुए हैं। नगर में तीन वर्ग के लोग निवास करते हैं एक तो साधु एवं मंदिरों के पुजारी हैं दूसरा अप्रवासी व्यवसायी वर्ग तथा तीसरे वर्ग में आदिवासी तथा सेवा प्रदायी वर्ग के लोग हैं। ये लोग न्यासों एवं धर्मशालाओं में चौकीदार, सफाई कर्मी, माली, गौशाला आदि के रूप में कार्य करते हैं। नगरवासियों की आजीविका का प्रमुख स्रोत मन्दिर, धर्मशालाएं एवं व्यवसाय है इसके अलावा ग्रामीण आदिवासी लोग लघु वनोपज एवं कृषि उत्पादों को बाजार में बेचकर अपना गुजारा करते हैं।

बाराती में एक ओर आदिवासियों और गैर-आदिवासियों के सम्मिलित निवास स्थल होने के साथ पारम्परिक और आधुनिक अभिकल्प के मकानों का स्वरुप देखने को मिला है क्योंकि नौकरी पेशा या व्यवसाय से जुड़े लोग यहाँ पर मकान बनवा रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार का औद्योगिक उत्पादन एवं प्रशिक्षण संस्थान यहाँ पर अवस्थित है, कन्या स्कूल भी स्थापित है तथा बाराती से शहडोल को जोड़ने वाली लिंक सड़क के सहारे बालक व बालिका आवासीय क्रीडा परिसर भी अवस्थित है। नाका के पास सडकों के नोड बिन्दु पर नया बस अड्डा निर्मित है, पुलिस थाना भी यहीं स्थित है। सड़क के एक ओर वर्तमान बस अड्डे ने अपने ओर छोटे- छोटे व्यावसायिक क्रियाओं को आकर्षित किया है वहीं दूसरी ओर राजकीय हायर सेकेंडरी विद्यालय व रिहायसी कालोनी भी स्थापित हुई है। नाका पर किराना, जनरल प्रोविजन एवं स्टेशनरी की दुकानों के साथ कंप्यूटर केंद्र भी है। दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं के लिए बाराती के लोग इन्हीं दुकानों पर निर्भर करते हैं। बाराती में हिंडाल्को द्वारा निर्मित रिहायशी कॉलोनी के कुछ मकान मौजूद हैं। बस अड्डे से जबलपुर जाने वाली सड़क के किनारे वन विभाग का कार्यालय, नर्सरी, पर्यटक कॉटेज, अतिथि गृह (एस इ सी एल) स्थित है।

उपरोक्त फोटो 1 और 2 में हिन्दू और जनजातीय पूजा स्थलों को प्रदर्शित किया गया है। स्पष्ट है कि नगर दो भिन्न संस्कृतियों का सम्मिलन स्थल है। नगर के जमुनादादर, कपिला संगम, बांधा, बैंक टोला और गुम्मा घटिया के साथ चतुर्दिक गाँव में आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है। गाँवों से अनेक महिलाएं व पुरुष नंगे पैर और फटेहाल कपड़ों में नगर में किसी भी हाट बाजार या किसी अन्य अवसरों पर देखे जा सकते हैं। कुछ ग्रामीण आदिवासी लकड़ी बेचकर परिवार का पोषण कर रहे हैं। यह आदिवासियों की गरीब व वंचित अवस्था को प्रदर्शित करता है।

फोटो 1: नर्मदा मन्दिर समूह एवं पवित्र कुण्ड (नर्मदा उद्गम स्थल)
फोटो 2: गोंड जनजाति के देवता बड़ादेव (जमुनादादर)

एक ओर जनजातीय वर्ग के लोग शारीरिक रूप से मेहनती होते हैं वहीं दूसरी ओर अपनी स्वच्छंद प्रवृत्ति के कारण इनके कार्य करने की मनोदशा एकदम भिन्न होती है, कुछ दिन काम करने के बाद अर्जित धन का आनंद लेते हैं इसके बाद पुनः काम पर जाते हैं। इस प्रकार इनका जीवन दर्शन 'कमाओ और खाओ' वाला है क्योंकि आदिवासियों की प्रवृत्ति में संचयन नहीं होता है। जनजातीय समुदाय के जो लोग शिक्षित हो गए हैं उनकी प्राथमिकताएं और जीवन मूल्य बदल गए हैं। इस क्षेत्र में आदिवासी महिलाएं निःसंदेह अधिक परिश्रमी हैं, वे आजीविका के लिए पुरुषों से भी आगे हैं।

फोटो 3 **फोटो 4**

फोटो 3: कबीर चबूतरा की बैगा बस्ती जिसमें प्रत्येक घर के साथ बाड़ी है तथा मकान दूर-2 बने है।

फोटो 4: सिर पर लकड़ी का बोझा और कमर में बच्चे को पर बाँध कर बैगा महिला अपने पति के साथ अमरकंटक लकड़ी बेचने जा रही है।

इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि पुरुषों से अधिक उनके सिर पर लकड़ी का गठ्ठा होता है और वीरांगनाओं की भांति बच्चे को पीठ पर बांधकर नंगे पैरों से चलकर बाजार लकड़ी बेचने आती हैं (फोटो 3)। इसके अलावा अनेकों महिलाएं दिहाड़ी मजदूर हैं तो कुछ आश्रमों में सफाई कार्य करती हैं।

आदिवासी विभिन्न त्योहारों को अपने अंदाज में मानते हैं इस दौरान पुरुष एवं महिलाएं बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेते हैं तथा करमा और शैला नृत्य करते हैं। वहीं दूसरी तरफ पौष और माघ महीने में मकर संक्रांति तथा नर्मदा जयंती के अवसर पर नगर का प्रत्येक निवासी तथा दूर-दूर से आए लोग नर्मदा में डुबकी लगा, पुण्य का लाभ लेते हैं। सोमवती अमावस्या को भी लोग नर्मदा में डुबकी लगाते हैं। अमरकंटक में महाशिवरात्री का मेला बहुत प्रसिद्ध है जहाँ उपभोक्ताओं को वस्तुओं और मनोरंजन के साथ अभिनव जानकारियाँ भी मिलतीं हैं। अमरकंटक तीर्थ स्थान होने के साथ ही साथ पर्यटन की दृष्टि से रमणीक है। यहाँ अनेकों मनोरम दृश्य एवं दर्शनीय स्थल हैं जैसे माँ नर्मदा का मंदिर, कल्चुरी राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर, माई की बगिया, माई का मंडप, सोनमुड़ा, कबीर चबूतरा, ज्वालेश्वर महादेव, कपिलधारा, चक्रतीर्थ, दूधधारा, शम्भूधारा, श्रीयंत्र मंदिर, सिद्धि विनायक, श्री आदिनाथ मंदिर, रूद्र गंगा तथा श्री गणेश मंदिर (बहगढ़ नाला) प्रमुख हैं।

परिवहन एवं यातायात गम्यता की दृष्टि से अमरकंटक सड़क मार्ग से जुड़ा है जबकि 35 किमी की दूरी पर पेंड्रा रोड रेलवे स्टेशन बिलासपुर-कटनी रेलमार्ग पर स्थित है। वायु मार्ग 250 किमी की दूरी पर जबलपुर व रायपुर में है जहाँ से अमरकंटक कार या बस से पहुँच सकते हैं। विभिन्न स्थानों से संयोजकता, नगर का आर्थिक पक्ष मजबूत करता है। ठहरने के लिए अमरकंटक में धर्मशालाओं के अतिरिक्त डाक बंगला (लोक निर्माण विभाग), वन विश्राम गृह, एस इ सी एल अतिथिगृह, टूरिस्ट कॉटेज, हॉलिडे होम्स आदि हैं।

उपसंहार

मेकल पर्वत की पठारनुमा स्थलाकृतिक बनावट, नर्मदा नदी के उद्गम व विभिन्न जलश्रोतों की उपलब्धता ने अमरकंटक व अन्य बस्तियों को बसने का आधार प्रदान किया है। अमरकंटक भूदृश्य पहाड़, जंगल, जलस्रोतों, बस्तिओं, मंदिरों, धर्मशाला, पवित्र कुंडों तथा सड़कों के जाल की सम्मिलित अभिव्यक्ति है। स्थलाकृति की बनावट, जलस्रोतों, अपवाह प्रतिरूप ने बस्तिओं के बसाव तथा सडकों के जाल को प्रभावित

किया है। अमरकंटक में मानव एवं प्रकृति के बीच अनूठा गठजोड़ देखने को मिलता है जिसका अपना इतिहास और विशिष्ट संस्कृति है। यह स्थान आम लोगों के लिए धार्मिक होने के साथ- साथ पर्यटक स्थल भी है वहीं अध्येताओं के लिए शोध क्षेत्र तथा राजनेताओं के लिए राजनीतिक केंद्र भी है। नगर में जहाँ सामाजिक बाहुल्यता है वहीं चतुर्दिक गाँव में सामाजिक व सांस्कृतिक समरूपता के दर्शन होते हैं। अमरकंटक की आन्तरिक आकारिकीय संरचना गाँव जैसी मिलती है जिसके केंद्र में आर्थिक व सामाजिक रूप से उच्च व्यक्ति निवास करते हैं जबकि परिधि की तरफ, इसके विपरीत, आर्थिक व सामाजिक रूप से कमजोर लोग निवास करते हैं एवं नगर की आकारिकी धार्मिक व आर्थिक कारकों से भी प्रभावित है। ग्रामीण और जनजातीय पृष्ठभूमि के बीच अमरकंटक एक सेवा केंद्र के रूप में स्थापित है जबकि प्रशासनिक केंद्र न होने के बावजूद भी प्रांतीय और राष्ट्रीय स्तर पर पर्याप्त हस्तक्षेप है। 35 कि.मी. की परिधि पर पहला क़स्बा गौरेला है लेकिन पुष्पराजगढ़ और करंजिया दो ग्रामीण सेवा केंद्र है। पुष्पराजगढ़ प्रशासनिक दृष्टि से विकासखण्ड व तहसील है जबकि करंजिया विकास खण्ड और उप तहसील के रूप में कार्य करता है इसलिए ग्रामीण क्षेत्र से लोग इन परिधि के सेवा केन्द्रों में अधिक जाते है अतः यहाँ बाजार का विकास ग्रामीणों की जरूरत के अनुरूप हुआ है। जबकि अमरकंटक का विकास तीर्थ स्थल और पर्यटन के अनुसार हुआ है। गौरेला उक्त तीनों केन्द्रों से ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ विकासखंड, तहसील, विस्तृत बाजार और रेलवे स्टेशन है। परिधि के इन सेवाकेन्द्रों ने अमरकंटक के विकास को नकारात्मक ढंग से प्रभावित किया है जबकि पर्यटन और विश्वविद्यालय इसके विकास को संबल प्रदान करते हैं।

संदर्भ

अहमद, ए. (2012). *सोशल जियोग्राफी ऑफ़ इण्डिया* (सेकेंड एडिशन). न्यू देल्ही: कांसेप्ट पब्लिशिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड.

खुल्लर, डी. आर. (2007). *इण्डिया: ए कॉम्प्रेहेंसिव ज्योग्राफी*. न्यू डेल्ही: कल्याणी पब्लिशर्स.

कुमार, ए. (2008). अमरकंटक परिदर्शन. इन के. ए. दुबे (सम्पा.) *अमरकंटक, मध्य प्रदेश*: श्री कल्याण सेवा आश्रम.

मौर्य, डी. एस. (2004). *सामाजिक भूगोल*. इलाहाबाद: शारदा पुस्तक भवन.

सिंह, ए. के., एवं दीक्षित, एस. (2013). *भौगोलिक चिंतन के आयाम*. वाराणसी: विश्वविद्यालय प्रकाशन.

सिंह, आर. एल. (1971). *इण्डिया: ए रीजनल ज्योग्राफी*. वाराणसी: नेशनल ज्योग्राफिकल सोसाइटी ऑफ़ इण्डिया.

सिंह, ओ. पी. (1987). *नगरीय भूगोल*. वाराणसी: तारा बुक एजेंसी.

तिवारी, आर. सी. (2009). *अधिवास भूगोल*. इलाहबाद: प्रयाग पुस्तक भवन.
भारतीय जनगणना विभाग, भारत सरकार (2011). *प्राथमिक जनगणना सार*.
श्रीवास, एस. (2011). *अमरकंटक दर्शन*. अमरकंटक, मध्य प्रदेश: माँ नर्मदा साहित्य सदन.
चन्द्र, एस., एवं पन्त, एम. (1983) (सम्पा.). *मेघदूतम*. दिल्ली: मोतीलाल बनारसीदास.

डिजिटल मीडिया और संस्कृत

डॉ. हरीश कुमार

सारांश

संस्कृत हमारी सांस्कृतिक विरासत और हजारों सालों में अर्जित ज्ञान से समृद्ध एक वैज्ञानिक भाषा है। संस्कृत को सम्पूर्ण भाषा भी कहते हैं क्योंकि व्याकरण से लेकर लय और प्रवाह तक परिपूर्णता संस्कृत को पहचान है। इसमें सामवेद की ऋचाओं के सस्वर पाठ हैं तो ज्योतिष और व्याकरण के ग्रन्थों में जटिल से जटिल सिद्धांतों का वर्णन भी उलब्ध है। संस्कृत की प्राचीनता और समृद्धि के साथ आज के समय और सन्दर्भ में इसकी उपयोगिता पर भी कई बार प्रश्न उठाए जाते हैं। प्रस्तुत शोध पत्र में आज इक्कीसवीं सदी की मीडिया यानि डिजिटल मीडिया मंचों पर संस्कृत की उपयोगिता और स्वीकार्यता के कुछ सन्दर्भ प्रस्तुत किए गए हैं। डिजिटल मीडिया के विविध मंचों पर प्रस्तुत संस्कृत के व्यवहार का विश्लेषण और मूल्यांकन कर अंत में निष्कर्षों का प्रस्तुतीकरण किया गया है।

बीज शब्द- संस्कृत, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, वेबसाइट, पोर्टल

परिचय

संचार के बदलते स्वरूप के साथ-साथ भाषा का भी एक प्रमुख योगदान है, चाहे विचारों के सम्प्रेषण की बात हो या फिर अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक संजोना। 400 ईसा पूर्व महर्षि पाणिनी ने इस भाषा को वर्गीकृत करने के साथ ही इसके व्याकरण पर भी कार्य किया और अष्टाध्यायी की रचना की जिसे विश्व के किसी भी भाषा के पहले व्याकरण के ग्रंथ के रूप में जाना जाता है (व्याकरणवीथिका, 2020,पृष्ठ-8)। संस्कृत में लिखे ग्रंथ हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का द्योतक हैं। बदलते समय के साथ-साथ संस्कृत भारत की प्राचीनतम भाषा होने के साथ-साथ तकनीकी की भाषा भी बनती जा रही है। 'यह एक मिथ्या धारणा है कि यह मात्र मंदिरों या धार्मिक रीतियों में प्रयोग करने वाली भाषा है, जबकि संस्कृत साहित्य की अपेक्षा यह पांच प्रतिशत है। बल्कि इसके अतिरिक्त ये भाषा-दर्शन, कानून, ज्योतिष, व्याकरण, गणित, साहित्य, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र आदि से सम्बंध रखती है। (शुक्ल, 2015, पृष्ठ-119)'

एक भाषा के रूप में संस्कृत की परिपक्वता और समृद्धि किसी भी प्रकार के संदेह से परे है। हजारों साल की भारतीय वांग्मय की परम्परा और विरासत संस्कृत में ही समाहित है। इसका संपन्न और निर्दोष व्याकरण किसी भी आधुनिक तकनीकी के साथ तालमेल बैठाने में सक्षम है। आज हालाँकि संस्कृत आम संवाद की भाषा नहीं है लेकिन

लाखों की संख्या में इसके प्रयोगकर्ता मौजूद हैं। अभी भी इसमें ग्रन्थ रचे जा रहे हैं और दर्जनों संस्थान और विश्वविद्यालय इसके माध्यम से शोध और सृजन में संलग्न हैं। संस्कृत ने कंप्यूटर और डिजिटल मीडिया मंचों से भी अच्छा तारतम्य स्थापित कर लिया है और प्रभावी रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है।

डिजिटल मीडिया और संस्कृत

आज पूरी दुनिया डिजिटल हो रही है। हमारे सम्प्रेषण और ज्ञान-विज्ञान के प्रमुख मंच इसी प्रौद्योगिकी के सहारे विस्तार पा रहे हैं और प्रभावी रूप में आगे बढ़ रहे हैं। संस्कृत ने भी डिजिटल मीडिया मंचों का उपयोग शुरू कर दिया है। डिजिटल मीडिया के मंचों पर संस्कृत भाषा आज अपनी उपस्थिति कुछ इस प्रकार से दर्ज करा रही है-

संस्कृत टैब- संस्कृत लेखन या फिर टाइपिंग के लिए हमें टैब की आवश्यकता होती है लेकिन आज गूगल ने हम सबके लिए वर्चुअल टैब उपलब्ध करवाया है। इसकी सहायता से हम संस्कृत में न सिर्फ लिख सकते हैं बल्कि यह प्रक्रिया सुरक्षित भी रहती है । (गेटटूहोमडॉटकॉम)

ऑनलाइन संस्कृत डिक्शनरी- संस्कृत के शब्दों को लिखने के अलावा अगर हमें किसी भी प्रकार के शब्द में कोई समस्या है अथवा उसका अर्थ समझ में नहीं आ रहा तो इसके लिए भी हमें किसी प्रकार से चिंतित होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि आज हमारे पास ऑनलाइन डिक्शनरी की सुविधा है जो पल भर में हमारी समस्याओं का

निराकरण कर देती है। (https://vaak.wordpress.com/)

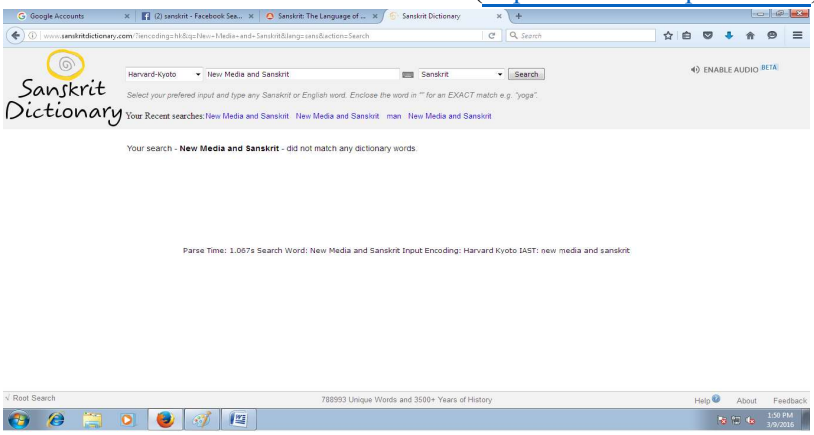

संस्कृत के ब्लॉग- ब्लॉग एक प्रकार की ऑनलाइन डायरी है जिसे हम विषय या अपनी पसंद के अनुसार बना सकते हैं। ब्लॉग से हमें न सिर्फ किसी विषय को समझने में आसानी होती है बल्कि ब्लॉग से हमें ब्लॉग लिखने वाले की मनःस्थिति का भी पता चलता है। आज हमारे बीच कई ऐसे ब्लॉग हैं जिनसे न सिर्फ संस्कृत का प्रचार-प्रसार हो रहा है बल्कि उनके लिए इस भाषा को समझना और गुनना पहले से कहीं आसान हो गया है। ऐसा ही एक ब्लॉग है संकीर्तन जो संस्कृत में लेख और विचार के साथ ही साथ सूचना को ध्वनि के रूप में भी प्रदान करता है। वर्डप्रेस के मंच पर विराजमान एक ऐसे ही ब्लॉग को नीचे दर्शाया गया है जिसका नाम है- संस्कृतम् | (http://sanskrit.inria.fr/portal.fr.html)

पोर्टल और वेबसाइट- डिजिटल मंच पर पोर्टल और वेबसाइट प्रमुख स्थान रखते हैं। पोर्टल जहां एक ही स्थान पर हर प्रकार की सुविधा प्रदान करता है जैसे विषय वस्तु को ढूढ़ना, ब्लॉग लिखना और अलग-अलग वेबसाइट को उपलब्ध कराना। आज संस्कृत भाषा में अनगिनत बेबसाइट्स और पोर्टल हैं जो अलग-अलग विषयों पर हैं। इस प्रकार के वेबसाइट हमारे ज्ञान के संवर्धन में एक महत्वपूर्ण योगदान कर रहे हैं। सम्भाषणसंस्कृतम् भी एक ऐसी वेबसाइट है जिससे लोगों को बोलने के दौरान प्रयुक्त शब्दों को चुनने में सहायता मिलती है। (http://sanskrit.inria.fr/portal.fr.html)

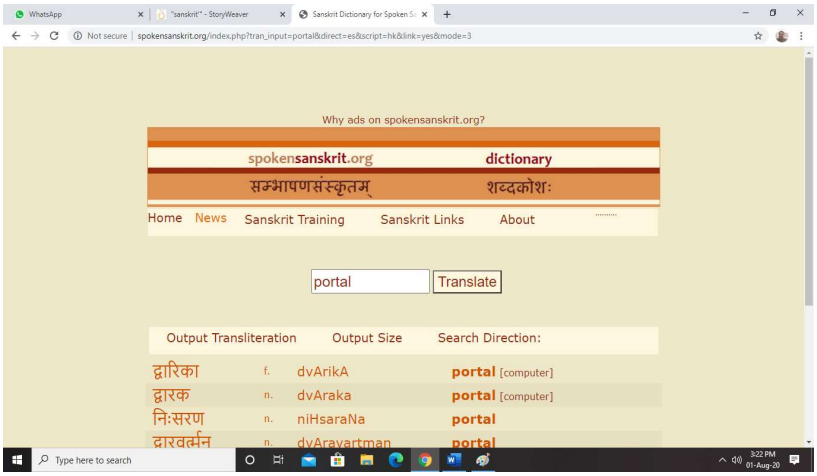

सोशल मीडिया और फेसबुक- संस्कृत आज सोशल मीडिया प्लेटफार्म जैसे फेसबुक पर भी आ चुका है जहाँ न सिर्फ कई पेज संस्कृत में ही हैं बल्कि फेसबुक पर सामुदायिक पेज भी हैं जिनसे जुड़े लोगों की संख्या हज़ारों में है। सोशल मीडिया पेज युवाओं की अभिव्यक्ति का भी एक सशक्त माध्यम है। इस प्रकार से संस्कृत भाषा भी अपने आप को युवाओं से जोड़ने का एक प्रयास कर रही है। ऐसा ही एक प्रयास परिलक्षित होता है साहित्य एकेडमी के पेज से जिसके 1000 से भी अधिक अनुसरणकर्ता और 70000 से अधिक लाइकिंग है | वहीं संस्कृति भारतम के 17000 से ज्यादा सदस्य हैं। इस पेज पर न सिर्फ लेख बल्कि ऑडियो और वीडियो के रूप में भी संस्कृत में संवाद किया जाता है (www.jagran.com)।

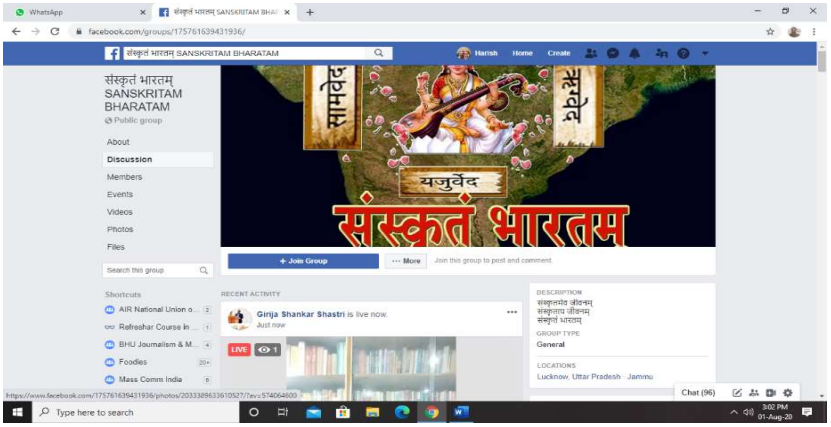

ई-पेपर- ई पेपर जिसे इलेक्ट्रानिक पेपर के नाम से जाना जाता है, इसने समाचार पत्रों के वितरण को और भी सहज और सरल बना दिया है। संस्कृत भाषा के समाचार पत्र आज ई-पेपर के रूप में हमारे लिए उपस्थित हैं। एक ऐसा ही समाचार पत्र है सुधर्मा जिसकी शुरुआत की कलाले नाड्डुर ने सन् 1970 में, जिसका उद्देश्य था संस्कृत भाषा में समाचार पत्रों की आवश्यकता की प्रतिपूर्ति करना। सुधर्मा समाचार पत्र आज देश के विभिन्न राज्यों की लाइब्रेरियों के साथ ही साथ केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, केन्द्रीय विद्यालय में तो पढ़ी ही जाती है साथ ही इसने देश की सीमा को पार कर अमरीका और जापान तक अपनी पहुंच स्थापित की है। (storyweaver.org.in)

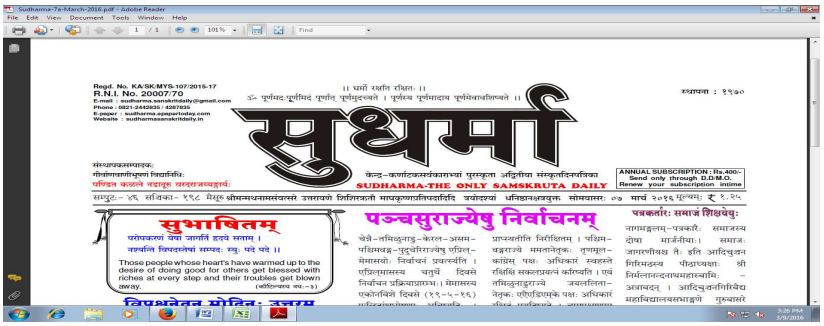

ई-बुक- डिजिटल मीडिया ने एक मंच हमें इलेक्ट्रॉनिक बुक के रूप में भी दिया है। ई-बुक का सबसे बड़ा फायदा है कि इसे बिना किसी भी क्षति के लंबे समय तक रखा जा सकता है। आज इस मंच पर कई ऐसी ई बुक भी हैं जिनके लिए किसी को भी किसी

प्रकार की राशि का भुगतान नहीं करना पड़ता। इससे संस्कृत के अध्ययन और शोध में जुड़े लोगों को भी लाभ होता है। आज विश्व के कई देशों में संस्कृत में शोध हो रहा है बल्कि संस्कृत भाषा की पुस्तकों का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद भी हो रहा है। इस संदर्भ में कोलंबिया विश्वविद्यालय के शोध अध्येता और द लैंग्वेज ऑफ़ गॉड्स इन द वर्ल्ड ऑफ़ मेनः संस्कृत कल्चर एण्ड पॉवर इन द प्री माडर्न इण्डिया के लेखक प्रोफेसर शेल्डन पोलॉक भी संस्कृत की कई पुस्तकों के अनुवाद का कार्य कर रहे हैं जिसका प्रकाशन हॉवर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस कर रही है। इनमें से कई पुस्तकों के ई-बुक के रूप में आने की भी संभावना है। इस प्रकार संस्कृत पुस्तकें न सिर्फ बड़े लोगों के लिए उपलब्ध हैं बल्कि किशोरों के लिए भी संस्कृत में अलग-अलग प्रकार की पुस्तकें उपलब्ध हैं। ऐसी पुस्तकें अभी थोड़ी कम अवश्य हैं पर संस्कृत को एक अलग पहचान दिलाने में ये सहायक हैं। ऐसी पुस्तकें अमेजन के अलावा स्टोरीवीवर जैसे मंच पर भी उपलब्ध है (https://storyweaver.org.in)।

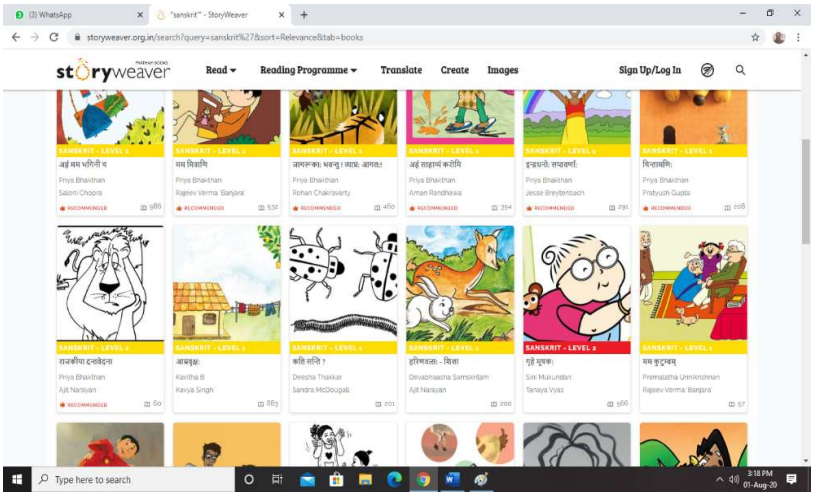

यू ट्यूब चैनल और वीडियो- यू ट्यूब चैनल भी एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जहाँ से संस्कृत में कार्यक्रम प्रसारित किया जा रहा है। इनमें संस्कृत शिक्षा के साथ-साथ मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों को भी देखा जा सकता है। इस संदर्भ में संस्कृत भारत और संस्कृत वाहिनी ने बहुत सारे वीडियो को अपलोड कर रखा है। इस प्रकार से यू ट्यूब ने पूरे विश्व में संस्कृत भाषा की उपस्थिति दर्ज कराई है। एक ऐसा ही यू ट्यूब चैनल है द

संस्कृत चैनल जिसके 3लाख चैरानबे हज़ार से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हैं (www.youtube.com)।

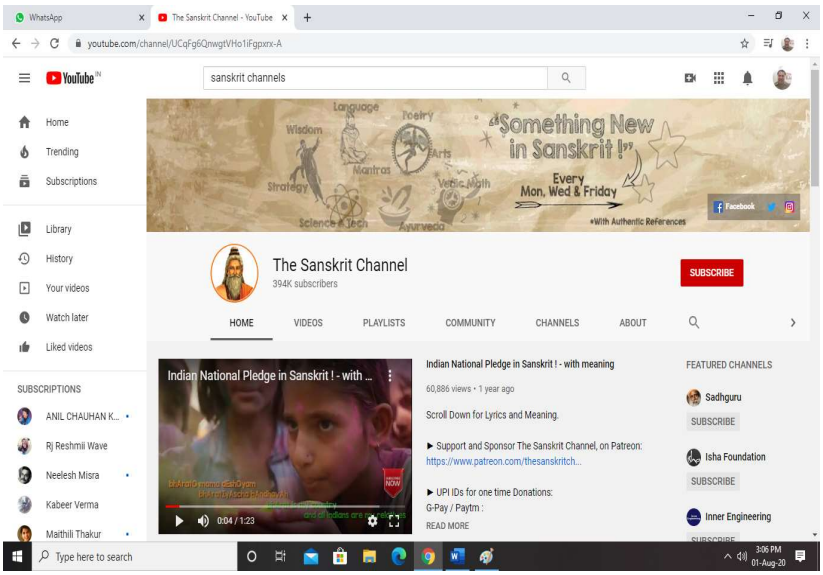

ऑनलाइन फिल्में- आजकल फिल्मों के वितरण का एक नया माध्यम बनकर उभरा है। ऑनलाइन प्लेटफार्म जैसे- अमेजन प्राइम, आल्ट बालाजी, नेटफ्लिक्स आदि। इसके अलावा यू ट्यूब तो है ही। इन सभी प्लेटफार्म पर दीर्घ अवधि की फिल्मों के अलावा अल्प अवधि की फिल्में भी दिखाई जाती हैं। इस संदर्भ हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जहाँ जीवी अय्यर की 1993 में आई संस्कृत भगवद गीता के 26000 से ज्यादा पसंद करने वाले लोग थे वहीं 8 फरवरी 2015 को संस्कृत पुत्रो रक्षति नाम की अल्प अवधि की फिल्म को यू ट्यूब पर अपलोड किया गया जिसके पसंद करने वाले 5000 से अधिक लोग थे। इस प्रकार कहीं न कहीं संस्कृत की फिल्मों को भी लोग देखना पसंद कर रहे हैं। हाल ही में नेटफ्लिक्स पर भी पहली बार एक संस्कृत फिल्म ने दस्तक दी है जिसका नाम है पुण्यकोटि (www.netflix.com)।

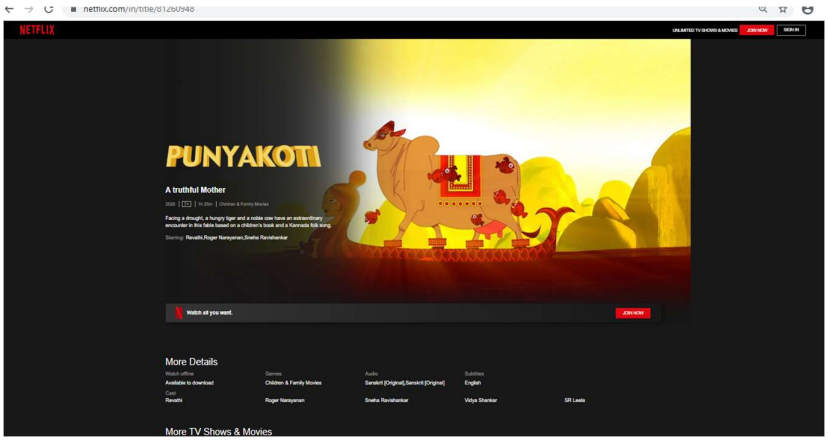

दूरदर्शन और आकाशवाणी के संस्कृत कार्यक्रमों की ऑनलाइन उपलब्धता- बदलते दौर के साथ दूरदर्शन और आकाशवाणी ने भी नव माध्यमों की ओर अपने आप पाँव पसारे हैं। इनके कार्यक्रमों में देश की संस्कृति और संस्कृत को एक प्रमुख स्थान मिलता है। एक तरफ दूरदर्शन 18 जून 2015 के पूर्व शाम छः बजकर पचपन मिनट पर पांच मिनट की अवधि का संस्कृत का कार्यक्रम प्रसारित करता था जिसका नाम है वार्ता। इसकी कम अवधि को देखते हुए 18 जून 2015 के बाद इसे 30 मिनट का कर दिया गया जिसमें समाचार, फीचर, रिपोर्ताज, परिचर्चा आदि शामिल हैं (www.prasarbharti.gov.in)। वहीं आकाशवाणी से प्रसारित संस्कृत समाचार और वार्ता के कार्यक्रम को भी वेबसाइट से सुना जा सकता है। इसी प्रकार एक साप्ताहिक संस्कृत पत्रिका वार्तावली के बारे में एक तस्वीर इस प्रकार है-

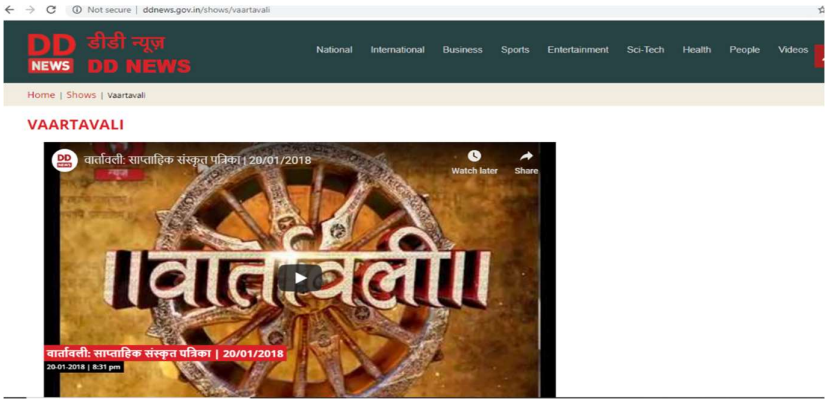

इंटरनेट रेडियो- इंटरनेट रेडियो ने रेडियो के पुराने स्वरूप को परिवर्तित कर दिया है। इसकी उपलब्धता और स्वीकार्यता को देखते हुए हमें भविष्य के हिसाब से अपने आप को तैयार रखना है। एक तरफ जहाँ कई भारतीय भाषाओँ में आज इंटरनेट रेडियो अपने कार्यक्रमों का प्रसारण कर रहा है वहीं संस्कृत भी इससे अछूता नहीं है। संस्कृत भाषा के संवर्धन को ध्यान में रखकर ही रेडियो दिव्यवाणी ने अपनी ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करवाई है, वहीं नववाणी ने भी अपनी एक अलग पहचान बनाई है। (www.answers.com)

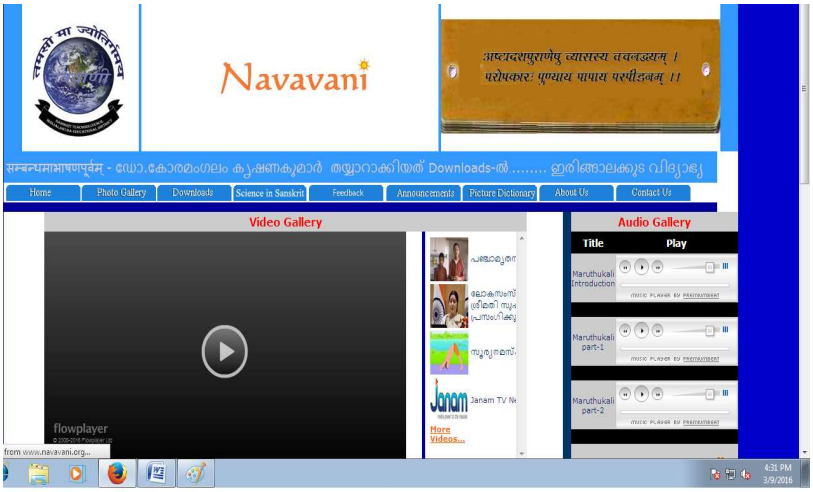

आंसर डॉट कॉम- आंसर डॉट कॉम हमारे प्रश्नों का उत्तर देकर हमारी जिज्ञासा को शांत करने का कार्य करता है, विभिन्न भाषाओं के साथ ही साथ यह संस्कृत में भी प्रश्न पूछने का अवसर प्रदान करता है जिसका उत्तर संस्कृत में मिलता है।

विकिपीडिया का संस्कृतविकीपीडिया के रूप में कार्य- विकीपीडिया छात्रों के बीच बहुत लोकप्रिय है क्योंकि यह सूचना को निर्बाध रूप से सभी लोगों को सुलभ करवाता है। विकीपीडिया पर संस्कृत भाषा में भी सामग्री उपलब्ध उपलब्ध है संस्कृतविकीपीडिया के रूप में। यहाँ पर संस्कृत की सामग्री उपलब्ध है लेकिन अभी इसकी संख्या अभी सीमित है। (www.tunein.com)

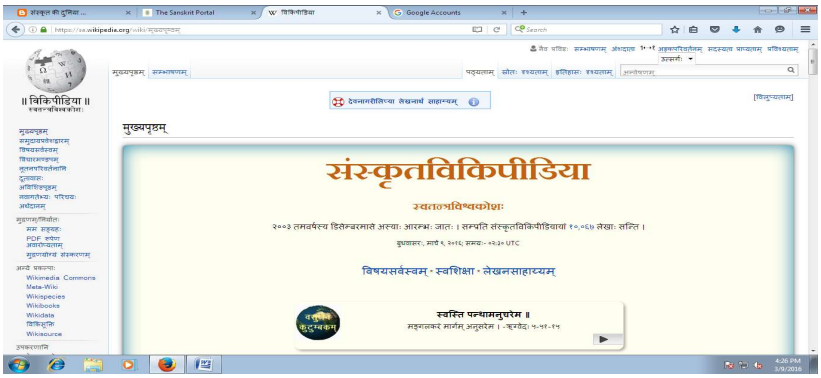

संस्कृत के ऐप या अप्लिकेशन- भारत में स्मार्ट फोन के उपयोगकर्ताओं की बढ़ती संख्या के साथ ही आज गूगल प्ले स्टोर पर संस्कृत के भी कई ऐप उपलब्ध हैं जो संस्कृत के प्रचार-प्रसार के साथ ही संस्कृत को सीखना भी आसान बनाते हैं (www.play.google.com)। एक ऐसा ही ऐप है द संस्कृत लैंग्वेज-

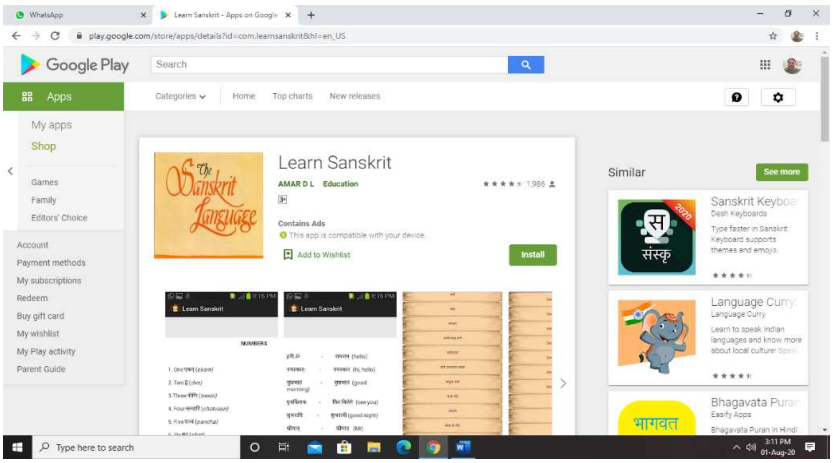

द डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ़ इंडिया अंग के रूप में संस्कृत- द डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ़ इंडिया विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध सामग्री को डिजिटल रूप से संरक्षित और उसे उपलब्ध कराने का कार्य करता है। इस प्रक्रिया का सबसे ज्यादा फायदा इस बात

में है कि हम विभिन्न प्रकार की पुस्तकों और पाण्डुलिपियों को लंबे समय के लिए संरक्षित रख सकते हैं। इसके खोने या फिर नष्ट होने का डर नहीं रहता। द डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ़ इंडिया के पास अभी लगभग 13000 संस्कृत की पुस्तकों का भंडार है। इस कार्य के लिए भारत सरकार ने आइआइएससी, बैंगलोर और आइआइटी, मद्रास के विषेषज्ञों की एक टीम का गठन कर उसे आधुनिक साजो-सामान उपलब्ध करवाया है जिससे पुस्तकों को स्कैन करने के साथ-साथ उन्हें डिजिटल रूप में उपलब्ध करवाया जा सके। आज हमारे पास संस्कृत भाषा में भी सामग्री को खोजने के लिए सर्च इंजन उपलब्ध हैं जिसमें से संस्कृत सम्सकृतम प्रमुख हैं (www.sanskrit.samskrutam.com)।

निष्कर्ष और सुझाव:

संस्कृत एक भाषा के तौर पर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस भाषा में सन्निहित ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने में मीडिया का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें भी डिजिटल मीडिया या जिसे हम नव माध्यम कहते हैं इसने सूचना संसार का एक ऐसा पिटारा खोला है जो युवाओं में सर्वाधिक लोकप्रिय है। हमारा देश इस मामले में सौभाग्यशाली है कि यह एक युवा देश है, इसलिए इस माध्यम के समुचित प्रयोग से संस्कृत अपनी अलग पहचान बनाये रखने के साथ ही साथ जनसामान्य को भी अपने साथ जोड़ सकती है। यद्यपि इस डिजिटल मीडिया के मंच पर संस्कृत में बहुत कुछ उपलब्ध है लेकिन अभी भी संस्कृत में ज्ञान का अपार भंडार है जिसे बहुत हद तक लोगों के सामने नहीं लाया गया है। अभी भी कई ऐसे ग्रंथ हैं जिन्हें डिजिटल रूप में रूपांतरित करने की आवश्यकता है ताकि इसकी समृद्ध विरासत को आने वाली पीढ़ियां भी प्रयोग कर सकें। इस संदर्भ में चाहे संस्कृत साहित्य हो, व्याकरण, नाटिका, कविता, कहानी हो या फिर हमारे धार्मिक ग्रंथ ही क्यों ना हों।

भारत सरकार संस्कृत में वेबसाइट बनाने के लिए देश के व्यवसायियों को प्रोत्साहित कर सकती है। इस संदर्भ में संस्कृत के शोधार्थियों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। इन शोधार्थियों के साथ ही साथ विद्यार्थियों को भी नव माध्यमों के समुचित उपयोग के लिए प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। आज के तकनीकी युग में हमें तकनीकी के साथ कदमताल मिलाने की आवश्यकता है।

संस्कृत भाषा में अलग-अलग कार्टून या एनिमेटेड पात्र या फिर छोटे बच्चों के लिए कविता पाठ बहुत ही उपयोगी हो सकता है। अभी ऐसे लोगों या संस्थाओं की संख्या बहुत ही कम है जिसमें और भी वृद्धि की आवश्यकता है क्योंकि अगर बालक-बालिकाएं

अपने उम्र की प्रारंभिक अवस्था से ही संस्कृत से जुड़ें तो उससे संस्कृत का ही विकास होगा। संस्कृत की ऑनलाइन डिक्शनरी में अभी भी कई शब्दों के अर्थ में एक तरह की अस्पष्टता है जिसे दूर करने के लिए विभिन्न संस्कृत विद्वानों के एक साथ आने की आवश्यकता है। देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों को संस्कृत के ई-कंटेंट और ऑनलाइन कंटेंट विकसित करने के लिए प्रोत्साहन की आवश्यकता है। जिस प्रकार स्वयं जैसा एक प्लेटफार्म लोगों को ई-कंटेंट के प्रति आकर्षित कर रहा है कुछ इसी प्रकार की एक व्यवस्था संस्कृत के लिए भी होनी चाहिए।

सरकार को सभी साफ्टवेयर प्रोफेशनल को संस्कृत भाषा के संदर्भ में प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है ताकि इन प्रोफेशनल में इस भाषा से एक तरह का जुड़ाव हो साथ ही साथ वे संस्कृत में अच्छे से अच्छे साफ्टवेयर का निर्माण कर सकें। भारतीय उद्योग जगत को भी सामाजिक दायित्व कार्यक्रम के अंतर्गत संस्कृत शोधार्थियों और तकनीकी कर्मियों को प्रोत्साहित करने के लिए कहा जा सकता है। साथ ही इसे रोजगार से भी जोड़ा जा सकता है।

विकिपीडिया जैसे नव माध्यम के प्रकारों पर अभी भी संस्कृत में बहुत ही कम सामग्री है जिसे दूर करने के लिए सभी संस्कृत कर्मियों को जागरूक करने और आगे लाने की आवश्यकता है। संस्कृत की संगोष्ठियों या वेबिनार को ऑनलाइन प्लेटफार्म पर लाने की आवश्यकता है। साथ ही अगर इस बात को लेकर किसी प्रकार का कोई संकोच या पूर्वाग्रह हो तो उसे दूर करने की आवश्यकता है। संस्कृत में उपलब्ध सामग्री के लिए अलग से सर्च इंजन को लाए जाने की आवश्यकता है न कि सिर्फ गूगल के एक टूल के रूप में। नव माध्यमों को भी संस्कृत भाषा में दृश्य और श्रव्य सामग्री के अधिक से अधिक उपलब्ध कराने पर जोर देने की आवश्यकता है जैसा कि नेटफ्लिक्स ने संस्कृत फिल्मों के वितरण का कार्य भी अपने प्लेटफार्म पर शुरू किया। सरकार इस प्रकार की फिल्मों के निर्माण के लिए सब्सिडी दे सकती है जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग संस्कृत में फिल्म निर्माण या वेब सिरीज बनाने के लिए आगे आएंगे।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संस्कृत ने डिजिटल मीडिया के सभी स्वरूपों पर अपनी एक दस्तक दी है, आवश्यकता है बस इसे और अधिक प्रचारित-प्रसारित करने और लोगों को जोड़ने की जिससे यह एक आन्दोलन का रूप ले सके।

संदर्भ:

व्याकरणवीथिका (2020). एनसीईआरटी, नई दिल्ली

कुलदीपक, एस. (2015). संस्कृत: एक सम्पूर्ण विज्ञान. *अनुसंधान विज्ञान शोध पत्रिका*, *3*(01), 119-120.

www.gatetohome.com/select-keyboard दिनांक 21.12.2020 को उद्धृत |

www.sanskritdictionary.com से दिनांक 21.12.2020 को उद्धृत |

https://vaak.wordpress.com/ से दिनांक 25.12.2020 को उद्धृत |

http://sanskrit.inria.fr/portal.fr.html से दिनांक 25.12.2020 को उद्धृत |

https://www.jagran.com/news/national-sanskrit-newspaper-sudharma-strugglig-for-its-existence-jagran-special-19492084.html से दिनांक 25.12.2020 को उद्धृत |

https://storyweaver.org.in/stories/43398-shhh-sonu-shrunoti से दिनांक 02.01.21 को उद्धृत |

https://www.youtube.com/channel/UCqFg6QnwgtVHo1iFgpxrx-A से दिनांक 02.12.21 को उद्धृत |

https://www.netflix.com/in/title/81260948 से दिनांक 02.12.21 को उद्धृत |

http://prasarbharati.gov.in/DD/ddnewsdirectorate.php

http://tunein.com/radio/Divyavani-s205826/

http://www.answers.com/search?q=sanskrit

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.learnsanskrit&hl=en_US&gl=US

https://www.meity.gov.in/hi/content/national-digital-library

http://sanskrit.samskrutam.com/en.Search.aspx?Query=society&SearchUncategorized=1&Categories=&Mode=1&NS=en

दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 के परिणामों का विश्लेषण

डॉ॰ राम भूषण तिवारी

सारांश

सन 2020 के फरवरी महीने में संपन्न हुआ दिल्ली विधानसभा का चुनाव मुख्यत: आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच की गहन राजनैतिक प्रतिद्वंदिता का चुनाव था जिसमें आम आदमी पार्टी ने एक तरफा जीत हासिल की। इन दो दलों के अतिरिक्त अन्य राजनीतिक दलों ने भी दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाग लिया लेकिन उनका उल्लेखनीय प्रदर्शन नहीं रहा। प्रस्तावित अध्ययन दिल्ली विधानसभा के चुनाव परिणामों का विभिन्न दृष्टिकोण से विश्लेषण करता है। अध्ययन में पाया गया कि एक तरफा विजय के बावजूद आम आदमी पार्टी अपने पुराने प्रदर्शन से आंशिक रूप से नीचे आई है जबकि पराजय के बावजूद भाजपा थोड़ा बेहतर स्थिति में पहुँची है। किंतु इन दोनों पार्टियों के मध्य अंतर अभी बहुत अधिक है। आम आदमी पार्टी की विजय के लिए यूँ तो किसी एक कारण से मिली विजय नहीं माना जा सकता लेकिन सामान्य रूप से आँकड़े यह संकेत करते हैं की उनकी विजय में मुस्लिम और दलित वोटों के ध्रुवीकरण की विशेष भूमिका रही। यह चुनाव परिणाम एक बार फिर भारतीय राजनीति में वैकल्पिक राजनीति की आवश्यकता और महत्ता पर विमर्श को आगे बढ़ाएगा।

प्रस्तावना

दिल्ली विधानसभा के चुनाव 8 फरवरी 2020 को संपन्न हुए तथा 11 फरवरी 2020 को उनके परिणामों की घोषणा की गई (भारत निर्वाचन आयोग, 2020)। 1992 में किए गए 69वें संविधान संशोधन के बाद दिल्ली विधानसभा के प्रथम चुनाव 1993 में हुए तथा उसके पश्चात 1998, 2003, 2008, 2013, 2015, एवं 2020 में दिल्ली विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए (विकिपीडिया, 2020)। 2020 के पूर्ववर्ती सभी चुनाव का अकादमिक अध्ययन भी हुआ है (Yadav, 1993; Kumar, 1999; Kumar, 2009; Kumar, Joshi & Dattar, 2004; Diwakar, 2016)। पुराने अध्ययनों में यह भी पाया गया है कि आम आदमी पार्टी के उदय से पूर्व दिल्ली चुनाव के प्रति अकादमिक जगत की रुचि सीमित थी एवं चुनाव परिणामों के विश्लेषण तक ही सीमित थी। किंतु दिल्ली की राजनीति आम आदमी पार्टी के उत्थान के पश्चात दिल्ली के चुनावों को अलग-अलग दृष्टिकोणों से देखने की प्रक्रिया शुरू हुई, इसलिए 2013 के बाद से दिल्ली

विधानसभा चुनावों का अकादमिक अध्ययन अधिक वैविध्यपूर्ण है। मसलन दिल्ली चुनाव में शराब एवं तथा मध्य वर्ग की भूमिका (अहमद , 2014), दिल्ली की राजनीति में महिलाओं के प्रति हिंसा (जबिलियत, 2014), आरक्षित विधानसभा क्षेत्रों में मतदान प्रतिरूप (वर्मा, 2015), आम आदमी पार्टी विजय में सोशल मीडिया की भूमिका (श्रीवास्तव, जैन, एवं भाटिया, 2015) जैसे विषय आम आदमी पार्टी की जीत के बाद आकस्मिक अध्ययन का विषय बने। इसके अतिरिक्त आम आदमी पार्टी की जीत का राष्ट्रीय राजनीतिक प्रभाव का भी अध्ययन हुआ (माथुर, 2014), लेकिन 2020 में उनकी चुनावी जीत पर अकादमिक अध्ययन का अभाव है एवं प्रस्तावित अध्ययन इस अभाव को पूरा करने का प्रयास करता है।

2020 का दिल्ली विधानसभा चुनाव राजनीतिक दलों के बीच जुबानी जंग और विरोधाभासी मुद्दों के साथ लड़ा गया (Hindustan Times, 2020; The Wire, 2020 a)। मतदाताओं को आकर्षित करने हेतु प्रत्येक राजनीतिक दल ने अलग-अलग रणनीति का पालन किया (The Wire, 2020 b)। दिल्ली विधानसभा में 20 वर्षों से वनवास झेल रही भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रवाद, शाहीन बाग और तुष्टिकरण जैसे मुद्दे प्रमुखता से उठाए (The New Indian Express, 2020) तो आम आदमी पार्टी ने तमाम वैचारिक मुद्दों पर रणनीतिक मौन का सहारा लेकर 'काम की राजनीति' को विधानसभा चुनाव में मुद्दा बनाया (The Week, 2020; The Quint, 2020) भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वैचारिक मुद्दों जैसे शाहीन बाग पर बेहद मुखर थी।

दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम को सिर्फ चंद शब्दों में समाहित किया जा सकता है "आप की जीत, भाजपा की हार"। लेकिन सिर्फ यह लिखना इस चुनाव परिणाम के बहुत से अन्य पक्षों को नजरंदाज कर देता है। अत: इन चुनावों के परिणाम की बेहतर समझ के लिए आंकड़ों का सिलसिलेवार विश्लेषण आवश्यक है।

अध्ययन का उद्देश्य

इस अध्ययन के माध्यम से निम्नांकित उद्देश्यों को पूर्ण करने का प्रयास किया गया है:

1. प्रस्तावित अध्ययन 2020 के चुनावी परिणामों का समग्रता में विश्लेषण करता है।
2. यह अध्ययन राजनीतिक दलों पर चुनावी परिणामों के प्रभाव का भी वर्णन करता है।

3. यह अध्ययन दिल्ली विधानसभा चुनावों के परिणामों की तुलनात्मक दृष्टिकोण से व्याख्या करता है।

आँकड़ों के स्त्रोत

प्रस्तुत अध्ययन पूर्णत: निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदत्त अलग-अलग आँकड़ों पर आधारित है, जिसमें वेबसाइट पर प्रदर्शित 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणामों के अतिरिक्त पुराने परिणामों के आँकड़े (ECI-*Statistical report on general election: 2008, 2013, 2015)* भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त विश्लेषण के लिए थोड़ी बहुत मात्रा में मीडिया समूहों तथा इंटरनेट द्वारा दी गई रिपोर्टों का भी सहारा लिया गया है। लेकिन विश्वसनीयता को ध्यान मे रखते हुए इस तरह के आँकड़े केवल निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के पूरक के रूप में प्रयोग किए गए हैं।

आँकड़ों का विश्लेषण

आगे पृथक-पृथक शीर्षकों से 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणामों की व्याख्या की गई है।

राजनीतिक दलों के संदर्भ में विधानसभा चुनाव के परिणामों का विश्लेषण

सारणी 1 इंगित करती है की आम आदमी पार्टी (आप) ने 2013 के विधानसभा चुनाव में 29.5% मत प्रतिशत के साथ 28 विधानसभा क्षेत्रों में विजय प्राप्त करते हुए दिल्ली की राजनीति में धमाकेदार तरीके से प्रवेश किया। 2015 एवं 2020 के चुनाव में आधे से अधिक वोट प्रतिशत के साथ आम आदमी पार्टी ने 67 एवं 62 निर्वाचन क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। उसके इस प्रदर्शन ने राष्ट्रीय पार्टियों सहित सभी राजनीतिक दलों को दिल्ली की राजनीति में हाशिए पर धकेल दिया। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (कांग्रेस) जैसे बड़े राष्ट्रीय राजनीतिक दल आम आदमी पार्टी के इस प्रदर्शन के कारण दिल्ली की राजनीति में शक्तिहीन प्रतीत होने लगे। 2020 में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने दिल्ली चुनावों में संतोषजनक प्रदर्शन किया लेकिन वास्तविक प्रदर्शन (विजयी मतदान क्षेत्रों की संख्या) में वह आम आदमी पार्टी से बहुत पीछे रह गई। भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के अभूतपूर्व प्रदर्शन के बीच 2015 के चुनाव ना केवल अपना मत प्रतिशत कायम रखा बल्कि 2020 के चुनाव में उसको बढ़ाने में भी सफल रही। किंतु दोनों पार्टियों के बीच मत प्रतिशत में अंतर इतना अधिक था कि भाजपा का यह सुधरा हुआ प्रदर्शन भी उसके लिए कोई वास्तविक परिणाम दिखाने में असफल रहा।

सारणी 1: दिल्ली विधानसभा चुनावों में राजनीतिक दलों का प्रदर्शन (2008-2020)

वर्ष/	2008			2013			2015			2020		
राजनीतिक दल	विजय	जमानत जब्त	वोट (%)	विजय	जमानत जब्त	वोट (%)	विजय	जमानत जब्त	वोट (%)	विजय	जमानत जब्त	वोट (%)
आप	-	-	-	28	9	29.5	67	0	54.3	62	0	53.6
भाजपा	23	4	36.3	31	2	33.1	3	2	32.2	8	0	38.5
कॉंग्रेस	43	1	40.3	8	8	24.6	0	62	9.6	0	63	4.5
बसपा	2	49	14.5	0	63	5.35	0	69	1.3	0	70	0.71
अन्य	2	757	8.85	3	473	7.54	0	392	2.52	0	396	2.63
योग	70	811	100	70	555	100	70	525	100	70	466	100

स्रोत: चुनाव आयोग की वेबसाइट से संकलित

2008 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 40.3% मतों के साथ 43 निर्वाचन क्षेत्रों में विजय प्राप्त करते हुए पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, जबकि 2020 के चुनाव में पार्टी ने मात्र 4.5% मत प्राप्त किए। इतना ही नहीं, 2020 में कांग्रेस का मत प्रतिशत 2015 की तुलना में आधा रह गया जब पार्टी ने 9.65% मत प्राप्त किए थे। यह लगातार दूसरा चुनाव था जिसमें भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी का भारत की राजधानी में खाता भी नहीं खुला। पार्टी के खराब प्रदर्शन का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि 2020 के चुनाव में किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में पार्टी ने दूसरा स्थान प्राप्त नहीं किया। यहां तक कि 2 निर्वाचन क्षेत्रों (संगम विहार एवं सीमापुरी) में उनके मुकाबले के लिए भारतीय जनता पार्टी भी नहीं थी क्योंकि राजनीतिक समझौते के कारण वहां कांग्रेस के सामने दिल्ली की राजनीति में अपेक्षाकृत कमजोर जनता दल (यूनाइटेड) चुनाव मैदान में था फिर भी कांग्रेस का प्रदर्शन उनसे भी खराब रहा। पूरी दिल्ली में केवल एक कांग्रेस उम्मीदवार ने 25000 मतों का आंकड़ा पार किया जबकि पार्टी के 39 उम्मीदवार 5000 से कम वोट प्राप्त कर सके। 7 वर्ष पूर्व तक दिल्ली की सत्ता पर क़ाबिज़ राजनीतिक दल की दुर्दशा का अनुमान इस तथ्य से भी लगाया जा सकता है कि सहयोगियों के सहित 67 विधानसभा क्षेत्रों में उनके उम्मीदवार अपनी जमानत भी नहीं बचा सके।

बहुजन समाज पार्टी की कहानी बहुत कुछ कांग्रेस से साम्य रखती है। 2008 में बहुजन समाज पार्टी दिल्ली विधानसभा में 14.5% मतों के साथ दो विधानसभा क्षेत्रों में विजय प्राप्त की थी, उस समय तक दिल्ली की राजनीति में विशेषकर उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए निर्वाचन क्षेत्रों पर बहुजन समाज पार्टी का प्रभाव स्पष्ट रूप से महसूस किया जाता था। 2020 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का मत प्रतिशत कम होकर मात्र 0.7% रह गया तथा इसके सभी 70 उम्मीदवारों की जमानत हो गई। यहां तक कि बहुजन समाज पार्टी के 32 उम्मीदवारों ने नोटा (None of the Above) से भी कम मत प्राप्त किए (News18, 2020)।

2013 के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले छोटे दलों के वोट बैंक में सेंध लगाई और वह निर्विवाद रूप से दिल्ली की राजनीति में तीसरी शक्ति के रूप में स्थापित हो गई। दिल्ली की चुनावी राजनीति में 1993 के बाद से ही तीसरी शक्ति का लगातार मजबूत अस्तित्व रहा है। दोनों प्रमुख राष्ट्रीय राजनीतिक दलों - कांग्रेस एवं भाजपा से विचारधारा या किसी अन्य कारणों से विरक्त मतदाताओं ने लगातार दिल्ली की राजनीति में तीसरी शक्ति के अस्तित्व को जीवित रखा। 1993 में दिल्ली में जनता दल ने 12.8% मत हासिल किए तथा उनके चुनाव-दर-चुनाव कमजोर होने के बाद दिल्ली

में बहुजन समाज पार्टी का उदय तीसरी शक्ति के रूप में हुआ जिसने 2008 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया (ECI:1993; ECI:1998; ECI: 2003)। आम आदमी पार्टी के उदय ने दिल्ली में तीसरी राजनीतिक शक्ति को एक अलग मुकाम पर पहुँचा दिया। वह अपने पहले ही चुनाव में 29.15% मतों के साथ दिल्ली की राजनीति में धमाकेदार ढंग से प्रवेश करते हुए सत्तारूढ़ दल की पराजय का सबसे बड़ा कारण बनी। इतना ही नहीं, उसने दिल्ली विधानसभा के अंकगणित को इस ढंग से बदला कि 2013 में ही सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भाजपा भी बहुमत से दूर रह गयी। इसका अंतिम परिणाम यह रहा कि पहली बार चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी दोनों राष्ट्रीय दलों को पीछे धकेलकर सत्तारूढ़ दल बना। पंद्रह महीने की यह सरकार तमाम राजनैतिक विरोधाभासों के कारण आगे नहीं चल सकी लेकिन इसने आम आदमी पार्टी को दिल्ली की सत्ता में इस ढंग से स्थापित कर दिया कि वह दिल्ली में तीसरी शक्ति (दोनों राष्ट्रीय दलों का विकल्प) के साथ-साथ कालांतर में प्रथम शक्ति (सत्तारूढ़ दल) भी बन गई। 2015 से दिल्ली में आम आदमी पार्टी ही सत्ताधारी दल है और वही दो मुख्य राजनैतिक दलों के विकल्प के रूप में तीसरी शक्ति भी है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अपराजेय होने का शायद यही सबसे बड़ा कारण भी है।

दिल्ली विधानसभा की राजनीति में राजनीतिक गठबंधनों की एक लंबी परंपरा रही है। गठबंधन की राजनीति के माध्यम से कुछ छोटे दल भी दिल्ली की राजनीति में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहे हैं। परंपरागत रूप से भारतीय जनता पार्टी तथा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में उसके सहयोगी शिरोमणि अकाली दल के बीच दिल्ली में गठबंधन होता रहा है। 2015 के चुनाव में भाजपा ने राजौरी गार्डन विधानसभा सीट शिरोमणि अकाली दल के लिए छोड़ दी थी जबकि तीन अन्य विधानसभा क्षेत्रों पर शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े थे (The Economic Times, 2020)। इस तरह की रणनीति के बल पर भारतीय जनता पार्टी हमेशा से मतदाताओं के कुछ वर्गों को अपनी ओर आकर्षित करती रही है। 2020 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की राजनीति में एक अलग राजनीतिक प्रयोग करने का प्रयास किया एवं पुराने सहयोगी को बदलते हुए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के दो अन्य सहयोगियों जनता दल यूनाइटेड तथा लोक जनशक्ति पार्टी के साथ चुनावी गठबंधन करके चुनाव मैदान में उतरी (Zee News, 2020)। पूर्वांचल के मतदाताओं को आकर्षित करने के उद्देश्य से बना यह गठबंधन भी आम आदमी पार्टी को रोकने में असफल रहा। जनता दल (यूनाइटेड) ने दो विधानसभा क्षेत्रों

बुराड़ी एवं संगम विहार से चुनाव लड़ा तथा क्रमश: 23% और 28% मत पाने में सफल रही, जबकि गठबंधन के एक अन्य साथी लोक जनशक्ति पार्टी ने अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीमापुरी विधानसभा से चुनाव लड़ा और मात्र 24.4% मत प्राप्त किए। इन तीनों विधानसभा क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी का मत प्रतिशत अन्य 70 सीटों पर उनके औसत मत प्रतिशत से 10% अधिक रहा। इस तरह भाजपा के सहयोगी दलों के कमजोर प्रदर्शन का सीधा लाभ आम आदमी पार्टी को मिला। भारतीय पार्टी के लिए नए गठबंधन का यह प्रयोग दोहरा नुकसान साबित हुआ; एक तो उसके गठबंधन सहयोगियों का प्रदर्शन बेहद खराब रहा जबकि शिरोमणि अकाली दल से गठबंधन टूटने के कारण सिख तथा दलित मतदाता भी पार्टी से दूर हो गए (India Today, 2020 a)।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन किया तथा उनके लिए चार विधानसभा क्षेत्र छोड़ दिए (India Today, 2020 b)। ऐसे क्षेत्रों में जहां भारतीय जनता पार्टी एवं आम आदमी पार्टी दोनों चुनाव मैदान में थे वहाँ पर कांग्रेस के गठबंधन सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल ने मात्र 0.2% (किरारी), 0.3% (पालम) एवं 1.1% (उत्तम नगर) मत प्राप्त किए, जबकि बुराड़ी में जहाँ उनके सामने आम आदमी पार्टी के अलावा बिहार में उनकी पारंपरिक प्रतिद्वंदी जनता दल (यूनाइटेड) चुनावी मैदान थी वहां भी उनको मात्र 8.1% मत मिले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सहयोगी दल ने चुनाव में बेहद खराब प्रदर्शन किया।

सारणी 1 यह भी दर्शाती है कि दो सबसे बड़े राजनीतिक दलों का सम्मिलित मत प्रतिशत 2013 के बाद से चुनाव दर चुनाव लगातार बढ़ा है जिसके परिणामस्वरूप अन्य सभी राजनीतिक दल हाशिए पर आ गए हैं। 2008 में दो सबसे बड़े दलों का सामूहिक मत प्रतिशत 76.6% था जो कि 2015 में बढ़कर 86.5% तथा 2020 में 89.1% हो गया। पिछले दो विधानसभा चुनावों में न केवल अन्य सभी दल राजनैतिक दल हाशिये पर आए बल्कि जमानत बचाने वाले उम्मीदवारों की संख्या आश्चर्यजनक रूप से कम हो गई। 2020 में विजेता उम्मीदवारों के अतिरिक्त मात्र 73 अन्य उम्मीदवार जमानत बचा पाये जो दिल्ली के चुनावी इतिहास मे सबसे कम हैं।

मतदान प्रतिशत का चुनाव परिणामों पर प्रभाव

भारत में यह एक सामान्य धारणा है कि उच्च मतदान प्रतिशत अक्सर सत्ता विरोधी लहर के साथ जुड़ा होता है (यादव, 1999), लेकिन भारतीय राजनीति में कभी-कभी इसके अपवाद भी देखे जा सकते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत 2015 में

67.1% के मुक़ाबले कम होकर 2020 में 62.8% रह गया। 1998 के दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद प्रथम बार वहाँ मतदान के प्रतिशत में कमी आई है।

सारणी 2: दिल्ली विधानसभा चुनाव-2020 में मतदान प्रतिशत तथा चुनाव परिणाम

मतदान प्रतिशत	आप द्वारा विजयी क्षेत्रों की संख्या	भाजपा द्वारा विजयी क्षेत्रों की संख्या	सकल योग
<60.0	16	1	17
60.01-65.0	34	5	39
65.01.70.0	7	2	9
>70.0	5	0	5

स्त्रोत: चुनाव आयोग की वेबसाइट एवं विकिपीडिया से संकलित

तालिका 2 स्पष्ट करती है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 में आम आदमी पार्टी को ना तो कम मतदान प्रतिशत से तथा ना ही अधिक मतदान प्रतिशत से बहुत फर्क पड़ा। मसलन उन्होंने कम मतदान वाली 17 में से 16 विधानसभा सीटों पर विजय प्राप्त की जबकि उच्च मतदान वाली सभी 5 सीटों पर विजय प्राप्त की। यह भी पाया गया है कि सामान्य रूप से पूरी दिल्ली में मतदान प्रतिशत में कमी दर्ज की गई लेकिन कम से कम 5 मुस्लिम बाहुल्य विधानसभा क्षेत्रों पर मतदान प्रतिशत में कोई कमी दर्ज नहीं की गई। यहाँ पर औसत मतदान का प्रतिशत भी अधिक था और मतदान कम होने के स्थान पर बढ़ भी गया था। इन सभी विधानसभा क्षेत्रों पर आम आदमी पार्टी को सबसे बड़ी विजय मिली। आम आदमी पार्टी ने न केवल मुस्लिम बाहुल्य वाले सभी विधानसभा क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की बल्कि अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सभी 12 विधानसभा क्षेत्रों पर भी विजयी हुई। संभवतः दलित मुस्लिम मतदाताओं के गठजोड़ ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी की विजय में सबसे बड़ी भूमिका निभाई (OPIndia, 2020)।

विजय का अंतर

राजनीतिक दलों के दृष्टिकोण से उम्मीदवारों की चुनावी विजय का अंतर भी चुनाव परिणामों के विश्लेषण का एक प्रभावशाली संकेतक है। 2015 के चुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की विजय का औसत अंतर 29,053 मतों का था जो 2020 में घटकर 22,135 मतों का रह गया जबकि भाजपा के उम्मीदवारों की विजय का औसत अंतर 2015 में 7,789 मत था जो 2020 में बढ़कर 11,202 मतों का हो गया।

इन दोनों दलों के विजय का औसत अंतर न केवल उनके द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या से परिलक्षित होता है बल्कि दोनों दलों के उम्मीदवारों की जीत का अंतर भी आम आदमी पार्टी की एकतरफा विजय का संकेत देता है। किन्तु यह एक स्पष्ट संकेत भी देता है कि भाजपा ने 2015 के मुकाबले प्रगति की तथा आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन में आंशिक गिरावट आई किंतु इन दोनों दलों के मध्य का अंतर अभी भी बहुत बड़ा है (चित्र क्रमांक 1)।

चित्र क्रमांक 1

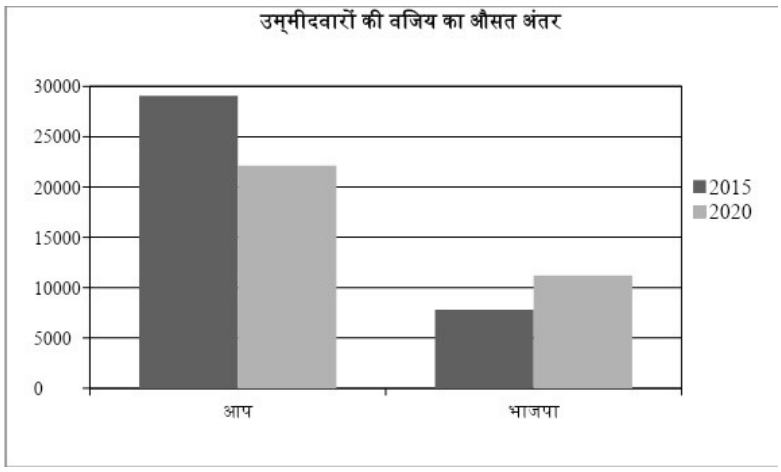

सारणी 3 विजय के अंतर के आधार पर दोनों पार्टियों के बीच तुलना को प्रदर्शित करती है। 2015 में आम आदमी पार्टी ने 40 विधानसभा क्षेत्रों पर 20,000 से अधिक मतों से विजय प्राप्त की जबकि 2020 में ऐसे विधानसभा क्षेत्रों की संख्या घटकर 28 रह गई। 2015 के दौरान केवल 4 विधानसभा क्षेत्र ऐसे थे जहां विजय का अंतर 5000 मतों

से कम था तथा ऐसे सभी चुनाव क्षेत्रों पर आम आदमी पार्टी को विजय प्राप्त हुई थी। 2020 में 5000 से कम मतों से विजय वाले निर्वाचन क्षेत्र की संख्या बढ़कर 9 हो गई जिसमे से दो पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की।

सारणी 3: विजयी निर्वाचन क्षेत्रों में वोटो का अंतर

वोटो का अंतर	2015		2020	
	आप	भाजपा	आप	भाजपा
> 50,000	6	0	4	0
20,000-49,999	40	0	24	1
10,000-19,999	14	1	23	3
5,000-9,999	5	2	4	2
1,000-4999	4	0	6	1
<1,000	0	0	1	1

स्रोत: चुनाव आयोग की वेबसाइट से संकलित

यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि अर्जित मत प्रतिशत के मामले में आम आदमी पार्टी ने 2015 का प्रदर्शन लगभग दोहराया। साथ ही साथ 62 विधानसभा क्षेत्रों में विजय के साथ वह इस बार भी अपने पुराने प्रदर्शन के पास पहुंचने में सफल रही। सारणी 3 प्रदर्शित करती है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी के अधिकांश उम्मीदवार एक बड़े अंतर से चुनाव जीतने में सफल रहे। इसी संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण

तथ्य यह भी है कि 45 विधानसभा क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की विजय का अंतर 2015 की तुलना में कम हुआ। जिन उम्मीदवारों की विजय का अंतर कम हुआ उसमें मुख्यमंत्री एवं उपमुख्यमंत्री सहित तमाम बड़े नाम शामिल हैं। कम से कम 35 विधानसभा क्षेत्र ऐसे थे जहां आम आदमी पार्टी द्वारा उतारे गए पुराने विजयी उम्मीदवारों की विजय का अंतर 2015 की तुलना में कम हुआ। सामान्य रूप से विजय के घटते अंतर को किसी पार्टी या उम्मीदवार के प्रति मतदाताओं की प्रतिकूलता समझा जाता है लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 में इस निष्कर्ष को लागू करना इसका अति सरलीकरण होगा। तब इस गिरावट के दो संभावित कारण हो सकते हैं; प्रथम, आम आदमी पार्टी 2015 में अपने प्रदर्शन की संतृप्त अवस्था में पहुँच गयी थी अतः विजय के अंतर में यह गिरावट बेहद स्वाभाविक थी और दूसरा, इस चुनाव में कुल मत प्रतिशत में आई गिरावट भी उम्मीदवारों के विजय के अंतर में कमी के रूप में सामने आई।

जीतने वाले उम्मीदवारों का मत प्रतिशत

बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था तथा सर्वाधिक मत पाने वाले की विजय से उत्पन्न जटिल चुनाव प्रणाली के कारण यह पाया जाता है कि अक्सर जीतने वाले उम्मीदवार का मत प्रतिशत आधे से कम है। बहुत कम ही ऐसे चुनाव होते हैं जहाँ विजयी राजनीतिक दल या विजयी उम्मीदवार 50% से अधिक मत लेकर चुनाव जीतता है। सामान्यतः 40% के आसपास का मत प्रतिशत किसी दल या उम्मीदवार को विजय दिलाने में सक्षम होता है। राजनीतिक दलों के बीच मतों के विभाजन का यह प्रतिरूप ही पूरे देश में अधिक सामान्य है।

सारणी 4 प्रदर्शित करती है कि 2013 में मात्र 4 विधानसभा क्षेत्रों गोकलपुर, संगम विहार, बाबरपुर एवं सुलतानपुर माजरा में विजेता उम्मीदवारों को 50% से अधिक मत मिले जबकि 49 उम्मीदवार 40% से कम मत पाकर विजयी हुए। यहां तक कि चार ऐसे उम्मीदवार भी विजय रहे जिनको कुल मतों का 30% से कम प्राप्त हुआ था। इस तथ्य से भी 2013 के चुनाव में मजबूत तीसरे दल की उपस्थिति को समझा जा सकता है। 2015 में 40% से कम मत पाकर जीतने वाले उम्मीदवारों की संख्या घटकर सिर्फ दो रह गई जबकि 2020 में ऐसे एक भी उम्मीदवार को विजय नहीं मिली जिसका मत प्रतिशत 40% से कम रहा।

सारणी 4: विजयी उम्मीदवारों का मत प्रतिशत

मत प्रतिशत	2013	2015	2020
<30.00	4	0	0
30.01-35.00	11	1	0
35.01-40.00	34	1	0
40.00-45.01	13	2	2
45.01-50.00	4	12	15
>50.00	4	56	53

स्रोत: चुनाव आयोग की वेबसाइट से संकलित

2013 में केवल 4 उम्मीदवारों को 50% से अधिक मत मिले (तीन भाजपा एक आप) जो 2015 में बढ़कर 56 (सभी आप) और 2020 में 53 (भाजपा के 5 तथा आप के 48) हो गए। विजयी उम्मीदवारों का कम मत प्रतिशत पाकर जीतना सामान्य रूप से बहुदलीय राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को प्रदर्शित करता है तथा विशेषकर एक मजबूत तीसरी शक्ति की उपस्थिति का संकेतक है, जबकि अधिकांश उम्मीदवारों का 50% से अधिक मत पाकर जीतना एक बेहद मजबूत दल की उपस्थिति का स्पष्ट संकेत है। समस्त विजयी उम्मीदवारों का केवल दो ही दलों से आना दो मजबूत राजनीतिक दलों की उपस्थिति और उनके बीच गहन संघर्ष का प्रतीक है। 2013 से 2020 तक दिल्ली विधानसभा चुनावों में ये सभी प्रवृत्तियाँ परिलक्षित होती हैं। 2020 में ना केवल 53 उम्मीदवार आधे से अधिक मत पाकर विजयी रहे बल्कि 10 अन्य उम्मीदवारों को 49% मत मिले जो कि आम आदमी पार्टी एवं भाजपा के बीच संघर्ष की तीव्रता का सूचक है।

निष्कर्ष

दिल्ली विधानसभा के 2020 चुनाव का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष यही है कि आम आदमी पार्टी ने अपने गढ़ को बचा कर रखा जबकि भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम प्रयासों के

बावजूद अंतिम परिणामों में पीछे रह गई। इसके अतिरिक्त अन्य सभी राजनीतिक दल हाशिये पर सिमट गए। यद्यपि की 2015 की तुलना में कुछ चुनिंदा संकेतकों में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन नीचे आया लेकिन ऐसा कोई बड़ा संकेत नहीं मिलता कि दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के राजनीतिक प्रभाव में कोई वास्तविक कमी आई है। यह शायद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार का सबसे मुफीद समय हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से राजधानी की राजनीति में आगे बढ़ी है लेकिन पार्टी उस विशाल अंतर को पाट पाने में असफल रही जो उनके और आम आदमी पार्टी के बीच 2015 के विधानसभा चुनावों में स्थापित हो गया था, इसलिए उनके प्रदर्शन में सुधार भी वास्तविक परिणाम अर्जित करने में विफल रहा। यहां तक कि देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल कांग्रेस ने ऐतिहासिक रूप से खराब प्रदर्शन किया तथा कम से कम इस चुनाव में महत्वहीन सी नजर आई। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को दिल्ली की राजनीति में पुनरुत्थान के जो भी संकेत मिले थे वह इस चुनाव के बाद बुरे सपने में तब्दील हो गए। इस तरह के परिणाम जब भी आते हैं राष्ट्रीय राजनीति में उनके प्रभाव की सुगबुगाहट होने लगती है लेकिन भारत की जटिल राजनीति में अक्सर उनका प्रभाव परिलक्षित नहीं हो पता। अत: यह कल्पना करना कि दिल्ली विधानसभा का चुनाव राष्ट्रीय स्तर पर दीर्घकालिक राजनैतिक प्रभाव छोड़ेगा, मात्र एक आशावादी सोच है।

सन्दर्भ:

Ahmed, R. Q. (2014). Aam Admi Party and rise of modern middle class in India. *Delhi Business Review*, *15*(2), 105-110.

Diwakar, R. (2016). Local contest, national impact: understanding the success of India's Aam Aadmi Party in 2015 Delhi assembly election. *Representation*, *52*(1), 71-80.

ECI, 1993. *Statistical report on general election, 1993 to the Legislative Assembly of NCT of Delhi.* Election Commission of India, New Delhi.

ECI, 1998. *Statistical report on general election, 1998 to the Legislative Assembly of NCT of Delhi.* Election Commission of India, New Delhi.

ECI, 2003. *Statistical report on general election, 2003 to the Legislative Assembly of NCT of Delhi.* Election Commission of India, New Delhi.

ECI, 2008. *Statistical report on general election, 2008 to the Legislative Assembly of NCT of Delhi.* Election Commission of India, New Delhi.

ECI, 2013. *Statistical report on general election, 2013 to the Legislative Assembly of NCT of Delhi.* Election Commission of India, New Delhi.

ECI, 2015. *Statistical report on general election, 2015 to the Legislative Assembly of NCT of Delhi.* Election Commission of India, New Delhi.

http://results.eci.gov.in/DELHITRENDS2020/ConstituencywiseU051.htm (retrieved on 14th February 2020)

http://results.eci.gov.in/DELHITRENDS2020/partywiseresult-U05.htm (retrieved on 14th February 2020).

http://results.eci.gov.in/DELHITRENDS2020/statewiseU051.htm (retrieved on 14th February 2020)

https://eci.gov.in/assembly-election/ae-2020-delhi/ (retrieved on 18th March 2020).

https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/shiromani-akali-dal-to-fight-four-seats-in-delhi-polls-sukhbir-badal/articleshow/45925284.cms (retrieved on 28th February, 2020).

https://en.wikipedia.org/wiki/2020_Delhi_Legislative_Assembly_election (retrieved on 23rd March 2020).

https://en.wikipedia.org/wiki/Delhi_Legislative_Assembly (retrieved on 20th March 2020).

https://thewire.in/politics/delhi-assembly-elections-2020-campaign-ends (retrieved on 20th March 2020).

https://thewire.in/politics/delhi-elections-aap-arvind-kejriwal-social-justice (retrieved on 20th March 2020).

https://www.hindustantimes.com/assembly-elections/delhi-assembly-elections-2020-door-to-door-campaign-roadshows-and-meetings-parties-prepare-for-polls/story-q4EUr3Rcw0hBhvpBPiWyFO.html (retrieved on 20th March 2020).

https://www.indiatoday.in/elections/delhi-assembly-polls-2020/story/congress-delhi-elections-rjd-1638281-2020-01-19 (retrieved on 23rd March 2020).

https://www.indiatoday.in/india/story/dalits-sikhs-not-supporting-bjp-in-delhi-polls-caused-defeat-says-party-s-internal-assessment-1653280-2020-03-07 (retrieved on 23rd March 2020).

https://www.newindianexpress.com/cities/delhi/2020/jan/30/shaheen-bagh-to-ayodhya-shahs-reasons-to-elect-bjp-2096484.html (retrieved on 21th March 2020).

https://www.news18.com/news/politics/once-a-rising-force-in-delhi-bsp-received-fewer-votes-than-nota-in-nearly-half-the-constituencies-it-contested-2499201.html (retrieved on 23rd March 2020).

https://www.opindia.com/2020/02/delhi-elections-results-important-muslim-dominated-constituencies-trends/ (retrieved on 23rd March 2020).

https://www.thequint.com/voices/opinion/arvind-kejriwal-aap-chief-image-makeover-modi-delhi-elections-nationalism-hindutva (retrieved on 21th March 2020).

https://www.theweek.in/wire-updates/national/2020/01/19/del9-polls-sibal-interview.html (retrieved on 21th March 2020).

https://zeenews.india.com/india/delhi-election-2020-bjp-sets-aside-3-seats-for-allies-jdu-ljp-2258250.html (retrieved on 28th February, 2020).

Kumar, S. (1999). BJP's Defeat in Vidhan Sabha Elections, 1998: Widespread Erosion of Support Base. *Economic and Political Weekly*, 287-292.

Kumar, S. (2009). Delhi Assembly Elections: 2008. *Economic and Political Weekly*, 27-30.

Kumar, S., Joshi, D., & Datar, A. (2004). Assembly Elections in Delhi: Second Innings for Congress. *Economic and Political Weekly,* 525-528.

Mathur, C. (2014). The AAP Effect. *Economic and Political Weekly*.

Safiullah, M., Pathak, P., & Singh, S. (2016). Emergence of social media and its implications for public policy: A study of Delhi assembly election 2013. *Management Insight*, *12*(1).

Srivastava, R., Kumar, H., Bhatia, M. S., & Jain, S. (2015, September). Analyzing Delhi assembly election 2015 using textual content of social network. In *Proceedings of the Sixth International Conference on Computer and Communication Technology 2015* (pp. 78-85).

Verma, A. (2015). Spatial analysis of voting patterns in reserved constituencies: Delhi assembly election, 2015. In *2nd Global Academic Meeting, GAM 2015 1-4 April,* India: New Delhi.

Wyatt, A. (2014). India in 2013: Braced for an Election. *Asian Survey*, *54*(1), 151-164

Yadav, Y. (1993). Political Change in North India: Interpreting Assembly Election Results. *Economic and Political Weekly*, 2767-2774.

Yadav, Y. (1999). Electoral politics in the time of change: India's third electoral system, 1989-99. *Economic and Political Weekly*, 2393-2399.

Zabiliute, E. (2014). Notes from the Field: Delhi Assembly elections, daru and politisation of violence against women. *Feminist Review*, *107*(1), 90-97.

मेकल मीमांसा

(ISSN-0974-0118)

मेकल मीमांसा: एक परिचय

सन 2009 में आरंभ मेकल मीमांसा इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकण्टक, मध्य प्रदेश द्वारा प्रकाशित डबल ब्लाइंड पीअर रिव्यूड शोध पत्रिका है जो यूजीसी द्वारा जारी केयर जर्नल्स में सूचीबद्ध है। राष्ट्रभाषा हिंदी में प्रकाशित अर्धवार्षिक शोधपत्रिका हेतु ज्ञान-विज्ञान के सभी क्षेत्रों से मौलिक शोध प्रकाशन हेतु आमंत्रित किया जाता हैं। शोध पत्रिका का उद्देश्य शोधार्थियों, नीति नियामकों, एवं वाणिज्यिक क्षेत्रों के ज्ञानवर्धन तथा संवर्धन हेतु उपयोगी नवोन्मेषी, मौलिक और नूतन शोध को सामने लाना है। प्रकाशन में उच्च मानकों को बनाए रखने हेतु पत्रिका के लिए एक निर्धारित, वस्तुनिष्ठ ब्लाइंड पीअर रीव्यू पद्धति से शोध पत्रों का चयन किया जाता है।

पत्रिका का उद्देश्य एवं क्षेत्र-

मेकल मीमांसा शोध पत्रिका का मूल उद्देश्य राष्ट्रभाषा हिंदी में गुणवत्तायुक्त मौलिक शोध को सामने लाना है। पत्रिका सैद्धांतिक, अनुप्रयुक्त एवं नीति निर्धारण आदि सभी क्षेत्रों में होने वाले अनुसन्धान को प्रकाशित करने का कार्य करती है। पत्रिका का विशेष आग्रह आदिवासी विकास, संस्कृति एवं जीवन पद्धति आदि से जुड़े स्तरीय, वस्तुनिष्ठ एवं वैज्ञानिक शोध के प्रकाशन के प्रति है।

पत्रिका की सदस्यता हेतु सहयोग राशि

क्रम संख्या	श्रेणी	अवधि	सहयोग राशि रुपयों में
1	संस्थागत सदस्यता हेतु	अर्धवार्षिक	300.00
		वार्षिक	550.00
		आजीवन	5000.00
2	व्यक्तिगत सदस्यता हेतु	अर्धवार्षिक	250.00
		वार्षिक	475.00
		आजीवन	4500.00
3	आन्तरिक व्यक्तिगत सदस्यता एवं शोधार्थियों हेतु	अर्धवार्षिक	200.00
		वार्षिक	350.00
		आजीवन	3250.00

सहयोग राशि का भुगतान ऑनलाइन/बैंक ट्रान्सफर के माध्यम से स्वीकार किया जाता है। बैंक डिटेल हेतु सम्पादकीय टीम से संपर्क किया जा सकता है।

मेकल मीमांसा के जनवरी-जून 2021 अंक हेतु शोध पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। शोध पत्र मौलिक, वस्तुनिष्ठ एवं ज्ञान के क्षेत्र और समाज तथा संस्कृति के संवर्धन में योगदान करने में सक्षम हों। मौलिकता प्रमाणपत्र एवं अन्यत्र प्रकाशन हेतु नहीं भेजे जाने सम्बंधी घोषणा के साथ दिनांक 31/07/2021 तक शोध पत्र mekalmimansa@igntu.ac.in पर ई-मेल किए जा सकते हैं। विस्तृत निर्देश हेतु हमारी वेबसाइट देखें।
http://www.igntu.ac.in/mekalmimansa.aspx

मेकल मीमांसा

यूजीसी केयर द्वारा अनुमोदित अंतर-अनुशासनात्मक डबल ब्लाइंड पीअर रिव्यूड अर्धवार्षिक शोध पत्रिका
वर्ष-12, अंक-02 जुलाई-दिसम्बर- 2020
http://www.igntu.ac.in/mekalmimansa.aspx